Nainital Bank
amulya rishton ka atoot bandhan

ANNUAL REPORT
2025-26



"From Our Roots to New Heights."

TRIBUTE TO THE FOUNDERS



LALA PARMA SAH
FOUNDER DIRECTOR



GOVIND BALLABH PANT
FOUNDER DIRECTOR



MATHURA DATT PANDE
FOUNDER DIRECTOR

The famous saying by late financial journalist and author, Hartley Withers, states, 'Good Banking is produced not by good laws, but by good bankers'. This saying adds up to the fundamental perspective of the time and life of the founders and foremost directors of the Nainital Bank, Lala Parma Sah, Govind Ballabh Pant, and Mathura Datt Pande, the visionaries who laid the foundation of the Nainital Bank Limited. Their in-depth differentiae of willingness, determination, and inventiveness gave rise to an eminent financial institution in the hills of Kumaon.

The visionaries and promoters of the Nainital Bank — Lala Parma Sah, a contractor; Govind Ballabh Pant, a *vakil*; Mathura Datt Pande, a *vakil*; Mohan Lal Sah, a government treasurer; Abdul Quayyum, a merchant; Chandra Lal Sah Rias, and Debi Lal Sah — held on to their ambitions and transformed them into actuality. Their rigorous hard work propelled them to victory and made them the pioneers who contributed greatly to the banking sector of the country.



गोपाल सिंह गुंसाई
(गैर–कार्यकारी अध्यक्ष)

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नैनीताल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अवधि हमारे सतत व्यावसायिक विकास और सुरक्षित, सुलभ एवं आधुनिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए हमारे डिजिटल परिवेश के निरंतर विस्तार को दर्शाती है। प्रमुख रूपांतरणों और स्थिर वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर, हम अपनी अगली विकास यात्रा और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को गति देने के लिए आवश्यक रणनीतिक आधार तैयार कर रहे हैं।

व्यापक आर्थिक अवलोकन

वैश्विक टैरिफ और भू–राजनीतिक व्यवधानों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए अपनी दृढ़ता सिद्ध की। यह वृद्धि निजी खपत में मजबूत पुनरुत्थान, संरचनात्मक सुधारों तथा पूरे वर्ष भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए व्यापक नीतिगत समर्थन से प्रेरित रही। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों, करों में कमी आदि ने वर्ष के दौरान खपत में पुनरुत्थान को समर्थन दिया। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी और स्थिर मूल मुद्रास्फीति के समर्थन से मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य से काफी नीचे रही। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकास को समर्थन देने के लिए तरलता प्रवाह के साथ–साथ नीतिगत रेपो दर को तर्कसंगत बनाते हुए एक संतुलित मौद्रिक सहजता चक्र अपनाया। इन सभी नीतियों ने मजबूत उपभोक्ता मांग, बेहतर ऋण स्थितियों और निजी पूंजीगत व्यय में पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कुल कारोबार में 6.75% की वृद्धि दर्ज की। यह गति हमारे अग्रिम पोर्टफोलियो में 10.55% की वृद्धि तथा परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से प्रेरित रही, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) अनुपात घटकर 0.27% रह गया और प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) बढ़कर 94.01% हो गया। बैंक ने CASA को 40% से अधिक बनाए रखा, जिससे बैंकिंग परिदृश्य में संरचनात्मक लागत लाभ तथा अधिक तरलता और स्थिरता प्राप्त हुई। 18.96% के मजबूत पूंजी–जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) के समर्थन से हमारी सुदृढ़ बैलेंस शीट का प्रत्यक्ष प्रभाव कर पश्चात लाभ (PAT) में लगभग 25% की प्रभावशाली वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। यद्यपि व्यावसायिक लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 'उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रशंसित बैंक' बनने की हमारी आकांक्षा में लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शामिल है। वित्त वर्ष 2027 की ओर बढ़ते हुए, हम जैविक एवं सतत विकास, जोखिम के संतुलन और अपने हितधारकों को प्रतिफल देने पर केंद्रित रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अनुपालन एवं स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें।

डिजिटल बैंकिंग और नवाचार

डिजिटल रूपांतरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, हम अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ–साथ आज के तकनीक–प्रेमी उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से सेवाएँ प्रदान करने के लिए तकनीकी नवाचार को गति दे रहे हैं। इस वर्ष एक प्रमुख उपलब्धि हमारे प्रमुख मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, नैनी नियो, का शुभारंभ रहा। आगे बढ़ते हुए, हम इसकी सुविधाओं के विस्तार को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उद्योग के अग्रणी मानकों के अनुरूप पूर्ण समानता सुनिश्चित की जा सके और अत्यधिक सुरक्षित, सहज एवं व्यापक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।

बैंक निर्बाध परिचालन, तत्परता और कड़े नियामकीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मुख्य डिजिटल इकोसिस्टम को व्यवस्थित रूप से मजबूत कर रहा है। हम अपनी परिसंपत्ति एवं देयता पोर्टफोलियो को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म शुरू करने की संभावनाओं का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं तथा साथ ही अपनी रिपोर्टिंग अवसंरचना को अनुकूलित कर रहे



Gopal Singh Gusain

(Non-Executive Chairperson)

It is an honour to present Nainital Bank's Annual Report for the Financial Year 2025-26. This period showcases our sustainable business growth and the continuous expansion of our digital ecosystem to deliver secure, accessible, and modern banking services. Supported by key transformations and steady financial performance, we are laying the strategic foundation necessary to drive our next wave of growth and long-term value creation.

Macroeconomic Overview

Navigating global tariffs and geopolitical disruptions, the Indian economy proved its resilience by registering a powerful 7.7% growth during FY 2025-26. This growth was driven by strong revival in private consumption, structural reforms and aggressive policy support from both the Government and the Reserve Bank of India throughout the year. The next-generation GST reforms, reduction in taxes etc. have supported the revival of consumption during the year. The inflation was well below the RBI's target, supported by benign food inflation and stable core prices. The Reserve Bank of India undertook a calibrated easing cycle, rationalizing the policy repo-rate, alongside liquidity infusion to support growth. All these policies support translating into a strong consumer demand, improving credit conditions, and a revival in private capital expenditure.

Financial Performance

During the fiscal year, the bank registered overall business growth of 6.75%. This momentum was driven by a 10.55% growth in our advances portfolio and sharp asset quality improvements with our Net Non-Performing Asset (NNPA) ratio dropping to 0.27%, and the Provision Coverage Ratio (PCR) climbing to 94.01%. The bank also maintained CASA maintained above 40% giving structural cost advantage and greater liquidity & stability in the banking landscape. Supported by a strong Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 18.96%, our robust balance sheet directly translated into an impressive profit after tax (PAT) surge of nearly 25%. While business goals are essential, our pursuit of becoming the 'Most Admired Bank of Uttarakhand' is about the people first. Looking ahead to Fiscal 2027, we will remain focused on organic & sustainable growth, balancing risk, and rewarding our stakeholders while ensuring we remain compliant and sustainable.

Digital Banking and Innovation

Driven by our commitment to digital transformation, we are accelerating tech innovation to seamlessly serve both our existing clientele and today's tech-savvy consumers. A key milestone this year was the launch of our premier mobile banking application, Naini Neo. Moving forward, we are aggressively expanding its feature suite to deliver full parity with leading industry standards, offering a highly secure, frictionless, and comprehensive banking experience.

The Bank is systematically strengthening its core digital ecosystem to ensure seamless operational readiness and strict regulatory compliance. We are actively exploring introducing next-generation platforms to support and increase our asset and liability portfolios, while simultaneously optimizing

हैं, ताकि तीव्र, डेटा–आधारित निगरानी और पर्यवेक्षण को सक्षम बनाया जा सके।

तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य के साथ कदम मिलाने के लिए, बैंक अपने परिचालन को आधुनिक बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों का मूल्यांकन कर रहा है। हमारा ध्यान व्यवसायिक विकास के लिए AI-आधारित समाधानों एवं एनालिटिक्स को लागू करने तथा परिचालन, जोखिम और अनुपालन ढाँचे को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। यह तकनीकी परिवर्तन पारंपरिक बैंकिंग विश्वास और स्वचालित दक्षता के बीच की दूरी को कम करेगा, इससे टर्नअराउंड समय में भारी कमी आएगी और बैंक को बेहतर और बड़े पैमाने पर वृद्धि के लिए तैयार करने में सहायता मिलेगी।

आगे बढ़ते हुए, आपका बैंक एक अत्यधिक सुरक्षित, स्केलेबल, सुलभ और सहज डिजिटल बैंकिंग ढाँचा तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक एवं व्यापक मूल्य सृजित करता है।

साइबर सुरक्षा

जैसे–जैसे नैनीताल बैंक अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है, मजबूत साइबर सुरक्षा के माध्यम से संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में बनी हुई है। बैंक के पास एक सुव्यवस्थित सूचना सुरक्षा ढाँचा मौजूद है, जिसे निरंतर उन्नत किया जा रहा है तथा जिसके अंतर्गत हमारे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर जोखिमों के प्रबंधन के लिए निरंतर निगरानी, भेद्यता स्कैनिंग और नियमित जोखिम आकलन किए जाते हैं। दीर्घकालिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर सुरक्षा को केंद्रीय स्थान देना ग्राहक डेटा की सुरक्षा और हमारे डिजिटल वातावरण को उभरते प्रणालीगत खतरों से सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नियमन

आपके निदेशक मंडल का सुशासन पर अटूट ध्यान बना हुआ है और वह अपनी स्वतंत्रता एवं दक्षता का उपयोग करते हुए बैंक की प्रगति को जिम्मेदारीपूर्वक आगे बढ़ा रहा है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र और गैर–स्वतंत्र निदेशकों का संतुलित मिश्रण है, जो रणनीतिक निर्णय–निर्माण में विविध दृष्टिकोण, कठोर निगरानी और मजबूत नेतृत्व प्रदान करते हैं। हम पारदर्शी प्रकटीकरण और उच्च गुणवत्ता वाली सूचना के आदान–प्रदान को प्राथमिकता देते हैं, ताकि बोर्ड स्तर पर सार्थक विचार–विमर्श सुनिश्चित किया जा सके। गतिशील नियामकीय अधिदेशों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ अपने रणनीतिक ढाँचों को निरंतर संरेखित करते हुए, निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन, ऑडिट और अनुपालन पर कड़ी निगरानी बनाए रखता है तथा जैविक विकास के अवसरों को साकार करता है। वर्ष भर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हुए, निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ बैंक के महत्वपूर्ण परिचालनों का मूल्यांकन करती हैं, ताकि संस्था बाहरी बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति सुदृढ़ बनी रहे। आगे भी निदेशक मंडल सर्वोत्तम वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, ताकि हमारे जमाकर्ताओं, कर्मचारियों और हितधारकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सामाजिक प्रभाव और ईएसजी

'समावेशी बैंकिंग' के अपने मूल सिद्धांत से प्रेरित होकर, नैनीताल बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) संबंधी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित है और अपने परिचालन क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। हमारी CSR पहलों का ध्यान समुदायों और समाज के भीतर सार्थक एवं मापनीय प्रभाव उत्पन्न करने पर केंद्रित है। हमारे कार्यक्रम शिक्षा का प्रोत्साहन, खेल, स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता, कला एवं संस्कृति का प्रोत्साहन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संचालित हैं।

बैंक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) सिद्धांतों पर निरंतर केंद्रित है तथा अपनी रणनीतियों, नीतियों और परिचालन संबंधी निर्णयों को विकसित हो रहे वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यवस्थित रूप से संरेखित कर रहा है। यह सक्रिय प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि सतत सर्वोत्तम प्रथाओं को हमारे संपूर्ण परिचालन चक्र में पूरी तरह एकीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैंक जलवायु–अनुकूल परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने और अपने परिचालन उत्सर्जन को व्यवस्थित रूप से कम करने हेतु ग्रीन डिपॉजिट शुरू करने की संभावना का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहा है।

भविष्य की दिशा

हम दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं। व्यावसायिक निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए, अपने डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार करते हुए, एक स्थिर नेतृत्व ढाँचा बनाए रखते हुए और रणनीतिक गठजोड़ों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाते हुए, नैनीताल बैंक लाभदायक एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए पूरी तरह केंद्रित है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे हितधारकों, ग्राहकों, नियामकों और कर्मचारियों के अटूट विश्वास एवं सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर नैनीताल बैंक की मजबूत नींव को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं और एक सुदृढ़, भविष्य के लिए तैयार संस्था का निर्माण कर रहे हैं, जो सतत विकास एवं मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

our reporting infrastructure to enable sharp, data-driven monitoring and oversight.

To keep up the pace with the rapidly changing financial landscape, the bank is evaluating Artificial Intelligence solutions to modernize its operations. Our focus centers on deploying AI-driven solutions & analytics for business growth and enhance the operational, risk and compliance framework. This technological pivot will bridge the gap between traditional banking trust and automated efficiency, drastically minimize turnaround times and will help in positioning the Bank for superior scalable growth.

Moving forward, your Bank remains steadfast in building a highly secure, scalable, accessible, and intuitive digital banking framework that creates deep long-term value for all stakeholders.

Cyber Security

As Nainital Bank expands its digital services, safeguarding sensitive and critical data through robust cybersecurity remains a core priority. The Bank has in place and is continuously upgrading its structured information security framework, for continuous monitoring, vulnerability scanning and routine risk assessments to manage risks across all our key platforms. Anchoring cybersecurity within our long-term corporate governance programme demonstrates our commitment towards the safety of customer data and shielding our digital environment from emerging systemic threats.

Governance

Your Board of Directors maintain an unwavering focus on good governance, leveraging their independence and competence to drive the Bank's progress responsibly. The Board is well-balanced, comprising a mix of Independent and Non-Independent Directors who bring diverse perspectives, rigorous oversight, and strong stewardship to strategic decision-making. We prioritize transparent disclosures and high-quality information sharing to ensure meaningful board-level deliberations. By continuously aligning our strategic frameworks with dynamic regulatory mandates and business needs, the Board maintains stringent oversight over risk management, audits, and compliance while unlocking organic growth. Meeting regularly throughout the year, the Board and its Committees evaluate critical banking operations to keep the institution resilient against external market uncertainties. Moving forward, the Board continues to champion the best global standards to fully protect the interests of our depositors, employees, and stakeholders.

Social Impact and ESG

Driven by our foundational ethos of 'Inclusive Banking', Nainital Bank remains deeply dedicated to its Corporate Social Responsibility (CSR) mandate, actively fostering socio-economic development across our operational geographies. Our CSR initiatives focus on creating meaningful and measurable impact within communities and societies. Our programmes span key focus areas of Promotion of Education, Sports, Healthcare & Hygiene, Promotion of Art & Culture and Natural Resource Management.

The bank remains deeply focused on Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, systematically aligning our strategies, policies, and operational decisions with evolving global standards. This proactive commitment ensures that sustainable best practices are thoroughly integrated across our entire operational lifecycle. Furthermore, the bank is actively evaluating the introduction of Green Deposits to mobilize capital toward climate-friendly projects and systematically reduce our operational emissions.

Looking Forward

We look forward to establishing a solid foundation for long-term value creation. By prioritizing business delivery, expanding our digital ecosystem, maintaining a stable leadership framework, and actively pursuing strategic alliances, Nainital Bank remains fully focused on achieving profitable and sustainable growth.

On behalf of the Board, I sincerely thank our stakeholders, customers, regulators, and employees for their steadfast trust and collaboration. Together, we continue to reinforce Nainital Bank's foundations - fostering a resilient, future-ready institution geared for sustainable growth and value creation.



सुशील कुमार लाल
(मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ)

प्रिय शेयरधारकों,

इस शताब्दी पुराने संस्थान का नेतृत्व करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है और मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस जिम्मेदारी से भली–भाँति अवगत हूँ, जो ऐसे संस्थान का नेतृत्व करने के साथ आती है, जिसने दृढ़ अनुशासन और संकल्प के माध्यम से अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और सभी हितधारकों का विश्वास पुनः स्थापित किया है। मजबूत सुशासन, अनुशासित जोखिम प्रबंधन और सुव्यवस्थित व्यावसायिक मॉडल से प्रेरित होकर, हम उद्देश्यपूर्ण विकास के अपने अगले चरण के लिए तैयार हैं। हमारा विज़न बैंक को एक विश्वसनीय, मूलभूत रूप से सुदृढ़, प्रौद्योगिकी–सक्षम और भविष्य के लिए तैयार संस्थान में परिवर्तित करना है, ताकि इसकी वास्तविक क्षमता को साकार किया जा सके और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2026: प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ

वैश्विक व्यवधानों, व्यापक आर्थिक बदलावों, बढ़ती जमा प्रतिस्पर्धा और विकसित होते नियामकीय ढाँचों के बीच, भारत का बैंकिंग इकोसिस्टम अत्यधिक गतिशील बना रहा। इन चुनौतियों के बावजूद, हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में अनुशासित वित्तीय प्रदर्शन किया। हमारी बैलेंस शीट अत्यधिक सुदृढ़ बनी रही, जिसमें अनुशासित जोखिम प्रबंधन और उन्नत अनुपालन ढाँचे के माध्यम से विस्तार हुआ। वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने 6.75% की समग्र व्यावसायिक वृद्धि दर्ज करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं।इस गति को हमारे अग्रिम पोर्टफोलियो में 10.55% के विस्तार के साथ–साथ परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से बल मिला; हमारा शुद्ध गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) अनुपात घटकर 0.27% रह गया, जबकि प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) बढ़कर 94.01% हो गया। 18.96% के मजबूत पूंजी–जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) के समर्थन से, हमारे मजबूत पूंजी आधार का प्रत्यक्ष प्रभाव कर पश्चात लाभ (PAT) में लगभग 25% की प्रभावशाली वृद्धि के रूप में सामने आया। हमने CASA अनुपात को भी 40% से अधिक बनाए रखा, जिससे एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक लागत लाभ सुनिश्चित हुआ, जो लाभ मार्जिन में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा बेहतर तरलता और स्थिरता प्रदान करता है।

सुशासन आधारित संस्कृति

हमने निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाकर, जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निर्णय–निर्माण को दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप करके अपने सुशासन ढाँचे को निरंतर सुदृढ़ किया। एक प्रमुख उपलब्धि हमारे निदेशक मंडल का रणनीतिक विस्तार रहा, जिसमें अनुभवी एवं कुशल पेशेवरों का स्वागत किया गया, जिनकी गहन विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोण हमारे संस्थागत पर्यवेक्षण को और मजबूत करते हैं। इसके साथ ही, हमने अनुपालन को संगठन–व्यापी साझा जिम्मेदारी के रूप में और सुदृढ़ किया। डिजिटल लर्निंग, जागरूकता अभियानों और संरचित कार्यशालाओं के माध्यम से हमने प्रत्येक परिचालन कार्य में ईमानदारी और जिम्मेदार आचरण को गहराई से समाहित किया है।

प्रमुख रणनीतिक निर्णय

- **DIT का स्थानांतरण**: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, हमने अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DIT) को नोएडा स्थित अत्याधुनिक कार्यालय में पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया है। यह परिचालन केंद्र हमें उभरती फिनटेक कंपनियों के साथ निर्बाध रूप से सहयोग करने और अपने कोर बैंकिंग ढाँचे को आधुनिक बनाने में सक्षम बनाएगा।



Sushil Kumar Lal
(Managing Director & CEO)

Dear Shareholders,

Leading this century-old institution is a profound honor, and I extend my heartfelt gratitude to all our stakeholders. I am deeply mindful of the responsibility that comes with leading an institution which through steadfast discipline and resolve, has restored the trust of its customers, employees, and all stakeholders. Driven by strong governance, disciplined risk management, and a well-aligned business model, we stand poised for our next chapter of purposeful growth. Our vision is to transform the bank into a credible, fundamentally robust, tech-enabled, and future-ready institution, unlocking its true potential and delivering long-term value for all stakeholders.

Fiscal 2026: Performance Highlights

Amid global disruptions, macroeconomic shifts, rising deposit competition, and evolving regulatory frameworks, India's banking ecosystem remained highly dynamic. Despite these challenges, our bank delivered a disciplined financial performance in Fiscal 2026. Our balance sheet remains highly resilient, expanding through disciplined risk management and an elevated compliance framework. During the fiscal year, we achieved critical milestones, registering overall business growth of 6.75%. This momentum was propelled by a 10.55% expansion in our advances portfolio alongside sharp improvements in asset quality; our Net Non-Performing Asset (NNPA) ratio dropped to 0.27% while the Provision Coverage Ratio (PCR) climbed to 94.01%. Supported by a robust Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 18.96%, our strong capital foundation directly translated into an impressive Profit After Tax (PAT) surge of nearly 25%. We also maintained a CASA ratio above 40%, securing a vital structural cost advantage that improves profit margins, enhances operational efficiency, and provides superior liquidity and stability.

Governance driven culture

We continued to elevate our governance framework by sharpening oversight, boosting accountability, and aligning decision-making with long-term strategic goals. A key milestone was the strategic expansion of our Board; welcoming accomplished professionals whose deep expertise and diverse viewpoints enhance our institutional oversight. Concurrently, we reinforced compliance as a shared, organization-wide responsibility. Through digital learning, awareness campaigns, and structured workshops, we have deeply embedded integrity and responsible conduct into every operational function.

Key Strategic Decisions

- **Relocation of DIT:** In a major milestone, we completely shifted our Department of Information Technology (DIT) to a state-of-the-art office in Noida. This operational hub will allow us to seamlessly collaborate with emerging FinTech companies and modernize our core banking framework.

- **कभी भी, कहीं भी बैंकिंग**: प्रत्येक शाखा आधुनिक कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) पर पूरी तरह सक्रिय है। हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और डिजिटल सेवा प्रणालियों को निरंतर उन्नत कर रहे हैं, ताकि सामान्य परिचालन संबंधी बाधाओं को समाप्त किया जा सके और ग्राहकों को सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।
- **सुरक्षा**: हम उभरते डिजिटल खतरों को पहले से ही निष्प्रभावी करने के लिए अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और कड़े परिचालन पर्यवेक्षण के माध्यम से हमने साइबर घटनाओं को रोकने और अपनी संस्थागत अखंडता की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है।

लाभ से परे उद्देश्य

वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक सेवा हमारे मिशन के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। हम हमेशा से समाज की सेवा करने और उसमें योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे हैं। हमने वंचित क्षेत्रों में अपनी पहुँच को और गहरा किया है तथा उन लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। लक्षित वित्तीय सहायता और अनुकूलित बैंकिंग समाधानों के माध्यम से, हम वंचित समूहों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को सक्रिय रूप से दूर कर रहे हैं। CSR के अंतर्गत, बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बालिकाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए एम्बुलेंस दान करके उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करता है। निरंतर CSR पहलों के माध्यम से, हम सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता तथा शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रयास एक वित्तीय संस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को रेखांकित करते हैं।

भविष्य के लिए तैयार बैंक

हमारा उद्देश्य बैंक को एक ऊर्जावान, अनुकूलनशील और सुदृढ़ संस्था में परिवर्तित करना है, जो बदलते बाजार, नियामकीय और तकनीकी परिदृश्यों के बीच प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम हो। विश्वास और ईमानदारी की अपनी विरासत के आधार पर, हम एक पूर्णतः ग्राहक–केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी विकास रणनीति जैविक व्यावसायिक विस्तार, तीव्र और पारदर्शी निर्णय–निर्माण तथा तकनीकी नवाचार के लिए फिनटेक साझेदारियों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, हम स्वचालन, निरंतर क्षमता निर्माण और कड़े नियामकीय अनुपालन के माध्यम से मानव पूंजी का अनुकूलन कर रहे हैं, ताकि स्वयं को एक अग्रणी तकनीक–सक्षम बैंक के रूप में स्थापित किया जा सके। स्थिरता को बढ़ावा देते हुए, हमने दीर्घकालिक एवं सतत विकास के लिए मजबूत पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं को अपने मूल परिचालनों में समाहित करने हेतु परियोजनाएँ भी शुरू की हैं।

हमारा पुनर्संरेखित व्यावसायिक मॉडल खुदरा ऋण, सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण और CASA आधार में निरंतर वृद्धि को प्राथमिकता देता है, ताकि परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों में जैविक विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके। परिचालन लागत को कम करने और अनुपालन को मजबूत करने के लिए, हम प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति बढ़ा रहे हैं तथा अपने रिटेल, कृषि और MSME (RAM) पोर्टफोलियो का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं। हम अपनी शाखा नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही अपने डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ताकि युवा एवं तकनीक–प्रेमी ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके और मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को और गहरा किया जा सके। अपने डिजिटल कोर में निरंतर निवेश के माध्यम से, हम नई सेल्फ–सर्विस ग्राहक सेवाएँ शुरू करेंगे और उच्च सिस्टम अपटाइम तथा मजबूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी IT आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेंगे। हमारे प्रमुख मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, Naini Neo, के सफल शुभारंभ के बाद, हम इस वर्ष प्रतिस्पर्धी और बाजार के अनुरूप डिजिटल सेवाएँ शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, हम परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत रिटेल ऋण प्रसंस्करण केंद्र, नैनी राह (Naini ₹@h,), विकसित कर रहे हैं। ये पहलें हमारे समग्र फ्रेंचाइज़ का विस्तार करने के लिए न्यू–टू–बैंक (NTB) ग्राहकों को जोड़ने पर हमारे आक्रामक फोकस को सीधे समर्थन प्रदान करती हैं।

सामूहिक प्रभाव

वित्त वर्ष 2026–27 की ओर स्पष्ट उद्देश्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए, मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे शेयरधारकों के प्रति, हमारी दीर्घकालिक रणनीति में आपके निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद। हमारे ग्राहकों के प्रति, आपकी निष्ठा के लिए हम आभारी हैं, जो हमें निरंतर नवाचार करने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे समुदायों के प्रति, सार्थक और सतत प्रभाव उत्पन्न करने में हमारे साथ साझेदारी करने के लिए धन्यवाद।

अंत में, मैं अपने कर्मचारियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं–मजबूत, अनुशासन और साझा महत्वाकांक्षा हमारी सफलता के वास्तविक आधार हैं। पिछले वर्ष हमने जो मजबूत आधार तैयार किया है, वह हमारी सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। हम सब मिलकर और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने और एक मजबूत भविष्य का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

- **Anytime, Anywhere Banking:** Every branch is fully active on modern Core Banking Solutions (CBS). We are continuously upgrading our Internet Banking, Mobile Banking apps, and digital delivery systems to eliminate standard operational frictions and provide smooth consumer journeys.
- **Security:** We continue to fortify our cybersecurity framework to pre-emptively neutralize emerging digital threats. Through cutting-edge defence technologies and strict operational oversight, we have enhanced our security posture to prevent cyber incidents and safeguard our institutional integrity.

Purpose Beyond Profit

Financial inclusion, social security, and community service remain the core tenets of our mission. We have always been deeply committed to serving and contributing to society. We have deepened our footprint in underserved regions, driving financial literacy and security for individuals who need it most. Through targeted financial assistance and tailored banking solutions, we actively dismantle barriers to credit for marginalized groups and economically weaker sections. Under CSR, the bank provides vital financial assistance to girls from economically weaker sections and strengthens healthcare infrastructure in Uttarakhand by donating ambulances for medical emergencies. Through continuous CSR initiatives, we focus on community development, environmental sustainability, and the promotion of education, sports, art, and culture. These efforts underscore our role as not just a financial institution, but a deeply responsible corporate citizen.

Future ready Bank

The aim is to transform the bank into an agile, adaptive, and resilient institution equipped to thrive amid shifting market, regulatory, and technological landscapes. Building on our legacy of trust and integrity, we are shifting to a strictly customer-centric model. Our growth strategy focuses on organic business expansion, accelerated and transparent decision-making, and fintech partnerships for technological innovation. Furthermore, we are optimizing human capital through automation, continuous capacity building, and strict regulatory adherence to position ourselves as a leading tech-savvy bank. Championing sustainability, we have also launched projects to embed robust Environmental, Social, and Governance (ESG) practices into our core operations for long-term, sustainable growth.

Our realigned business model prioritizes retail lending, service sector financing, and steady CASA base growth to drive organic expansion across assets and liabilities. To reduce operating costs and strengthen compliance, we are accelerating technology adoption while aggressively expanding our Retail, Agriculture, and MSME (RAM) portfolio. We are expanding our brick-and-mortar network while simultaneously strengthening our digital banking ecosystem to attract younger, tech-savvy customers and deepen relationships with existing clientele. By investing continuously in our digital core, we will launch new self-service customer journeys and reinforce our IT backbone to ensure high system uptime and robust cybersecurity. Following the successful launch of our flagship mobile banking application, Naini Neo, we are committed to rolling out competitive, market-aligned digital services this year. Furthermore, we are developing a centralized retail loan processing hub, Naini ₹@h, to enhance operational efficiency and elevate customer experience. These initiatives directly support our aggressive focus on onboarding New-to-Bank (NTB) customers to expand our overall franchise.

Collective Impact

As we look ahead to FY 2026-27 with clear purpose and confidence, I want to express my deepest gratitude to all our stakeholders. To our shareholders, thank you for your steadfast trust and belief in our long-term strategy. To our customers, we appreciate your loyalty, which drives us to constantly innovate and elevate our services. To our communities, thank you for partnering with us to create meaningful, sustainable impact.

Finally, my profound thanks go to our employees - your agility, discipline, and shared ambition are the true engines of our success. The robust groundwork we have laid this past year is a testament to our collective strength. Together, we are fully prepared to move further, faster, and build a resilient future.



कुलदीप सिंह
(कार्यकारी निदेशक)

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2025–26, द नैनीताल बैंक लिमिटेड के लिए परिचालन सुदृढ़ता, अनुशासित क्रियान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। पूरे वर्ष बैंक ने निरंतर वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखते हुए डिजिटल रूपांतरण को गति प्रदान की तथा जमीनी स्तर पर अपनी बाजार पहुंच को और अधिक सुदृढ़ किया। अनुशासित पूंजी आवंटन एवं सक्रिय जोखिम प्रबंधन ढाँचे के मार्गदर्शन में बैंक ने गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण परिचालन परिवेश का सफलतापूर्वक सामना किया और साथ ही ग्राहकों के विश्वास तथा उत्कृष्ट सेवा के प्रति अपनी मूल प्रतिबद्धता को अक्षुण्ण रखा।

सुदृढ़ लाभप्रदता एवं परिचालन गति

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अनुशासित एवं पूंजी–कुशल वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धि कर–पश्चात लाभ (PAT) में वर्ष–दर–वर्ष लगभग 25% की उल्लेखनीय वृद्धि रही। अग्रिमों के पोर्टफोलियो में 10.55% की वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंक ने कुल 6.75% की समग्र वृद्धि दर दर्ज की। परिचालन दक्षता एवं मार्जिन संरक्षण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने CASA अनुपात 40% से अधिक बनाए रखा। इससे शुद्ध मार्जिन को सुरक्षित रखने तथा उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली।

सुदृढ़ परिसंपत्ति गुणवत्ता

बैंक की आय में वृद्धि के साथ–साथ ऋण स्वीकृति की गुणवत्ता तथा प्रभावी समाधान तंत्र पर भी विशेष एवं निरंतर ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया

1. शुद्ध गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Net NPA) घटकर मात्र 0.27% रह गईं।
2. प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) 94.01% के उत्कृष्ट स्तर पर पहुँच गया, जो बैंक की बैलेंस शीट की सुदृढ़ता, जोखिम–रोधक क्षमता तथा उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति संरचना को दर्शाता है।

साइबर सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी संरचना

डिजिटल विस्तार के साथ–साथ मजबूत एवं संस्थागत स्तर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा। उभरते साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बैंक ने रियल–टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग, जीरो–ट्रस्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा सुदृढ़ साइबर–इंसिडेंट रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क को और मजबूत किया। हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम (Finacle CBS) में स्वचालन को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया गया। नियामकीय एवं कर संबंधी वैलिडेशन, क्लियरिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा उन्नत मल्टी–फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक के लिए सुरक्षित, निर्बाध एवं सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई।

रणनीतिक शाखा विस्तार

डिजिटल बैंकिंग चौनलों को पूरक बनाने के उद्देश्य से बैंक ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा एवं राजस्थान में अपनी शाखा नेटवर्क की रणनीतिक पहुंच को और व्यापक किया। उच्च क्षमता वाले अर्ध–शहरी एवं ग्रामीण आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए बैंक का शाखा नेटवर्क रिटेल, कृषि एवं MSME (RAM) ग्राहकों के अधिग्रहण एवं सेवा के लिए महत्वपूर्ण संबंध–केंद्रों के रूप में निरंतर अपनी भूमिका निभा रहा है।



Kuldeep Singh
(Executive Director)

Dear Shareholders,

Fiscal 2026 has been a landmark year of operational resilience, execution rigor, and institutional consolidation for The Nainital Bank Limited. Throughout the year, our institution delivered sustained financial performance while accelerating digital transformation and deepening our ground-level market reach. Guided by disciplined capital allocation and proactive risk frameworks, we successfully navigated a dynamic operating environment while maintaining our foundational commitment to client trust and service excellence.

Strong Profitability & Operational Momentum

During the fiscal year, the Bank delivered a disciplined, capital-efficient performance, headlined by a nearly 25% year-over-year increase in Profit After Tax (PAT). Driven by a 10.55% expansion in our advances portfolio, the Bank recorded an overall growth rate of 6.75%. Operational efficiency and margin defense remained strong as we maintained our CASA ratio above 40%, safeguarding net margins and reducing reliance on high-cost bulk deposits.

Robust Asset Quality

Our earnings growth was matched by an uncompromising focus on underwriting quality and intensive resolution mechanisms:

1. Net Non-Performing Assets (Net NPAs) fell sharply to 0.27%.
2. The Provision Coverage Ratio (PCR) reached an exceptional 94.01%, providing a resilient cushion and reflecting pristine balance sheet hygiene.

Cybersecurity & Technology Architecture

Digital expansion must be fortified by institutional-grade defense. We significantly enhanced our cybersecurity posture by integrating real-time threat monitoring, zero-trust network protocols, and robust incident response frameworks designed to neutralize emerging cyber threats. Across our Core Banking System (Finacle CBS), we deepened automation, deployed regulatory tax validations, streamlined clearing mechanisms, and rolled out advanced multi-factor authentication to ensure seamless, secure transactions for every customer.

Strategic Branch Expansion

To complement our digital channels, we focused on strategic network penetration across Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi NCR, Haryana, and Rajasthan. By strengthening our presence in high-potential semi-urban and rural economic clusters, our branch footprint continues to serve as vital relationship hubs for Retail, Agri, and MSME (RAM) customer acquisition.

सतत विकास एवं उत्तरदायी बैंकिंग

हमारा विकास मॉडल व्यावसायिक सफलता को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित रूप से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने, जमीनी स्तर पर डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने तथा अपनी कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को समाहित करने के माध्यम से वित्तीय समावेशन को निरंतर आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही, बैंक ने अपने मानव संसाधन में भी निरंतर निवेश किया है। कौशल विकास, नेतृत्व क्षमता निर्माण एवं कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों के माध्यम से एक सक्षम, कुशल एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया।

पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक के अनुशासित क्रियान्वयन, सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों तथा परिचालन सुधार एवं परिवर्तन को इस वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योग मंचों पर सम्मान एवं मान्यता प्राप्त हुई। ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, परिश्रम एवं समर्पण का प्रमाण हैं तथा एक चुस्त, आधुनिक एवं ग्राहक–केंद्रित बैंकिंग संस्था के रूप में हमारे निरंतर परिवर्तन को भी प्रमाणित करती हैं।

भविष्य की दिशा

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। हमारा ध्यान निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा

1. रिटेल ऋण पोर्टफोलियो का जैविक विस्तार तथा नए ग्राहकों के अधिग्रहण (New-to-Bank) में तेजी लाना।
2. ग्राहक ऑनबोर्डिंग एवं ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं में Straight-Through Processing (STP) को और अधिक व्यापक बनाना।
3. केंद्रीकृत प्रसंस्करण एवं परिचालन प्रक्रियाओं के पुनर्रचना (Operational Re-engineering) के माध्यम से Cost-to-Income Ratio को अनुकूलित करना।
4. एकीकृत, सुरक्षित एवं निर्बाध Omni-channel बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाना।

आभार

मैं बैंक के निदेशक मंडल के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन, दूरदर्शिता एवं प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं बैंक की सभी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत अपने कर्मचारियों के प्रति भी उनके समर्पण, अथक परिश्रम एवं दृढ़ता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

सर्वोपरि, मैं हमारे सम्मानित ग्राहकों, नियामकीय प्राधिकरणों एवं शेयरधारकों के प्रति उनके निरंतर विश्वास, सहयोग एवं समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

आपके विश्वास और सहयोग से हम द नैनीताल बैंक लिमिटेड को एक भविष्य के लिए तैयार, सुदृढ़, कुशल एवं उच्च प्रदर्शन करने वाली बैंकिंग संस्था के रूप में निरंतर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Sustainability & Responsible Banking

Our growth model purposefully unites commercial success with societal responsibility. We advanced financial inclusion through priority-sector credit delivery, expanded digital literacy at the grassroots, and integrated environmental stewardship into our corporate practices. Simultaneously, we invested heavily in our workforce through skilling, leadership development, and employee welfare initiatives.

Awards & Recognition

The Bank's disciplined execution, governance standards, and operational turnaround were acknowledged across various industry forums this year. These accolades serve as a testament to the dedication of our workforce and validate our transition into an agile, modern banking institution.

The Way Forward

In the upcoming fiscal year, our strategic priorities are clearly defined:

1. Driving organic retail book expansion and aggressive new-to-bank (NTB) customer acquisition.
2. Deepening Straight-Through Processing (STP) across customer on boarding and credit underwriting.
3. Optimizing cost-to-income through centralized processing and operational re-engineering.
4. Enhancing customer experience across an integrated, secure Omni-channel delivery framework.

Acknowledgements

I convey my deepest gratitude to the Board of Directors for their guidance and governance. I extend my heartfelt appreciation to our employees across all branches and administrative offices for their dedication, hard work, and resilience. Above all, I thank our valued customers, regulatory authorities, and shareholders for their continued trust and collaboration as we build a future-ready, high-performing bank.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



Gopal Singh Gusain
Non-Executive
Independent Chairperson



Sushil Kumar Lal
(Managing Director &
Chief Executive Officer)



Binita Shah
(Non-Executive
Independent Director)



Manoj Sharma
(Non-Executive
Independent Director)
Exit on 08.04.2026



U.C. Nahta
(Non-Executive
Independent Director)
Exit on 28.07.2026



Neelam Damodharan
Non-Executive
Independent Director



Rakesh Nema
(Non-Executive
Non-Independent Director)
Exit on 23.03.2026



Manas Ranjan Biswal
(Non-Executive
Independent Director)



Manish Kaura
(Non-Executive
Non-Independent
Director)



Ashok Moharana
(Additional Non-Executive
Non-Independent
Director)



Balu Kenchappa
(Additional Non-Executive
Independent Director)



Kuldeep Singh
(Executive Director)

हमारी प्रबंधन टीम / OUR MANAGEMENT TEAM

Anil Kumar
Chief Operating Officer

Sumanta Chakrabarti
Chief Financial Officer

Kailash Pandey
Chief Compliance Officer

Mohd. Mohsin Islam
Chief Risk Officer

Saurabh Agarwal
Chief Technology Officer

Jitendar Kumar Bharti
Chief Information Security Officer

Pranshu Tripathi
Chief of Vigilance, Legal

Vivek Sah
Company Secretary

Deepak Bisht
Vice President

Rahul Pradhan
Vice President

Mukul Sanwal
Vice President

Anil Joshi
Head of Inspection

Abisekh Goyal
Credit

Sunny Mehra
Planning, Marketing, CSR

Hemant Khulbe
Human Resource

Pankaj Kaushik
Operations

Rajendar Saini
IT Projects

Mohit Agarwal
IT Projects

Deepak Rautela
Project Management Office

Sandeep Mehta
Stressed Assets


Nainital Bank
amulya rishta ka atoot bandhan
NAINI NEO
MOBILE BANKING
Smart, secure and convenient banking at your fingertips
Transfers & Payments
Customer Registration through Debit Card
Customer Registration through Branch Token
Self-Account Transfer
Within Bank Transfer
Other Bank Transfer (NEFT & RTGS)
Manage Beneficiary
Bill Payment (BBPS)
Registered Bill Payment
Positive Pay
Accounts & Statements
All Account List
Account Details
Mini Statement
Account Statement View, Download & Email
Operative Accounts
Balance Enquiry
Cheque Enquiry
Deposits & More
Open Fixed / Recurring Deposit
FD & RD Closure / Pre-closure
Nominee Addition
View Interest Rates / Deposit Receipts Online
Deposit Calculator
EMI and RD/FD Calculator
Banner Display for New Products & Offers
Security, Access & Support
Biometric Login
Generate & Change MPIN / TPIN
Reset TPIN / Forgot MPIN
Change Profile Photo
View Profile
FAQs & Contact Us
Security Tips & Branch / ATM Locator
Complaints & Customer Support
5:02
NAINI NEO
Mobile Banking App
Good Evening!
ABHINAV PRATIK
Savings Account
XXXXXXXXXXXX1989
XXXX
Available Balance
Account Details
OverDraft Account
XXXXXXXXXXXX0019
XXXX
Available Balance
Account Details
Swipe to Send Money
Open or View FD/RD
Loans
Manage Beneficiary
Service Request
Demat Account Opening
Open NPS Account
Bill Payments
नैनीताल बैंक
NAINITAL BANK
लखपति निवेश योजना
LAKHPATI INVESTMENT PLAN (LIP)
Security Tips
FAQs
Change PIN
Scan to Download
Download the Naini Neo App Today
Bank anytime, anywhere with confidence
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Scan to Download
Follow Us
Nainital Bank
nainital_bank
@LtdNainital
Nainital Bank
www.nainitalbank.bank.in
marketing@nainitalbank.co.in

विषय–सूची / CONTENTS

1	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	18
2	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	84
3	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र Balance Sheet as on 31st March, 2026	98
4	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ–हानि खाता Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2026	100
5	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2026	102
6	तुलन–पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet	104
7	खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	126
8	बेसल–III पिलर–3 प्रकटीकरण Basel–III Pillar–3 Disclosures	200
9	हमारी शाखाएँ Our Branch Network	236

निदेशक मंडल की 104वीं रिपोर्ट (2025–26)

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को द नैनीताल बैंक लिमिटेड (''बैंक'') की 104वीं वार्षिक निदेशक रिपोर्ट को 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बिंदु

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कुल आस्तियाँ	9890.22	9360.48
शुद्ध अग्रिम	5228.33	4663.94
बैंक की जमाराशियाँ	8623.67	8255.82
कुल आय	775.26	751.85
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर कुल व्यय	658.93	662.83
परिचालन लाभ	116.33	89.03
कर प्रावधान को छोड़कर प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	31.53	25.72
कर पूर्व लाभ	84.80	63.30
कर प्रावधान	21.55	12.69
कर पश्चात लाभ	63.25	50.61
गत वर्ष से आगे लाई गई अधिशेष राशि	0.00	0.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	-	-
घटाएँ: विनियोजन		
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि	15.81	12.65
पूंजीगत आरक्षित निधि में अंतरण	0.00	0.00
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	2.49	1.56
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि खाते में अंतरण	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभांश	0.00	0.00
तुलन पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष राशि	44.94	36.40

व्यावसायिक प्रदर्शन एवं अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
मांग जमाराशि	503.81	488.40
बचत बैंक जमाराशि	2987.23	2935.66
कासा जमाराशि	3491.04	3424.06
कुल जमाराशियों में कासा जमाराशि का अनुपात	40.48%	41.47%
खुदरा जमाराशि	6272.95	6024.45
मीयादी जमाराशि	5132.63	4831.76
कुल जमाराशि	8623.67	8255.82
थोक जमाराशि	517.71	671.67
सकल अग्रिम	5494.35	4969.86
खुदरा अग्रिम	3008.06	2452.52
एमएसएमई	1047.48	1098.75
कॉरपोरेट	55.40	81.92
कृषि	788.82	837.95
अन्य एवं आईबीपीसी	594.59	498.72
कुल कारोबार	14118.02	13225.68
भुगतान किया गया ब्याज	395.22	399.59
प्राप्त ब्याज	725.47	710.41
जमाराशि की लागत (%)	4.92	5.04
अग्रिमों पर प्रतिफल (%)	8.84	8.94
शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई)	330.25	310.82
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.64	3.30
परिचालन लाभ	116.33	89.03
शुद्ध लाभ	63.24	50.61
प्रति कर्मचारी मुख्य कारोबार	11.47	10.81
सकल एनपीए	271.6	386.20
सकल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	4.95	7.78
शुद्ध एनपीए	14.15	25.92
शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत	0.27	0.56
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	94.01	92.67
ऋण–जमा अनुपात (%)	63.71	60.20%
सीआरएआर –बेसल III (%)	18.96	16.76
आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	0.72	0.61
लागत–आय अनुपात (सीआई–आर) (%)	69.39	74.73
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) (%)	6.66	6.27

104th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2025-26)

Dear Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 104th One Hundred and Fourth Directors' Report of The Nainital Bank Limited ("Bank") together with the audited Financial Statements for the Financial Year ("FY") ended 31st March 2026.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ In Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Assets	9890.22	9360.48
Net Advances	5228.33	4663.94
Bank Deposits	8623.67	8255.82
Total Income	775.26	751.85
Total Expenditure, excluding provisions and contingencies	658.93	662.83
Operating Profit	116.33	89.03
Provisions and Contingencies, excluding Provision for Tax	31.53	25.72
Profit Before Tax	84.80	63.30
Provision for Taxes	21.55	12.69
Profit After Tax	63.25	50.61
Add: Surplus brought forward from the previous year	0.00	0.00
Amount available for appropriation	-	-
Less: Appropriations		
Statutory Reserve under Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949	15.81	12.65
Transfer to Capital Reserve	0.00	0.00
Transfer to Special Reserve	2.49	1.56
Transfer to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
Dividend paid	0.00	0.00
Surplus carried to Balance Sheet	44.94	36.40

BUSINESS PERFORMANCE & RATIOS

(₹ In Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Demand Deposit	503.81	488.40
Savings Bank Deposit	2987.23	2935.66
CASA Deposit	3491.04	3424.06
CASA deposit to Total Deposit	40.48%	41.47%
Retail Deposit	6272.95	6024.45
Term Deposit	5132.63	4831.76
Total Deposit	8623.67	8255.82
Bulk Deposit	517.71	671.67
Advances (Gross)	5494.35	4969.86
Retail Advances	3008.06	2452.52
MSME	1047.48	1098.75
Corporate	55.40	81.92
Agriculture	788.82	837.95
Others & IBPC	594.59	498.72
Total Business	14118.02	13225.68
Interest Paid	395.22	399.59
Interest Received	725.47	710.41
Cost of Deposit%	4.92	5.04
Yield on Advances%	8.84	8.94
Net Interest Income - NII	330.25	310.82
Net Interest Margin%	3.64	3.30
Operating Profit	116.33	89.03
Net Profit	63.24	50.61
Core Business per Employee	11.47	10.81
Gross NPA	271.6	386.20
% of NPA to Gross Advances	4.95	7.78
Net NPA	14.15	25.92
Net NPA % to Net Advances	0.27	0.56
Provision Coverage Ratio (%)	94.01	92.67
Credit Deposit Ratio (%)	63.71	60.20%
CRAR - BASEL III (%)	18.96	16.76
Return on Asset (R-O-A)%	0.72	0.61
Cost Income Ratio (C-I-R)%	69.39	74.73
Return on Equity (R-O-E)%	6.66	6.27

व्यावसायिक अवलोकन

वित्त वर्ष 2026 में चुनौतीपूर्ण कारोबारी परिदृश्य के बावजूद बैंक ने परिचालन दक्षता में सुधार तथा संतोषजनक आय अर्जित की। अनुशासित जोखिम प्रबंधन एवं सुदृढ़ अनुपालन ढाँचे के परिणामस्वरूप तुलन पत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिससे कुल कारोबार में 6.75% की वृद्धि दर्ज की गई। यह विस्तार मुख्यतः अग्रिमों में 10.55% की वृद्धि तथा आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से प्रेरित रहा, जिसमें एनएनपीए (NNPA) अनुपात 0.27% तक कम होना तथा प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) 94.01% तक बढ़ना शामिल है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ (PAT) में लगभग 25% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 40% से अधिक का निरंतर कासा (CASA) अनुपात बैंक को संरचनात्मक लागत लाभ प्रदान करता रहा, जिससे तरलता और लाभ में वृद्धि होती है। अंततः, उत्तराखंड का 'सर्वाधिक प्रशंसित बैंक' बनने की हमारी परिकल्पना में आंकड़ों से अधिक लोगों को प्राथमिकता दी गई है। वित्त वर्ष 2027 में प्रवेश करते हुए हमारी रणनीतिक प्राथमिकता स्वाभाविक विस्तार, अनुपालन–आधारित एवं सतत विकास पर केंद्रित है, जो जोखिम को संतुलित करता है और हमारे हितधारकों को लाभान्वित करता है।

बैंक के व्यवसाय मॉडल को खुदरा ऋण, सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण तथा स्थिर कासा आधार के विकास को प्राथमिकता देने के लिए पुनर्संरेखित किया जा रहा है, जिससे आस्तियों एवं देयताओं दोनों में स्वाभाविक विस्तार को गति मिलेगी। प्रमुख विकास चालकों में परिचालन लागत को कम करने तथा अनुपालन ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी को तीव्र गति से अपनाना, थोक एवं खुदरा क्षेत्रों के माध्यम से जमाराशि जुटाने के साथ ऋण पोर्टफोलियो का स्वाभाविक विस्तार, तथा खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (RAM) पोर्टफोलियो पर प्राथमिक रणनीतिक ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके साथ–साथ बैंक अपने कासा जमा आधार में निरंतर वृद्धि करने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है।

भविष्य में बैंक की वृद्धि को बाजार में गहन पैठ तथा अनुकूलित खुदरा एवं एमएसएमई उत्पादों के सक्रिय विपणन से गति प्रदान की जाएगी। इस दिशा में प्रमुख उत्पादों में हमारा नया नैनी ऑरा गोल्ड लोन, जो बैंक के लिए प्रमुख प्राथमिकता का क्षेत्र बना हुआ है, के साथ–साथ लीज रेंटल फाइनेंसिंग, होम लोन (अपना आशियाना) एवं कार लोन (सुहाना सफर) शामिल हैं। एमएसएमई वित्तपोषण के अंतर्गत विस्तार को लक्षित होटल व्यवसायी योजनाओं, व्यापार सुविधा, उद्योग प्रसार तथा नैनी कमर्शियल व्हीकल लोन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, बैंक व्यापक वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों की पेशकश तथा अपने प्रमुख स्कूल शुल्क एवं हॉस्पिटल बिल कलेक्शन मॉड्यूल्स के विस्तार के माध्यम से शुल्क–आधारित आय बढ़ाने पर भी केंद्रित है। बैंक स्थानीय औद्योगिक, कृषि एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार को गति देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारी व्यापक ऋण व्यवस्था जिसमें–कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि वित्तपोषण एवं अनुकूलित ऋण सुविधाएँ शामिल हैं एमएसएमई, मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स, किसानों एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक रूप से संरेखित है। हमारे परिचालन राज्यों में प्रस्तावित विस्तार (नई शाखाओं) तथा त्वरित प्रसंस्करण हेतु समर्पित इकाइयों के माध्यम से बैंक का उद्देश्य उत्तराखंड एवं पड़ोसी राज्यों की विकास यात्रा को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

बैंक एक ओर अपने भौतिक शाखा नेटवर्क का विस्तार करेगा, वहीं दूसरी ओर युवा एवं तकनीक–प्रेमी ग्राहकों को आकर्षित करने तथा मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करेगा। अपने डिजिटल आधारभूत ढांचे में निरंतर निवेश के माध्यम से बैंक नई स्व–सेवा ग्राहक यात्राएँ (Self-Service Customer Journeys) शुरू करेगा तथा उच्च प्रणाली उपलब्धता और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने आईटी आधारभूत ढाँचे को और मजबूत करेगा। हमारे प्रमुख मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन 'नैनी नियो' के सफल शुभारंभ के पश्चात, बैंक इस वर्ष प्रतिस्पर्धी एवं बाजार–अनुरूप डिजिटल सेवाएँ शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, बैंक परिचालन दक्षता बढ़ाने एवं ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र 'नैनी राह' प्रारंभ किया गया है। ये प्रयास, न्यू–टू–बैंक (NTB) ग्राहकों को शामिल करने पर हमारे विशेष जोर को सीधा समर्थन प्रदान करती है जिससे बैंक के समग्र ग्राहक एवं व्यवसाय आधार का विस्तार होगा।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

हालिया आर्थिक सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि गहरे संरचनात्मक प्रतिकूल कारकों तथा बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि की रूपरेखा में स्पष्ट कमजोरी उत्पन्न की है। वर्तमान परिचालन जोखिम मुख्यतः बढ़ते वैश्विक संघर्षों एवं बढ़ते भू–राजनीतिक ध्रुवीकरण से जुड़े हुए हैं। इन संकट बिंदुओं ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने के साथ–साथ प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों को भी अस्थिर किया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत तथा कमोडिटी कीमतों में अधिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। यदि इन व्यवधानों को कम नहीं किया गया, तो ये लगातार बनी रहने वाली चुनौतियाँ व्यापक आर्थिक सुधार के लिए संरचनात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं तथा वैश्विक व्यापार की तरलता को प्रभावित करने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी आवंटन की धारणा को कमजोर करने का कारण बन सकती हैं।

जोखिमों को अवशोषित करने की क्षमता के दृष्टिकोण से भारत का घरेलू व्यापक आर्थिक परिदृश्य अत्यंत सुदृढ़ बना हुआ है तथा बढ़ते वैश्विक व्यवधानों का इस पर सीमित प्रभाव दिखाई देता है। यह स्थिरता एक सुव्यवस्थित राजकोषीय ढाँचे, मजबूत आधारभूत आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल मुद्रास्फीति परिदृश्य पर आधारित है, जो क्रमिक रूप से बढ़ते मामूली दबावों के बावजूद व्यापक रूप से नियंत्रित बना हुआ है। हाल में किए गए जीएसटी युक्तिकरण उपायों से निजी उपभोग को गति मिलने की संभावना है, जो सेवा क्षेत्र में दिखाई दे रही स्थिर गति को और मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, कॉरपोरेट तुलन–पत्रों एवं बैंकिंग

Business Overview

The bank achieved improved operational efficiency and modest earnings in Fiscal 2026, despite a challenging landscape. Disciplined risk management and robust compliance framework drove healthy balance sheet growth, leading to a 6.75% increase in total business. This expansion was anchored by a 10.55% rise in advances and significant improvements in asset quality, including a reduced NNPA ratio of 0.27% and an elevated PCR of 94.01%, which fueled a nearly 25% spike in profit after tax (PAT). Furthermore, a sustained CASA ratio above 40% provided structural cost advantages, boosting liquidity and profit margins. Ultimately, our vision to be Uttarakhand's 'Most Admired Bank' prioritizes people above numbers. Entering Fiscal 2027, our strategic focus centers on organic, compliant, and sustainable growth that balances risk while rewarding our stakeholders.

The business model is being realigned to prioritize retail lending, service sector financing, and steady CASA base growth, driving organic expansion across both assets and liabilities. Key growth drivers include accelerated technology adoption to lower operating costs and enhance compliance framework, organic loan book expansion alongside deposit mobilization through the bulk retail segment, with a primary strategic focus on our Retail, Agriculture, and MSME (RAM) portfolio, and the continuous augmentation of our CASA base.

In future, our growth will be enabled by deep market penetration and the proactive marketing of our tailored retail and MSME product suites. Key offerings driving this momentum will include our new Naini Aura Gold Loan - which remains a prime focus area - alongside Lease Rental Financing, Home Loan (Apna Ashiana), and Car Loan (Suhana Safar). Within MSME financing, expansion will be spearheaded by our targeted Hotelier Schemes, Vyaapar Suvidha, Udyog Prasar, and the Naini Commercial Vehicle Loan. We are concurrently focused on expanding our fee-based income by offering comprehensive Wealth Management Products and scaling our flagship School Fees and Hospital Bill Collections modules. We are also committed towards driving local industrial, agro, and service sector expansion. Our comprehensive credit ecosystem - spanning working capital loans, term finance, and custom facilities is strategically aligned to empower MSMEs, mid-sized corporates, farmers, and service enterprises. With proposed expansion (new branches) in our operating states and dedicated units for fast processing, the Bank aims to play a pivotal role in fueling the growth trajectory of the state of Uttarakhand and our neighboring states.

The bank will be expanding brick-and-mortar network while simultaneously strengthening the digital banking ecosystem to attract younger, tech-savvy customers and deepen relationships with existing clientele. By investing continuously in our digital core, the bank will launch new self-service customer journeys and reinforce our IT backbone to ensure high system uptime and robust cybersecurity. Following the successful launch of our flagship mobile banking application, Naini Neo, we are committed to rolling out competitive, market-aligned digital services this year. Furthermore, the bank has introduced a centralized retail loan processing hub, Naini ₹@h, to enhance operational efficiency and elevate customer experience. These initiatives directly support our aggressive focus on onboarding New-to-Bank (NTB) customers to expand our overall franchise.

Global Economic Outlook

The recent Economic Surveys indicates that deep-seated structural headwinds and heightened policy ambiguity have induced a clear fragility within the global growth framework. The prevailing operational risks are heavily anchored in expanding global conflicts and geopolitical polarization. These crisis points have undermined international energy security and destabilized key maritime trade arteries, resulting in widespread supply chain blockages, inflated logistics costs, and heightened commodity price volatility. Left unmitigated, these persistent disruptions present a structural threat to the broader economic recovery, frequently compressing global trade liquidity and dampening international capital allocation sentiment.

From a risk-absorption perspective, India's domestic macroeconomic landscape stands out as highly resilient, showing little impact from escalating global disruptions. This stability is rooted in an orderly fiscal framework, strong baseline growth, and a favorable inflation matrix that remains well-anchored despite mild, sequential upward pressures. Private consumption is poised to gain traction from recent GST rationalisation measures, complementing the steady momentum observed in the services sector. Crucially, the systemic risk profile is heavily mitigated by the excellent financial health of both corporate balance sheets and banking institutions. On the supply side, the Union Budget's sharp focus on boosting domestic manufacturing across key strategic corridors provides an insulation layer

संस्थानों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के कारण प्रणालीगत जोखिम का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है। आपूर्ति पक्ष पर, केंद्रीय बजट द्वारा प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर दिया गया विशेष जोर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न कमजोरियों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

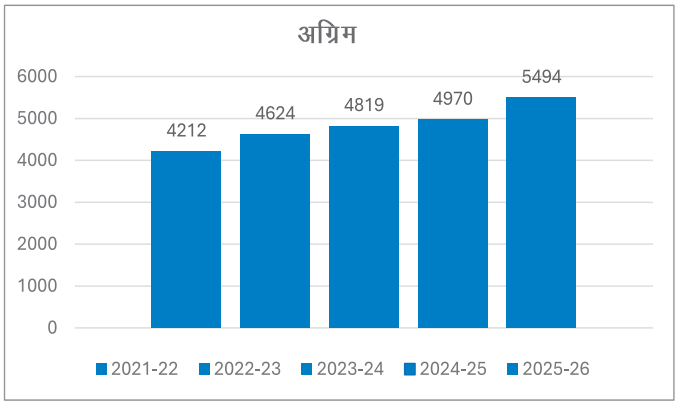
इन बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का आधारभूत आर्थिक वृद्धि परिदृश्य मजबूत संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के कारण अत्यंत अनुकूल बना हुआ है। सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सक्रिय एवं समन्वित नीतिगत हस्तक्षेपों से घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने तथा चालू खाते एवं विनिमय दर पर सीमा–पार दबावों को प्रभावी रूप से कम करने की अपेक्षा है। तथापि, आपूर्ति पक्ष की कुछ कमजोरियाँ बनी हुई हैं। अल नीनो से संबंधित मौसम संबंधी व्यवधान तथा सामान्य से कम मानसून की संभावनाएँ उत्पादन की गति एवं मूल्य स्थिरता, दोनों के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। इस परिदृश्य में, RBI ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7% तथा मौद्रिक नीति समिति ने 6.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.1% रहने का अनुमान है। यह कड़े नियामकीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि की दिशा को रेखांकित करता है।

बदलता हुआ व्यापक आर्थिक परिदृश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतिक अवसरों एवं परिचालन चुनौतियों की दोहरी स्थिति प्रस्तुत करता है। घरेलू बैंकिंग प्रणाली एनपीए के कई दशकों के निम्न स्तर, मजबूत जोखिम–भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (CRAR) तथा निरंतर लाभप्रदता के आधार पर उल्लेखनीय वित्तीय सुदृढ़ता प्रदर्शित कर रही है। यह संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक बैंक जोखिमों को वहन करने तथा निजी क्षेत्र में बढ़ती ऋण मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बने रहें। ऋण वृद्धि के लिए आगे की संभावनाएँ अत्यंत अनुकूल बनी हुई हैं, जिन्हें मजबूत घरेलू आर्थिक आधारों तथा खुदरा एवं एमएसएमई क्षेत्रों में बढ़ती ऋण अवशोषण क्षमता का समर्थन प्राप्त है। आपूर्ति पक्ष पर, निरंतर नीतिगत समर्थन तथा घरेलू विनिर्माण अवसंरचना को मजबूत करने पर स्पष्ट राजकोषीय प्राथमिकता इस गति को और सुदृढ़ कर रही है, जिससे बैंकिंग ऋण पुस्तिका के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। तथापि, वैश्विक व्यापार के विखंडन, भू–राजनीतिक तनावों तथा बाहरी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों को देखते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर सतर्कता एवं विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन आवश्यक है।

वैश्विक व्यवधानों एवं बदलती व्यापक आर्थिक शक्तियों के प्रत्युत्तर में बैंक उच्च स्तर की परिचालन सतर्कता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक इन जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ स्थिति में है, जो दीर्घकालिक तुलन–पत्र स्थिरता तथा सतत परिचालन सुदृढ़ता बनाए रखने में सक्षम बनाती है।

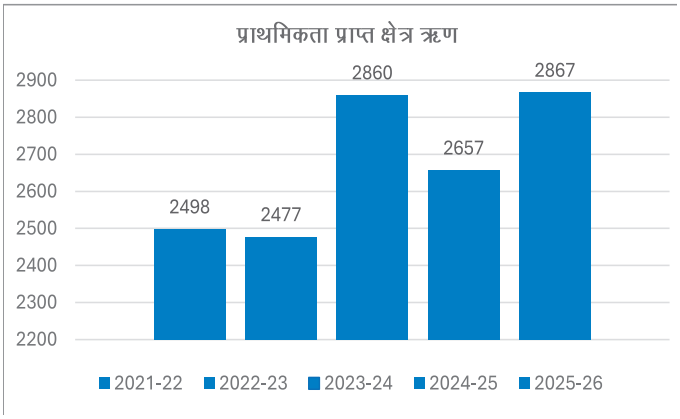
ऋण परिनियोजन

बैंक के सकल अग्रिम 31 मार्च 2025 को ₹4,969.86 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2026 को बढ़कर ₹5,494.34 करोड़ हो गए, जो गत वर्ष की तुलना में 10.55% की वृद्धि दर्शाता है।



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक ने सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40% की नियामकीय आवश्यकता से लगातार अधिक रहा हैं। 31 मार्च 2026 को बैंक के सकल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹2,867.02 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹2,656.96 करोड़ था, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 52.96% है।बैंक का कृषि ऋण ₹1,070.97 करोड़ रहा, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 19.78% है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 18% के न्यूनतम मानदंड से अधिक है।



जमाराशि का संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियाँ 31 मार्च 2025 को ₹8,255.82 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2026 को बढ़कर ₹8,623.67 करोड़ हो गईं, जो 4.46% की वृद्धि दर्शाती हैं। कम लागत वाली जमाराशियों का हिस्सा 31 मार्च 2026 को 40.48% रहा, जबकि 31 मार्च 2025 को यह 41.47% था। बैंक की जमाराशियों की लागत 31 मार्च 2025 के 5.04% से घटकर 31 मार्च 2026 को 4.92% हो गई।

against international trade vulnerabilities.

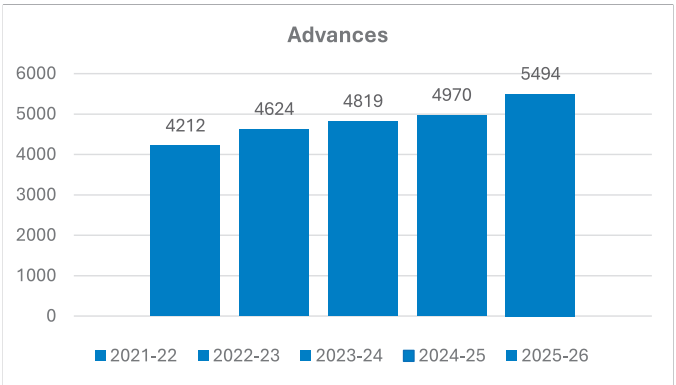
Despite these external uncertainties, India's baseline growth outlook remains highly favorable, anchored by robust structural buffers. Proactive, synchronized policy interventions by both the Government and the RBI are expected to insulate domestic macroeconomic stability, effectively mitigating cross-border pressures on the current account and the exchange rate. Nonetheless, supply-side vulnerabilities persist, with El Niño-related weather disruptions and the potential for a below-normal monsoon presenting downside risks to both output momentum and price stability. Against this backdrop, the RBI projects real GDP growth at 6.7% and Monetary Policy Committee Projects it at 6.9% and headline inflation at 5.1% for the Financial Year 2026 - 27, underscoring a trajectory of resilient growth managed under strict regulatory vigilance.

The evolving macroeconomic landscape presents a dual dynamic of strategic opportunities and operational challenges for the Indian banking sector. The domestic banking system demonstrates exceptional financial resilience, backed by multi-decade lows in non-performing assets (NPAs), robust capital-to-risk-weighted asset ratios, and sustained profitability. This structural strength ensures that commercial institutions remain optimally capitalized to absorb risk and efficiently service accelerating private sector credit expansion. The forward runway for credit growth remains highly favorable, driven by a convergence of strong domestic fundamentals and accelerating credit absorption within the retail and MSME segments. On the supply side, this momentum is strongly reinforced by continuous policy enablers and a clear fiscal priority placed on bolstering domestic manufacturing infrastructure, creating an excellent environment for banking book expansion. However, the Indian Banking sector, risks from global trade fragmentation, geo-political tensions and external financial market volatility warrant continued vigilance and prudent risk management across the sector.

In response to the global disruptions and shifting macroeconomic forces, the Bank remains committed to a posture of heightened operational vigilance. The Bank is structurally well-positioned to navigate these complexities, which enables long-term balance sheet stability and sustained operational resilience.

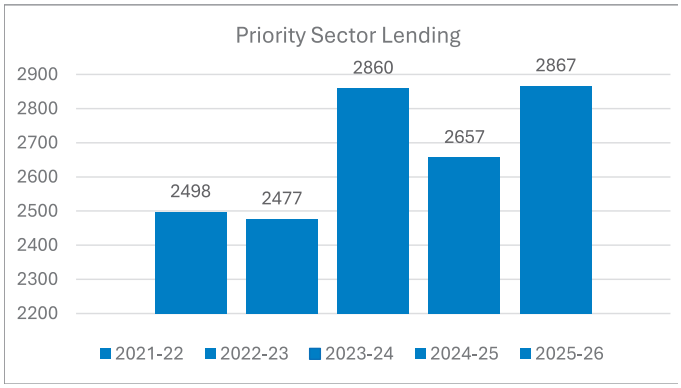
Credit Deployment

The Gross Advances of the Bank increased to ₹5494.34 Crore as on 31.03.2026 from ₹4969.86 Crore as on 31.03.2025, showing an increase of 10.55% over previous year.



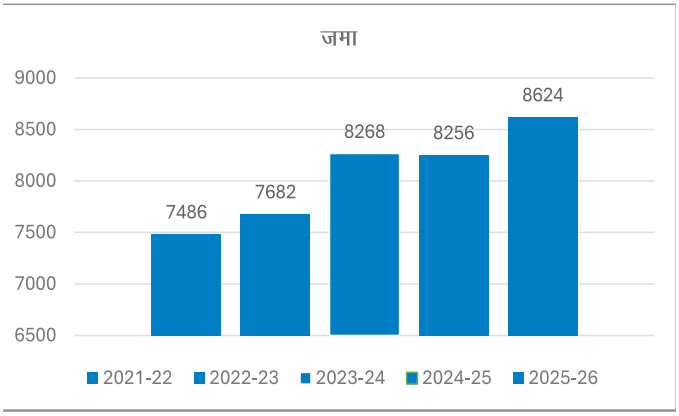
Priority Sector Lending

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking. The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @ 40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹2867.02 Crore as on 31.03.2026 against ₹2656.96 Crore as on 31.03.2025 representing 52.96% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The agriculture credit stood at ₹1070.97 crore constituting 19.78% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India.



Deposit Mobilization

Total Deposits of the Bank increased to ₹8623.67 Crore as on 31.03.2026 from ₹8255.82 Crore as on 31.03.2025 registering a growth of 4.46%. Share of low-cost deposits stood at 40.48% as on 31.03.2026 which was 41.47% as on 31.03.2025. The Cost of deposits decreased to 4.92% as on 31.03.2026 from 5.04% as on 31.03.2025.



निवेश परिचालन

31 मार्च 2026 को विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक का कुल सकल निवेश ₹1,618.29 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹1,856.88 करोड़ था। कुल निवेश में से 41.28% प्रतिभूतियाँ ''बिक्री हेतु उपलब्ध (Available for Sale – AFS)'' श्रेणी में, 1.09% ''लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair Value Through Profit or Loss – FVTPL)'' श्रेणी में तथा शेष 57.63% प्रतिभूतियाँ ''परिपक्वता तक धारित (Held to Maturity – HTM)'' श्रेणी में वर्गीकृत थीं। निवेश संबंधी लेन–देन प्रतिफल को अधिकतम करने, मूल्यह्रास से निवेश पोर्टफोलियो की सुरक्षा करने तथा साथ ही पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक का सकल एनपीए 31 मार्च 2025 को ₹386.20 करोड़ की तुलना में घटकर 31 मार्च 2026 को ₹271.60 करोड़ हो गया। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान हाल ही में एनपीए बने खातों के साथ–साथ पुराने एनपीए खातों की वसूली एवं उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए 0.27% के स्तर पर रहा। 31 मार्च 2026 को सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए 4.95% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 7.78% था। इसी प्रकार, शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए 0.27% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.56% था।

आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	राशि	%	राशि	%
मानक	5214.17	95.05	4575.17	92.21
अल्प–मानक	45.99	0.88	55.84	1.31
संदिग्ध	155.92	2.99	250.87	6.49
हानि वाली आस्तियाँ	69.69	1.34	79.49	0.48
सकल अग्रिम (ब्याज सस्पेंस को छोड़कर)	**5485.77**	**100**	**4961.37**	**100**

मानव संसाधन पूंजी

हमारी मानव पूंजी हमारे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की आधारशिला तथा हमारे रणनीतिक रूपांतरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति बनी हुई है। निरंतर विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में बैंक निरंतर कौशल उन्नयन, नेतृत्व विकास एवं डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकता देते हुए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास में निरंतर निवेश कर रहा है। विश्वास, समावेशन एवं सुरक्षा पर आधारित योग्यता–आधारित कार्य संस्कृति के माध्यम से बैंक उच्च क्षमता वाली प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उन्हें बनाए रखने में सफल रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी ढाँचे के साथ अपनी मानव संसाधन रणनीति को समन्वित करते हुए बैंक ने एक ऊर्जावान एवं उच्च–प्रदर्शनकारी कार्य वातावरण विकसित किया है, जो परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है तथा हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्य सुनिश्चित करता है।

31 मार्च 2026 तक बैंक का कुल कार्यबल 1,199 कर्मचारी था, जिसमें 3 प्रबंधन प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें 270 महिला कर्मचारी, 929 पुरुष कर्मचारी तथा कोई ट्रांसजेंडर कर्मचारी नहीं था। बैंक का कार्यबल निरंतर अधिक युवा एवं ऊर्जावान हो रहा है तथा बैंक में कर्मचारियों की औसत आयु 35–37 वर्ष है।

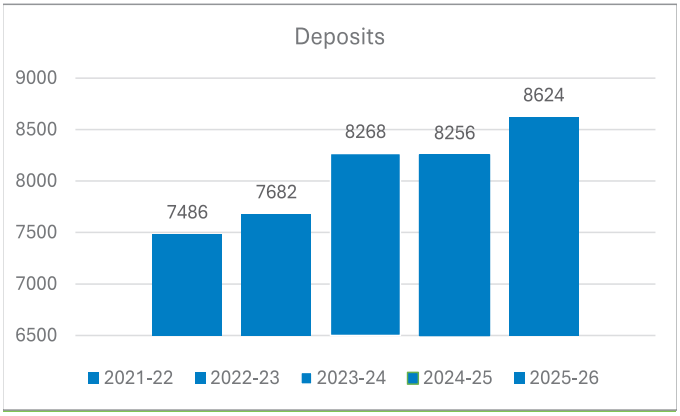
शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

बैंक ने उत्तर भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 31 मार्च 2026 तक 175 शाखाओं का नेटवर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस रिपोर्ट की तिथि तक बैंक 178 शाखाओं के माध्यम से परिचालन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक ने 3 नई शाखाएँ खोली हैं। वर्तमान में बैंक का शाखा नेटवर्क 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है।

क्षेत्रवार शाखाओं की स्थिति			
क्रम सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2026	2025
1	मेट्रो	35	34
2	शहरी	49	47
3	अर्ध–शहरी	34	34
4	ग्रामीण	57	57
	कुल	**175**	**172**

बैंक की देश के 5 राज्यों में उपस्थिति है। राज्यवार शाखाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

शाखाओं की राज्यवार स्थिति			
क्रम सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2026	2025
1	उत्तराखंड	100	100
2	उत्तर प्रदेश	48	46
3	दिल्ली	15	15



Investment Operations

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹1618.29 Crore as on 31.03.2026 against ₹1856.88 Crore as on 31.03.2025. Out of total investments, 41.28% securities have been in "Available for Sale (AFS) category, 1.09% have been in "Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)" category and rest 57.63% is classified under "Held to Maturity (HTM)" category. The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensure sufficient liquidity.

Asset Quality Management

The Gross NPA of the Bank decreased to 271.60 Crore as on 31.03.2026 from ₹386.20 Crore as on 31.03.2025. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year. Net NPA to Net Advances stood at 0.27% level. The Gross NPA to Gross Advances stood at 4.95% as on 31st March 2026, as against 7.78% last year and the Net NPA to Net Advances stood at 0.27% as against 0.56% last year.

The asset classifications are as follows:

(₹ In Crore)

	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
	Amount	**%**	**Amount**	**%**
Standard	5214.17	95.05	4575.17	92.21
Sub-Standard	45.99	0.88	55.84	1.31
Doubtful	155.92	2.99	250.87	6.49
Loss assets	69.69	1.34	79.49	0.48
Gross Advances (Excluding interest Suspense)	**5485.77**	**100**	**4961.37**	**100**

Human Resource Capital

Our human capital remains the cornerstone of our competitive advantage and the primary catalyst for our strategic transformation. In an evolving financial landscape, the Bank continues to invest heavily in nurturing a future-ready workforce by prioritizing continuous upskilling, leadership development, and digital literacy. Driven by a meritocratic culture rooted in trust, inclusion, and safety, we successfully attract and retain top-tier talent. By aligning our people's strategy with advanced technological frameworks, we have fostered an agile, high-performance environment that drives operational excellence, optimizes customer experience, and ensures sustainable long-term value for our stakeholders.

As of 31st March 2026, the workforce was 1199 (including 3 Management Trainees), comprising of 270 female employees, 929 male employees and nil transgender. The team is becoming notably younger and more agile, wherein, the average number of employees in the Bank is 35 -37 years.

Branch Network & Expansion

The Bank had been successful in widening its network across North India with 175 branches as on 31st March 2026. As on date of this report, the Bank is operating with 178 branches. The Bank has opened -3- new branches during the Financial Year 2025-26. The branch network now covers -5- States/Union Territories.

Area Wise position of Branches			
S. No.	**Area**	**No. of Branches**	
		2026	**2025**
1	Metro	35	34
2	Urban	49	47
3	Semi-Urban	34	34
4	Rural	57	57
	Total	**175**	**172**

The Bank is having its presence in -5- states of the country. The State wise position of branches is given below:

State Wise position of Branches			
S. No.	**Area**	**No. of Branches**	
		2026	**2026**
1	Uttarakhand	100	100
2	Uttar Pradesh	48	46
3	Delhi	15	15

शाखाओं की राज्यवार स्थिति			
क्रम सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2026	2025
4	हरियाणा	09	08
5	राजस्थान	03	03

वित्तीय समावेशन योजना

31 मार्च 2026 तक बैंक ने पांच प्रमुख क्षेत्रों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) एजेंटों को जोड़कर अपने वित्तीय समावेशन नेटवर्क का रणनीतिक रूप से विस्तार किया है। इस नेटवर्क में उत्तराखंड में 74 एजेंट, उत्तर प्रदेश में 22 एजेंट, दिल्ली में 9 एजेंट, हरियाणा में 3 एजेंट तथा राजस्थान में 1 एजेंट शामिल हैं। बाजार में अपनी पहुंच को और विस्तारित करने तथा बैंकिंग सुविधाओं की कमी को दूर करने के उद्देश्य से बैंक नए भौगोलिक केंद्रों में अतिरिक्त बीसी एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक अपने परिचालन के आकार, दायरे एवं जटिलता के अनुरूप एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण ढाँचा बनाए रखता है। यह व्यवस्था स्पष्ट कॉरपोरेट नीतियों, मानक परिचालन प्रक्रियाओं, सुव्यवस्थित अधिकार प्रत्यायोजन तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन तंत्र पर आधारित है। इसकी निरंतर पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए बैंक का स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य नियमित मूल्यांकन करता है, जिसे वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर रणनीतिक निगरानी प्रदान की जाती है। इस आंतरिक व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ एवं उन्नत करते हुए बैंक अपनी आस्तियों की सुरक्षा, परिचालन दक्षता के अनुकूलन, वैधानिक विनियमों का पूर्ण अनुपालन तथा वित्तीय एवं परिचालन रिपोर्टिंग की पूर्ण विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

वेल्थ मैनेजमेंट एवं अन्य सेवाएँ

बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ (WMS) ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक एवं विविधीकृत वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना जारी रखे हुए हैं। एक सुदृढ़ कॉरपोरेट एजेंसी मॉडल के माध्यम से परिचालन करते हुए बैंक ने अग्रणी वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक गठजोड़ स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से बीमा, निवेश, पेंशन एवं डीमैट खातों सहित वित्तीय उत्पादों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही है।

बैंक की बीमा व्यवस्था ग्राहकों की आस्तियों एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से सुव्यवस्थित एवं विविधीकृत है। जीवन बीमा के क्षेत्र में बैंक की एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance), इंडियाफर्स्ट लाइफ (IndiaFirst Life) तथा इंडसइंड निप्पॉन लाइफ (IndusInd Nippon Life) के साथ रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारियाँ हैं। सामान्य बीमा संबंधी आवश्यकताओं के लिए जेनराली सेंट्रल इंश्योरेंस (Generali Central Insurance) तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (NICL) के साथ साझेदारी है, जबकि स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो को केयर हेल्थ इंश्योरेंस (Care Health Insurance) तथा निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (Niva Bupa Health Insurance) द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष ऋण जीवन बीमा समाधान क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस (Credit Access Life Insurance) तथा बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस (Bajaj Allianz Life Insurance) के सहयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जोखिम न्यूनीकरण से आगे बढ़ते हुए, बैंक म्यूचुअल फंड, डीमैट प्लेटफॉर्म तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) तक पहुंच उपलब्ध कराकर व्यवस्थित दीर्घकालिक संपत्ति सृजन को सक्षम बना रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा अटल पेंशन योजना (APY) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। आगे भी बैंक अपने वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं (WMS) के बाजार हिस्से का विस्तार करने तथा एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए उत्पाद नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता वाली परामर्श सेवाओं को प्राथमिकता देता रहेगा।

अनुपालन ढाँचा

बैंक ने सभी परिचालन स्तरों पर एक सुदृढ़ एवं सक्रिय अनुपालन संस्कृति को संस्थागत रूप प्रदान किया है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति एवं व्यापक अनुपालन मैनुअल द्वारा निर्देशित यह ढाँचा बदलते हुए नियामकीय प्रावधानों के साथ पूर्ण सामंजस्य सुनिश्चित करता है। अनुपालन कार्य बैंक की संस्थागत सत्यनिष्ठा के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य करता है तथा लागू अधिनियमों एवं नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) आदि का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है। नियामकीय मामलों में परिचालन दक्षता एवं पारदर्शिता स्थापित करके बैंक अपने प्रमुख हितधारकों–नियामकों, निवेशकों, ग्राहकों, सरकारी निकायों एवं आम जनता –के बीच अपनी संस्थागत प्रतिष्ठा को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

पूर्ण स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक दो–स्तरीय अनुपालन संरचना के माध्यम से कार्य करता है: केंद्रीकृत निगरानी: प्रधान कार्यालय में मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) के नेतृत्व में एक समर्पित एवं स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्यरत है, जो नीतियों के निर्माण तथा व्यापक स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण का कार्य करता है। क्षेत्रीय अनुपालन: बैंक के सभी तीन परिचालन क्षेत्रों में विशेषज्ञ क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी तैनात हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर अनुपालन के कार्यान्वयन, जवाबदेही एवं व्यावसायिक नैतिकता की निगरानी करते हैं।

State Wise position of Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2026	2026
4	Haryana	09	08
5	Rajasthan	03	03

Financial Inclusion Plan

As of 31st March 2026, the Bank has strategically expanded its financial inclusion network by onboarding Business Correspondent (BC) agents across five key territories. The network is anchored by 74 agents in Uttarakhand, complemented by 22 in Uttar Pradesh, 9 in Delhi, 3 in Haryana, and 1 in Rajasthan. To further extend its market reach and bridge banking gaps, the Bank is actively processing the appointment of additional BC agents across new geographic centers.

Internal Control System

The Bank maintains a comprehensive internal control framework scaled precisely to the size, scope, and complexity of its operations. This architecture is anchored by clear corporate policies, standard operating procedures, structured delegations of authority, and robust risk management and compliance mechanisms. To ensure its ongoing adequacy, the Bank's independent internal audit function performs regular evaluations, supplemented by periodic strategic oversight from Senior Management and the Audit Committee of the Board. By continuously upgrading this internal environment, the Bank safeguards its assets, optimizes operational efficiency, ensures total adherence to statutory regulations, and guarantees the complete reliability of its financial and operational reporting.

Wealth Management and other services

The Bank's Wealth Management Services (WMS) continue to provide a comprehensive, diversified spectrum of financial solutions tailored to the evolving requirements of our clientele. Operating through a robust corporate agency model, the Bank has forged strategic alliances with top-tier financial institutions to deliver an extensive portfolio encompassing insurance, investments, pensions, and demat accounts.

Our insurance architecture is meticulously diversified to secure our customers' assets and health. For Life Insurance, we maintain strategic corporate alliances with HDFC Life Insurance, IndiaFirst Life, and IndusInd Nippon Life. Our General Insurance needs are anchored by Generali Central Insurance and National Insurance Company (NICL), while Health Insurance portfolios are supported by Care Health Insurance and Niva Bupa Health Insurance. Additionally, specialized Credit Life Insurance solutions are provided in tandem with Credit Access Life Insurance and Bajaj Allianz Life Insurance.

Beyond risk mitigation, the Bank enables systematic long-term wealth creation by facilitating access to Mutual Funds, Demat platforms, and the National Pension System (NPS). Deeply committed to national financial inclusion, the Bank aggressively promotes Government-sponsored social security initiatives, notably the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and Atal Pension Yojana (APY). Looking ahead, the Bank will continue to prioritize product innovation and high-quality advisory services to expand our WMS market share and cement our position as a trusted financial partner.

Compliance Framework

The Bank has institutionalized a rigorous, proactive compliance culture across all operational tiers. Governed by a board approved Compliance Policy and a comprehensive Compliance Manual, our framework guarantees absolute alignment with changing regulatory architectures. The compliance function acts as a critical defender of corporate integrity, ensuring strict observance of the applicable Acts & Rules, Banking Regulation Act, the Reserve Bank of India (RBI) Act, Prevention of Money Laundering Act (PMLA) etc. By achieving operational efficiency and transparency in regulatory matters, the Bank systematically enhances its corporate reputation among its primary stakeholders: regulators, investors, customers, government bodies, and the public

To maintain absolute independence and objective oversight, the Bank operates a dual - layer compliance structure: Centralized Oversight: A dedicated, independent Compliance Department at the Head Office, led by the Chief Compliance Officer (CCO), which drives policy formulation and macro-level risk mitigation and Regional Enforcement: Specialized Regional Compliance Officers stationed across all three operating zones to oversee field-level execution, accountability, and business ethics.

जोखिम प्रबंधन ढाँचा

प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप, आपके बैंक में एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढाँचा विद्यमान है। यद्यपि जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है, तथापि बैंक से संबंधित विभिन्न जोखिमों की निगरानी एवं समीक्षा के लिए निदेशक मंडल ने अपनी शक्तियाँ आंतरिक समितियों–आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता समिति (ALCO) तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति–को प्रत्यायोजित की हैं। इन समितियों के कार्यों की समीक्षा निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढाँचा है और यह बैंक की मूल संस्था बैंक ऑफ बड़ौदा के समूह–स्तरीय, एंटरप्राइज–वाइड जोखिम प्रबंधन ढाँचे का भी हिस्सा है। इसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम तथा अन्य विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नीतियों एवं प्रक्रियाओं का समर्थन प्राप्त है। इन जोखिमों की पहचान, आकलन, न्यूनीकरण, निगरानी एवं प्रबंधन से संबंधित विवरणों की विभिन्न अंतरालों पर निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

आईटी पहल एवं विकास

गतिशील एवं निरंतर विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी एक परिचालन आवश्यकता बन गई है, जो सीधे तौर पर व्यावसायिक चपलता एवं ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देती है। पिछले दो दशकों में डिजिटल नवाचार ने पारंपरिक बैंकिंग प्रतिमानों को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित किया है। सेवा दक्षता को अधिकतम करने के उद्देश्य से बैंक एंड–टू–एंड स्वचालन तथा उन्नत तकनीकी समाधानों के निरंतर कार्यान्वयन को प्राथमिकता देता है।

बैंक का संपूर्ण शाखा नेटवर्क उच्च–प्रदर्शन वाले Finacle 10.x CBS प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है, जो बैंक की उच्च–स्तरीय सुरक्षा एवं लेन–देन संबंधी क्षमता का आधार है। इस एकीकृत डिजिटल संरचना का लाभ उठाते हुए, बैंक अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों एवं डिजिटल बैंकिंग माध्यमों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करा रहा है, जिसमें BBPS, RTGS, NEFT, UPI, IMPS, PFMS, WLATM सेवाएँ, POS टर्मिनल, QR कोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने कड़े नियामकीय अनुपालन को बनाए रखते हुए ग्राहक सुविधा को अधिकतम करने के उद्देश्य से लक्षित डिजिटल समाधानों को लागू किया। प्रमुख पहलों में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ''Naini NEO'' का शुभारंभ; मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग में नामांकन सुविधा; नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में FD/RD सुविधा; साइबर क्राइम पोर्टल के साथ I4C API का एकीकरण; कोर बैंकिंग एप्लीकेशन के साथ–साथ मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में Beneficiary Name Lookup (BNL) सुविधा का सक्षम किया जाना; AePS On-us एवं Off-us लेन–देन; मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में Bharat Bill Payment System (BBPS) का एकीकरण; 'nainitalbank.co.in' डोमेन से 'nainitalbank.bank.in' डोमेन पर माइग्रेशन; मर्चेंट प्रबंधन हेतु QR कोड जनरेशन के माध्यम से UPI Acquirer पर ऑनबोर्डिंग तथा CBS में OTP के माध्यम से आधार सत्यापन की सुविधा का सक्षम किया जाना शामिल है। बैंक ने NPS के लिए Point of Presence (POP) के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की, जिससे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति संबंधी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बैंक की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्रमुख विकास

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख रणनीतिक कदम उठाए:

(i) राइट्स इश्यू के माध्यम से पूंजी निवेश, जिसके अंतर्गत बैंक ने 4,82,83,655 नए इक्विटी शेयर जारी कर ₹169 करोड़ की राशि जुटाई।

(ii) बैंक की प्रभावी निवल संपत्ति 31 मार्च, 2026 तक ₹1,041 करोड़ रही, जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए Ownership Guidelines and Corporate Structure के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

पुरस्कार एवं सम्मान

(i) PFRDA द्वारा Private Sector Bank श्रेणी के अंतर्गत Award of Excellence Achievers से सम्मानित।

(ii) PFRDA द्वारा APY के लिए Leadership Pinnacle Campaign के अंतर्गत Award of Exemplary Leadership से सम्मानित।

(iii) PFRDA द्वारा APY Believers Campaign के अंतर्गत Award of PAR Excellence से सम्मानित।

पूंजी एवं शेयरधारक संबंधी विषय

शेयर पूंजी

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपके बैंक ने राइट्स इश्यू (Rights Issue) के माध्यम से पूंजी जुटाई। 31 मार्च 2026 को बैंक की श्रेणीवार शेयरधारिता संरचना (Shareholding Pattern) निम्नानुसार थी:

पूंजी का विवरण	शेयरों का प्रतिशत	राशि
1. अधिकृत पूंजी	100.00%	2300000000
निर्गमित पूंजी	72.06%	1657299050
प्रदत्त पूंजी	72.06%	1657299050
2. शेयरधारिता का विवरण	**शेयरों का प्रतिशत**	**शेयर**
I. भारत सरकार	0.00%	0
II. बैंक/वित्तीय संस्थान	98.62%	163439953

Risk Management Framework

Pursuant to the extant rules and guidelines, your Bank has a robust Risk Management Framework. While Risk Management is the responsibility of the Board of Directors, it has delegated its powers relating to monitoring and reviewing risks associated with the Bank to the Internal Committees - Internal Risk Management Committee, Asset Liability Committee, Credit Risk management Committee - which are reviewed by the Risk Management Committee of Board.

Your Bank has a robust Risk Management Framework and is also part of a Group Enterprise - wide Risk Management framework of Parent Bank - Bank of Baroda supported by appropriate policies and processes for management of Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk and various other risks. Details of identification, assessment, mitigations, monitoring and the management of these risks are reviewed by the Risk Management Committee of Board at various intervals.

IT Initiatives and Developments

In the dynamic evolving financial landscape, Information Technology has become an operational necessity that directly drives business agility and customer satisfaction. Over the last two decades, digital innovation has completely redefined traditional banking paradigms. To maximize service efficiency, the bank prioritizes end-to-end automation and the continuous deployment of advanced technological solutions.

Our entire branch network operates on the high-performance Finacle 10.x CBS platform, which anchors our enterprise-grade security and transactional scaling. Leveraging this unified digital architecture, the Bank provides customers with a comprehensive suite of electronic payment rails and digital banking channels - BBPS, RTGS, NEFT, UPI, IMPS, PFMS, WLATM Services, POS Terminals, QR Code, Net Banking, Debit Cards and Mobile Baking.

In Fiscal 2026, the Bank has deployed targeted digital solutions to maximize customer convenience while maintaining strict regulatory compliance: Launch of Mobile Banking Application "Naini NEO"; Nomination facility in Mobile Banking and Net Banking; FD/RD feature in Net Banking and Mobile Banking Application; I4C API integration with the Cyber Crime portal; Enablement of Beneficiary Name Lookup (BNL) feature in Core Banking Application including Mobile Banking and Net Banking Application; AePS On us and Off us transaction; Integration of Bharat Bill Payment System (BPPS) in Mobile Banking Application; Migration on 'nainitalbank.bank.in' from 'nainitalbank.co.in' domain; On-boarded on UPI Acquirer through QR generation for Merchant Management and enablement of Aadhar verification through OTP in CBS. The Bank achieved a key milestone by becoming a Point of Presence (POP) for NPS, strengthening its position in pension and retirement-related financial services.

Key Developments During the FY 2025-26

During the year, your Bank undertook several strategic actions, as set out below:

(i) Infusion of Capital through Rights Issue, wherein the Bank raised ₹169 Crore by issuing 4,82,83,655 fresh Equity Shares.

(ii) The effective net worth was as on March 31, 2026 at ₹1,041 crore, satisfying the criteria laid under Ownership Guidelines and Corporate Structure for Indian Private Sector Banks.

Awards & Accolades

(i) Award of Excellence Achievers under Private Sector Bank Category by PFRDA

(ii) Award of exemplary Leadership under Leadership Pinnacle Campaign by PFRDA for APY

(iii) Award of PAR Excellence under APY Believers Campaign by PFRDA

Capital and Shareholder Matters

Share Capital

In the Financial Year 2025-26, your Bank raised capital through Rights Issue. The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31st March 2026, was as under -

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100.00%	2300000000
Issued Capital	72.06%	1657299050
Paid-up-Capital	72.06%	1657299050
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0
II) Banks/Financial Institution	98.62%	163439953

पूंजी का विवरण	शेयरों का प्रतिशत	राशि
III. बीमा कंपनियाँ	0.00%	0
IV. म्यूचुअल फंड /यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	0.00%	0.00
V. अनिवासी भारतीय/विदेशी संस्थागत निवेशक /विदेशी वाणिज्यिक निकाय	0.00%	0.00
VI. निजी कॉरपोरेट निकाय	0.14%	236256
VII. अन्य/रिटेल व्यक्तिगत निवेशक	1.24%	2043263
VIII. IEPF (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि)	0.00%	10433
कुल	**100%**	**165729905**

आपके बैंक की पूंजी संरचना में बैंक ऑफ बड़ौदा की 98.62% हिस्सेदारी है। इस शेयरधारिता को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष मामले के रूप में अनुमति प्रदान की गई है तथा यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की संबंधित धारा, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण एवं धारण) मास्टर निदेश, 2023 तथा वर्तमान में लागू अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप है।

लाभांश

आपका बैंक लाभांश के रूप में लाभ के वितरण हेतु RBI Circular RBI/2025–26/387 DOR.ACC.REC.No.427/21.02.067/2025–26 दिनांक 10 मार्च 2026, अर्थात 'भारतीय रिजर्व बैंक (कमर्शियल बैंक – डिविडेंड की घोषणा और मुनाफे के प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2026' का अनुपालन करता है। लाभांश वितरण व्यवस्था का उद्देश्य शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से प्रतिफल प्रदान करने के साथ–साथ बैंक की भावी वृद्धि को समर्थन देने हेतु आवश्यक पूंजी को बनाए रखना है।

बैंक ने Rights Issue 2025 के माध्यम से ₹168.99 करोड़ की नई पूंजी जुटाकर निवल संपत्ति (Net Worth) से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन किया है। इससे बैंक की निवल संपत्ति ₹1,000.00 करोड़ से अधिक हो गई है, जो बैंक पर लागू है तथा भारत में मौजूदा यूनिवर्सल बैंकों के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति से संबंधित विनियामक आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करता है (RBI प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26 नवंबर 2024)।

उपर्युक्त RBI परिपत्र के अनुपालन में, लाभांश घोषित करने हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड के अंतर्गत बैंक के लिए यह आवश्यक था कि वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता का अनुपालन करता हो तथा जिस वित्तीय वर्ष में लाभांश का भुगतान प्रस्तावित है, उसके अंत में भी उक्त आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन करता रहे। तदनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही (Q–2) में विनियामक पूंजी आवश्यकता का अनुपालन किया है। लागू विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

बॉण्ड एवं डिबेंचर

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कोई बॉण्ड एवं डिबेंचर जारी नहीं किया है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल–III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता 18.96% रही, जबकि पिछले वर्ष यह 16.76% थी। 31 मार्च 2026 को कुल पूंजी पर्याप्तता में, टियर–I पूंजी: 17.92% और टियर–II पूंजी: 1.04% रही।

जमा

बैंकिंग कंपनी होने के कारण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) एवं (vi) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 73 एवं 74 के साथ पढ़े जाने पर, इनके प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना / कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP)

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कोई कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना अथवा कर्मचारी शेयर विकल्प योजना जारी नहीं की है।

शेयरों का विभौतिकीकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में जारी करना अनिवार्य किया है। दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त शेयरों का निर्गमन तथा सभी शेयरों का हस्तांतरण केवल अभौतिकीकृत रूप में किया जाना अनिवार्य है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रत्येक प्रतिभूति धारक, जो 02 अक्टूबर 2018 या उसके पश्चात ऐसी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना चाहता है, उसे हस्तांतरण से पूर्व उक्त प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण कराना होगा।
- गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रत्येक प्रतिभूति धारक, जो 02 अक्टूबर 2018 या उसके पश्चात गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की किसी प्रतिभूति की अभिदाय करता है, चाहे वह निजी प्लेसमेंट, बोनस शेयर अथवा राइट्स ऑफर के माध्यम से हो, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अभिदाय करने से पूर्व उसकी सभी मौजूदा प्रतिभूतियाँ अभौतिकीकृत रूप में धारित हों।

Composition particulars	% of shares	Amount
III) Insurance Company	0.00%	0
IV) (Mutual Funds) MFs/ United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non-Residents (Foreign Institutional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.14%	236256
VII) Others/Retail Individuals	1.24%	2043263
VIII) IEPF	0.00%	10433
Total	**100%**	**165729905**

Your Bank is having a capital structure where Bank of Baroda is holding 98.62% stake. This shareholding has been permitted by Reserve Bank of India as a special case and as per relevant section of The Banking Regulation Act, 1949, Master Direction Reserve Bank of India (Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies) Directions, 2023 and other laws applicable for the time being in force.

Dividend

Your Bank adheres to RBI Circular - RBI/2025-26/387DOR. ACC.REC.No.427/21.02.067/2025-26 dated March 10, 2026 'Reserve Bank of India (Commercial Banks - Prudential Norms on Declaration of Dividend and Remittances of Profits) Directions, 2026' for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth.

The Bank has complied with the Net Worth requirement by raising fresh capital of ₹ 168.99 Crore through Rights Issue 2025 which enabled the Bank to augment its Net Worth to above ₹ 1,000.00 Crore as applicable to the Bank and be complaint with the regulatory requirement (RBI press release of November 26, 2024) w.r.t minimum Net Worth for existing Universal Banks in India.

In compliance of the RBI circular aforesaid, under the eligibility criteria for declaration of dividend, the Bank was required to be in compliance with the applicable regulatory capital requirement as at the end of the previous financial year and shall continue to be in compliance as at the end of the financial year during which the dividend is proposed to be paid. Accordingly, the Bank complied with the regulatory capital requirement in Q-2 of the Financial Year 2025-26. In view of the applicable provisions of law, no dividend is proposed for the Financial Year 2025-26.

Bonds and Debenture

Your Bank has not issued Bonds and Debentures during the Financial Year 2025-26.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy under Basel - III norms stood at 18.96% as against 16.76% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier - I capital was 17.92% and Tier - II capital was 1.04% as on 31.03.2026.

Deposits

Being a banking company, the provisions under Rule 8(5)(v) and (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013 ("Act") are not applicable to your Bank.

Employee Stock Ownership Plan / Employee Stock Option Plan (ESOP)

Your Bank has not issued Employee Stock Ownership Plan or Employee Stock Option Plan during the Financial Year 2025 -26.

Dematerialisation of Shares

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;

- प्रत्येक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अपने सभी मौजूदा प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए कंपनी द्वारा डिपॉजिटरी के समक्ष आवश्यक आवेदन किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN) प्राप्त की जाएगी और इस सुविधा के संबंध में सभी मौजूदा प्रतिभूति धारकों को सूचित किया जाएगा।

उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु M/s KFin Technologies Limited को 'रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट' के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया गया कि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सुचारु एवं निर्बाध रूप से प्राप्त करने हेतु वे अपने शेयरों का अभौतिकीकरण करा लें।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 तथा समय–समय पर किए गए संशोधनों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी (बैंक) के ऐसे शेयर, जिनसे संबंधित लाभांश लगातार सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक अवैतनिक अथवा अदावाकृत रहा है, को IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले सभी शेयर, चाहे वे अभौतिकीकृत रूप में धारित हों अथवा भौतिक रूप में, कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से IEPF प्राधिकरण के डीमैट खातों में हस्तांतरित किए जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित ₹1,43,368.00 का लाभांश, जो बैंक के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदावाकृत रहा, विधिवत रूप से IEPF खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 41,779 इक्विटी शेयर, जिनसे संबंधित लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया था, को भी IEPF प्राधिकरण के निर्धारित डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।

बैठकें

वार्षिक आम बैठक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बैंक की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर 2025 को आयोजित की गई, जिसमें बैंक के सदस्यों के समक्ष कुल नौ प्रस्ताव/कार्यसूचियाँ रखी गईं, जिन्हें निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:

साधारण कार्य

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को, निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित, प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना।
2. श्री राकेश नेमा (DIN 07207816), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कार्य

3. श्री गोपाल सिंह गुसाईं (DIN: 03522170) को अंशकालिक/गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना।
4. श्री सुशील कुमार लाल (DIN: 11029008) को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करना।
5. श्री कुलदीप सिंह (DIN: 11018445) को कार्यकारी निदेशक (पूर्णका. लिक निदेशक) के रूप में नियुक्त करना।
6. श्री मानस रंजन बिस्वाल (DIN: 08162008) को गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
7. श्रीमती बिनीता शाह (DIN: 01538965) को 17 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2027 तक तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
8. श्री मनीष कौर (DIN: 11195774) को गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
9. 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना।

क्र. सं.	नाम	पद	श्रेणी	उपस्थिति
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
2.	श्री सुशील कुमार लाल	निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उपस्थित
3.	श्रीमती बिनीता शाह	निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
4.	श्री यू. सी. नाहटा	निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
5.	श्री नीलम दामोदरन	निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
6.	श्री मनोज शर्मा	निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
7.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित

- Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of all its existing securities by making necessary applications to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s KFin Technologies Limited as 'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

Transfer of Shares to Investors Education Protection Fund (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialized form or physical form, are to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

The Dividend Amount of ₹1,43,368.00 pertaining to Financial Year 2017-18, remaining unclaimed for a period of seven years from the date of its transfer to the unpaid dividend account(s) of the Bank has been duly transferred to the IEPF Account. Further, 41,779 equity shares in respect of which the dividend has not been claimed for seven consecutive years have also been transferred to the designated demat account of the IEPF Authority.

Meetings

Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the Bank for FY 2024-25 was held on September 29, 2025, wherein, -9- Nine agendas were placed before the members of the Bank and were approved as under:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended March 31, 2025, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint a Director in place of Mr. Rakesh Nema (DIN 07207816), who retires by rotation and being eligible, has offered himself for re-appointment.

Special Business

3. To appoint Mr. Gopal Singh Gusain (DIN 03522170) as Part Time/Non-Executive (Independent) Chairperson.
4. To appoint Mr. Sushil Kumar Lal (DIN: 11029008) as Managing Director and Chief Executive Officer.
5. To appoint Mr. Kuldeep Singh (DIN: 11018445) as Executive Director (Whole Time).
6. To appoint Mr. Manas Ranjan Biswal (DIN: 08162008) as Non-Executive Independent Director.
7. To appoint Mrs. Binita Shah (DIN 01538965) as Non-Executive Independent Director for a Second Term of Three Years w.e.f. December 17, 2024, to December 16, 2027.
8. To appoint Mr. Manish Kaura (DIN: 11195774) as Non-Executive Non-Independent Director.
9. To appoint Branch Auditors of the Bank for the Financial Year ending March 31, 2026.

S. No.	Name	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Chairperson	Independent Director	Present
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Director	Managing Director & CEO	Present
3.	Mrs. Binita Shah	Director	Independent Director	Present
4.	Mr. U C Nahta	Director	Independent Director	Present
5.	Mr. Neelam Damodharan	Director	Independent Director	Present
6.	Mr. Manoj Sharma	Director	Independent Director	Present
7.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Director	Independent Director	Present

क्र. सं.	नाम	पद	श्रेणी	उपस्थिति
8.	श्री कुलदीप सिंह	निदेशक	कार्यकारी निदेशक	उपस्थित
9.	श्री राकेश नेमा	निदेशक	गैर–कार्यकारी निदेशक	अनुपस्थित
10.	श्री मनीष कौरा	निदेशक	गैर–कार्यकारी निदेशक	अनुपस्थित
11.	श्री पवन गोयल	केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक	बाह्य	उपस्थित
12.	श्रीमती सुमाना सुभाष मित्रा	सचिवीय लेखापरीक्षक	बाह्य	उपस्थित
13.	श्री आर. के. टंडन	स्क्रूटिनाइज़र	बाह्य	उपस्थित

असाधारण आम बैठक

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

डाक मतपत्र

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई एजेंडा परिचालित नहीं किया गया।

बोर्ड की बैठकें

बैंक प्रत्येक दो माह में कम–से–कम एक बोर्ड बैठक तथा एक वर्ष में न्यूनतम छह बोर्ड बैठकों के आयोजन का प्रयास करता है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की नौ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लागू विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

क्र सं.	नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	9/9
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	8/8
3.	श्रीमती बिनिता शाह	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	8/9
4.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	9/9
5.	श्री नीलम दामोदरन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	9/9
6.	श्री यू.सी. नाहटा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	8/9
7.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	9/9
8.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	9/9
9.	श्री मनीष कौरा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	4/4
10.	श्री अशोक कुमार मोहरणा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	लागू नहीं
11.	श्री एन.के. चारी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक (07.06.2025 को पद से बाहर)	2/2
12.	श्री निखिल मोहन	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (05.04.2025 को पद से बाहर)	1/1
13.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक (23.03.2026 को पद से बाहर)	6/8

बोर्ड की उप–समितियों की बैठकें

बैंक में बोर्ड की दस उप–समितियाँ हैं, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति, बोर्ड की प्रबंधन समिति, ग्राहक सेवा एवं हितधारक संबंध समिति, आईटी रणनीति एवं डिजिटल संवर्धन समिति, विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, रिकवरी समिति, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले परिशिष्ट में दिया गया है।

S. No.	Name	Position	Category	Meetings Attended
8.	Mr. Kuldeep Singh	Director	Executive Director	Present
9.	Mr. Rakesh Nema	Director	Non-Executive Director	Absent
10.	Mr. Manish Kaura	Director	Non-Executive Director	Absent
11.	Mr. Pawan Goel	Central Statutory Auditor	External	Present
12.	Mrs. Sumana Subhash Mitra	Secretarial Auditor	External	Present
13.	Mr. R. K. Tandon	Scrutinizer	External	Present

Extra Ordinary General Meeting

There was no Extraordinary General Meeting in the Financial Year 2025-26.

Postal Ballot

There was no agenda circulated through Postal Ballot in the Financial Year 2025-26.

Board Meetings

The Bank attempts to hold at least -1- One Board Meeting in Two Months and minimum -6- Six Board Meetings in a Year. During the Financial Year under review -9- Nine Board Meetings were convened and held. The intervening gap between the Board Meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013 and applicable regulations. The details of the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

S. No.	Name	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Chairperson	Independent Director	9/9
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	8/8
3.	Mrs. Binita Shah	Member	Independent Director	8/9
4.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	9/9
5.	Mr. Neelam Damodharan	Member	Independent Director	9/9
6.	Mr. U.C. Nahta	Member	Independent Director	8/9
7.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Member	Independent Director	9/9
8.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	9/9
9.	Mr. Manish Kaura	Member	Non - Executive Director	4/4
10.	Mr. Ashok Kumar Moharana	Member	Non - Executive Director	NA
11.	Mr. N. K. Chari	Chairperson	Independent Director (Exit on 07.06.2025)	2/2
12.	Mr. Nikhil Mohan	Member	Managing Director & CEO (Exit on 05.04.2025)	1/1
13.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non - Executive Director (Exit on 23.03.2026)	6/8

Sub-Committee of Board Meetings

The Bank is having -10- Ten Sub-Committees of Board namely - Audit Committee of Board (ACB); Risk Management Committee of Board (RMCB); Nomination and Remuneration and Human Resource Committee (NRHR); Management Committee of Board (MCB); Customer Service and Stakeholders' Relationship Committee (CSRC); IT Strategy & Digital Promotion Committee (IT & DP); Willful Defaulter Review Committee (WDC); Corporate Social Responsibility Committee (CSR); Recovery Committee (RC); Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF). The details of the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB)

ACB का गठन केवल गैर–कार्यकारी निदेशकों में से किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष ACB के सदस्य नहीं होंगे। ACB की बैठक के लिए तीन सदस्यों का कोरम निर्धारित है। ACB की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। ACB की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ACB की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ACB के अध्यक्ष किसी ऐसी बोर्ड समिति के सदस्य नहीं होंगे, जिसे ऋण जोखिम स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो। सभी सदस्यों में सभी वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित नोट्स/रिपोर्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए, जैसे लेखांकन मानकों एवं प्रथाओं के अनुप्रयोग का अनुभव, जिसमें संबंधित आंतरिक नियंत्रण भी शामिल हैं।

ACB की बैठक सामान्यतः कार्यपालकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, सिवाय सचिव के। तथापि, समिति अपने विवेकानुसार तथा आवश्यकता पड़ने पर पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs), वित्त विभाग के प्रमुख, सतर्कता विभाग, जोखिम विभाग, अनुपालन विभाग अथवा किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी/कार्यपालक या लेखा परीक्षक/ऑडिट फर्म के प्रतिनिधि, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक भी शामिल हैं, को बैठक में पूर्णतः या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्याः 8 (आठ) 28.04.2025, 13.06.2025, 23.07.2025, 02.09.2025, 16.10.2025, 20.01.2026, 28.02.2026 एवं 30.03.2026

31.03.2026 को समिति की संरचना एवं सदस्य निदेशकों की भागीदारी

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री नीलम दामोदरन	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	8/8
2.	श्री यू. सी. नाहटा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	8/8
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	6/8
4.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	6/6
5.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/1

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB)

बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) का गठन किया जाएगा, जिसमें गैर–कार्यकारी निदेशकों (NEDs) का बहुमत होगा। RMCB की बैठक के लिए 3 सदस्यों का कोरम निर्धारित है। RMCB की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए। RMCB की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष केवल तभी RMCB के सदस्य हो सकते हैं, जब उनके पास आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। RMCB की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

त्डब्ठ की बैठक सामान्यतः कार्यपालकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, सिवाय सचिव के। तथापि, समिति अपने विवेकानुसार तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य अनुपालन अधिकारी तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को बैठक में पूर्णतः या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्याः 6 (छह)–28.04.2025, 16.06.2025, 19.07.2025, 29.08.2025, 10.12.2025 एवं 24.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारीः

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री मनोज शर्मा	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	6/6
2.	श्री यू. सी. नाहटा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5/5
3.	श्री नीलम दामोदरन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	6/6
4.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	6/6
5.	श्री एन. के. चारी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/1

Audit Committee of Board (ACB)

The ACB to be constituted with only Non-Executive Directors (NEDs). The Chair of the Board shall not be a member of the ACB. The ACB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least Two-Thirds of the members attending the meeting of the ACB shall be Independent Directors. The ACB shall meet at least once in a quarter. The meetings of the ACB shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board. The Chair of the ACB shall not be a member of any Committee of the Board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members should have the ability to understand all financial statements as well as the notes/reports attached thereto and at least one member shall have requisite professional expertise/qualification in financial accounting or financial management [e.g., experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

The ACB shall normally meet without the presence of the executives or senior management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite any of the WTDs, Head of Finance function, Vigilance Function, Risk Function, Compliance or any Senior Management functionary or any executive or a representative of an Auditor/Audit Firm including Statutory Auditor to be present at its meetings in whole or in part.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 8 (Eight) - 28.04.2025, 13.06.2025, 23.07.2025, 02.09.2025, 16.10.2025, 20.01.2026, 28.02.2026, 30.03.2026

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Neelam Damodharan	Chairperson	Independent Director	8/8
2.	Mr. U C Nahta	Member	Independent Director	8/8
3.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	6/8
4.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Member	Independent Director	6/6
5.	Mr. Gopal Singh Gusain	Member	Independent Director	1/1

Risk Management Committee of Board (RMCB)

The Board shall constitute an RMCB with a majority of Non-Executive Directors (NEDs). The RMCB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the RMCB shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/qualification in risk management. Meetings of RMCB shall be chaired by an Independent Director who shall not be a Chair of the Board or any other Committee of the Board. The Chair of the Board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite Risk Management expertise. The RMCB shall meet at least once in each quarter.

The RMCB shall normally meet without the presence of the Executives or Senior Management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite Head of Compliance and representative/s of the management to be present at its meetings in whole or in part.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 6 (Six) - 28.04.2025, 16.06.2025, 19.07.2025, 29.08.2025, 10.12.2025, 24.03.2026-

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Manoj Sharma	Chairperson	Independent Director	6/6
2.	Mr. U C Nahta	Member	Independent Director	5/5
3.	Mr. Neelam Damodharan	Member	Independent Director	6/6
4.	Mr. Gopal Singh Gusain	Member	Independent Director	6/6
5.	Mr. N.K. Chari	Member	Independent Director	1/1

नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NR & HR)

बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें केवल गैर–कार्यकारी निदेशक (NEDs) शामिल हैं। NR – HR समिति की बैठक के लिए 3 सदस्यों का कोरम निर्धारित है। समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से एक सदस्य RMCB का सदस्य होना आवश्यक है। NR - HR समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष NR - HR समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे। NR - HR समिति की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 4 (चार)–28.04.2025, 17.06.2025, 23.07.2025 एवं 25.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	3/3
2.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/1
3.	श्री नीलम दामोदरन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4
4.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4
5.	श्रीमती बिनिता शाह	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4
6.	श्री एन. के. चारी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/1

बोर्ड की प्रबंधन समिति (MCB)

बोर्ड ऐसी समिति/समितियों का गठन करता है/कर चुका है, जैसे प्रबंधन समिति, कार्यकारी समिति, ऋण समिति, निवेश समिति अथवा किसी अन्य नाम से गठित समिति, जिसे जोखिम लेने का अधिकार प्राप्त है। जोखिम लेने का अधिकार रखने वाली ये समितियाँ, RMCB की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगी। बोर्ड के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष समिति का हिस्सा नहीं होंगे।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 5 (पाँच) –28.04.2025, 16.06.2025, 06.12.2025, 16.01.2026 एवं 27.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री सुशील कुमार लाल	अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5/5
2.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	1/1
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	5/5
5.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5/5

ग्राहक सेवा एवं हितधारक संबंध समिति (CS - SRC)

कंपनी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अपने मौजूदा अधिदेश के अतिरिक्त, ग्राहक सेवा एवं हितधारक संबंध समिति (SRC) के पास जमाकर्ताओं के हितों, प्रतिभूति धारकों, ग्राहक सेवा एवं अन्य हितधारकों से संबंधित उपयुक्तता के मामलों के साथ–साथ उनसे संबंधित विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों की निगरानी की जिम्मेदारी भी होगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 4 (चार) –23.07.2025, 30.08.2025, 15.12.2025 एवं 27.03.2026.

Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NR & HR)

The Board has constituted an NR & HR Committee made up of only Non-Executive Directors (NEDs). The NR & HR Committee shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the NR & HR Committee shall be Independent Directors, of which one shall be a member of the RMCB. The meetings of the NR & HR Committee shall be chaired by an Independent Director. The Chair of the Board shall not chair the NRHR. The meeting of NRHR may be held as and when required.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 4 (Four) - 28.04.2025, 17.06.2025, 23.07.2025, 25.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Chairperson	Independent Director	3/3
2.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	1/1
3.	Mr. Neelam Damodharan	Member	Independent Director	4/4
4.	Mr. Gopal Singh Gusain	Member	Independent Director	4/4
5.	Mrs. Binita Shah	Member	Independent Director	4/4
6.	Mr. N.K. Chari	Member	Independent Director	1/1

Management Committee of Board (MCB)

The Board constitute/have constituted committee(s) such as Management Committee and/or Executive Committee and/or Credit Committee and/or Investment Committee or any other Committee by whatever name called which has a mandate to assume risks. These Committees which has a mandate to assume risks will exercise powers delegated by the Board as recommended by the RMCB. The Non-Executive Chairperson of the Board shall not be part of the Committee.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 5 (Five) - 28.04.2025, 16.06.2025, 06.12.2025, 16.01.2026, 27.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Sushil Kumar Lal	Chairperson	Managing Director & CEO	5/5
2.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non- Executive Director	1/1
3.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	4/4
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	5/5
5.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Member	Independent Director	5/5

Customer Service and Stakeholders' Relationship Committee (CS& SRC)

In addition to its extant mandate as per Companies Act, 2023, the SRC shall also have oversight on matters of depositor interest, security holder, customer service and other stakeholders' appropriateness as well as various grievance redressal mechanisms thereto.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 4 (Four) - 23.07.2025, 30.08.2025, 15.12.2025, 27.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्रीमती बिनिता शाह	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4/4
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	3/4
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4/4
5.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	3/3

विलफुल डिफॉल्टर समिति (WD)

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी तथा इसमें बैंक/वित्तीय संस्था के दो स्वतंत्र निदेशक अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। समिति द्वारा पारित आदेश तभी अंतिम माना जाएगा जब उक्त समीक्षा समिति द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जाए।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 2 (दो) –30.08.2025 एवं 27.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री सुशील कुमार लाल	अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2/2
2.	श्रीमती बिनिता शाह	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2/2
3.	श्री यू. सी. नाहटा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2/2
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	2/2
5.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	1/1

आईटी रणनीति एवं डिजिटल संवर्धन समिति (ITS – DP)

संदर्भ: सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण एवं आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर डायरेक्शन–RBI/2023–24/107 DoS.CO.CSITEG/SEC.7/31.01.015/2023–24।

बोर्ड द्वारा कम से कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए एक आईटी रणनीति समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। आईटी रणनीति समिति के सभी सदस्यों का तकनीकी रूप से सक्षम होना आवश्यक है तथा कम से कम एक सदस्य के पास प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों के प्रबंधन/मार्गदर्शन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए। समिति की बैठक कम से कम त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 5 (पाँच)–28.04.2025, 16.06.2025, 19.07.2025, 02.09.2025 एवं 15.12.2025.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	5/5
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	4/5
3.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5/5
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4/4
5.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	5/5

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mrs. Binita Shah	Chairperson	Independent Director	4/4
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	3/4
3.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	4/4
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	4/4
5.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non-Executive Director	3/3

Wilful Defaulter Committee (WD)

The Committee to be headed by the Chairperson/CEO and MD and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank/FI and the order shall become final only after it is confirmed by the said Review Committee.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 2 (Two) – 30.08.2025, 27.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Sushil Kumar Lal	Chairperson	Managing Director & CEO	2/2
2.	Mrs. Binita Shah	Member	Independent Director	2/2
3.	Mr. U C Nahta	Member	Independent Director	2/2
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	2/2
5.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non-Executive Director	1/1

IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITS & DP)

Reference - Master Direction on Information Technology Governance, Risk, Controls & Assurance Practices - RBI/2023-24/107DoS.CO.CSITEG/SEC.7/31.01.015/2023-24.

The Board to constitute an IT Strategy Committee with a minimum of three directors as members, The Chairperson of the Committee should be an Independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing/guiding technology initiatives. The Committee shall meet at least on a quarterly basis.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 5 (Five) - 28.04.2025, 16.06.2025, 19.07.2025, 02.09.2025, 15.12.2025.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Chairperson	Independent Director	5/5
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	4/5
3.	Mr. Gopal Singh Gusain	Member	Independent Director	5/5
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	4/4
5.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non-Executive Director	5/5

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (CSR)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड द्वारा एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। निर्धारित मानकों के अनुसार, समिति में कम से कम 3 सदस्य, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 2 (दो)– 23.07.2025 एवं 30.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्रीमती बिनिता शाह	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	2/2
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2/2
3.	श्री यू. सी. नाहटा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2/2
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	2/2
5.	श्री राकेश नेमा	सदस्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	1/1

रिकवरी समिति (RC)

वसूली प्रणाली पर केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने बैंक को बोर्ड स्तर पर एक रिकवरी समिति गठित करने का निर्देश दिया है। निर्धारित मानकों के अनुसार, समिति में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बैठकों की संख्या: 3 (तीन)–19.07.2025, 16.12.2025 एवं 25.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	3/3
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1/3
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	3/3
4.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	3/3
5.	श्री नीलम दामोदरन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	3/3
6.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	3/3

विशेष समितिः धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (SCBMF)

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन न्यूनतम तीन निदेशक मंडल सदस्यों के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें एक पूर्णकालिक निदेशक तथा न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक/गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हों। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों/गैर–कार्यकारी निदेशकों में से किसी एक द्वारा की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में समिति की कुल 4 बैठकें आयोजित की गईं– 19.07.2025, 29.08.2025, 10.12.2025 एवं 24.03.2026.

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार संरचना और सदस्य निदेशकों की भागीदारी:

क्र. सं.	सदस्य निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	उपस्थित बैठकें
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4/4
2.	श्री सुशील कुमार लाल	सदस्य	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	3/4
3.	श्री कुलदीप सिंह	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4/4
4.	श्री नीलम दामोदरन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	4/4

Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the Board to constitute a CSR Committee consisting of three or more Directors out of which atleast one Director shall be an Independent Director. As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 2 (Two) – 23.07.2025, 30.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mrs. Binita Shah	Chairperson	Independent Director	2/2
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	2/2
3.	Mr. U C Nahta	Member	Independent Director	2/2
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	2/2
5.	Mr. Rakesh Nema	Member	Non-Executive Director	1/1

Recovery Committee (RC)

In order to have a focused approach on Recover System, Board has directed the Bank to formulate a Recovery Committee at Board level. As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 3 (Three) – 19.07.2025, 16.12.2025, 25.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Chairperson	Independent Director	3/3
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	1/3
3.	Mr. Manoj Sharma	Member	Independent Director	3/3
4.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	3/3
5.	Mr. Neelam Damodharan	Member	Independent Director	3/3
6.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Member	Independent Director	3/3

Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)

Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) should be constituted with a minimum of three members of the Board, consisting of a whole-time director and a minimum of two Independent Directors/Non-Executive Directors. The Committee shall be headed by one of the Independent Directors/Non-Executive Directors.

No. of Meetings in Financial Year 2025-26 - 4 (Four) - 19.07.2025, 29.08.2025, 10.12.2025, 24.03.2026.

Composition as on 31.03.2026 and participation of Member Directors:

S. No.	Name of the Member Director	Position	Category	Meetings Attended
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Chairperson	Independent Director	4/4
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Member	Managing Director & CEO	3/4
3.	Mr. Kuldeep Singh	Member	Executive Director	4/4
4.	Mr. Neelam Damodharan	Member	Independent Director	4/4

निदेशक मंडल की संरचना

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''BR Act'') तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी परिपत्रों द्वारा विनियमित होती है तथा बैंक का निदेशक मंडल उक्त प्रावधानों के अनुरूप गठित है।

31 मार्च 2026 को आपके बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र स.	निदेशक का नाम	पद
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र अंशकालिक अध्यक्ष
2.	श्री सुशील कुमार लाल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्रीमती बिनिता शाह	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
4.	श्री मनोज शर्मा	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री उत्तम चंद नाहटा	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री नीलम दामोदरन	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
7.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
8.	श्री कुलदीप सिंह	पूर्णकालिक निदेशक
9.	श्री मनीष कौरा	गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
10.	श्री अशोक कुमार मोहराना	गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक

इस रिपोर्ट की तिथि को आपके बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्र स.	निदेशक का नाम	पद
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र अंशकालिक अध्यक्ष
2.	श्री सुशील कुमार लाल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्रीमती बिनिता शाह	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
4.	श्री नीलम दामोदरन	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री कुलदीप सिंह	पूर्णकालिक निदेशक
7.	श्री मनीष कौरा	गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
8.	श्री अशोक कुमार मोहराना	गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
9.	श्री बालू केंचप्पा	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

आपके बैंक के व्यवसाय एवं आकार के अनुरूप निदेशक मंडल का आकार उपयुक्त है। निदेशक मंडल बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 10(ए)(2) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। निदेशक मंडल में बैंकिंग उद्योग के लिए आवश्यक व्यावसायिकता, ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का उपयुक्त समन्वय है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई निदेशक मंडल विविधता नीति में निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करता है।

आपके बैंक के सभी निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे लागू विनियमों के अंतर्गत निर्धारित 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों को पूरा करते हैं तथा वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

निदेशक मंडल से संबंधित जानकारी

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक, बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए –

1. मूल बैंक–बैंक ऑफ बड़ौदा की सिफारिश/नामांकन के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) और निदेशक मंडल की सिफारिशों पर बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्री सुशील कुमार लाल (DIN 11029008) को 05 अप्रैल 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति की पुष्टि बैंक के सदस्यों द्वारा 29 सितंबर 2025 को आयोजित बैंक की 103वीं वार्षिक आम बैठक में की गई। मूल बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशानुसार, श्री निखिल मोहन ने 05 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से अपना कार्यभार त्याग दिया।

2. श्री एन. के. चारी को 08 जून 2020 से बैंक के निदेशक मंडल में पांच वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 07 जून 2025 तक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बैंक ने उन्हें 23 अगस्त 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उनका

Board Composition

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 ("BR Act") and circulars issued from RBI from time to time and composition is in conformity with the same.

As on 31st March 2026, the composition of the Board of Directors of your Bank was, as under:

S. No.	Name of the Director	Designation
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Non-Executive Independent Part Time Chairperson
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Managing Director & Chief Executive Officer
3.	Mrs. Binita Shah	Non-Executive Independent Director
4.	Mr. Manoj Sharma	Non-Executive Independent Director
5.	Mr. Uttam Chand Nahta	Non-Executive Independent Director
6.	Mr. Neelam Damodharan	Non-Executive Independent Director
7.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Non-Executive Independent Director
8.	Mr. Kuldeep Singh	Whole Time Director
9.	Mr. Manish Kaura	Non-Executive Non- Independent Director
10.	Mr. Ashok Kumar Moharana	Non-Executive Non-Independent Director

As on date of this report, the composition of the Board of Directors of your Bank is as under:

S. No.	Name of the Director	Designation
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	Non-Executive Independent Part Time Chairperson
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	Managing Director & Chief Executive Officer
3.	Mrs. Binita Shah	Non-Executive Independent Director
4.	Mr. Neelam Damodharan	Non-Executive Independent Director
5.	Mr. Manas Ranjan Biswal	Non-Executive Independent Director
6.	Mr. Kuldeep Singh	Whole Time Director
7.	Mr. Manish Kaura	Non-Executive Non-Independent Director
8.	Mr. Ashok Kumar Moharana	Non-Executive Non-Independent Director
9.	Mr. Balu Kenchappa	Non-Executive Independent Director

The size of the Board is commensurate with the size and business of your Bank. The Board meets the criteria prescribed under Section 10(A)(2) of the BR Act and the circulars issued by the RBI, from time to time. The Board demonstrates an appropriate blend of professionalism, knowledge, experience and skills required in the banking industry and also meets the criteria prescribed under the Policy on Board Diversity adopted by the Board.

All the Directors of your Bank have confirmed that they satisfy the fit and proper criteria as prescribed under the applicable regulations and that they are not disqualified from being appointed as Directors in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

Board of Directors related information

Changes in composition of the Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank-

1. Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, obtained prior approval from the Reserve Bank of India and appointed Mr. Sushil Kumar Lal (DIN 11029008) as the Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. April 05, 2025 for a period of three years and his appointment was confirmed by the members of the Bank in the 103rd Annual General Meeting of the Bank held on September 29, 2025. As per the directions of the Parent Bank - Bank of Baroda, Mr. Nikhil Mohan demitted the office of Managing Director & CEO on April 05, 2025, after the closure of business hours.

2. Mr. N.K. Chari was appointed as an Independent Director on the Board of the Bank w.e.f. June 08, 2020, for a period of -5- Five Years i.e. upto June 07, 2025. The Bank after seeking approval from Reserve Bank of India appointed him as Part Time Independent Chairperson of the Bank effective from August 23, 2021, for a period of 3 years. After seeking approval from Reserve Bank

कार्यकाल दूसरी अवधि के लिए, अर्थात 23 अगस्त 2024 से 07 जून 2025 तक, बढ़ाया गया। श्री एन. के. चारी ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 07 जून 2025 को स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के पद से अपना कार्यभार त्याग दिया।

3. श्री गोपाल सिंह गुसाईं (DIN: 03522170) को 19 दिसंबर 2023 से 18 दिसंबर 2028 तक पांच वर्ष की अवधि (प्रथम कार्यकाल) के लिए गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात उनकी पुनर्नियुक्ति सदस्यों द्वारा साधारण/विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं तत्समय लागू दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अधीन होगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि शेयरधारकों द्वारा 27 सितंबर 2024 को आयोजित 102वीं वार्षिक आम बैठक में भी की गई।

नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्री गोपाल सिंह गुसाईं (DIN: 03522170) को 09 जून 2025 से 07 जून 2028 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बैंक के अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया तथा वे चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

4. मूल बैंक –बैंक ऑफ बड़ौदा की सिफारिश/नामांकन के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) और निदेशक मंडल की सिफारिशों पर बैंक ने श्री मनीष कौर (DIN 11029008) को 04 सितंबर 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति की पुष्टि बैंक के सदस्यों द्वारा 29 सितंबर 2025 को आयोजित बैंक की 103वीं वार्षिक आम बैठक में की गई।

5. श्री राकेश नेमा (DIN 07207816) को 23 फरवरी, 2023 से बैंक के बोर्ड में नॉन–एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नॉमिनेशन वापस लेने के बाद, उन्होंने 23 फरवरी, 2026 को नॉन–एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद छोड़ दिया।

6. मूल बैंक–बैंक ऑफ बड़ौदा की सिफारिश/नामांकन के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) और निदेशक मंडल की सिफारिशों पर बैंक ने श्री अशोक कुमार मोहराना (DIN 11624772) को 30 मार्च 2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

7. श्री मनोज शर्मा (DIN 09085665) को 09 अप्रैल 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 08 अप्रैल 2026 तक, बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री मनोज शर्मा ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 08 अप्रैल 2026 को स्वतंत्र निदेशक के पद से अपना कार्यभार त्याग दिया।

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने श्री बालू केंचप्पा (DIN 11684853) को 01 जुलाई 2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया, जो बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में बैंक के सदस्यों द्वारा पुष्टि के अधीन है।

9. श्री उत्तम चंद नाहटा (DIN 08533075) को 29 जुलाई 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 28 जुलाई 2026 तक, बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री यू. सी. नाहटा ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 28 जुलाई 2026 को स्वतंत्र निदेशक के पद से अपना कार्यभार त्याग दिया।

निदेशक की स्वतंत्रता निर्धारित करने के मानदंड

किसी निदेशक की स्वतंत्रता के मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित शर्तों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशक द्वारा निदेशक के रूप में भाग लेने वाली निदेशक मंडल की प्रथम बैठक में तथा तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल की प्रथम बैठक में अथवा ऐसी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने पर, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यह घोषणा प्रस्तुत की जाती है कि वे स्वतंत्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें यह घोषित किया गया है कि वे अधिनियम की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल ने उक्त घोषणाओं की सत्यता की समीक्षा एवं आकलन किया। निदेशक मंडल की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित उक्त शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबेस के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 के उप–नियम (1) एवं (2) के प्रावधानों का अनुपालन किया है। ऐसी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो

of India, his tenure was extended for a second term i.e. from August 23, 2024, upto June 07, 2025. Mr. N.K. Chari demitted the office of Independent Director and Part Time Independent Chairperson after completion of his tenure on June 07, 2025.

3. Mr. Gopal Singh Gusain (DIN: 03522170) was appointed as Non-Executive Independent Director for a period of -5- Five Years (First Tenure) commencing from December 19, 2023, upto December 18, 2028, and once he completes a term of (5) five years, his re-appointment will be subject to the approval by the members by ordinary/special resolution and having regard to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the extant guidelines. His appointment was also confirmed by the shareholders in the 102nd Annual General Meeting held on September 27, 2024.

 Pursuant to the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, the Bank obtained prior approval from the Reserve Bank of India and thereafter, appointed Mr. Gopal Singh Gusain (DIN: 03522170) as Part Time Independent Chairperson w.e.f. June 08, 2025, up to June 07, 2028 (both days inclusive), and that he shall not be liable to retire by rotation.

4. Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, appointed Mr. Manish Kaura (DIN 11029008) as the Non- Executive Non Independent Director of the Bank w.e.f. September 04, 2025 for a period of three years and his appointment was confirmed by the members of the Bank in the 103rd Annual General Meeting of the Bank held on September 29, 2025.

5. Mr. Rakesh Nema (DIN 07207816) was appointed as Non-Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. February 23, 2023. He demitted the office of Non-Executive Director on February 23, 2026, consequent to the withdrawal of nomination by Bank of Baroda.

6. Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, appointed Mr. Ashok Kumar Moharana (DIN 11624772) as the Additional Non- Executive Non-Independent Director of the Bank w.e.f. March 30, 2026, for a period of three years.

7. Mr. Manoj Sharma (DIN 09085665) was appointed as an Independent Director on the Board of the Bank w.e.f. April 09, 2021, for a period of -5- Five Years i.e. up to April 08, 2026. Mr. Manoj Sharma demitted the office of Independent Director after completion of his tenure on April 08, 2026.

8. The Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR), the Board of Directors, appointed Mr. Balu Kenchappa (DIN 11684853) as the Additional Non-Executive Independent Director of the Bank w.e.f. July 01, 2026, for a period of three years subject to confirmation by the members of the Bank in the ensuing Annual General Meeting of the Bank.

9. Mr. Uttam Chand Nahta (DIN 08533075) was appointed as an Independent Director on the Board of the Bank w.e.f. July 29, 2021, for a period of -5- Five Years i.e. up to July 28, 2026. Mr. U C Nahta demitted the office of Independent Director after completion of his tenure on July 28, 2026.

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

Declaration From Independent Directors

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria of independence as prescribed under Section 149(6) of the Act. The Board reviewed and assessed the veracity of the aforesaid declarations. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the said conditions as mentioned in the Act, along with the Rules framed thereunder and are independent of the management. All the Independent Directors of the Bank have complied with the provisions of sub rule (1) and (2) of Rule 6 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 with respect to registration with the Indian Institute of

आपके बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित करता हो। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास सभी लागू कानूनों तथा आपके बैंक की नीतियों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक सत्यनिष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता एवं दक्षता विद्यमान है।

चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

19 अगस्त 2026 को आयोजित बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में, निदेशक मंडल ने श्री मनीष कौर को आपके बैंक के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जो अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा उक्त पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्यों की स्वीकृति हेतु सिफारिश की।

निदेशकों का विवरण आपके बैंक की 104वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित करने हेतु जारी सूचना में शामिल किया गया है।

निदेशकों एवं अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी

आपके बैंक के पास निदेशकों एवं अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी है, जो किसी प्रत्ययी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के संबंध में आपके बैंक के निदेशकों एवं अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करती है।

कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

बैंक द्वारा अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD - CEO), निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों सहित निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं मानदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निदेशकों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड

निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों में उपस्थिति एवं सहभागिता

निदेशक मंडल के समक्ष चिंताओं/मुद्दों को उठाना; गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करना; स्वतंत्र एवं निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना तथा बैठकों में मुद्दों के समाधान में योगदान देना; बैंक के लिए नए विचारों एवं योजना के संदर्भ में पहल करना; सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism) के अंतर्गत व्हिसल ब्लोअर के हितों की सुरक्षा करना; निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, यदि कोई हो, पर समयबद्ध सुझाव देना; बैंक की ब्रांड छवि को सुदृढ़ करने में योगदान देना; जोखिम आकलन एवं जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना।

पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड

निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों में उपस्थिति एवं सहभागिता; नेतृत्व संबंधी पहल करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष चिंताओं/मुद्दों को उठाना; गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करना; स्वतंत्र एवं निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना तथा बैठकों में मुद्दों के समाधान में योगदान देना; बैंक के लिए नए विचारों एवं योजना के संदर्भ में पहल करना; सतर्कता तंत्र के अंतर्गत व्हिसल–ब्लोअर के हितों की सुरक्षा करना; निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, यदि कोई हो, पर समयबद्ध सुझाव देना; वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना; व्यावसायिक कार्य–निष्पादन को आगे बढ़ाना तथा रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान देना; बैंक की ब्रांड छवि को सुदृढ़ करने में योगदान देना; जोखिम आकलन एवं जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना; बैंक में मानव संसाधन संबंधी पहल; बैंक की नीतियों का अनुपालन; नैतिकता, आचार संहिता आदि; धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि की रिपोर्टिंग; बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य–निष्पादन की समीक्षा; बैंक का समग्र कार्य–निष्पादन।

समितियों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड

बैठकों की संख्या; कार्यसूची का उचित मूल्यांकन एवं विचार–विमर्श; समिति की बैठकों का इस प्रकार संचालन किया जाना कि खुले संवाद, सार्थक सहभागिता एवं मुद्दों के समयबद्ध समाधान को प्रोत्साहन मिले; बैठकों के कार्यवृत्त पर समयबद्ध सुझाव देना।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावी है; निदेशक मंडल ऐसी कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचना विकसित करने में प्रभावी है, जो निदेशक मंडल को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती एवं प्रोत्साहित करती है; बैंक की नियंत्रण प्रणालियाँ महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करने तथा नीतियों एवं कानून के महत्वपूर्ण उल्लंघनों की रिपोर्टिंग करने में प्रभावी हैं; निदेशक मंडल नियमित रूप से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में संगठन के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को आवश्यक सलाह एवं सुझाव प्रदान करने में प्रभावी है; क्या निदेशक मंडल सामूहिक रूप से विनियामक वातावरण एवं बाजार में नवीनतम घटनाक्रमों से अद्यतन रहता है; निदेशक मंडल की बैठकों से पूर्व निदेशकों को उपलब्ध कराई गई जानकारी लंबाई एवं विवरण के स्तर की दृष्टि से उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप है; निदेशक मंडल की बैठकों का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि खुले संवाद, सार्थक सहभागिता एवं मुद्दों के समयबद्ध समाधान को प्रोत्साहन मिले; निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों तथा निदेशक मंडल के नीति एवं गवर्नेंस संबंधी कार्यों का प्रभावी एवं उचित रूप से नेतृत्व तथा संचालन किया जाता है; निदेशक मंडल आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं तथा सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों पर उचित रूप से विचार करता है; निदेशक मंडल स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति से लेकर समाप्ति तक उसकी भूमिका की निगरानी करता है तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की योग्यताओं एवं कार्य–निष्पादन

Corporate Affairs for the Independent Directors' Database. There has been no change in the circumstances affecting their status as Independent Directors of your Bank. In the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of your Bank.

Directors retiring by rotation

At the meeting of the Board of Directors of the Bank held on August 19, 2026, the Board approved the proposal for re-appointment of Mr. Manish Kaura as Director of your Bank, liable to retire by rotation at the ensuing AGM, in terms of Section 152 of the Act and recommended the same to the members for their approval.

The details of the Directors are included in the Notice convening the 104th AGM of your Bank.

Directors and Officers Liability Insurance Policy

Your Bank has a Directors and Officers Liability Insurance Policy which protects the Directors and Officers of your Bank for any claims arising from any breach of fiduciary duty.

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairperson, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participation in Board & Committee Meetings

Raising concerns to the Board. Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle -blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of Whole Time Directors are Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market? The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairperson effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board; The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to

के मूल्यांकन हेतु एक प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है; निदेशक मंडल स्वतंत्र लेखापरीक्षा योजना पर विचार करता है तथा आवश्यक सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, इस रिपोर्ट की तिथि को बैंक के निम्नलिखित अधिकारी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

- श्री सुशील कुमार लाल
 – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- श्री कुलदीप सिंह
 – कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक)
- श्री महेश कुमार गोयल
 – मुख्य वित्तीय अधिकारी (29 जून, 2026 तक)
- श्री सुमंत चक्रवर्ती
 – मुख्य वित्तीय अधिकारी (22 जुलाई, 2026 को नियुक्त)
- श्री विवेक साह
 – कंपनी सचिव

निदेशकों का ई–केवाईसी

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हताएँ) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, आपके बैंक के सभी निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केवाईसी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों, कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियमों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार कर अपनाई है।

❖ गैर–कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष का पारिश्रमिक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अध्यक्ष के पारिश्रमिक (मानदेय) की सिफारिश बोर्ड को की जाती है, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार कर अनुमोदन किया जाता है, जो बैंक के सदस्यों की स्वीकृति तथा लागू विनियामकीय अनुमोदन के अधीन है। अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक (मानदेय) भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन है। अतः अध्यक्ष को पारिश्रमिक (मानदेय) अथवा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही देय होता है। अध्यक्ष, बोर्ड तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के भी पात्र हैं। निदेशक मंडल अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अतिरिक्त, अध्यक्ष ₹10.20 लाख प्रतिवर्ष के मानदेय के भी पात्र हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सदस्यों द्वारा प्रदान की गई अंतिम स्वीकृति के अनुसार है।

❖ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक

बोर्ड, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के पारिश्रमिक को, आवश्यकतानुसार संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के, बैंक के सदस्यों की स्वीकृति तथा लागू विनियामकीय अनुमोदन के अधीन अनुमोदित करता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक को देय पारिश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन है और इसलिए उन्हें पारिश्रमिक अथवा पारिश्रमिक में संशोधन, भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमेदन प्राप्त होने के पश्चात ही देय होता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक को देय पारिश्रमिक उनके मूल बैंक –बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके संवर्ग पर लागू आईबीए के नियमों के अनुसार है।

❖ गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (NEIDs) का पारिश्रमिक

गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (NEIDs) को देय पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति द्वारा विनियमित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में बैंक द्वारा केवल स्वतंत्र निदेशकों को समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹30,000.00 तथा बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹50,000.00 बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया। जून 2026 के महीने में बैठक शुल्क को संशोधित कर समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹40,000.00 तथा बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹60,000.00 कर दिया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क एवं पारिश्रमिक

क्रम सं.	निदेशक	बैठक शुल्क	पारिश्रमिक
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	₹10,70,000.00	₹8,27,333.00
2.	श्री सुशील कुमार लाल	लागू नहीं	₹57,94,841.00*
3.	श्रीमती बिनिता शाह	₹7,20,000.00	-

termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

Key Managerial Personnel

Pursuant to the provisions of Section 203 of the Act and Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, following officials of the Bank are the KMPs, as on the date of this report:

- Mr. Sushil Kumar Lal
 - Managing Director & Chief Executive Officer
- Mr. Kuldeep Singh
 - Executive Director (Whole Time)
- Mr. Mahesh Kumar Goyal
 - Chief Financial Officer (upto June 29, 2026)
- Mr. Sumanta Chakrabarti
 - Chief Financial Officer (appointed on July 22, 2026)
- Mr. Vivek Sah
 - Company Secretary

Director E-KYC

Pursuant to the requirement prescribed under the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, all the Directors of your Bank have complied with the KYC registration for FY 2025-26.

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

❖ Remuneration of Non-Executive Independent Chairperson

The Nomination & Remuneration Committee recommends the remuneration (honorarium) of the Chairperson to the Board which is considered and approved by the Board subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration (honorarium) payable to the Chairperson is subject to prior approval of the Reserve Bank of India. Therefore, the remuneration (honorarium) or any revision therein is payable to the Chairperson only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. The Chairperson is also entitled to reimbursement of expenses for participation in the meetings of the Board and Committees thereof. Apart from the payment of sitting fees for attending meeting of the Board of Directors or any Committees thereof, the Chairperson is entitled to a honorarium of ₹10.20 Lac per annum as per the last approval granted by the Reserve Bank of India and the members.

❖ Remuneration of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director

The Board considers the recommendations of Nomination & Remuneration Committee and approves the remuneration of the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director, with or without modifications, subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration payable to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director is subject to prior approval of the Reserve Bank of India and hence the remuneration or revision in remuneration is payable to them only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. Further, the remuneration payable to the existing Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director is as per IBA rules applicable in his cadre in Parent Bank - Bank of Baroda.

❖ Remuneration of Non-Executive Independent Directors (NEIDs)

The remuneration payable to Non-Executive Independent Directors (NEIDs) is governed by the Policy and in FY 2025 -26, the Bank paid ₹30,000.00 for per committee meetings and ₹50,000.00 for per Board Meeting as Sitting Fees to Independent Directors only. In the month of June 2026, the Sitting Fees have been revised to ₹40,000.00 per Committee Meetings and ₹60,000.00 per Board Meeting which is within the limits prescribed under the Companies Act, 2013.

Sitting Fees & Remuneration paid during the Financial Year 2025-26:

S. No.	Directors	Sitting Fees	Remuneration
1.	Mr. Gopal Singh Gusain	₹10,70,000.00	₹8,27,333.00
2.	Mr. Sushil Kumar Lal	NA	₹57,94,841.00*
3.	Mrs. Binita Shah	₹7,20,000.00	-

क्रम सं.	निदेशक	बैठक शुल्क	पारिश्रमिक
4.	श्री मनोज शर्मा	₹11,10,000.00	-
5.	श्री नीलम दामोदरन	₹11,40,000.00	-
6.	श्री यू.सी. नाहटा	₹8,70,000.00	-
7.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	₹10,60,000.00	-
8.	श्री कुलदीप सिंह	लागू नहीं	₹40,12,919.00*
9.	श्री मनीष कौरा	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	श्री अशोक कुमार मोहरणा	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	श्री एन.के. चारी (07.06.2025 को पद से बाहर)	₹1,10,000.00	₹1,89,833.00
12.	श्री निखिल मोहन (05.04.2025 को पद से बाहर)	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	श्री राकेश नेमा	लागू नहीं	लागू नहीं

* *इसमें परिलब्धियाँ (Perquisites) शामिल हैं।*

मातृत्व लाभ

आपका बैंक मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन करता है तथा पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करता है।

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएँ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सूचना

आपका बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य–सहिष्णुता की नीति में निरंतर विश्वास रखता है तथा एक सुरक्षित एवं भेदभावरहित संगठन के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। इसी उद्देश्य से, आपका बैंक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (''POSH'') के संबंध में समझ एवं जागरूकता को निरंतर सुदृढ़ करता है। यौन उत्पीड़न की किसी भी अप्रिय घटना की रिपोर्टिंग के लिए आपके बैंक ने चार क्षेत्रों में आंतरिक समितियों का गठन किया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत की सावधानीपूर्वक समीक्षा एवं जांच की जाती है तथा ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाता है। शिकायतों के निपटान एवं समाधान के संबंध में आंतरिक समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आपके बैंक द्वारा ऑनलाइन ई–लर्निंग आधारित POSH जागरूकता मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों के व्यापक वर्ग को जागरूक किया जाता है।

आपके बैंक में POSH अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति लागू है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वैधानिक एवं अन्य प्रकटीकरण

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

आपके निदेशकगण, परिचालन प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, अधिनियम की धारा 134(3) एवं 134(5) के अनुपालन में पुष्टि करते हैं कि:

(i) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, आपके बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''ICAI'') द्वारा प्रदान किए गए लागू लेखांकन मानकों एवं मार्गदर्शन का अनुपालन किया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं;

(ii) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2026 को आपके बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के लाभ का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) उन्होंने अपनी जानकारी एवं क्षमता के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव, आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) वार्षिक लेखे, चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं;

(v) उन्होंने बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ स्थापित की हैं तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षक

अधिनियम की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में M/s T. Chatterjee & Associates, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एक पीयर रिव्यूड प्रोपराइटरशिप फर्म (फर्म पंजीकरण संख्या P2007WB067100) को नियुक्त किया था। अधिनियम की धारा 204 के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित प्रपत्र MR–3 में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

S. No.	Directors	Sitting Fees	Remuneration
4.	Mr. Manoj Sharma	₹11,10,000.00	-
5.	Mr. Neelam Damodharan	₹11,40,000.00	-
6.	Mr. U.C. Nahta	₹8,70,000.00	-
7.	Mr. Manas Ranjan Biswal	₹10,60,000.00	-
8.	Mr. Kuldeep Singh	NA	₹40,12,919.00*
9.	Mr. Manish Kaura	NA	NA
10.	Mr. Ashok Kumar Moharana	NA	NA
11.	Mr. N.K. Chari (Exit on 07.06.2025)	₹1,10,000.00	₹1,89,833.00
12.	Mr. Nikhil Mohan (Exit on 05.04.2025)	NA	NA
13.	Mr. Rakesh Nema	NA	NA

**including of perquisites*

Maternity Benefits

Your Bank complies with the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 and provides maternity benefits to eligible women employees.

Adequate facilities and support are provided in line with the statutory requirements.

Information under the sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Your Bank continues with the belief of zero tolerance towards sexual harassment at workplace and continues to uphold and maintain itself as a safe and non-discriminatory organisation. To achieve the same, your Bank reinforces the understanding and awareness of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ("POSH"). Your Bank has formulated an Internal Committee in four regions for reporting any untoward instance of sexual harassment. Any complaint pertaining to sexual harassment is diligently reviewed and investigated and treated with great sensitivity. The Internal Committee members have been trained in handling and resolving complaints. Your Bank also has an online e-learning POSH Awareness module, which covers the larger employee base.

Your Bank has in place a policy for Prevention of Sexual Harassment at Workplace as per the provisions of the POSH and Rules framed thereunder. There were no complaints in the Financial Year 2025-26.

Statutory and other Disclosures

Directors' Responsibility Statement

Your Directors, based on the representations received from the operating management, confirm in pursuance of Sections 134(3) and 134(5) of the Act, that:

(i) your bank has, in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2026, followed the applicable accounting standards and guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"), with proper explanations relating to material departures, if any;

(ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank as at 31st March 2026 and of the profit of your Bank for the financial year ended 31st March 2026;

(iii) they have taken proper and sufficient care to the best of their knowledge and ability, for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis;

(v) they have laid down internal financial controls to be followed by the bank and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and

(vi) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors of your Bank had appointed M/s T. Chatterjee & Associates, Practicing Company Secretary, a peer reviewed proprietorship firm (Firm Registration No. P2007WB067100), to act as the Secretarial Auditor of the Bank from FY 2023-24 up to FY 2025-26. The Secretarial Audit Report, in the prescribed Form MR-3, for Financial Year 2025-26, as required under Section 204 of the Act, is annexed to this Report.

आपके बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण नहीं है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

बैंक की 101वीं एवं 102वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में सदस्यों द्वारा M/s A R & Company, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (FRN 002744C) को बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक (CSA) के रूप में कुल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था तथा उन्हें 104वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के समापन तक पद पर बने रहना था। वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के अनुसार, लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बैंक को केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों (CSA) की नियुक्ति लगातार 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए करनी होगी। इस संबंध में, M/s A R & Company, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लगातार 3 (तीन) वर्षों की अवधि/कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 6 (छह) वर्षों की कूलिंग–ऑफ अवधि के अधीन होगी।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल ने 14 अगस्त, 2026 को आयोजित बैठकों में बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में M/s एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (FRN 000429N) के नाम को 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित एवं अनुशंसित किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से वार्षिक स्वीकृति प्राप्त होने के अधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से M/s एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के अभिलेखों में व्यावसायिक आचरण आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनात्मक कार्रवाई दर्ज नहीं है। साथ ही, बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की वेबसाइट के अधिसूचना अनुभाग, विशेष रूप से AQR रिपोर्टों एवं आदेशों से संबंधित अनुभाग, का भी अवलोकन किया है, जिसमें यह पाया गया है कि उपर्युक्त लेखा परीक्षा फर्म के विरुद्ध NFRA द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रस्तावित केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों (CSA) ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की पीयर रिव्यू प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं को प्रस्तुत किया है तथा उनके पास ICAI के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र उपलब्ध है। M/s. एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बैंक लेखा परीक्षाओं सहित कुल 45 वर्षों का अनुभव है। M/s. एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ भी संबद्ध रहे हैं। उपरोक्त के आधार पर, बैंक का बोर्ड इस मत का है कि M/s एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (FRN 000429N) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना वांछनीय है, अर्थात् 104वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के समापन से 107वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के समापन तक। यह नियुक्ति ऐसे नियमों एवं शर्तों पर की जाएगी, जिसमें पारिश्रमिक भी शामिल है, जैसा कि बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित लेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित एवं अनुशंसित किया जाएगा तथा इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उपक्रम एवं समूह कंपनी/कंपनियाँ

इस रिपोर्ट की तिथि को नैनीताल बैंक की अपनी कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम आदि नहीं है। नैनीताल बैंक की मूल एवं होल्डिंग कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी बैंक में 98.62% हिस्सेदारी है तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की समूह कंपनियों के अंतर्गत बैंक का परिचालन किया जा रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा समूह की कंपनियों की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थिति
1.	बीओबीकार्ड लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
2.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना)लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना)लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या)लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
7.	बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
9.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
10.	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी (विदेशी)
11.	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
12.	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
13.	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
14.	बीओबी सिक्योरिटीज गिल्टएज लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
15.	इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	समूह/संयुक्त उपक्रम

The Secretarial Audit Report of your Bank does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer.

Statutory Auditors

The members of the Bank in 101st and 102nd Annual General Meeting (AGM) appointed M/s A R & Company, Chartered Accounts (FRN 002744C) as Central Statutory Auditors (CSA) of the Bank for a total period of -3- years and to hold office till the conclusion of 104th Annual General Meeting (AGM). As per RBI Circular of April 27, 2021, for Commercial Banks, the Bank's will have to appoint Central Statutory Auditors (CSA) for a continuous period of -3- Years to protect the independence of the Audit Firms. In this regard, M/s A R & Company, Chartered Accountants has completed a continuous period/tenure of 3- Three years and shall now be placed under cooling period of -6- Six years as per applicable RBI guidelines.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors in meetings held on August 14, 2026, have approved and recommended the name of M/s N.K. Bhargava & Co. Chartered Accounts (FRN 000429N) for Bank's Central Statutory for a period of -3- Three Years, subject to annual clearance from the Reserve Bank of India. Further, the Bank has received necessary approval for the name of M/s N.K. Bhargava & Co., Chartered Accounts from RBI for being appointed as the Central Statutory of the Bank. The Bank has also ensured that there are no adverse remarks/disciplinary actions in respect of professional conduct, etc., on the records of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and have also observed the website (under notification section, specially w.r.t. AQR reports and Orders) of the National Financial Reporting Authority (NFRA), wherein no disciplinary action has been taken by the NFRA against the aforesaid audit firm.

The proposed Central Statutory Auditors (CSA) have confirmed that they have subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. M/s N.K. Bhargava & Co., Chartered Accountants is having total experience of 45 years including Bank Audits. M/s N.K. Bhargava & Co., Chartered Accountants was early associated with Punjab National Bank, Canara Bank, Allahabad Bank, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce, State Bank of Bikaner & Jaipur Central Statutory Auditor. Based on the above the, Board of the Bank is of the opinion that M/s N.K. Bhargava & Co., Chartered Accounts (FRN 000429N) fulfils all the criteria as laid down by the Companies Act, 2013 and RBI circular and it is desirable to appoint them as the Central Statutory Auditors of the Bank for a period of -3- Three Years, i.e. from the conclusion of 104th Annual General Meeting (AGM) and to hold office till the conclusion of 107th Annual General Meeting (AGM) on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the proposed Auditor and approved by the Board of Directors in this regard.

Subsidiaries/Jv's and Group Company/ies

As on the date of this report, Nainital Bank is not having any subsidiaries, joint ventures etc. of its own. Nainital Bank's parent and holding company is Bank of Baroda with 98.62% stake and we are operational under the group companies of Bank of Baroda.

The list of Bank of Baroda Group is as follows:

S. No.	Name of the Company	Status
1.	BOB CARD Limited	Group/Subsidiary
2.	IndiaFirst Life Insurance Company Limited	Group/Subsidiary
3.	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
4.	Bank of Baroda (Guyana) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
5.	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
6.	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
7.	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
8.	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
9.	Bank of Baroda (UK) Ltd.	Group/Subsidiary (Overseas)
10.	Indo Zambia Bank Ltd.	Group/Associate (Overseas)
11.	Baroda Global Shared Services Ltd.	Group/Subsidiary
12.	Baroda Sun Technologies Ltd.	Group/Subsidiary
13.	BOB Capital Markets Ltd.	Group/Subsidiary
14.	BOB Securities Giltedge Ltd.	Group/Subsidiary
15.	India Infradebt Ltd.	Group/Joint Venture

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थिति
16.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	समूह/सहयोगी कंपनी
17.	बड़ौदा यू.पी. बैंक	समूह/सहयोगी कंपनी
18.	बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी
19.	बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	समूह/सहायक कंपनी

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा

(क) नियम 8(3)(बी) के अनुसार प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित विवरण

बैंक परिचालन दक्षता बढ़ाने, जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने तथा अपने ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण, सूचना सुरक्षा नियंत्रणों के सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन तथा बदलती व्यावसायिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के उन्नयन में निरंतर निवेश किया। डिजिटल वितरण चैनलों को सुदृढ़ करने, प्रणाली की प्रत्यास्थता में सुधार करने, डेटा विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाने तथा निवारक एवं खोजपरक नियंत्रणों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए गए।

बैंक अपने कर्मचारियों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने तथा नई प्रणालियों एवं डिजिटल समाधानों को प्रभावी रूप से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधी पहल करता है। वर्ष के दौरान की गई प्रौद्योगिकी पहलों से परिचालन दक्षता में सुधार, ग्राहक सेवा में वृद्धि, बेहतर जोखिम निगरानी तथा विनियामकीय अनुपालन को सुदृढ़ करने में योगदान मिला है।

(ख) ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विवरण [नियम 8(3)(ए)]

एक सेवा क्षेत्र के संगठन के रूप में, बैंक का परिचालन ऊर्जा–गहन नहीं है। तथापि, बैंक अपने कार्यालयों एवं शाखाओं में ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बैंक ऊर्जा–कुशल प्रथाओं को अपनाना जारी रखे हुए है, जिनमें एलईडी प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा–कुशल वातानुकूलन प्रणालियों का उपयोग, विद्युत उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग तथा ऊर्जा खपत की समय–समय पर निगरानी शामिल है। बैंकिंग सेवाओं एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, जिसमें कागजरहित पहल, इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा कार्यप्रवाह स्वचालन शामिल हैं, ने भी बैंक के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान दिया है।

बैंक प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग को प्रोत्साहित करना जारी रखता है तथा जहाँ तक संभव हो, अपने परिचालन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए उपाय करता है। चूँकि बैंक की गतिविधियाँ ऊर्जा–गहन नहीं हैं, इसलिए वर्ष के दौरान विशेष रूप से ऊर्जा संरक्षण उपकरणों के लिए कोई विशिष्ट पूंजीगत निवेश नहीं किया गया।

(ग) नियम 8(3)(सी) के अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित विवरण

नियम 8(3)(सी) के अनुसार विदेशी मुद्रा से संबंधित अर्जन एवं व्यय शून्य है।

ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के उप–खंड (1) को छोड़कर अन्य प्रावधान, किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में दिए गए ऋण, प्रदान की गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं।

चूँकि बैंक द्वारा दिए गए ऋण, प्रदान की गई गारंटी एवं उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियाँ उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं, अतः बैंक अधिनियम की धारा 134(3)(छ) के अंतर्गत प्रकटीकरण करने से छूट प्राप्त है।

बैंक द्वारा किए गए निवेशों का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन अथवा निदेशकों/प्रबंधन के रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया है, जिससे बैंक और इन पक्षकारों के बीच हितों के संभावित टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो, सिवाय उन लेन–देन के जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए हैं।

बैंक द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए लेन–देन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया, जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में न हो और न ही संबंधित पक्षकारों अथवा अन्य पक्षों के साथ ऐसा कोई लेन–देन किया गया, जो स्वतंत्र आधार (Arm's Length

S. No.	Name of the Company	Status
16.	Baroda Gujarat Gramin Bank	Group/Associate
17.	Baroda U.P. Bank	Group/Associate
18.	Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited	Group/Subsidiary
19.	Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited	Group/Subsidiary

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange

a. Details regarding technology absorption as per Rule 8(3)(B)

The bank continues to leverage technology to enhance operational efficiency, strengthen risk management, improve cybersecurity, and provide seamless banking experience to its customers. During the year, the Bank continued to invest in the modernization of its digital banking infrastructure, enhancement of information security controls, automation of business processes, and upgradation of technology platforms to support evolving business and regulatory requirements. Continuous efforts were also made to strengthen digital delivery channels, improve system resilience, enhance data analytics capabilities, and reinforce cyber security through preventive and detective controls.

The bank regularly undertakes training and capacity-building initiatives to enhance the technological capabilities of its employees and ensure effective adoption of new systems and digital solutions. The technology initiatives undertaken during the year have contributed to improved operational efficiency, enhanced customer service, better risk monitoring, and regulatory compliance.

b. Details regarding Energy Conservation [Rule 8(3)(A)]

As a service-sector organisation, the Bank's operations are not energy-intensive. Nevertheless, the bank remains committed to promoting energy conservation and environmental sustainability across its offices and branches. The bank continues to adopt energy-efficient practices, including the use of LED lighting, energy-efficient air-conditioning systems, optimum utilization of electrical equipment, and periodic monitoring of energy consumption. Digitalization of banking services and internal processes, including paperless initiatives, electronic communication, and workflow automation, has also contributed to reducing the Bank's environmental footprint.

The Bank continues to encourage responsible consumption of natural resources and adopts measures, wherever feasible, to improve energy efficiency in its operations. Since the Bank's activities are not energy-intensive, no specific capital investment was made during the year exclusively towards energy conservation equipment.

c. Details regarding foreign exchange earnings and outgo as per Rule 8(3)(C)

The foreign exchange earnings and outgo as per Rule 8(3)(C) is NIL

Particulars of loans, guarantees and investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

As the loans made, guarantees given and securities provided by the Bank are in the ordinary course of its business, the Bank is exempt from making the disclosure under Section 134(3)(g) of the Companies Act, 2013.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business.

Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any

Basis) पर न हो। प्रदान की गई समग्र स्वीकृति के अंतर्गत किए गए सभी संबंधित पक्षकारों के लेन–देन का विवरण प्रस्तुत करने वाला एक विवरण–पत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष उसकी समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

सदस्य आपके बैंक के एकल वित्तीय विवरण के अनुसूची 18बी–लेखों पर टिप्पणियाँ (अन्य प्रकटीकरण) की टिप्पणी 7 तथा समेकित वित्तीय विवरण के अनुसूची 17–लेखों पर टिप्पणियाँ की टिप्पणी 22 का संदर्भ ले सकते हैं, जिनमें एएस–18 के अनुसार संबंधित पक्षकारों से संबंधित प्रकटीकरण दिए गए हैं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत हरित पहल

''हरित पहल'' को कॉरपोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कागजरहित अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेजों का शीघ्र संचार सुनिश्चित करना तथा डाक द्वारा भेजे जाने के दौरान वैधानिक दस्तावेजों के खो जाने की संभावना को समाप्त करना है। इस संबंध में, बैंक ने उन शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजने की पहल की है, जिन्होंने बैंक के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराया है। साथ ही, बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाता है, जिसके माध्यम से शेयरधारकों को बैंक के दस्तावेजों, जैसे वार्षिक आम बैठक की सूचना, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, तक निःशुल्क पहुँच प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बैंक के शेयरधारकों के लिए वैधानिक दस्तावेजों तक पहुँच को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, कोई कंपनी उन सदस्यों को, जिन्होंने अपना ई–मेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत कराया है, सूचना की प्रति ई–मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती है।

ऐसे सदस्यों के मामले में, जिनका ई–मेल पता बदल गया है और जिन्होंने नया ई–मेल पता अपडेट नहीं कराया है, बैंक उक्त दस्तावेज उनके मौजूदा ई–मेल पते पर भेजेगा तथा ऐसे दस्तावेज अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विधिवत वितरित माने जाएंगे। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता अथवा उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को यथाशीघ्र अपने DP (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए) अथवा केफिन (भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए) के साथ पंजीकृत कराएँ।

हालाँकि, यदि कोई सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपना DP ID एवं Client ID अथवा Folio Number, जैसा भी लागू हो, उद्धृत करते हुए einward.ris@kfintech.com अथवा secretarial@nainitalbank.co.in पर अनुरोध भेज सकता है, ताकि बैंक उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करा सके। कृपया ध्यान दें कि उक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.nainitalbank.bank.in पर भी अपलोड किए जा रहे हैं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

बैंक सभी स्तरों पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्व को स्वीकार करता है। बैंक इस संबंध में न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि अपने सभी हितधारकों, जिनमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा आम जनता शामिल हैं, के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में बैंक का दर्शन उच्चतम स्तर की पारदर्शिता बनाए रखना, संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित सरकार एवं विनियामकीय प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों के समक्ष सभी निष्पक्ष एवं सटीक प्रकटीकरण करना, उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना, शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। बैंक ने अपने निदेशक मंडल के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन, जिसमें बैंक की मुख्य प्रबंधन टीम एवं कार्यात्मक प्रमुखों के कार्मिक शामिल हैं, के लिए आचार संहिता तैयार की है।

सुशासन के एक भाग के रूप में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल की समीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

इंड एएस (Ind AS) का कार्यान्वयन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 18 जनवरी, 2016 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), एनबीएफसी तथा बीमा कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''IFRS'') के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों (''Ind AS'') के कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 22 मार्च, 2019 को जारी अपने परिपत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कुछ अनुशंसित विधायी संशोधनों पर विचार किए जाने के लंबित रहने के कारण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (''SCBs'') के लिए Ind AS के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था। RBI द्वारा SCBs के लिए Ind AS के कार्यान्वयन के संबंध में इसके पश्चात कोई अन्य अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

बैंक Ind AS के कार्यान्वयन के लिए तैयार है और जब भी ये मानक बैंकों पर लागू होंगे, बैंक इन्हें लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, इनके अनुप्रयोग के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए जा सकते हैं, जिन्हें बैंक अपने कार्यान्वयन में उपयुक्त रूप से समाहित करेगा। RBI ने 27 अप्रैल, 2026 को परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं आय की पहचान के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी हैं तथा वर्तमान में प्रचलित उपगत हानि आधारित रूपरेखा के स्थान पर विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा के अधीन अपेक्षित ऋण हानि (ECL) दृष्टिकोण को लागू करते हैं, जबकि मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को यथावत रखा गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत, किसी वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक पहचान से ही ऋण हानियों को मान्यता दी जाती है और इसके लिए किसी ऋण घटना (Credit Event) के घटित होने की

transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

Members may refer to Note 7 of Schedule 18B - Notes to Accounts of the Standalone Financial Statement (Other Disclosures) and Note 22 of Schedule 17-Notes to Accounts of the Consolidated Financial Statement of your Bank, which set out related party disclosures pursuant to AS-18.

Green Initiative under Corporate Governance

"Green Initiative" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

In terms of Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a company may send copy of notice through electronic mode including e-mail to those members who have registered their e-mail address either with their depository participants (DP) or with the company.

In case of members whose email address has changed and they have not updated the new e-mail address, the Bank would send the said documents to their existing e-mail address and the said documents shall be deemed to have been delivered in compliance with the provisions of the Act. Therefore, members are requested to register their email address or any change thereof with their DP (shares held in electronic form) or with KFIN (shares held in physical form) at the earliest.

However, in case any member wishes to receive a physical copy of the annual report are requested to write to einward.ris@kfintech.com or secretarial@nainitalbank.co.in quoting DP ID and client ID or folio number, as the case may be, to enable the Bank to provide physical copy of the said documents, free of cost. Please note that the said documents are also being uploaded on the Bank›s website viz. www.nainitalbank.bank.in

Corporate Governance

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

Implementation of IND AS

The Ministry of Finance, Government of India, had vide its press release dated 18th January 2016 outlined the roadmap for implementation of International Financial Reporting Standards ("IFRS") converged Indian Accounting Standards ("Ind AS") for Scheduled Commercial Bank (excluding RRBs), NBFC and Insurance companies. RBI vide its circular dated 22nd March 2019, deferred the implementation of Ind AS for Scheduled Commercial Banks ("SCBs") till further notice pending the consideration of some recommended legislative amendments by the Government of India. The RBI has not issued any further notification on implementation of Ind AS for SCBs.

The Bank is in readiness for the implementation of Ind AS, as and when these become applicable to banks. Further, there may be clarifications for application, which the Bank will suitably incorporate in its implementation. The RBI had on 27th April 2026 issued final guidelines for asset classification, provisioning and income recognition. These guidelines which are effective from 1st April 2027, to replace the extant framework based on incurred loss with an Expected Credit Loss ("ECL") approach, subject to a prudential floor, while retaining the existing asset classification norms. Under the new rules, credit losses are

प्रतीक्षा नहीं की जाती। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रावधान किसी जोखिम के बिगड़ने के बाद केवल प्रतिक्रिया स्वरूप किए जाने के बजाय, किसी एक्सपोज़र की पूरी अवधि के दौरान अंतर्निहित ऋण जोखिम को अधिक बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करें।

भविष्य में होने वाली अपेक्षित ऋण हानियों के आकलन में ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य–दृष्टि संबंधी सूचनाओं को शामिल किया जा सकता है। ECL को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं डेटा में आवश्यक सुधार तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था आवश्यक है।

बैंक अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा Ind AS वित्तीय विवरण तैयार करता है और उन्हें RBI को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण

निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि आपके बैंक ने ऐसे मानकों, प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं का एक समुच्चय निर्धारित किया है, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पूरे संगठन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं तथा ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

प्रक्रियाओं में परिवर्तन, संगठनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष नियंत्रणों की समीक्षा, पुनरीक्षण, अद्यतन एवं आवश्यकतानुसार विलोपन किया जाता है। प्रबंधन की ओर से एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सहायता से सभी नियंत्रणों का परीक्षण किया जाता है, जो बैंक की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित नियंत्रणों के अस्तित्व एवं उनकी प्रभावशीलता की पुष्टि करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की अक्षमता अथवा अपर्याप्तता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण या गंभीर टिप्पणी नहीं की गई।

लागत अभिलेखों का रखरखाव

बैंक्रकग कंपनी होने के नाते, आपके बैंक के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव करना आवश्यक नहीं है।

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, आपका बैंक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी तथा अधिनियम की धारा 118(10) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रहा है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

अधिनियम की धारा 143(12) तथा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) द्वारा 26 जून 2023 को जारी परिपत्र के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई ₹8.02 करोड़ की राशि से संबंधित 1 धोखाधड़ी की घटना हुई, जिसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा समिति (ACB) को की गई।

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13(4), समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	धोखाधड़ी की प्रकृति एवं विवरण	संलिप्त राशि	की गई उपचारात्मक कार्यवाही
1.	**धन का दुरुपयोग एवं आपराधिक न्यासभंग। बैंक के एक कर्मचारी द्वारा अपनी विवेकाधीन ऋण** शक्ति (DLP) से अधिक राशि स्वीकृत कर, स्वीकृति संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए तथा ऋण दस्तावेजों में हस्ताक्षरों में हेरफेर करके बैंक की धनराशि का दुरुपयोग किया गया।	₹8.02 करोड़	इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज की गई। संबंधित शाखा अधिकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला वर्तमान में न्यायाधीन (sub judice) है। फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न (FMR) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। कुल संलिप्त राशि में से ₹2.34 करोड़ की वसूली उक्त मामले में की जा चुकी है। गबन, जालसाजी, भ्रष्टाचार सहित अनैतिक व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को सुदृढ़ करने तथा व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से रिपोर्टिंग के दायित्व पर जोर देने हेतु सतर्कता जागरूकता संबंधी संचार प्रसारित किए गए हैं।

रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार

आपका बैंक अपने सदस्यों तथा उन समुदायों के प्रति, जहाँ वह व्यवसाय करता है, अपने सभी व्यवहारों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बैंक की आचार संहिता के अनुसार बैंक किसी भी रूप में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा। आचार संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बैंक किसी कार्य के निष्पादन को प्रोत्साहित करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सत्यनिष्ठा से समझौता करने के उद्देश्य से या ऐसी संभावना वाले किसी कार्य के लिए रिश्वत अथवा अवैध शुल्क का भुगतान या भुगतान की व्यवस्था नहीं करेगा। बैंक एवं उसके कर्मचारी किसी तीसरे पक्ष से ऐसा कोई भुगतान, उपहार या प्रलोभन स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका उद्देश्य बैंक अथवा उसके कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा से समझौता करना हो। बैंक उपहार एवं आतिथ्य, हितों के टकराव तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का भी पालन करता है।

now recognized from initial recognition of a financial asset, without waiting for a credit event to occur. The objective is to ensure that provisions better reflect the underlying credit risk over the life of an exposure, rather than reacting only after deterioration has occurred.

The estimation of expected future credit losses may incorporate historical experience, current conditions and forward-looking information. Successful adoption of ECL requires enhancements to systems, processes, data and sound governance.

The Bank prepares Proforma Ind AS Financial Statements on a half-yearly basis and submits them to the RBI.

Internal Controls over Financial Reporting

The Board of Directors confirms that your Bank has laid down a set of standards, processes and structures which enable it to implement internal financial controls across the organisation with reference to financial statements and that such controls are adequate and are operating effectively.

Controls are reviewed, revisited, updated and deleted each year for changes in processes, organizational changes and product changes. Testing of all controls is done with the help of an independent firm of Chartered Accountants, on behalf of management, who confirm to the Audit Committee of the Bank, the existence and operating effectiveness of controls over financial reporting. During the year under review, no material or serious observations were noted for inefficiency or inadequacy of such controls.

Maintenance of Cost Records

Being a banking company, your Bank is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under Section 148(1) of the Act.

Secretarial Standards

For FY 2025-26, your Bank is in compliance with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and approved by the Central Government under Section 118(10) of the Act.

Reporting of frauds by Auditors

Pursuant to Section 143(12) of the Act, and circular issued by the National Financial Reporting Authority dated 26 June, 2023, there was 1 incident amounting to 8.02 Crore of fraud committed during fiscal 2026, by the officers ,or employees of the Bank and reported by the Statutory Auditors to the ACB.

The details required under Rule 13(4) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time, are as under:

SN	Nature of the fraud with description	Amount Involved	Remedial Actions Taken
1.	**Misappropriation of funds and criminal breach of trust.** Bank staff misappropriated funds by sanctioning funds beyond his Discretionary Lending Power (DLP) Violating sanctioning norms and signature manipulation in loan documents	₹8.02 Crore	Police complaint was filed in the matter. The involved branch officials were arrested by police and subsequently released on bail. The matter continues to be *sub judice*. Fraud Monitoring Return ("FMR") reported to the RBI. Out of the total amount involved, ₹2.34 Crore has been recovered in the said matter. Vigilance Awareness communications reinforcing zero tolerance for unethical behavior, including misappropriation, forgery, corruption, and emphasizing the Whistle Blower reporting obligation have been disseminated.

Bribery and Corruption

Your Bank has a responsibility both towards the members and to the communities in which we do business to be transparent in all our dealings. Bank's Code of Conduct requires that we do not engage in bribery or corruption in any form and explicitly mentions that the Bank will not pay or procure the payment of a bribe or unlawful fee to encourage the performance of a task or one which is intended or likely to compromise the integrity of another. Bank & its employees will not accept any payment, gift or inducement from a third party which is intended to compromise our own integrity. Bank also follows procedures for dealing with Gifts & Entertainment, Conflicts of Interest and other important matters.

हितों का टकराव

एक संस्था के रूप में बैंक, विनियामकीय व्यवस्था के अंतर्गत, अपने कार्यों में पूर्ण विश्वास, विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा के साथ जनसेवा करने के उद्देश्य से कार्य करता है तथा इसका संचालन निदेशक मंडल, समितियों, नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्मिकों एवं प्रणालियों द्वारा किया जाता है।

बैंक विभिन्न चैनलों एवं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है और इस कारण हितों के संभावित एवं वास्तविक टकराव की स्थितियों का सामना कर सकता है। हितों का टकराव ऐसी स्थिति है, जहाँ एक या अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के परस्पर प्रतिस्पर्धी हित होते हैं और किसी एक हित की पूर्ति दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों एवं निदेशकों को उच्च व्यावसायिक एवं नैतिक मानकों के अनुरूप कार्य करने में सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य से, बैंक ने उपर्युक्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी हितों के टकराव को कम करने के लिए एक नीति लागू की है। जो कर्मचारी जानबूझकर आंतरिक नीतियों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, वह आचरण एवं अनुशासनात्मक विनियमों के अनुसार बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

चालू प्रतिष्ठान की स्थिति एवं भविष्य के परिचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सारभूत आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी विनियामकीय प्राधिकरण, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा आपके बैंक के विरुद्ध ऐसा कोई महत्वपूर्ण और/या सारभूत आदेश पारित नहीं किया गया, जो बैंक की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति अथवा उसके भविष्य के परिचालन को प्रभावित कर सकता हो।

महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से लेकर इस रिपोर्ट की तिथि तक, ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं हुई है, जिसने आपके बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया हो।

वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 (''MCA परिपत्र'') के साथ संयुक्त रूप से पढ़े जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिन्होंने अपना ई–मेल पता बैंक/इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास, जैसा भी लागू हो, पंजीकृत कराया है।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें बैठक के लिंक तथा क्यूआर कोड का उल्लेख करने वाला एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण उपलब्ध होने वाले वेबपेज तक पहुँचने का मार्ग दिया जाएगा।

जो सदस्य वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे बैंक के कंपनी सचिव को secretarial@nainitalbank.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ, बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। URL: https://www.nainitalbank.in/en/investor-relations/financial-results/annual-reports.

आभार

आपके निदेशकगण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी एवं विनियामकीय एजेंसियों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण सदस्यों द्वारा निरंतर प्रदान किए जा रहे सहयोग को स्वीकार करते हैं तथा कर्मचारियों के सराहनीय प्रयासों, प्रतिबद्धता, टीम भावना एवं व्यावसायिकता के लिए अपनी प्रशंसा भी व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके लिए

(गोपाल सिंह गुसाईं)

गैर–कार्यकारी अध्यक्ष

दिनांक: 19 अगस्त, 2026
स्थान: नैनीताल

संलग्नक

निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित विवरण/रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र संलग्न हैं:

(i) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट।

(ii) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 204 के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

(iii) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्ट।

Conflict of Interest

Bank as an institution by regulation is designed to perform public service with utmost Trust, Credibility and Integrity in its approach and it is governed by Board, Committees, Policy, Processes and People and Systems.

Bank provides customers with financial services through a variety of channels and platforms and hence faces potential and actual Conflicts of Interest. A Conflict of Interest is a situation where one or more persons or entities have competing interests and the serving of interest may be detrimental to another. The objective is to help Employees and Directors to act in accordance with high professional and ethical standards and therefore Bank has put in place a Policy to mitigate any conflict arising out of the above activities. An employee who knowingly violates the internal policies and guidelines shall be subjected to disciplinary action, including dismissal as per - Conduct and Disciplinary Regulations.

Significant and material orders passed by regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and operations in future

During the year under review, no significant and/or material order was passed by any regulatory authority, Court or Tribunal against your Bank, which could impact the going concern status or its future operations.

Material Changes and Commitments

There have been no material changes and commitments which affected the financial position of your Bank, between the end of the financial year to which the financial statements relate and up to the date of this Report

Dispatch of Annual Report

Pursuant to the General Circular No. 3/2025 dated 22nd September, 2025 read together with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 ("MCA Circulars"), the Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent by e-mail to those members who have registered their e-mail address with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent/respective Depository Participants, as the case may be.

A letter mentioning the link of the meeting along with the QR Code, giving the path where complete details of the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2025-26 are available, will be sent to those members, who have not registered their e-mail address. Members who wish to have a physical copy of the Annual Report for the Financial Year 2025-26, may write to the Company Secretary of the Bank at secretarial@nainitalbank.co.in.

The Annual Report of your Bank along with the notice of the Annual General Meeting, are available on the Bank's website viz., URL: https://www.nainitalbank.in/en/investor-relations/financial-results/annual-reports.

Acknowledgement

Your Directors would like to place on record their gratitude for the valuable guidance and support received from the RBI, MCA, Insurance Regulatory and Development Authority of India and other Government and Regulatory agencies.

Your Directors acknowledge the continued support of the members and also wish to place on record their appreciation for the employees for their commendable efforts, commitment, teamwork and professionalism.

For and on behalf of the Board of Directors

(Gopal Singh Gusain)

Non-Executive Chairperson

Date: August 19, 2026

Place: Nainital

Annexures

The following statements/reports/certificates are annexed to the Directors' Report:

(i) Annual Report on Corporate Social Responsibility activities of the Bank for the financial year ended 31st March 2026.

(ii) Secretarial Audit Report pursuant to Section 204 of the Act for the financial year ended 31st March 2026.

(iii) Financial Statements of the Bank for the financial year ended 31st March 2026 along with Auditors Report.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

नैनीताल बैंक की सीएसआर नीति बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) संबंधी दायित्वों के अंतर्गत की जाने वाली पहलों की पहचान, समर्थन एवं निगरानी के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को धारा 198 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, बैंक के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करना आवश्यक है, जिसकी गणना धारा 198 के अनुसार की जाती है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान व्यय की गई राशि

क. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि – ₹1,25,77,645.00

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा व्यय की गई राशि – ₹1,25,77,645.00

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित रही राशि – शून्य

घ. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
1.	खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं के बीच खेल स्तर को उन्नत करना	नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस बाल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए योगदान	सीआरएसटी, नैनीताल	110000	110000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	खेल
2.	सरकारी विद्यालयों में किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता एवं महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना	विद्यालय की छात्राओं के लिए पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड हेतु योगदान	जीजीआईसी नैनीताल एवं बालिका विद्यालय, नैनीताल	60000	170000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	स्वास्थ्य सेवा
3.	पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संरक्षण एवं विकास	नैनीताल शहर की पारंपरिक कला, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योगदान	नैनीताल	950000	1120000	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
4.	शिक्षा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना	बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन	नैनीताल	35000	1155000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
5.	शिक्षा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना	55वीं शारदा संघ कला प्रतियोगिता 2025 के प्रायोजन हेतु योगदान	नैनीताल	40000	1195000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
6.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु योगदान	लेक सिटी वेलफेयर क्लब, नैनीताल	20000	1215000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा

Annual Report on Corporate Social Responsibility

The Nainital Bank CSR Policy is formulated to identify, support, and monitor initiatives undertaken under the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) obligations, in accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013.

As per Section 135, read with Section 198 of the Companies Act, 2013, the Bank is required to spend at least 2% of the average net profits made during the three immediately preceding financial years, calculated in accordance with Section 198, on CSR activities every financial year.

Details of Corporate Social Responsibility -

Amount Spent during the Financial Year 2025-26

A. Total amount, which was to be spent in the Financial Year - ₹1,25,77,645.00

B. Amount spent by bank during the Financial Year - ₹1,25,77,645.00

C. Amount which remained unspent in the Financial Year - Nil

D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below:

List of Expenses incurred under CSR activities during FY 2025-26

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
1.	Encourage sports activity and for up liftmen of sports level among the youth	Contribution for Independence Day Children Football Tournament at Nainital	CRST, Nainital	110000	110000	Chief Operating Officer Committee	Sports
2.	Promote awareness on menstrual hygiene and women's health among adolescent girls in government schools	Contribution for Reusable Sanitary Pads for School Girls.	GGIC Nainital and Balika School, Nainital	60000	170000	Chief Operating Officer Committee	Healthcare
3.	Promotion and development of traditional arts and handicrafts	Conservation and promotion of traditional art, cultural and historical heritage of Nainital city	Nainital	950000	1120000	MD & CEO Committee	Traditional art and culture and other
4.	Promoting Education Activities	Organized essay competition among children	Nainital	35000	1155000	Chief Operating Officer Committee	Education
5.	Promoting Education Activities	Contribution For Sponsoring 55 Sharda Sangh Art Competition 2025	Nainital	40000	1195000	Chief Operating Officer Committee	Education
6.	Promotion of education, including special education and employment-enhancing vocational skills	Contribution for cultural activity of students	Lake City Welfare Club, Nainital	20000	1215000	Chief Operating Officer Committee	Education

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
7.	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, जिसमें पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास शामिल है	नैनीताल में ''संकल्प (नए उत्तराखंड का)'' कार्यक्रम के प्रायोजन हेतु वित्तीय सहायता	म्यूनिसिपल गार्डन एवं डी. एस.ए. बास्केटबॉल कोर्ट, नैनीताल	50000	1265000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
8.	निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	नैनीताल में कैंसर जागरूकता रैली के आयोजन हेतु आशा फाउंडेशन को योगदान	नैनीताल	30000	1295000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	स्वास्थ्य सेवा
9.	युवा बालिकाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना	5–ए–साइड महिला हॉकी प्रतियोगिता का प्रायोजन	नैनीताल	120000	1415000	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	खेल
10.	राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना	14वां जूनियर एवं सब–जूनियर पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स सेंटर में 200 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहायता	नैनीताल	7100	1422100	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	खेल
11.	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, जिसमें पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास शामिल है	स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के लिए स्थानीय उत्सव के दौरान कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु योगदान	नैनीताल	51000	1473100	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
12.	विद्यालय जाने वाली बालि. काओं की खेल एवं शारीरिक गतिविधियों में अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा एथलेटिक्स के क्षेत्र में समावेशिता एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	अंतर–विद्यालय बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट हेतु योगदान	नैनीताल	100000	1573100	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	खेल
13.	सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना	रानीखेत स्थित हिमालय व्यू प्वाइंट सार्वजनिक पार्क का नवीनीकरण एवं रखरखाव	रानीखेत	200000	1773100	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पर्यावरण

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
7.	Protection of national heritage, art and culture including promotion and development of traditional arts and handicrafts	Financial Assistance for Sponsoring for Sankalp (Naye Uttarakhand Ka) at Nainital.	Municipal Garden And D.S.A Basketball Court Nainital	50000	1265000	Chief Operating Officer Committee	Traditional art and culture and other
8.	Promoting health care including preventive health care and sanitation	Contribution to Asha Foundation for Organizing a Cancer Awareness Rally at Nainital	Nainital	30000	1295000	Chief Operating Officer Committee	Healthcare
9.	Promoting sports among the young Girls	Sponsoring 5-A Side women's Hockey competition.	Nainital	120000	1415000	Chief Operating Officer Committee	Sports
10.	Promotion of nationally recognized sports, Paralympic sports, and Olympic sports	Supporting students who secured third position in the 200- meter race at the Atal Bihari Vajpayee Sports Center during the 14th Junior & Sub-Junior Para Athletics National Championship 2025	Nainital	7100	1422100	Chief Operating Officer Committee	Sports
11.	Protection of national heritage, art and culture including promotion and development of traditional arts and handicrafts	Promotion of Art & culture during Local fest for community engagement activities promoting local heritage	Nainital	51000	1473100	Chief Operating Officer Committee	Traditional art and culture and other
12.	Encourage greater participation of school-going girls in sports and physical activities, and promoting inclusivity and gender equality in the field of athletics	Contribution for Inter-School Girls Football Tournament	Nainital	100000	1573100	Chief Operating Officer Committee	Sports
13.	Enhance public infrastructure, promote greenery, ensure environmental sustainability, and provide a clean and aesthetically improved environment for citizens	Renovation & Maintenance of Himalaya View Point Public Park, Ranikhet	Ranikhet	200000	1773100	Chief Operating Officer Committee	Environment

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
14.	जैव विविधता का संरक्षण, आगंतुकों को निर्धारित क्षेत्रों में जाने के लिए मार्गदर्शन तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना	''वनस्पति एवं जीव–जंतु संरक्षण'' के अंतर्गत सड़क संकेतक बोर्डों के लिए सीएसआर निधि का योगदान	नैनीताल	600000	2373100	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति	पशु कल्याण, वनस्पति/ जीव–जंतु
15.	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	लोक कला, साहित्य, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्वदेशी उद्योगों, पर्यावरण जागरूकता एवं सामाजिक सद्भाव सहित उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार हेतु योगदान	बरेली	100000	2473100	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
16.	युवाओं एवं उभरते खिलाड़ियों में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना	बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजन हेतु सहायता	अल्मोड़ा	470000	2943100	कार्यकारी निदेशक समिति	खेल
17.	पारंपरिक एवं स्थानीय कला, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वच्छता कार्यक्रमों, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन तथा विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना	विंटर कार्निवल 2025 के आयोजन में सहायता, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोक कलाकारों, पारंपरिक कला. कारों एवं युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा सांस्कृतिक संरक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता में योगदान देना था	नैनीताल	2000000	4943100	निदेशक मंडल की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
18.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना	5 बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक कौशल विकास हेतु योगदान (सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई)	नैनीताल	53250	4996350	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
19.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	नैनीताल क्षेत्र के पाँच विद्यालयों के तीन सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि हेतु योगदान	नैनीताल	53500	5049850	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
20.	निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राजकीय अस्पताल, बागेश्वर में तैनाती हेतु एक एम्बुलेंस की खरीद	बागेश्वर	864643	5914493	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति	स्वास्थ्य सेवा

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
14.	safeguarding biodiversity, guiding visitors to designated areas, and preventing any disturbances to the natural habitat of the animals	Contribution of CSR Funding for Road Signage Boards under "Protection of Flora and Fauna	Nainital	600000	2373100	MD & CEO Committee	Animal welfare, Flora/ Fauna
15.	Protection of national heritage, art and culture	Promotion, preservation and propagation of Uttarakhand's cultural heritage, including folk art, literature, traditional handicrafts, indigenous industries, environmental awareness and social harmony	Bareilly	100000	2473100	Chief Operating Officer Committee	Traditional art and culture and other
16.	Promote sportsmanship, physical fitness, discipline, and healthy competition among youth and emerging players.	Support for organizing a badminton tournament	Almora	470000	2943100	Executive Director Committee	Sports
17.	Promotion of Traditional & Local Arts, Cultural Activities, Cleanliness Programmes, Health Promotions through various Physical Activities and promotion of various activities	Supporting Winter Carnival 2025 which aimed at promoting local folk artists, traditional performers and youth talent contributing to cultural preservation and community engagement	Nainital	2000000	4943100	Corporate Social Responsibility Committee of Board	Traditional art and culture and other
18.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement project	Contribution towards vocational skill development (Provided Swing machine) to 5 unemployed women.	Nainital	53250	4996350	Chief Operating Officer Committee	Education
19.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Contribution scholarship amount to top three students of five schools of Nainital area	Nainital	53500	5049850	Chief Operating Officer Committee	Education
20.	Promoting healthcare including preventive healthcare	Procure one ambulance for deployment at Government Hospital Bageshwar	Bageshwar	864643	5914493	MD & CEO Committee	Healthcare

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
21.	विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तक पहुँच उपलब्ध कराना	आरओ प्रणाली सहित वाटर कूलर की स्थापना हेतु योगदान	अल्मोड़ा	160000	6074493	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	सुरक्षित पेयजल
22.	सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना	अल्मोड़ा पार्क का नवीनीकरण एवं रखरखाव	अल्मोड़ा	247000	6321493	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पर्यावरण
23.	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर शैक्षणिक उन्नयन करना	बैंक की ''चेली भुली छात्रवृत्ति योजना''	उत्तराखंड	2301000	8622493	सीएसआर समिति	शिक्षा
24.	निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राजकीय अस्पताल अल्मोड़ा/ पिथौरागढ़/रानीखेत में तैनाती हेतु एक एम्बुलेंस की खरीद	अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/ रानीखेत	2606589	11229082	सीएसआर समिति	स्वास्थ्य सेवा
25.	शिक्षा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना	वेद विज्ञान महाविद्यापीठ को योगदान, जो निःशुल्क समग्र शिक्षा प्रदान करता है	ऋषिकेश	200000	11429082	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
26.	राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं स्थलों का पुनरुद्धार शामिल है	भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय एवं कला दीर्घाओं हेतु योगदान	भीमताल	148191	11577273	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
27.	ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित विद्यालयी विद्यार्थियों को विद्यालय तक आसान एवं सुरक्षित पहुँच उपलब्ध कराकर शैक्षणिक उन्नयन करना	वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी विद्यार्थियों को 5 साइकिलों का वितरण	लालकुआँ	24500	11601773	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
28.	ग्रामीण खेलों एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण	फुटबॉल मैच के आयोजन हेतु योगदान	नगला	70000	11671773	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	खेल
29.	महिलाओं की रोजगार क्षमता एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास हेतु योगदान	हल्द्वानी	10000	11681773	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
30.	विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तक पहुँच उपलब्ध कराना	आरओ प्रणाली सहित वाटर कूलर की स्थापना हेतु योगदान	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	37000	11718773	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	सुरक्षित पेयजल

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
21.	Providing access to safe and clean drinking water to students, staff and visitors	Contribution toward installation of Water cooler with RO system	Almora	160000	6074493	Chief Operating Officer Committee	Safe drinking water
22.	Enhance public infrastructure, promote greenery, ensure environmental sustainability, and provide a clean and aesthetically improved environment for citizens	Renovation & Maintenance of Almora Park	Almora	247000	6321493	Chief Operating Officer Committee	Environment
23.	Educational upliftment by providing scholarship to 10th & 12 class students	Bank's Cheli Bhuli Scholarship Scheme	Uttarakhand	2301000	8622493	CSR Committee	Education
24.	Promoting healthcare including preventive healthcare	Procure one ambulance for deployment at Government Hospital Almora/Pithoragarh/ Ranikhet	Almora/Pithoragarh/ Ranikhet	2606589	11229082	CSR Committee	Healthcare
25.	Promoting Education Activities	Contribution to Ved Vignan Maha Vidya Peeth, providing holistic education at zero cost	Rishikesh	200000	11429082	Chief Operating Officer Committee	Education
26.	Protection of national heritage, including restoration of buildings and sites of historical importance	Contribution to Folk Culture Museum & Art Galleries, Bhimtal	Bhimtal	148191	11577273	Chief Operating Officer Committee	Traditional art and culture and others
27.	Educational upliftment by facilitating easier and safer access to school students belonging to EWS	Distributed 5 bicycles to meritorious students from underprivileged backgrounds.	Lalkuan	24500	11601773	Regional Manager Committee	Education
28.	Training to promote rural sports, nationally recognized sports	Contribution toward organizing football match	Nagla	70000	11671773	Regional Manager Committee	Sports
29.	Vocational training and skill development of women to enhance employability and livelihood opportunities	Contribution toward women empowerment & skill development	Haldwani	10000	11681773	Regional Manager Committee	Education
30.	Providing access to safe and clean drinking water to students, staff and visitors	Contribution toward installation of Water cooler with RO system	Uttarakhand Open University, Haldwani	37000	11718773	Regional Manager Committee	Safe drinking water

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
31.	भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन तथा निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	योग को निवारक स्वास्थ्य सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण राजकीय महिला पीजी कॉलेज, हल्द्वानी में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु योगदान	हल्द्वानी	30000	11748773	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	स्वास्थ्य सेवा
32.	भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	भंडारण इकाई एवं वाटर डिस्पेंसर की खरीद एवं वितरण हेतु सहायता	हल्द्वानी	23010	11771783	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	स्वास्थ्य सेवा
33.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समर्थ्यन सम्मान समारोह के आयोजन पर व्यय	हल्द्वानी	108302	11880085	मुख्य परिचालन अधिकारी समिति	शिक्षा
34.	भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	भंडारण इकाई एवं वाटर डिस्पेंसर की खरीद एवं वितरण हेतु सहायता	अल्मोड़ा	75000	11955085	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	सुरक्षित पेयजल
35.	ग्रामीण खेलों एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण	फुटबॉल मैच के आयोजन हेतु योगदान	नगला	75000	12030085	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	खेल
36.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना	बैंक द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन तथा किट वितरण	देहरादून, लखनऊ एवं बरेली	35000	12065085	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
37.	पारंपरिक कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास	लखनऊ में उत्तरायणी कौतिक–2026 सांस्कृतिक उत्सव हेतु सहायता	लखनऊ	50000	12115085	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
38.	शिक्षा, विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना	विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु ''गणतंत्र दिवस समारोह–2026'' के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता	फरीदपुर	10000	12125085	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
31.	Eradicating hunger, poverty & malnutrition, promoting healthcare including preventive healthcare and sanitation.	Contribution for organizing the district level yoga competition at Govt. Girls PG College, Haldwani as Yoga is recognized as a preventive healthcare	Haldwani	30000	11748773	Regional Manager Committee	Healthcare
32.	Eradicating hunger, poverty & malnutrition, promoting healthcare including preventive healthcare and making available safe drinking water	Assistance towards procurement and distribution of a storage unit and water dispenser	Haldwani	23010	11771783	Regional Manager Committee	Healthcare
33.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement project	Expenditure incurred towards organizing the Samarthyan Felicitation program for differently abled individuals	Haldwani	108302	11880085	Chief Operating Officer Committee	Education
34.	Eradicating hunger, poverty & malnutrition, promoting healthcare including preventive healthcare and making available safe drinking water	Assistance towards procurement and distribution of a storage unit and water dispenser	Almora	75000	11955085	Regional Manager Committee	Safe drinking water
35.	Training to promote rural sports, nationally recognized sports	Contribution toward organizing football match	Nagla	75000	12030085	Regional Manager Committee	Sports
36.	Promoting education including special education & welfare of differently abled segment	Bank organized World Disability Day awareness and support camp & Kit distribution	Dehradun, Lucknow & Bareilly	35000	12065085	Regional Manager Committee	Education
37.	Promotion and development of traditional arts culture and handicrafts	Support to Uttarayani Kautik-2026, Cultural fest in lucknow	Lucknow	50000	12115085	Regional Manager Committee	Traditional art and culture and other
38.	Promoting education, including special education	Financial support for organizing "Ganatantra Diwas Samaroh-2026" for student participation.	Faridpur	10000	12125085	Regional Manager Committee	Education

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
39.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	देहरादून, बरेली एवं लखनऊ में बाल दिवस समारोह के आयोजन पर व्यय, जिसमें विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम एवं वित्तीय साक्षरता सत्र शामिल थे	देहरादून, लखनऊ एवं बरेली	29060	12154145	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
40.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	जोशीमठ में विद्यालयी बच्चों एवं स्थानीय युवाओं के लिए 15 अगस्त खेल कार्यक्रम का आयोजन	जोशीमठ	21500	12175645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
41.	पारंपरिक कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास	पारंपरिक संस्कृति तथा लोक संस्कृति एवं कारीगरों के प्रोत्साहन हेतु रुद्रनाथ महोत्सव में योगदान	रुद्रप्रयाग	20000	12195645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
42.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	डॉ. पी.डी.बी.एच. राजकीय पीजी कॉलेज, कोटद्वार में दो दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठी के आयोजन हेतु योगदान	कोटद्वार	25000	12220645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
43.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना	20 बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक कौशल विकास (ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम) हेतु योगदान	देहरादून	70000	12290645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
44.	पारंपरिक कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास	पारंपरिक कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु उत्तरायणी मेले में योगदान	कपकोट	20000	12310645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	पारंपरिक कला एवं संस्कृति तथा अन्य
45.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	एसडीएम राजकीय पीजी कॉलेज में ''भारतीय ज्ञान प्रणाली'' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हेतु वित्तीय सहायता	डोईवाला	25000	12335645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
46.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण हेतु दो बेंच स्टिक की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	पौड़ी	25000	12360645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
39.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Expenditure incurred towards children's Day celebration across Dehradun, Bareilly and Lucknow involving school awareness programs, financial literacy sessions.	Dehradun, Lucknow & Bareilly	29060	12154145	Regional Manager Committee	Education
40.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	15th august sports program organized at joshimath for school children and local youth	Joshimath	21500	12175645	Regional Manager Committee	Education
41.	Promotion and development of traditional arts culture and handicrafts	Contribution towards Rudranath Mahotsav, for traditional culture and encouragement of folk culture & artisans	Rudraprayag	20000	12195645	Regional Manager Committee	Traditional art and culture and other
42.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Contribution towards organizing a two-day National Academic seminar at Dr. P.D.B.H Government PG College, Kotdwar	Kotdwar	25000	12220645	Regional Manager Committee	Education
43.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement project	Contribution towards vocational skill development (Beautician training program) for 20 unemployed women.	Dehradun	70000	12290645	Regional Manager Committee	Education
44.	Promotion and development of traditional arts culture and handicrafts	Contribution towards Utrayani mela towards promotion of traditional art and culture	Kapkot	20000	12310645	Regional Manager Committee	Traditional art and culture and other
45.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Financial assistance for international conference on "Indian Knowledge system" at SDM Government PG collage	Doiwala	25000	12335645	Regional Manager Committee	Education
46.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Financial assistance for Two benches sticks for disabled person for their social welfare purpose.	Pauri	25000	12360645	Regional Manager Committee	Education

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ गतिविधि की पहचान	उद्देश्य	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला	परियोजना/ कार्यक्रमवार बजट राशि	संचयी व्यय	स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण	श्रेणी
47.	निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	अंधेरे में दुर्घटनाओं अथवा वन्यजीवों से होने वाली घटनाओं को रोकने तथा राहगीरों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना	हरिद्वार	39000	12399645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	स्वास्थ्य सेवा
48.	पेयजल निगम, पौड़ी के सार्वजनिक सभागार हेतु फर्नीचर एवं कंप्यूटर प्रणाली उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामुदायिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देना है	पेयजल निगम, पौड़ी के सार्वजनिक सभागार के लिए फर्नीचर हेतु वित्तीय सहायता	देहरादून	75000	12474645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	अन्य
49.	स्वास्थ्य सेवा एवं निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहरादून में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 के लिए प्रायोजन	देहरादून	50000	12524645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	स्वास्थ्य सेवा
50.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	कॉनाश एआई समिट 2026 के लिए वित्तीय सहायता	लखनऊ	8000	12532645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा
51.	भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	अहल्कॉन पब्लिक स्कूल को जल शोधक प्रदान करना	दिल्ली	15000	12547645	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	सुरक्षित पेयजल
52.	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों के लिए	''इंटर–स्कूल फिएस्टा विविधा'' के लिए योगदान	दिल्ली	30000	**12577645**	क्षेत्रीय प्रबंधक समिति	शिक्षा

S. N.	CSR Project or Activity Identified	Purpose	Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	Amount outlay (Budget) project or program-wise	Cumulative Expenditure	Sanctioning Authority	Category
47.	Promoting healthcare including preventive healthcare	Providing lightning for the safety of passersby and staff to prevent accidents or wildlife encounters in the dark	Haridwar	39000	12399645	Regional Manager Committee	Healthcare
48.	Support for furniture & computer system for public hall of Peyjal Nigam, Pauri is intended for community welfare and public service activity.	Financial assistance for furniture's for public hall of Pey Jal Nigam, Pauri.	Dehradun	75000	12474645	Regional Manager Committee	Other
49.	Promoting Healthcare & preventive health care	Sponsorship for the International Yoga Festival 2026 at Garhwal Mandal Vikas Nigam, Dehradun	Dehradun	50000	12524645	Regional Manager Committee	Healthcare
50.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Financial assistance for CONASH AI summit 2026	Lucknow	8000	12532645	Regional Manager Committee	Education
51.	Eradicating hunger, poverty & malnutrition, promoting healthcare including preventive healthcare and making available safe drinking water	Donation of water purifier to Ahlcon public school	Delhi	15000	12547645	Regional Manager Committee	Safe drinking water
52.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children.	Contribution for The Inter-School Fiesta - VIVIDHA	Delhi	30000	**12577645**	Regional Manager Committee	Education

वर्ष 2025–26 में CSR व्यय का श्रेणीवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2025–26 में व्यय	प्रतिशत
पशु कल्याण, वनस्पति/जीव–जंतु	6,00,000.00	4.77%
सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक	0	-
शिक्षा	30,70,862.00	24.42%
पर्यावरण	4,47,000.00	3.55%
स्वास्थ्य सेवा	37,03,242.00	29.44%
राहत एवं कल्याण	0	-
सुरक्षित पेयजल	2,87,000.00	2.28%
खेल	9,52,100.00	7.57%
पारंपरिक कला एवं संस्कृति / अन्य	35,17,441.00	27.97%
कुल योग	**1,25,77,645.00**	**100%**



Category wise representation of CSR Expenditure 2025-26

Category	Expenditure 2025-26	Percentage
Animal welfare, Flora/Fauna	6,00,000.00	4.77%
Armed force veterans	0	-
Education	30,70,862.00	24.42%
Environment	4,47,000.00	3.55%
Healthcare	37,03,242.00	29.44%
Relief and welfare	0	-
Safe drinking water	2,87,000.00	2.28%
Sport	9,52,100.00	7.57%
Traditional Art & Culture / other	35,17,441.00	27.97%
Grand Total	**1,25,77,645.00**	**100%**



प्रपत्र संख्या MR–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में]

सेवा में,

सदस्यगण,

द नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनी बैंक हाउस, सेवन ओक्स

मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड–263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

हमने द नैनीताल बैंक लिमिटेड, जिसका **CIN: U65923UR1922PLC000234** है (जिसे आगे ''बैंक'' कहा गया है), द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि बैंक के कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए हमें उचित आधार प्राप्त हो सके तथा इस संबंध में अपनी राय व्यक्त की जा सके।

बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा बैंक द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन एवं सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हमारी राय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष ('लेखापरीक्षा अवधि') को सम्मिलित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र भी विद्यमान हैं, जो नीचे किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निर्धारित सीमा, तरीके एवं शर्तों के अधीन हैं।

हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा संधारित पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(बैंक सूचीबद्ध नहीं होने के कारण लागू नहीं)।**

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप–विधियाँ।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जहाँ तक वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) से संबंधित हैं।

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश; **(बैंक सूचीबद्ध नहीं होने के कारण लागू नहीं)।**

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी शेयर–आधारित लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018।

(vi) बैंक के प्रबंधन द्वारा यह बताया गया है कि बैंक पर लागू राजकोषीय, श्रम, पर्यावरणीय कानूनों, बैंकिंग कानूनों तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया जाता है।

(vii) हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, जो निदेशक मंडल की बैठकों (SS–1) तथा सामान्य बैठकों (SS–2) से संबंधित हैं।

(ख) बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते; **(बैंक सूचीबद्ध बैंक नहीं होने के कारण लागू नहीं)।**

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 March, 2026

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies Appointment and Remuneration on Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to the good corporate governance practices by The Nainital Bank Limited having CIN: U65923UR1922PLC000234 (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliance and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank and also the information so provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, We report that in our opinion , the Bank has during the audit period covering the Financial Year ended on **March 31, 2026** ('Audit Period') complied with statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper board processes and compliance mechanism in place to the extent , in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2026, according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; **(Not Applicable as the Bank is not Listed.)**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye- laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'); **(Not Applicable as the Bank is not listed)**

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011;

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015;

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat equity) Regulation, 2021

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulation, 2021;

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations 2018;

(vi) The Management of the Bank represented that fiscal, labour environmental laws, banking laws and other Statutes which are applicable to the Bank, are generally complied with.

(vii) We have also examined compliance of the applicable clauses of the following:

a. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Board Meeting (SS- 1) and General meeting (SS-2).

b. The Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchanges; **(Not applicable as the Bank is not a Listed Bank)**

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

(क) बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है तथा इसमें कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं।

(ख) निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त पूर्व सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची एवं कार्यसूची से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाती हैं। साथ ही, बैठक से पूर्व कार्यसूची के विषयों पर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था तथा बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली विद्यमान है।

(ग) निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं तथा असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को बैठक के कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज एवं अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन के संदर्भ में बैंक के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली कोई घटना नहीं हुई, सिवाय निम्नलिखित के:

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों के अनुपालन में, राइट इश्यू के माध्यम से नई पूंजी जुटाने के लिए ₹10 अंकित मूल्य वाले 4,82,83,655 इक्विटी शेयर, प्रत्येक पर ₹25 का प्रीमियम, जारी किए, जिससे ₹168.99 करोड़ की नई पूंजी जुटाई गई।

हस्ताक्षरित/–
टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव
FRN No. P2007WB067100
Peer Review No. 7747/2026
हस्ताक्षरित/–
सी एस सुमाना सुभाष मित्रा–पार्टनर
ACS:43291, COP: 22915
UDIN: A043291H001037042

दिनांक: 06–08–2026
स्थान: नई दिल्ली

यह रिपोर्ट समान दिनांक के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जिसे **अनुलग्नक–A** के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक –A

सेवा में,
सदस्यगण
नैनीताल बैंक लिमिटेड

हमारी समान दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा के आधार पर उनके संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, जहाँ उपयुक्त था, ICSI के ऑडिटिंग मानकों, मार्गदर्शक टिप्पणियों, लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन नमूना–आधारित (**test basis**) किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों को प्रतिबिंबित किया गया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं प्रथाएँ हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा विभिन्न घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

4. कॉरपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच नमूना–आधारित सत्यापन (test basis) पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

5. सचिवीय लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही यह उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

हस्ताक्षरित/–
टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव
FRN No. P2007WB067100
Peer Review No. 7747/2026
हस्ताक्षरित/–
सी एस सुमाना सुभाष मित्रा–पार्टनर
ACS:43291, COP: 22915
UDIN: A043291H001037042

दिनांक: 06–08–2026
स्थान: नई दिल्ली

We further report that:

a. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and independent Directors. Changes in the Board took place in compliance with the applicable statutory provisions.

b. Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meeting, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists of seeking and obtaining further information and clarification on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

c. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that during the audit period, no events occurred which had bearing on the bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc except:

During the FY 25-26, the Bank has issued 4,82,83,655 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹25 each to raise fresh capital of ₹168.99 Crore under right issue in compliance with Section 62 of the Companies Act, 2013 and applicable rules framed thereunder.

Sd/-
For **T. Chatterjee & Associates**
Company Secretaries
FRN No. - P2007WB067100
Peer Review No. 7747/2026

Sd/-
CS Sumana Subhash Mitra-Partner
ACS:43291, COP: 22915
UDIN: A043291H001037042

Date: 06-08-2026
Place: New Delhi

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

ANNEXURE –A

To

The Members

The Nainital Bank Limited

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the Guidance Notes on ICSI Auditing Standard, audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

4. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

5. The Secretarial Audit is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sd/-
For **T. Chatterjee & Associates**
Company Secretaries
FRN No. - P2007WB067100
Peer Review No. 7747/2026

Sd/-
CS Sumana Subhash Mitra-Partner
ACS:43291, COP: 22915
UDIN: A043291H001037042

Date: 06-08-2026
Place: New Delhi

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,

द नैनीताल बैंक लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने द नैनीताल बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के टिप्पणियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। इनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं के रिटर्न तथा बैंक की राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में स्थित शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित 72 शाखाओं के रिटर्न भी शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणों में बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित तरीके से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। ये वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के ''एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ'' अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का भी पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं और हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय पर जोर

3. हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) संलग्न लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 की ओर, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति में CBS में सीधे एकीकृत आस्ति वर्गीकरण का समानांतर परीक्षण किए जाने के संबंध में उल्लेख है। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक ने ₹4.50 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

(ख) संलग्न लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 14 (XX) की ओर, जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बकाया कुछ नामे/जमा प्रविष्टियों का उल्लेख है, जो अंतर–शाखा समायोजन, समाशोधन समायोजन आदि में शामिल हैं तथा जिनका मिलान किया जाना शेष है।

(ग) बैंक को स्वचालित आस्ति वर्गीकरण की प्रक्रियाओं (जिसमें अग्रिमों/निवेशों का NPA/NPI के रूप में वर्गीकरण तथा उनका उन्नयन शामिल है) के साथ–साथ प्रावधान गणना एवं आय पहचान प्रक्रियाओं की पूर्णता एवं अखंडता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, उपर्युक्त विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

4. बैंक के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट तथा अध्यक्ष का वक्तव्य, यदि कोई हो, शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना तथा ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस विषय की जानकारी शासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों को देना आवश्यक है तथा परिस्थितियों और लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक उचित कार्रवाई करनी होती है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं शासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

5. बैंक का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के संबंध में इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the Returns for 20 branches audited by us and returns for 72 branches for the year ended on that date audited by the branch auditors of the Bank's branches located at Rajasthan, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('the Act') in the manner so required for banking Companies and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2026, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to:

a. Note 4 of Schedule 18 of accompanying statement of audited financial with regards to a parallel test run of integrated asset classification carried out directly in CBS as of 31 March 2026, the Bank has created an ad-hoc provision of ₹4.5 crore as a prudent measure.

b. Note no. 14 (XX) of Schedule 18 of accompanying statement of audited financial with regard to some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. which are subject to reconciliation.

c. That the bank needs to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes.

However, our opinion is not modified in respect of above stated matter.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the management report and chairman's statement, if any.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions necessitated by the circumstances and the applicable laws

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act,

के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए, बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय एवं अनुमान करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत हों और एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, ताकि वे सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करते समय, बैंक का निदेशक मंडल बैंक की सतत् व्यवसाय संचालन के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ सतत् व्यवसाय संचालन से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा Going Concern आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि बैंक का निदेशक मंडल या तो बैंक का परिसमापन करने अथवा उसके संचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, तथा ऐसी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, जब कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण विद्यमान हो, तो उसे हमेशा पहचान लेगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उचित संभावना हो।

लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा पेशेवर संदेहशीलता बनाए रखते हैं।

हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार एवं निष्पादित करते हैं तथा ऐसा पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करे। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस संबंध में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखांकन अनुमानों और उनसे संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा सतत् व्यवसाय संचालन (Going Concern) के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो बैंक की सतत् व्यवसाय संचालन के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के सतत् व्यवसाय संचालन के रूप में जारी रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय–वस्तु, जिसमें किए गए प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं तथा यह भी देखते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं या नहीं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित हो।

महत्त्वता से आशय एकल वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों की उस मात्रा से है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से इतनी महत्वपूर्ण हो कि यह संभावना उत्पन्न हो कि वित्तीय विवरणों के यथोचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक महत्त्वता तथा गुणात्मक

2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Bank's Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Bank's Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope

कारकों को निम्नलिखित में ध्यान में रखते हैं: (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने तथा हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम शासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रणों की कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है।

हम शासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों को यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों के बारे में उनसे संवाद करते हैं, जिनके बारे में यथोचित रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं।

शासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के साथ जिन विषयों पर संवाद किया गया है, उनमें से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम इन विषयों का अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम उस विषय के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करता हो अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न करें कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से जनहित में होने वाले लाभों की तुलना में अधिक होने की उचित अपेक्षा हो।

अन्य विषय

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 72 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2026 की स्थिति में कुल सकल अग्रिम ₹2,094.57 करोड़ तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय ₹315.97 करोड़ दर्शाई गई है, जिन्हें एकल वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन शाखाओं में 31 मार्च 2026 की स्थिति में अग्रिमों का 38.12%, जमाराशियों का 46.62% तथा एनपीए का 42.54% और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय का 40.76% शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई हैं। अतः जहाँ तक शाखाओं से संबंधित शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूर्णतः ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 83 शाखाओं से संबंधित अलेखापरीक्षित रिटर्न को ध्यान में रखा है, जिन्हें संबंधित शाखाओं के प्रबंधन एवं बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2026 की स्थिति में कुल सकल अग्रिम ₹1,089.33 करोड़ तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय ₹177.78 करोड़ दर्शाई गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 31 मार्च 2026 की स्थिति में अग्रिमों का 19.83%, जमाराशियों का 28.69% तथा एनपीए का 16.46% और उक्त वर्ष के लिए आय का 22.93% शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं को संबंधित शाखाओं के प्रबंधन एवं बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

इस विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप–धारा (3) के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

(क) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है;

(ख) बैंक के वे लेन–देन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किए गए हैं;

(ग) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्न, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं;

(घ) लाभ एवं हानि खाता, उक्त वर्ष के लिए लाभ का सही शेष दर्शाता है।

11. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

(क) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं;

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का बैंक द्वारा रखरखाव किया गया है, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

(ग) अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत बैंक की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों से संबंधित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित रूप से संज्ञान एवं उपयोग किया है;

(घ) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ संगत हैं;

of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of 72 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total gross advances of Rs. 2094.57 crores as at 31st March 2026 and total revenue of Rs. 315.97 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 38.12% of advances, 46.62% of deposits and 42.54% of non-performing assets as at 31st March 2026 and 40.76% of revenue for the year ended 31st March 2026. The financial statements / information of these branches have been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

8. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 83 branches certified by the respective branch's management and internal auditors of the bank whose financial statements/ information reflect total gross advances of Rs. 1089.33 crore as at 31st March 2026 and total revenue of Rs 177.78 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 19.83% of advances, 28.69% of deposits and 16.46% of non-performing assets as on 31st March 2026 and 22.93% of revenue for the year then ended. The financial statements / information of these branches has been certified by the respective branch's management and internal auditors of the bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Companies Act, 2013

10. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

(c) the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

(d) the profit and loss account shows a true balance of profit for the year then ended.

11. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices of the bank audited under section 143(8) of the Act by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with in this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जहाँ तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं;

(च) 31 मार्च 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए आधार पर, 31 मार्च 2026 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है;

(छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट के ''अनुलग्नक **A**'' का संदर्भ लिया जाए;

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

बैंक द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक इस धारा के प्रावधानों के अनुरूप है।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(1) बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों (Pending Litigations) के अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया है–वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18, नोट 14 (XII) का संदर्भ लें।

(2) बैंक के पास ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिनमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं थे, जिनसे किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय हानि होने की संभावना हो।

(3) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली किसी भी राशि के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(4) (क) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण के अतिरिक्त, बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को कोई धनराशि अग्रिम अथवा ऋण के रूप में नहीं दी गई है अथवा निवेश नहीं किया गया है–चाहे वह उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से हो –इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा, कि ऐसा मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा अथवा निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह भी अभ्यावेदन दिया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण के अतिरिक्त, बैंक को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (वित्तपोषण पक्ष), से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा, कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा अथवा निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।

(ग) परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित एवं उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपर्युक्त उप–खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत किए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(v) बैंक ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 123 से संबंधित अनुपालन लागू नहीं होता है।

(vi) हमारी जाँच, जिसमें नमूना–आधारित परीक्षण (Test Checks) भी शामिल थे, के आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों के रखरखाव हेतु ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल /एडिट लॉग दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है तथा संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष प्रभावी रूप से कार्यरत रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं आया।

साथ ही, संबंधित पूर्ववर्ती वर्षों के ऑडिट ट्रेल को अभिलेख संरक्षण (Record Retention) हेतु सुरक्षित रखा गया है तथा बैंक द्वारा वैधानिक अभिलेख संरक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित वर्षों में उसका अभिलेखन किया गया है।

एम/एस ए.आर. एंड कंपनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002744C

सीए अनिल गौड़
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 017546
UDIN संख्या: 26017546RWXLHU8809

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 28–04–2026

e) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representations received from the directors as at 31 March 2026 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as at 31 March 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A"

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Companies Act, 2013 we report that

The remuneration paid by the bank to its directors is in accordance with the provisions of this section.

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. the Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Schedule 18, Note 14 (XII) to the financial statements;

ii. the Bank did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses

iii. there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank;

iv. A. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

B. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

C. Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate by us in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (a) and (b) contain any material misstatement.

v. The Bank has not declared any dividend during the year. Hence, the compliance related to section 123 of the Act is not applicable.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Bank has used accounting software's for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2026 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software's. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

Additionally, the audit trail of relevant prior years has been preserved for record retention and recorded in those respective years by the Bank as per the statutory requirements for record retention

For **M/s A.R. & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur
Partner
M. No-017546
UDIN No. 26017546RWXLHU8809

Place: Ghaziabad
Date: 28-04-2026

द नैनीताल बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(हमारी समान दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैराग्राफ 11(छ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2026 को द नैनीताल बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, लेखापरीक्षण किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंक के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए रखे, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी (Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting) (''मार्गदर्शन नोट'') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है, जो बैंक के व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों, जिसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में ICAI द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी (Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting) (''मार्गदर्शन नोट'') तथा लेखापरीक्षा मानकों (Standards on Auditing) (''मानक'') के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाते हैं, जहाँ तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। उक्त मानकों एवं मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना तथा लेखापरीक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन इस प्रकार करना आवश्यक है कि इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उसकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो: (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ बैंक की परिसंपत्तियों के लेन–देन एवं निपटान को सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन–देन को आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें तथा बैंक की प्राप्तियों एवं व्ययों को केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा अधिकृत किए जाने के अनुसार ही किया जा सके; तथा (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

(Referred to in paragraph 11(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI')." These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा अनुचित हस्तक्षेप की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन को भविष्य की अवधि तक लागू करने पर यह जोखिम बना रहता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कमजोर हो सकता है।

8. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में इस विषय में हमारी निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं:

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ढाँचा Risk Control Matrix को उचित रूप से अद्यतन करके सुधारने की आवश्यकता है।

(ii) समीक्षा नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा सभी प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए इन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) अंतर शाखा समायोजन / समाशोधन समायोजन (Clearing Adjustments) आदि में शामिल विभिन्न खातों में लंबित कुछ डे. बिट/क्रेडिट प्रविष्टियों का मिलान (Reconciliation) किया जाना आवश्यक है।

राय

9. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और उपर्युक्त पैराग्राफ 8 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह राय बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर दी गई है, जिसमें ICAI द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी (Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखा गया है।

अन्य मामले

10. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 72 शाखाओं के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट संबंधित शाखाओं के केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक / सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक (Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors) की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एम/एस ए.आर. एंड कंपनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002744C

सीए अनिल गौड़
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 017546
UDIN संख्या: 26017546RWXLHU8809

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 28–04–2026

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

8. According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have following observations in this regard for the year ended March 31, 2026:

i. The framework of internal financial control over financial reporting needs improvement by suitably updating Risk Control Matrix

ii. Review controls are not operating effectively and need to be strengthened to avoid all kinds of irregularities

iii. some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. need to be reconciled

Opinion

9. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and read with our observations stated in paragraph 8 above, the bank has, in all the material respects, adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements in place and such internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements were operating effectively as of March 31, 2026, based on the internal controls over financial reporting criteria established by the Company considering the components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial reporting issued by ICAI.

Other Matters

10. Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Standalone financial statement of 72 branches, is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **M/s A.R. & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur
Partner
M. No-017546
UDIN No. 26017546RWXLHU8809

Place: Ghaziabad
Date: 28-04-2026


Nainital Bank
amulya rishto ka atoot bandhan
RuPay
Presenting the
Bio-Degradable
Debit Card
Nainital Bank Bio-Degradable Debit Card
Small Card. Big Step Towards a
Greener Tomorrow.
MADE FOR A BETTER PLANET
The Nainital Bank Ltd.
Celebrating 100+ years of service
Terra-Verse
5085 73XX XXXX XXXX
5085
VALID FROM 06/26 VALID UPTO 05/31
CARDHOLDER NAME
For use only in India.
RuPay
DEBIT
Made from Plant-Based Material (PLA)
Same Security & Convenience
• EMV Chip
• Contactless Payments
• Accepted at ATMs, POS & Online
Biodegrades Faster than Conventional Plastic Cards
(under suitable conditions)
Supports Sustainability & Reduces Plastic Waste
RuPay
Powered by RuPay
A Step Toward Green Banking & ESG Commitment
Choose Green • Choose Responsible • Choose Bio-Degradable
Follow Us
Nainital Bank
nainital_bank
@LtdNainital
Nainital Bank
www.nainitalbank.bank.in
marketing@nainitalbank.co.in


Nainital Bank
amulya rishto ka atoot bandhan
NAINI SAMRIDDHI
444 DAYS
General Citizen
6.60% p.a.
Senior Citizen
7.10% p.a.
Super Senior Citizen
7.20% p.a.
DEPOSIT ₹1,00,000 & GET INTEREST
₹8,290
₹8,940
₹9,070
A seamless way to open your deposit,
with expert assistance at Nainital Bank
For more information, visit your nearest branch
*T&C apply
Follow Us
Nainital Bank
nainital_bank
@LtdNainital
Nainital Bank
www.nainitalbank.bank.in
marketing@nainitalbank.co.in

सीआईएन/U65923UR1922PLC000234
31 मार्च, 2026 को नैनीताल बैंक लिमिटेड का तुलन पत्र

(₹ हजार में)

पूँजी और दायित्व	अनुसूची	31.03.2026 की स्थिति	31.03.2025 की स्थिति
पूँजी	1	165,72,99	117,44,63
रिजर्व और अधिशेष	2	932,63,30	759,73,02
जमा राशियां	3	8623,66,84	8255,81,88
उधार	4	0	0
अन्य दायित्व और प्रावधान	5	168,19,27	227,48,69
	कुल	**9890,22,40**	**9360,48,22**
संपत्तियां			
नकदी और रिजर्व बैंक के पास अतिशेष	6	299,68,38	481,70,25
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1866,03,68	1667,16,85
निवेश	8	1618,29,49	1856,88,62
अग्रिम	9	5228,32,64	4663,93,71
अचल आस्तियां	10	66,84,72	74,55,81
अन्य आस्तियां	11	811,03,49	616,22,98
	कुल	**9890,22,40**	**9360,48,22**
आकस्मिक देयताएं	12	82,78,54	99,74,43
संग्रह के लिए बिल			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।			

गोपाल सिंह गुंसाई
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 03522170

सुशील कुमार लाल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 11029008

कुलदीप सिंह
कार्यकारी निदेशक
डीआईएन- 11018445

बिनीता शाह
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 01538965

मानस रंजन बिस्वाल
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08162008

नीलम दामोधरन
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 07759291

मनीष कौरा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11195774

उत्तम चंद नाहटा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08533075

अशोक कुमार मोहराना
गैर कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11624772

एम के गोयल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एम.एन. नं. - 257728

विवेक साह
कंपनी सचिव
एम.एन. नं. - 35315

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
कृते **ए. आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002744सी
सी.ए. अनिल गौर
साझेदार
एम.एन. नं. 017546

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

CIN U65923UR1922PLC000234
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31,2026 OF THE NAINITAL BANK LIMITED

(₹ in Thousands)

CAPITAL AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31-03-2026	As on 31-03-2025
Capital	1	165,72,99	117,44,63
Reserves & Surplus	2	932,63,30	759,73,02
Deposits	3	8623,66,84	8255,81,88
Borrowings	4	0	0
Other Liabilities & Provisions	5	168,19,27	227,48,69
	Total	**9890,22,40**	**9360,48,22**
ASSETS			
Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	299,68,38	481,70,25
Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	1866,03,68	1667,16,85
Investments	8	1618,29,49	1856,88,62
Advances	9	5228,32,64	4663,93,71
Fixed Assets	10	66,84,72	74,55,81
Other Assets	11	811,03,49	616,22,98
	Total	**9890,22,40**	**9360,48,22**
Contingent Liabilities	12	82,78,54	99,74,43
Bills for collection			
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet			

Gopal Singh Gusain
Non Executive
Independent Chairperson
DIN - 03522170

Sushil Kumar Lal
Managing Director & CEO
DIN - 11029008

Kuldeep Singh
Executive Director
DIN - 11018445

Binita Shah
Non Executive
Independent Director
DIN - 01538965

Manas Ranjan Biswal
Non Executive Independent Director
DIN - 08162008

Neelam Damodharan
Non-Executive
Independent Director
DIN - 07759291

Manish Kaura
Non-Executive
Non-Independent Director
DIN - 11195774

Uttam Chand Nahta
Non-Executive
Independent Director
DIN - 08533075

Ashok Kumar Moharana
Non Executive
Non-Independent Director
DIN - 11624772

M.K. Goyal
Chief Financial Officer
MN NO. 257728

Vivek Sah
Company Secretary
MN NO. 35315

Place : Nainital
Date : 28 April 2026

as per our report of even date
For **AR & Co.**
Chartered Accountants
FRN- 002744C
CA Anil Gaur
Partner
M.N.No.017546

सीआईएन U65923UR1922PLC000234
31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	725,65,40	710,41,43
अन्य आय	14	49,60,65	41,43,98
कुल		**775,26,05**	**751,85,41**
II. व्यय			
खर्च किया गया ब्याज	15	395,22,26	399,58,99
परिचालन खर्च	16	263,70,57	263,23,81
प्रावधान और आकस्मिकताएं		53,08,49	38,41,61
कुल		**712,01,32**	**701,24,41**
III. लाभ			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ		**63,24,73**	**50,61,00**
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**63,24,73**	**50,61,00**
IV. विनियोजन			
सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरण		15,81,18	12,65,25
धारा 36 (i) (viii) के तहत बनाया गया विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		2,49,25	1,56,12
प्रस्तावित लाभांश में स्थानांतरण		0	0
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि		44,94,30	36,39,63
कुल		**63,24,73**	**50,61,02**
प्रति शेयर आय (₹)			
मूल		3.82	4.31
तनु		3.82	4.31

गोपाल सिंह गुंसाई
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 03522170

सुशील कुमार लाल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 11029008

कुलदीप सिंह
कार्यकारी निदेशक
डीआईएन- 11018445

बिनीता शाह
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 01538965

मानस रंजन बिस्वाल
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08162008

नीलम दामोधरन
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 07759291

मनीष कौरा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11195774

उत्तम चंद नाहटा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08533075

अशोक कुमार मोहराना
गैर कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11624772

एम के गोयल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एम.एन. नं. - 257728

विवेक साह
कंपनी सचिव
एम.एन. नं. - 35315

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
कृते **ए. आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002744सी
सी.ए. अनिल गौर
साझेदार
एम.एन. नं. 017546

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

CIN U65923UR1922PLC000234
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2026

(₹ In Thousands)

	SCHEDULE	Period Ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
I. INCOME			
Interest Earned	13	725,65,40	710,41,43
Other Income	14	49,60,65	41,43,98
Total		**775,26,05**	**751,85,41**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	395,22,26	399,58,99
Operating Expenses	16	263,70,57	263,23,81
Provisions & Contingencies		53,08,49	38,41,61
Total		**712,01,32**	**701,24,41**
III. PROFIT			
Net profit for the year		**63,24,73**	**50,61,00**
Profit available for appropriation		**63,24,73**	**50,61,00**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		15,81,18	12,65,25
Transfer to Special reserve created u/s 36(i)(viii)		2,49,25	1,56,12
Transfer to Proposed Dividend		0	0
Balance Carried over to Balance Sheet		44,94,30	36,39,63
Total		**63,24,73**	**50,61,02**
Earnings per Share (₹)			
Basic		3.82	4.31
Diluted		3.82	4.31

Gopal Singh Gusain
Non Executive
Independent Chairperson
DIN - 03522170

Sushil Kumar Lal
Managing Director & CEO
DIN - 11029008

Kuldeep Singh
Executive Director
DIN - 11018445

Binita Shah
Non Executive
Independent Director
DIN - 01538965

Manas Ranjan Biswal
Non Executive Independent Director
DIN - 08162008

Neelam Damodharan
Non-Executive
Independent Director
DIN - 07759291

Manish Kaura
Non-Executive
Non-Independent Director
DIN - 11195774

Uttam Chand Nahta
Non-Executive
Independent Director
DIN - 08533075

Ashok Kumar Moharana
Non Executive
Non-Independent Director
DIN - 11624772

M.K. Goyal
Chief Financial Officer
MN NO. 257728

Vivek Sah
Company Secretary
MN NO. 35315

Place : Nainital
Date : 28 April 2026

as per our report of even date
For **AR & Co.**
Chartered Accountants
FRN- 002744C
CA Anil Gaur
Partner
M.N.No.017546

सीआईएन/CIN U65923UR1922PLC000234
31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ हजार में)

		समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025
क)	**परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	84,80,04	63,30,48
	समायोजन		
	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	15,94,70	15,28,02
	निवेश पर किया गया प्रावधान	0	0
	एनपीए के संबंध में प्रावधान	-102,58,15	21,953
	पुर्नगठित मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	12,18,89	37,125
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (नए सर्कुलर के अनुसार निवेश (परिपक्वता तक धारण (HTM) का मूल्यह्रास	0	1,88,08
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)/	92	52,22
	चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर	-3,65,86	1,46,71
	उपलब्ध बिक्री हेतु आरक्षित निधि का निर्माण	0	3,61,12
		6,70,53	**91,97,41**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	227,53,77	135,86,85
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-564,38,93	-146,09,27
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-194,80,51	-67,58,78
	उधार में वृद्धि/(कमी)	0	0
	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	367,84,96	-11,92,57
	अन्य देयता और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	34,75,70	-1,23,14
	भुगतान किया प्रत्यक्ष कर	-21,55,31	-12,69,49
	परिचालनगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए)	**-143,89,78**	**-11,68,99**
ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल संपत्तियों में खरीद/अंतरण	-8,31,82	-14,26,83
	अचल संपत्तियों की बिक्री/अंतरण	7,29	2,62,54
	व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन	0	0
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश	0	0
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	**-8,24,53**	**-11,64,29**
ग)	**वि ीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शेयर पूंजी	48,28,37	0
	शेयर प्रीमियम	120,70,91	0
	लाभांश	0	0
	असुरक्षित प्रतिदेय बांडों पर भुगतान/देय ब्याज	0	0
	वि ीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी)	**168,99,28**	**0**
	नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)	**16,84,97**	**-23,33,28**
	नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष	**2,148,87,09**	**2,172,20,37**
	नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष	**2,165,72,06**	**2,148,87,09**

गोपाल सिंह गुंसाई
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 03522170

सुशील कुमार लाल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 11029008

कुलदीप सिंह
कार्यकारी निदेशक
डीआईएन- 11018445

बिनीता शाह
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 01538965

मानस रंजन बिस्वाल
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08162008

नीलम दामोधरन
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 07759291

मनीष कौरा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11195774

उत्तम चंद नाहटा
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 08533075

अशोक कुमार मोहराना
गैर कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन- 11624772

एम के गोयल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एम.एन. नं. - 257728

विवेक साह
कंपनी सचिव
एम.एन. नं. - 35315

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
कृते **ए. आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002744सी
सी.ए. अनिल गौर
साझेदार
एम.एन. नं. 017546

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

CIN U65923UR1922PLC000234

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2026

(₹ in Thousands)

		Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
A)	**Cash flow from operating activities :**		
	Net profit before taxes	84,80,04	63,30,48
	Adjustments for		
	Depreciation on fixed Assets	15,94,70	15,28,02
	Provision made on Investment	0	0
	Provision in respect of NPA	-102,58,15	21,953
	Provision for standard assets restructured	12,18,89	37,125
	Provision for other items(amortisation of investment(HTM) as per new circular	0	1,88,08
	Profit (Loss) on sale of fixed Assets	92	52,22
	Deferred Tax for Current year	-3,65,86	1,46,71
	Creation of AFS reserve	0	3,61,12
		6,70,53	**91,97,41**
	Adjustment for :		
	(Increase)/Decrease in investments	227,53,77	135,86,85
	(Increase)/Decrease in advances	-564,38,93	-146,09,27
	(Increase)/Decrease in other assets	-194,80,51	-67,58,78
	Increase/(Decrease) in Borrowings	0	0
	Increase/(Decrease) in deposits	367,84,96	-11,92,57
	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	34,75,70	-1,23,14
	Direct Taxes paid	-21,55,31	-12,69,49
	Net cash from operating activities (A)	**-143,89,78**	**-11,68,99**
B)	**Cash flow from investing activities**		
	Purchase /Transfer in of fixed Asset	-8,31,82	-14,26,83
	Sale / Transfer in of fixed Asset	7,29	2,62,54
	Changes in Trade related investments	0	0
	Dividend received from subsidiaries/others	0	0
	Net Cash from investing activities (B)	**-8,24,53**	**-11,64,29**
C)	**Cash flow from financing activities**		
	Share Capital	48,28,37	0
	Share Premium	120,70,91	0
	Dividend	0	0
	Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	0	0
	Net Cash from financing activities (C)	**168,99,28**	**0**
	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**16,84,97**	**-23,33,28**
	Opening Cash & cash equivalents	**2,148,87,09**	**2,172,20,37**
	Closing Cash & cash equivalents	**2,165,72,06**	**2,148,87,09**

Gopal Singh Gusain
Non Executive
Independent Chairperson
DIN - 03522170

Sushil Kumar Lal
Managing Director & CEO
DIN - 11029008

Kuldeep Singh
Executive Director
DIN - 11018445

Binita Shah
Non Executive
Independent Director
DIN - 01538965

Manas Ranjan Biswal
Non Executive
Independent Director
DIN - 08162008

Neelam Damodharan
Non-Executive
Independent Director
DIN - 07759291

Manish Kaura
Non-Executive
Non-Independent Director
DIN - 11195774

Uttam Chand Nahta
Non-Executive
Independent Director
DIN - 08533075

Ashok Kumar Moharana
Non Executive
Non-Independent Director
DIN - 11624772

M.K. Goyal
Chief Financial Officer
MN NO. 257728

Vivek Sah
Company Secretary
MN NO. 35315

as per our report of even date
For **AR & Co.**
Chartered Accountants
FRN- 002744C
CA Anil Gaur
Partner
M.N.No.017546

Place : Nainital
Date : 28 April 2026

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1–पूंजी

(₹ हजार में)

	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूंजी (पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रत्येक के 23,00,00,000 इक्विटी शेयर)	230,00,00	230,00,00
जारी की गई पूंजी (16,57,29,905 इक्विटी शेयर ₹ 10/– प्रत्येक)	165,72,99	117,44,63
अभिदत्त पूंजी (16,57,29,905 इक्विटी शेयर ₹ 10/– प्रत्येक)	165,72,99	117,44,63
मांगी गई पूंजी (16,57,29,905 इक्विटी शेयर ₹ 10/– प्रत्येक) (बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास 98.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है)	165,72,99	117,44,63
अदत्त मांग	0	0
जब्त शेयर	0	0
Total	**165,72,99**	**117,44,63**

अनुसूची 2 – आरक्षितियाँ और अधिशेष

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	**सांविधिक रिजर्व**		
	प्रारंभिक शेष	210,42,55	197,77,30
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,81,18	12,65,25
	अंतिम शेष	**226,23,73**	**210,42,55**
II	**कैपिटल रिजर्व**		
	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
	प्रारंभिक शेष	21,35,26	21,80,67
	वर्ष के दौरान जोड़ना/हटाना	-	-
	पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों के कारण मूल्यह्रास	40,03	45,41
	अंतिम शेष	**20,95,23**	**21,35,26**
III	**शेयर प्रीमियम**		
	प्रारंभिक शेष	137,41,94	137,41,94
	वर्ष के दौरान राशि में वृद्धि	120,70,91	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
	अंतिम शेष	**258,12,85**	**137,41,94**
IV	**राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ**	-	-
(i)	**निवेश विचलन आरक्षितियाँ**		
	प्रारंभिक शेष	21,24,74	21,24,74
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं : सामान्य प्रावधान में स्थानांतरित	-	-
	अन्तिम शेष	**21,24,74**	**21,24,74**
(ii)	**निवेश आरक्षित खाता**		
	प्रारंभिक शेष	0	18,83,47
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	18,83,47
	अन्तिम शेष	**0**	**0**

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE 1- CAPITAL

(₹ in Thousands)

	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Authorised Capital (last year 23,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	230,00,00	230,00,00
Issued Capital (16,57,29,905 Equity Shares of ₹ 10/- each)	165,72,99	117,44,63
Subscribed Capital (16,57,29,905 Equity Shares of ₹ 10/- each)	165,72,99	117,44,63
Called Up Capital (16,57,29,905 Equity Shares of ₹ 10/- each) (Bank of Baroda holds 98.62%)	165,72,99	117,44,63
Calls Unpaid	0	0
Forfeited Share	0	0
Total	**165,72,99**	**117,44,63**

SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	**Statutory Reserve :**		
	Opening Balance	210,42,55	197,77,30
	Addition during the year	15,81,18	12,65,25
	Closing Balance	**226,23,73**	**210,42,55**
II	**Capital Reserve :**		
	Revaluation Reserve		
	Opening Balance	21,35,26	21,80,67
	Addition/deletion during the year	-	-
	Depreciation on account of revaluation of premises transferred to Profit & Loss Account	40,03	45,41
	Closing Balance	**20,95,23**	**21,35,26**
III	**Share Premium :**		
	Opening Balance	137,41,94	137,41,94
	Addition During the Year	120,70,91	-
	Deduction During the Year	-	-
	Closing Balance	**258,12,85**	**137,41,94**
IV	**Revenue & Other Reserves**	-	-
(i)	**Investment Fluctuation Reserve :**		
	Opening Balance	21,24,74	21,24,74
	Addition During the Year	-	-
	Less: Transferred To General Provision	-	-
	Closing Balance	**21,24,74**	**21,24,74**
(ii)	**Investment Reserve Account**		
	Opening Balance	0	18,83,47
	Addition During the Year	-	-
	Deduction During the year	-	**18,83,47**
	Closing Balance	**0**	**0**

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
(iii)	**विशेष आरक्षित धारा 36 (I) (VIII) के तहत**		
	प्रारंभिक शेष	28,89,06	27,32,93
	वर्ष के दौरान वृद्धि	2,49,25	1,56,13
	वर्ष के दौरान कटौती		
	अंतिम शेष	**31,38,31**	**28,89,06**
(iv)	**उपलब्ध बिक्री हेतु आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	3,61,12	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		3,61,12
	वर्ष के दौरान कटौती	11,05,37	
	अन्तिम शेष	**-7,44,25**	**3,61,12**
(V)	**लाभ और हानि खाते का शेष**		
	प्रारंभिक शेष	336,78,36	275,87,72
	लाभ और हानि खाते में वृद्धि	45,34,33	60,90,64
	अन्तिम शेष	**382,12,70**	**336,78,36**
	कुल (I,II,III, IV और V)	**932,63,30**	**759,73,02**

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
क	**I) माँग जमाए**		
	i) बैंकों से	1,35,72	1,37,82
	ii) अन्य से	502,45,71	487,01,91
	कुल	**503,81,43**	**488,39,73**
	II) बचत बैंक जमाए	**2987,22,74**	**2935,66,11**
	III) सावधि जमाएँ		
	i) बैंकों से	397,67,15	393,16,13
	ii) अन्य से	4734,95,52	4438,59,91
	कुल	**5132,62,67**	**4831,76,04**
	कुल (I, II और III)	**8623,66,84**	**8255,81,88**
ख/B	I) भारत में शाखाओं के जमाएँ	8623,66,84	8255,81,88
	II) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ	-	-
	कुल (I और II)	**8623,66,84**	**8255,81,88**

नोट: कुल जमा में से लियन चिह्नित जमा मार्च 26 – रुपए 1,19,98,86 और मार्च 25 – रुपए 1,01,89,86

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
(iii)	**Special Reserve u/s 36(1) (VIII)**		
	Opening Balance	28,89,06	27,32,93
	Adition During the Year	2,49,25	1,56,13
	Deduction During the year		
	Closing Balance	**31,38,31**	**28,89,06**
(iv)	**AFS Reserve**		
	Opening Balance	3,61,12	
	Adition During the Year		3,61,12
	Deduction During the year	11,05,37	
	Closing Balance	**-7,44,25**	**3,61,12**
(V)	**Balance in Profit & Loss Account**		
	Opening Balance	336,78,36	275,87,72
	Addition : Surplus in profit & Loss Account	45,34,33	60,90,64
	Closing Balance	**382,12,70**	**336,78,36**
	Total (I,II,III, IV & V)	**932,63,30**	**759,73,02**

SCHEDULE 3 -DEPOSITS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A	**I) Demand Deposits**		
	i) From Banks	1,35,72	1,37,82
	ii) From Others	502,45,71	487,01,91
	Total	**503,81,43**	**488,39,73**
	II) Savings Bank	**2987,22,74**	**2935,66,11**
	III) Term Deposits		
	i) From Banks	397,67,15	393,16,13
	ii) From Others	4734,95,52	4438,59,91
	Total	**5132,62,67**	**4831,76,04**
	Total (I, II & III)	**8623,66,84**	**8255,81,88**
B	I) Deposits of Branches in India	8623,66,84	8255,81,88
	II) Deposits of Branches outside India	-	-
	Total (I & II)	**8623,66,84**	**8255,81,88**

NOTE: Lien marked deposits out of total deposits Mar. 26 - Rs. 119,98,86 and Mar 25 - Rs. 101,89,86

अनुसूची 4– उधार

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	**भारत में उधार**		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
	ii) अन्य बैंक	-	-
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
II	भारत के बाहर उधार	-	-
	कुल (I और II)	**-**	-
III	**ऊपर I में शामिल सुरक्षित उधारी**	**-**	-

अनुसूची 5 – अन्य दायित्व और प्रावधान

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	देय बिल	22,46,43	22,28,26
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
III	अर्जित ब्याज	11,78,85	16,21,67
IV	अन्य (प्रावधानों सहित)	133,93,99	188,98,76
	कुल (I, II, III और IV)	**168,19,27**	**227,48,69**

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	**नकदी (विदेशी मुद्रा नोटो सहित)**	24,93,77	22,70,06
II	**भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष**		
	i) चालू खातों में	274,74,61	459,00,19
	ii) अन्य खातों में	-	-
	कुल (I और II)	**299,68,38**	**481,70,25**

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	**भारत में**		
	i) बैंकों में बैलेंस		
	चालू खातों में	14,67,68	10,65,85
	अन्य जमा खातों में	1851,36,00	1526,51,00
	कुल	**1866,03,68**	**1537,16,85**
	ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	बैंकों में	0	47,00,00
	अन्य संस्थाओं में	0	83,00,00
	कुल	**0**	**130,00,00**
	कुल (i और ii)	**1866,03,68**	**1667,16,85**
II	भारत के बाहर	0	0
	कुल (I और II)	**1866,03,68**	**1667,16,85**

SCHEDULE 4 -BORROWINGS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	**Borrowings in India**		
	i) Reserve Bank of India	-	-
	ii) Other Banks	-	-
	iii) Other Institutions and Agencies	-	-
II	Borrowings outside India	-	-
	Total (I & II)	**-**	-
III	**Secured Borrowings Included in I above**	**-**	-

SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Bills Payable	22,46,43	22,28,26
II	Inter Office Adjustments (Net)	-	-
III	Interest Accrued	11,78,85	16,21,67
IV	Others (Including Provisions)	133,93,99	188,98,76
	Total (I,II ,III & IV)	**168,19,27**	**227,48,69**

SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	**Cash in hand (Including foreign currency notes)**	24,93,77	22,70,06
II	**Balances with Reserve Bank of India**		
	i) In Current Accounts	274,74,61	459,00,19
	ii) In Other Accounts	-	-
	Total (I & II)	**299,68,38**	**481,70,25**

SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	**In India**		
	i) Balances with Banks		
	In Current Accounts	14,67,68	10,65,85
	In Other Deposit Accounts	1851,36,00	1526,51,00
	Total	**1866,03,68**	**1537,16,85**
	ii) Money at call and short notice		
	With banks	0	47,00,00
	With other institutions	0	83,00,00
	Total	**0**	**130,00,00**
	Total (i & ii)	**1866,03,68**	**1667,16,85**
II	Outside India	0	0
	Total (I & II)	**1866,03,68**	**1667,16,85**

अनुसूची – 8 निवेश

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां	1537,21,48	1757,59,99
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	iii) शेयर		
	iv) डिबेंचर और बांड्स	74,01,28	99,28,63
	v) सहायक और/या संयुक्त उद्यम		
	vi) अन्य (सिक्योरिटी रिसीप्ट)	7,06,73	-
	कुल	**1618,29,49**	**1856,88,62**
II	भारत के बाहर निवेश	0	0
	कुल (I और II)	**1618,29,49**	**1856,88,62**

अनुसूची – 9 अग्रिम

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
क)	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	1,36,20	1,25,75
	ii) कैशक्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण	2665,98,43	2540,92,98
	iii) सावधि ऋण	2560,98,01	2121,74,98
	कुल	**5228,32,64**	**4663,93,71**
ख)	i) मूर्त सम्पत्तियों द्वारा सुरक्षित	5078,59,63	4550,58,43
	ii) बैंक / सरकार द्वारा कवर की गयी गारंटी	58,31,52	23,08,23
	iii) असुरक्षित	91,41,49	90,27,05
	कुल	**5228,32,64**	**4663,93,71**
ग)	I) भारत में ऋण		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	2085,09,67	1956,67,73
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
	iii) बैंक	-	-
	iv) अन्य	3143,22,97	2707,25,98
	शुद्ध अन्य	**5228,32,64**	**4663,93,71**
	II) भारत के बाहर अग्रिम	0	0
	कुल	**5228,32,64**	**4663,93,71**

SCHEDULE 8- INVESTMENT

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Investments in India		
	i) Government Securities	1537,21,48	1757,59,99
	ii) Other Approved Securities		
	iii) Shares		
	iv) Debentures and Bonds	74,01,28	99,28,63
	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) Others(Security Receipt)	7,06,73	-
	Total	**1618,29,49**	**1856,88,62**
II	Investments outside India	0	0
	Total (I & II)	**1618,29,49**	**1856,88,62**

SCHEDULE 9- ADVANCES

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A	i) Bills Purchased and Discounted	1,36,20	1,25,75
	ii) Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	2665,98,43	2540,92,98
	iii) Term Loans	2560,98,01	2121,74,98
	Total	**5228,32,64**	**4663,93,71**
B	i) Secured by Tangible Assets	5078,59,63	4550,58,43
	ii) Covered by Bank/Govt. Guarantees	58,31,52	23,08,23
	iii) Unsecured	91,41,49	90,27,05
	Total	**5228,32,64**	**4663,93,71**
C	I) Advances in India		
	i) Priority Sector	2085,09,67	1956,67,73
	ii) Public Sector	-	-
	iii) Banks	-	-
	iv) Others	3143,22,97	2707,25,98
	Net Others	**5228,32,64**	**4663,93,71**
	II) Advances outside India	0	0
	Total	**5228,32,64**	**4663,93,71**

अनुसूची – 10 अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	**परिसर**		
	(पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि)	25,27,01	28,39,61
	अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
	अवधि के दौरान कटौती	0	3,12,60
	अद्यतन मूल्यहास – (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास सहित)	4,16,84	3,73,81
	ब्लाक I का अतिम शेष	**21,10,17**	**21,53,20**
II	**अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर	149,07,61	135,17,01
	अवधि के दौरान वृद्धि	8,31,82	13,92,76
	अवधि के दौरान कटौती	8,21	2,16
	अद्यतन मूल्सह्रास	111,56,67	96,05,00
	ब्लाक II का अंतिम शेष	**45,74,55**	**53,02,61**
	कुल (I और II)	**66,84,72**	**74,55,81**

अनुसूची – 11– अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	अंतर कार्यालय समायोजन (नेट)	1,648	27,90
II	अर्जित ब्याज	92,70,13	95,02,25
III	अग्रिम में भुगतान किया गया कर/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों को छोड़कर)	15,05,96	11,15,53
IV	स्टेशनरी और स्टाम्प	82	83
V	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर–बैंकिंग संपत्तियां	0	0
VI	अन्य	703,10,10	509,76,47
	कुल (I, II, III, IV, V और VI)	**811,03,49**	**616,22,98**

अनुसूची – 12 आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	बैंक के विरुद्ध दावें जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए	33,96	49,78
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों की जिम्मेदारी	-	-
III	बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण जिम्मेदारी	-	-
IV	घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
	ए) भारत में	21,42,91	45,50,06
	बी) विदेशों में	-	-
V	स्वीकृतियां, अनुमोदन और अन्य दायित्व	-	-
VI	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	61,01,67	53,74,59
	कुल (I, II, III, IV, V और VI)	**82,78,54**	**99,74,43**

SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	**Premises**		
	At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	25,27,01	28,39,61
	Addition during the Period	0	0
	Deduction during the Period	0	3,12,60
	Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	4,16,84	3,73,81
	Closing Block I	**21,10,17**	**21,53,20**
II	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	At cost as on 31st March of the preceeding year	149,07,61	135,17,01
	Addition during the period	8,31,82	13,92,76
	Deductions during the period	8,21	2,16
	Depreciation to date	111,56,67	96,05,00
	Closing Block II	**45,74,55**	**53,02,61**
	Total (I & II)	**66,84,72**	**74,55,81**

SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Inter Office Adjustment (Net)	1,648	27,90
II	Interest Accrued	92,70,13	95,02,25
III	Tax Paid in advance/tax deducted at source	15,05,96	11,15,53
IV	Stationery and Stamps	82	83
V	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI	Others	703,10,10	509,76,47
	Total (I,II,III, IV,V & VI)	**811,03,49**	**616,22,98**

SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Claims against the Bank not acknowledged as Debts	33,96	49,78
II	Liability on partly paid Investments	-	-
III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	-	-
IV	Guarantees given on behalf of constituents		
	a) In India	21,42,91	45,50,06
	b) Outside India	-	-
V	Acceptances, Endorsements and Other Obligations	-	-
VI	Other items for which the bank is contingently liable	61,01,67	53,74,59
	Total (I, II, III, IV, V & VI)	**82,78,54**	**99,74,43**

अनुसूची – 13– अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट	445,17,91	428,12,93
II	निवेश पर आय	121,38,08	136,95,79
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर–बैंक निवेशों पर ब्याज	137,58,27	128,01,64
IV	अन्य	21,51,14	17,31,07
	कुल (I, II, III और IV)	**725,65,40**	**710,41,43**

अनुसूची – 14– अन्य आय/SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज	1,36,17	1,16,74
II	निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि	5,66,37	7,92,30
III	निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
IV	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि	-92	-52,22
V	विनिमय देन–देन पर लाभ घटाएं: विनिमय देन–देन पर हानि	-	-
VI	लाभांश आदि के रूप में कमाई गई आय	-	-
VII	विविध आय	42,59,03	32,87,16
	कुल (I, II, III, IV और V)	**49,60,65**	**41,43,98**

अनुसूची–15– ब्याज व्यय

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	जमाओं पर ब्याज	394,77,23	399,43,38
II	आरबीआई / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	45,03	15,61
III	अन्य	-	-
	कुल (I, II और III)	**395,22,26**	**399,58,99**

अनुसूची – 16– परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	150,36,10	165,23,16
II	किराया, कर और लाईटिंग	19,32,67	18,53,17
III	मुद्रण और स्टेशनरी	1,44,75	1,26,99
IV	विज्ञापन और प्रचार	84,35	59,13
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	15,94,70	15,28,02
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	64,71	52,91
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित)	90,14	78,25
VIII	विधि प्रभार	1,16,71	1,81,25
IX	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि	1,04,64	97,33
X	मरम्मत और रखरखाव	1,62,49	97,36
XI	बीमा	9,52,45	9,77,11
XII	अन्य व्यय	60,86,86	47,49,13
	कुल (I से XII)	**263,70,57**	**263,23,81**

SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Interest/Discount on Advances/Bills	445,17,91	428,12,93
II	Income on Investments	121,38,08	136,95,79
III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	137,58,27	128,01,64
IV	Others	21,51,14	17,31,07
	Total (I, II, III & IV)	**725,65,40**	**710,41,43**

SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Commission, Exchange & Brokerage	1,36,17	1,16,74
II	Profit / Loss on sale of investments Less: Loss on sale of investments	5,66,37	7,92,30
III	Profit on revaluation of investments Less: Loss on revaluation of investments	0	0
IV	Profit on sale of land, buildings and other assets Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	-92	-52,22
V	Profit on exchange transaction Less: Loss on exchnage transaction	-	-
VI	Income earned by way of dividend etc.	-	-
VII	Miscellaneous Income	42,59,03	32,87,16
	Total (I,II,III, IV, V, VI & VII)	**49,60,65**	**41,43,98**

SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Interest on Deposits	394,77,23	399,43,38
II	Interest on RBI /Inter Bank Borrowings	45,03	15,61
III	Others	-	-
	Total (I, II & III)	**395,22,26**	**399,58,99**

SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

		As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I	Payments to and Provisions for Employees	150,36,10	165,23,16
II	Rent, Taxes and Lighting	19,32,67	18,53,17
III	Printing and Stationery	1,44,75	1,26,99
IV	Advertisement and Publicity	84,35	59,13
V	Depreciation on Bank's Property	15,94,70	15,28,02
VI	Director's Fees Allowances and Expenses	64,71	52,91
VII	Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	90,14	78,25
VIII	Law Charges	1,16,71	1,81,25
IX	Postage, Telegrams, Telephones etc	1,04,64	97,33
X	Repairs and Maintenance	1,62,49	97,36
XI	Insurance	9,52,45	9,77,11
XII	Other Expenditure	60,86,86	47,49,13
	Total (I to XII)	**263,70,57**	**263,23,81**

अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि

द नैनीताल बैंक लिमिटेड, नैनीताल, उत्तराखंड में वर्ष 1922 में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा समय–समय पर नियामक (RBI) और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नियमों/दिशानिर्देशों द्वारा शासित है। बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग तथा ट्रेजरी परिचालन सहित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।

2. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सतत व्यवसाय (Going Concern) की अवधारणा, ऐतिहासिक लागत आधार तथा उपार्जन/वाणिज्यिक लेखांकन आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ये विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles GAAP) के अनुरूप हैं, जिसमें समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित लागू वैधानिक प्रावधान, विनियामक मानदंड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जारी अधिसूचित लेखांकन मानक (AS), जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014, के पैरा 7 के साथ पढ़ा जाए, जहाँ तक वे लागू हों, तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान प्रथाएँ शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप एवं समान हैं।

3. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों एवं देनदारियों (Contingent Liabilities सहित) की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि के संबंध में कुछ अनुमान एवं धारणाएँ निर्धारित करनी पड़ती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी भी संशोधन को, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वर्तमान अवधि तथा भविष्य की अवधियों में भावी आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. निवेशः

4.1 निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

(i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

(ii) लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर जिसकी एक उप–श्रेणी व्यापार हेतु धारित है; तथा

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के उद्देश्य से, निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित छह समूहों में उप–वर्गीकरण सहित वर्गीकृत एवं प्रदर्शित किया जाता है, जो RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैः (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड (v) सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम तथा (vi) अन्य म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, सिक्योरिटी रिसीट्स तथा अन्य निवेश।

4.2 अधिग्रहण की लागत

निवेश के अधिग्रहण के समय भुगतान की गई ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) आदि को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में लिया जाता है।

4.3 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण–व्यापक मानदंड

निवेशों को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, यह निर्णय निवेश के अधिग्रहण के समय किया जाता है।

I. वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, अर्थात ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है, तथा प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से निर्धारित तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न होते हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान होते हैं, अर्थात 'SPPI Criterion', उन्हें ''Held to Maturity (HTM)'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

II. निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को AFS के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता हैः

क) प्रतिभूति का अधिग्रहण ऐसे उद्देश्य से किया गया हो, जिसकी पूर्ति संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने तथा प्रतिभूतियों की बिक्री, दोनों के माध्यम से होती हो; तथा

ख) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऊपर बताए गए 'SPPI Criterion' को पूरा करती हों।

III. वे प्रतिभूतियाँ जो HTM या AFS में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें FVTPL के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ भी शामिल होंगीः

बैंक के पास निवेशों की मान्यता , मापन एवं संचालन के लिए एक पृथक नीति है, जो RBI के परिपत्र RBI/DOR/2023–24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023–24 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अनुरूप है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BACKGROUND

The Nainital Bank Limited, incorporated in Nainital, Uttarakhand in the year 1922, is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949, The Companies act, 2013 and other applicable regulations/ guidelines issued from time to time by regulator(RBI) and Govt. of India, the Bank is engaged in providing a wide range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations.

2. BASIS OF PREPARATION

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis and on the accrual/mercantile basis of Accounting, unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, notified Accounting Standards (AS) issued under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable and current practices prevailing in the banking industry in India. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

3. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are categorized into three categories –

(i) Held to Maturity (HTM),

(ii) Fair Value through profit & loss account (FVTPL), (with a sub category as "Held for Trading") (HFT), and

(iii) Available for Sale (AFS)

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified and disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups with sub-classification under each category viz., (i) Government Securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Debentures & Bonds, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) Others – Units of Mutual Funds, Certificate of Deposits, Commercial Paper, Security Receipts and other investments, in accordance with RBI guidelines.

4.2 Cost of acquisition

Brokerage, commission and securities transaction tax (STT) etc., pertaining to investment, paid at the time of acquisition are charged to the profit and loss account.

4.3 Classification under various categories – broad parameters

The category under which the investments would be classified is decided at the time of acquisition.

I. Investments which the bank intends to hold till maturity i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates are classified as "Held to Maturity".

II. Securities that meet the following criteria shall be classified under AFS

 a. The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

 b. The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given above.

III. Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:

The Bank has separate policy for recognition, measurement and operation of investment, in line with RBI circular RBI/ DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

4.4 प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

किसी प्रतिभूति (Security) के अधिग्रहण पर दिए गए प्रीमियम/डिस्काउंट को उस प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। AFS एवं FVTPL श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का बाजार मूल्यांकन (Mark–to–Market) किया जाता है। 'AFS' एवं 'FVTPL' श्रेणियों में शामिल सूचीबद्ध निवेशों का बाजार/उचित मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध संबंधित प्रतिभूति के बाजार मूल्य , SGL खाते में लेन–देन, RBI की मूल्य सूची अथवा Financial Benchmark India Private Limited (FBIL) द्वारा समय–समय पर घोषित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक निवेश श्रेणी के अंतर्गत, यदि कोई शुद्ध मूल्यह्रास होता है, तो उसे IFS Reserve में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक निवेश श्रेणी के अंतर्गत होने वाली शुद्ध मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। तथापि, जब अस्थायी से अधिक मूल्य में कम) के लिए प्रावधान किया जाता है, तब व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन किया जाता है।

बैंक निवेशों की खरीद/बिक्री के लेखांकन के लिए Settlement Date Method का तथा लागत निर्धारित करने एवं निवेशों की बिक्री पर लाभ के लेखांकन के लिए Weighted Average Cost Method का अनुसरण करता है। ऋण लिखतों (Debt Instruments) एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर टूटी हुई अवधि का ब्याज राजस्व मद (Revenue Item) के रूप में माना जाता है। Treasury Bills, Commercial Paper तथा Certificates of Deposits, जो डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, का मूल्यांकन Carrying Cost पर किया जाता है। Mutual Funds की यूनिट्स का मूल्यांकन संबंधित Mutual Fund द्वारा घोषित नवीनतम Repurchase Price / NAV (Net Asset Value) के आधार पर किया जाता है।

4.5 निवेशों का निपटान

निवेशों की बिक्री/मोचन, HFT और AFS श्रेणियों में प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से होने वाले लाभ या हानि को लाभ – हानि खाते में शामिल किया जाता है। HTM श्रेणी में निवेशों की बिक्री/मोचन से होने वाले लाभ को लाभ – हानि खाते में शामिल किया जाता है तथा RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार कर (Tax) एवं Statutory Reserve में अंतरण के समायोजन के पश्चात शेष लाभ को Capital Reserve में विनियोजित किया जाता है।

जिन निवेशों के लिए ऐसे दरें/कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

30 अगस्त, 2021 को जारी RBI के 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स – प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर' पर मास्टर डायरेक्शन के आधार पर: परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन (मूल्यह्रास) के लिए किए गए प्रोविज़न को, जिसे पहले 'प्रोविज़न और कंटींजेंसी' का हिस्सा माना जाता था, अब 'अन्य आय' (other income) के हिस्से के तौर पर रीक्लासिफ़ाई किया गया है।

4.6 निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व (IFR)

पर्याप्त रिज़र्व के निर्माण को सुनिश्चित करने तथा यील्ड में वृद्धि (Increase in Yields) से उत्पन्न जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, RBI ने अपने परिपत्र संख्या RBI/2017–18/147 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 से IFR बनाने की सलाह दी थी।

IFR में अंतरण निम्नलिखित में से कम राशि के बराबर होगा: 1. वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर हुआ शुद्ध लाभ (Net Profit on Sale of Investments); अथवा 2. वर्ष का शुद्ध लाभ (Net Profit), अनिवार्य विनियोगों (Mandatory Appropriations) को घटाने के पश्चात, जब तक कि IFR की राशि निरंतर आधार पर HFT एवं AFS पोर्टफोलियो के कम–से–कम 2% के स्तर तक न पहुंच जाए।

5. अग्रिम एवं उन पर प्रावधान

अग्रिमों को मानक (Standard) तथा NPAs के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा RBI द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। बैलेंस शीट में दर्शाए गए अग्रिमों की राशि में से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात शुद्ध राशि दर्शाई जाती है: प्रावधान (Provisions); Interest Suspense; क्रेडिट गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे (Claims Received from Credit Guarantee Institutions); तथा वसूली की वह राशि जिसका विनियोजन अभी लंबित है और जिसे Sundry Account में रखा गया है। Non–Performing Advances पर प्राप्त होने वाले ब्याज को Unrealized Interest Account में स्थानांतरित किया जाता है तथा प्राप्त होने तक उसे Profit and Loss Account में आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। पहले Write–off किए गए ऋणों के विरुद्ध बाद में प्राप्त होने वाली राशियों को आय (Income) के रूप में मान्यता दी जाती है। वर्तमान में उधारकर्ता की स्थिति के आधार पर जिन प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं मानी जाती है, उन्हें Profit and Loss Account में वापस लिख (Reverse) दिया जाता है। Restructured / Rescheduled Assets के संबंध में RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें, जहां लागू हो, पुनर्गठन के कारण परिसंपत्तियों के Fair Value में कमी (Diminution in Fair Value) के लिए किए जाने वाले प्रावधान भी शामिल हैं। Standard Assets के लिए प्रावधान RBI द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं निर्धारित स्तरों के अनुसार किया जाता है।

Inter–Bank Participation के माध्यम से अग्रिमों का अंतरण RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम सहित (With Risk) तथा जोखिम रहित (Without Risk) दोनों प्रकार से किया जाता है। जोखिम सहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को क्रमशः अग्रिम से घटाया / अग्रिम में शामिल किया जाता है। जोखिम रहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को क्रमशः उधार / निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4.4 Valuation of Securities

Any premium/discount on acquisition of securities are amortized over the remaining maturity of the security. Investments classified under the AFS and FVTPL categories are marked-to-market. The market / fair value of quoted investments included in the 'AFS' and 'FVTPL' categories is measured with respect to the Market Price of the Scrip as available from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI or prices declared by Financial Benchmark India Private Limited (FBIL), periodically. Net depreciation, if any, within each category of investment classification is recognised in AFS reserve. The net appreciation, if any, under each category of Investment is ignored, Except in cases where provision for diminution other than temporary is created, the book value of individual securities is not changed consequent to the periodic valuation of Investments.

The Bank follows settlement date method of accounting for purchase / sale of investments, and weighted average cost method for determining cost and accounting of profit on sale of investments. Broken period interest on debt instruments and government securities is treated as a revenue item. Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost. Units of Mutual Funds are valued at the latest repurchase price / NAV declared by the Mutual Fund.

4.5 Disposal of Investments

Sale / Redemption of Investments Profit or loss on sale / redemption in respect of securities in HFT and AFS category is included in the Profit and Loss account. Profit on sale / redemption of investments in HTM category is included in the Profit and Loss Account and is appropriated to Capital Reserve after adjustments for tax and transfer to Statutory Reserve, as per RBI guidelines.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India.

Based on RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures issued on August 30, 2021: Provision for depreciation on performing standard investments earlier classified as part of provisions and contingencies has been reclassified as part of other income.

4.6 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP . BC.102/21.04.048/2017- 18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are classified as standard and non-performing assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by RBI. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions, interest suspense, claims received from credit guarantee institutions and recoveries pending appropriation and held in sundry account. Interest on non-performing advances is transferred to an unrealized interest account and not recognized in profit and loss account until received. Amounts recovered against debts written off is recognised as income and provisions no longer considered necessary based on the current status of the borrower, is reversed to the profit and loss account. In respect of restructured / rescheduled assets, provision is made in accordance with RBI guidelines, including diminution in the fair value of the assets to be provided on restructuring, as applicable. Provision for standard assets, is made in accordance with the guidelines and at levels stipulated by RBI from time to time.

Transfer of advances through inter-bank participation is undertaken with and without risk in accordance with RBI guidelines. In case of participation with risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is reduced from / included in advances. In case of participation without risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is classified under borrowings / investments.

6. फ्लोटिंग प्रावधानः

फ्लोटिंग प्रावधानों (Floating Provisions) का उपयोग केवल RBI के लागू दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों (Extraordinary Circumstances) में आकस्मिकताओं (Contingencies) के लिए किया जाता है तथा इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाती है।

7. स्थायी परिसंपत्तियाँ

परिसर (Premises) एवं अन्य स्थायी परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत (Historical Cost) अथवा, जहां लागू हो, पुनर्मूल्यांकित राशि पर लेखांकित किया जाता है, जिसमें से अब तक चार्ज की गई मूल्यह्रास की राशि घटाई जाती है। लागत में निम्नलिखित शामिल होते हैंः खरीद की लागत; साइट की तैयारी पर किया गया व्यय; स्थापना लागत; सॉफ्टवेयर के विकास पर किया गया व्यय; तथा जीएसटी (आईटीसी को घटाने के पश्चात)। पहले से उपयोग में लाई जा रही परिसंपत्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब उससे ऐसी परिसंपत्तियों से प्राप्त होने वाले भविष्य के लाभ अथवा उनकी कार्यशील क्षमता में वृद्धि होती हो।

स्थायी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

मौजूदा बाज़ार मूल्य को दिखाने के लिए, प्रॉपर्टी का समय–समय पर (हर तीसरे साल) दो स्वतंत्र वैल्यूअर्स से दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। दोबारा मूल्यांकन पर अगर कोई बढ़ोतरी (एप्रिसिएशन) होती है, तो उसे कैपिटल रिज़र्व के तहत 'रीवैल्यूएशन रिज़र्व' में क्रेडिट किया जाता है। दोबारा मूल्यांकित एसेट पर अतिरिक्त डेप्रिसिएशन को प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है और रीवैल्यूएशन रिज़र्व से 'अन्य रेवेन्यू रिज़र्व' में ट्रांसफर किया जाता है। दोबारा मूल्यांकन के कारण एसेट की कैरिंग अमाउंट में होने वाली कमी को प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज किया जाना चाहिए। हालाँकि, अगर उस एसेट के लिए रीवैल्यूएशन सरप्लस में कोई क्रेडिट बैलेंस मौजूद है, तो उस कमी को सीधे रीवैल्यूएशन सरप्लस से डेबिट किया जाना चाहिए।

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

यह बिना किसी भौतिक रूप (physical substance) वाली एक पहचानी जा सकने वाली संपत्ति है, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यह ICAI द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और रेगुलेटर (जैसे RBI) के लागू दिशानिर्देशों में बताई गई मान्यता की शर्तों को पूरा करती है। उदाहरण–**सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस (CBS, ट्रेजरी/थर्ड–पार्टी एप्लिकेशन), इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट।**

8. मूल्यह्रासः

8.1 स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पैरा 7.2 में संदर्भित परिसंपत्तियों को छोड़कर, स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (Schedule II) के अनुसार Written Down Value (WDV) Method से निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किया जाता है। हालांकि, पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों (Revalued Assets) के मामले में मूल्यह्रास ऐसी पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु (Estimated Useful Life) के आधार पर प्रदान किया जाता है।

क्र. सं	स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास/ परिशोधन की विधि	उपयोगी आयु (वर्ष)	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1.	कंप्यूटर (End User Devices जैसे Laptop, Desktop)	सरल रेखा विधि (SLM)	3 वर्ष	33.33% प्रति वर्ष
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा हैं	सरल रेखा विधि (SLM)	3 वर्ष	33.33% प्रति वर्ष
3.	सर्वर एवं नेटवर्क/नेटवर्क डिवाइस (Data Centers/Data Recovery Centre आदि)	सरल रेखा विधि (SLM)	6 वर्ष	16.67% प्रति वर्ष
4.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ (Intangible Assets)	सरल रेखा विधि (SLM)	6 वर्ष	16.67% प्रति वर्ष
5.	सामान्य फर्नीचर एवं फिटिंग्स	लिखित मूल्य विधि (WDV)	10	25.89% प्रति वर्ष
6.	कार्यालय उपकरण	लिखित मूल्य विधि (WDV)	5	45.07% हर वर्ष
7.	प्लांट एवं मशीनरी	लिखित मूल्य विधि (WDV)	15	18.10% हर वर्ष
8.	वाहन–मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य दोपहिया वाहन	लिखित मूल्य विधि (WDV)	10	25.89% हर वर्ष
9.	वाहन –मोटर कार एवं अन्य चार पहिया वाहन	लिखित मूल्य विधि (WDV)	8	31.23% हर वर्ष
10.	पुनर्मूल्यांकित भवन (Revalued Building)	लिखित मूल्य विधि (WDV)	पुनर्मूल्यांकन के अनुसार उपयोगी आयु	उपयोगी आयु के अनुसार

8.2 कंप्यूटर (लैपटॉप/डेस्कटॉप/प्रिंटर) और कंप्यूटर हार्डवेयर का अहम हिस्सा माने जाने वाले सॉफ्टवेयर पर RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, 33.33% सालाना की दर से 'स्ट्रेट लाइन मेथड' के तहत मूल्यह्रास लगाया जाता है। नई खरीदी गई या इस्तेमाल में लाई गई चीज़ों पर डेप्रिसिएशन, उनकी खरीद या इस्तेमाल शुरू होने की तारीख से आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

9. रिज़र्व और अधिशेष

रेवेन्यू और अन्य रिज़र्व में इन्वेस्टमेंट फ़्लक्चुएशन रिज़र्व, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाया गया स्पेशल रिज़र्व और AFS रिज़र्व शामिल हैं।

10. कर्मचारी लाभ

10.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि द नैनीताल बैंक लिमिटेड PF Rules के अनुसार एक वैधानिक दायित्व (Statutory Obligation) है। बैंक पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान (Fixed Contribution) का भुगतान करता

6. FLOATING PROVISIONS:

The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in extent guidelines of RBI and in with prior permission of Reserve Bank of India.

7. FIXED ASSETS:

Premises and other fixed assets are accounted for at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), as reduced by depreciation written off. The cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation cost, expenditure incurred for development of software, and GST (net of ITC). Subsequent expenditure incurred on the assets already in use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capacity.

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by two independent valuers, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve. A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

Intangible Assets

- It is an identifiable asset without physical substance form which future economic benefits are expected to generate and meets recognition criteria as prescribed in Accounting Standard 26 issued by ICAI and applicable guidelines of Regulator viz RBI. **Example – Software License fees (CBS, Treasury/Third party applications), Implementation cost.**

8. DEPRECIATION:

8.1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 7.2] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Description of fixed Assets	Method of charging Depreciation/ Amortization	Useful Life (Years)	Depreciation/ Amortizationrate
1.	Computers (End user device such as laptop, desktop)	Straight Line Method	3 Years	33.33% Per annum
2.	Computer software's, forming an integral part of hardware	Straight Line Method	3 Years	33.33% Per annum
3.	Servers and networks/ Network devices (Data Centers/Data Recovery Centre etc)	Straight Line Method	6 Years	16.67 % Per annum
4.	Intangible Assets	Straight Line Method	6 Years	16.67 % Per annum
5.	General furniture and fittings	Written Down Value method	10 Years	25.89 % Per annum
6	Office Equipment's	Written Down Value method	5 Years	45.07 % Per annum
7	Plant and Machinery	Written Down Value method	15 Years	18.10 % Per annum
8	Vehicles - Motor cycles, Scooters and other 2 wheelers	Written Down Value method	10 Years	25.89 % Per annum
9	Vehicles – Motor Cars and other four wheelers	Written Down Value method	8 Years	31.23 % Per annum
10	Revalued buildings	Written Down Value method	Useful life as per revaluation	As per useful life

8.2 Depreciation on Computers (Laptops/Desktop/Printer) and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

9. RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include, Investment fluctuation reserve, Special reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 and AFS reserves.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The

है। बैंक का दायित्व इस निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। इन अंशदानों को लाभ–हानि खाते में व्यय के रूप में लिया जाता है। इस निधि का प्रबंधन द नैनीताल बैंक लिमिटेड Provident Fund Trust द्वारा किया जाता है।

10.2 ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी की देनदारी एक कानूनी दायित्व है, जो 'द नैनीताल बैंक लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम' और 'पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट 1972' के तहत देय ग्रेच्युटी राशि में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर होती है। इसका प्रावधान एक्चुअरियल मूल्यांकन (actuarial valuation) के आधार पर किया जाता है।

10.3 पेंशन

'नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन रेगुलेशंस 1995' के तहत पेंशन की देनदारी एक 'डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन' (तय लाभ की बाध्यता) है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक्चुअरियल वैल्यूएशन (बीमा–गणितीय मूल्यांकन) के आधार पर तय की जाती है जो 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए और जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना। पेंशन की देनदारी का खर्च 'नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा उठाया जाता है।

बैंक, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत शामिल कुछ कर्मचारियों की कुल बेसिक सैलरी + DA का 14% हिस्सा देता है। NPS एक 'डिफ़ाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन प्लान' है, जिसे पेंशन फ़ंड मैनेजमेंट कंपनियाँ मैनेज और एडमिनिस्टर करती हैं। साल के दौरान बैंक की तरफ़ से NPS में जमा की गई या भुगतान की गई रकम को प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज किया जाता है।

10.4 **वेतन संशोधन**– बैंक के कर्मचारियों के वेतन का संशोधन प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात Indian Bank Association (IBA), जो बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधि निकाय है, तथा Employees Unions – Officers' Associations के बीच द्विपक्षीय वार्ता (Bilateral Talks) के माध्यम से किया जाता है। अंतिम वेतन संशोधन 01 नवंबर 2022 से प्रभावी हुआ था।

11. आय की मान्यता

मौजूदा NPAs के संबंध में, जहां कोई मुकदमा (Suit) दायर नहीं किया गया है, खाते में समय–समय पर की गई वसूली (Public Money Recovery Act के अंतर्गत वसूली सहित) का विनियोजन निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

i. बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा वहन किए गए सभी Costs, Commission, Charges एवं Expenses की ओर;

ii. बैंक को देय Interest, Additional Interest, Further Interest एवं Penal Interest की ओर;

iii. मूलधन (किस्त)।

जिन खातों में मुकदमा दायर किया गया है अथवा जिनमें Decree पारित हो चुकी है, उनमें वसूली का विनियोजन न्यायालय के निर्देशों (Directives of the Court) के अनुसार किया जाता है। यदि न्यायालय द्वारा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है,

तो ऐसी वसूली का विनियोजन Non–Suit Filed Accounts पर लागू व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। NCLT के माध्यम से Resolution/Settlement अथवा Compromise Sanctioned Account के मामले में, वसूली का विनियोजन Compromise Sanction/Resolution Settlement की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

Standard Accounts में वसूली का विनियोजन मांग की तारीख (Date of Demand Raised) के आधार पर किया जाता है तथा सबसे पहले की गई मांग (Earliest Demand) का भुगतान निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

- बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा वहन किए गए सभी Costs, Commission, Charges एवं Expenses की ओर;
- बैंक को देय Interest, Additional Interest, Further Interest एवं Penal Interest की ओर;
- मूल धन के भुगतान के लिए

शुल्क और सभी तरह के कमीशन (थर्ड–पार्टी प्रोडक्ट, बैंक एश्योरेंस और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सॉटफिकेट की ट्रेडिंग पर मिलने वाले कमीशन को छोड़कर), बैंक गारंटी/लेटर ऑफ़ क्रेडिट पर कमीशन, लॉकर का किराया और कार्ड पर सालाना फीस से होने वाली इनकम को मिलने पर (receipt basis) रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड–पार्टी प्रोडक्ट, बैंक एश्योरेंस और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग पर मिलने वाले कमीशन को अक्रूअल बेसिस (accrual basis) पर रिकॉर्ड किया जाता है।

स्वीकृत/वितरित ऋणों पर वसूल की गई Processing Fees / Other Fees, संबंधित स्वंद Acquisition Costs के साथ, सुविधा के Inception / Renewal के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

Non–Performing Assets / Investments के मामलों में आय की वसूली को लेकर अनिश्चितता होने के कारण, ऐसी आय को RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वास्तविक प्राप्ति (Realisation) के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित आय को छोड़कर Income / Expenditure को सामान्यतः Accrual Basis पर मान्यता दी जाती है। Dividend Income तथा Income Tax Refund पर Interest को उस समय मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। Goods – Services Tax (GST) Input Credit को CGST Rules, 2017, यथासंशोधित, में निर्धारित समय–सीमा के भीतर पुस्तकों में लेखांकित किया जाता है।

12. परिसंपत्तियों का ह्रास

स्थायी परिसंपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों सहित) पर होने

contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

10.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.

10.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme the Bank contributes 14% of the total basic salary + DA of certain employees enrolled under National Pension Scheme (NPS), a defined contribution plan, which is managed and administered by pension fund management companies. The amounts so contributed/paid by the Bank to the NPS during the year are recognized in the profit and loss account.

10.4 Wage revision- The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations. The last wage revision had become applicable w.e.f. November 01, 2022.

11. REVENUE RECOGNITION

In respect of existing NPAs, where suit is not filed, recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act.) from time to time shall be appropriated in the following manner:

i. Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank

ii. Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank.

iii. Towards Principal (Instalment).

Recovery in suit filed/decreed accounts shall be appropriated as per the directives of the Court, in case of absence of directives, as applicable to non-suit filed account.

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- Towards payment of the principal money

Income by way of Fees, all Commission (other than commission on sale of third party product, banc assurance & Priority Sector Lending Certificate trading), commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, annual fee on cards are accounted on receipt basis. Commission on sale of third party product, banc assurance & Priority Sector Lending Certificate trading are accounted on accrual basis.

Processing / other fees collected on loans approved / disbursed, along with related loan acquisition costs are recognised at inception / renewal of the facility.

In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

Income (other than mentioned above)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Dividend income and interest on Income Tax refund is recognised when the right to receive payment is established. Goods & Service Tax input credit is accounted for in the books within the time limit prescribed under CGST Rules, 2017, as amended.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including

वाली ह्रास हानि (यदि कोई हो) को ICAI द्वारा जारी AS 28 (Impairment of Assets) के अनुसार मान्यता दी जाती है और उसे लाभ एवं हानि खाते (Profit and Loss Account) में प्रभारित किया जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को परिसंपत्तियों की वहन राशि (Carrying Amount) की समीक्षा की जाती है, यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर परिसंपत्तियों के ह्रास का कोई संकेत मिलता है। जहाँ भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक होती है, वहाँ ह्रास हानि को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति की शुद्ध बिक्री कीमत (Net Selling Price) और उपयोग में मूल्य (Value in Use) में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर (Pre–tax Discount Rate) का उपयोग करके वर्तमान मूल्य में परिवर्तित किया जाता है। यह छूट दर धन के समय मूल्य तथा परिसंपत्ति से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। ह्रास के बाद, परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर उसके शेष उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

13. आय पर कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर का प्रावधान तथा वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में हुए शुद्ध परिवर्तन को शामिल किया जाता है। वर्तमान कर का प्रावधान न्यायिक निर्णयों एवं कानूनी राय पर उचित विचार करने के बाद किया जाता है। अर्थात्, यह उस अवधि के लिए निर्धारित कर की राशि है, जो Income Tax Act, 1961, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा Income Computation and Disclosure Standards में निर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

आस्थगित आयकर (Deferred Income Taxes) उन समयगत अंतरों (Timing Differences) को मान्यता देता है जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होते हैं और जो एक अवधि में उत्पन्न होकर एक या अधिक आगामी अवधियों में समाप्त हो सकते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों (Deferred Tax Assets) को लेखा पुस्तकों में उनकी भविष्य में वसूली/रिवर्सल की सीमा तक मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देयताओं (Deferred Tax Liabilities) को उपार्जन के वर्ष में पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर का मापन बैलेंस शीट की तारीख पर लागू या पर्याप्त रूप से लागू किए जा चुके कर कानूनों और कर दरों के आधार पर किया जाता है।

कर दरों में परिवर्तन के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कर दर में परिवर्तन लागू किए जाने की अवधि में आय विवरण (Income Statement) में मान्यता दी जाती है।

14. प्रति शेयर आय

बैंक ICAI द्वारा जारी AS 20 (Earnings per Share) के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल एवं diluted earnings की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति शेयर आय (Basic Earnings per Equity Share) की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted Average Number of Equity Shares Outstanding) से शुद्ध आय को विभाजित करके की जाती है। Diluted Earnings per Equity Share की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों तथा संभावित रूप से डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

ICAI द्वारा जारी AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान को मान्यता देता है जबः किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बैंक पर वर्तमान दायित्व हो; दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो; तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत कम (Remote) न हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है जिसकी वास्तविक वसूली भविष्य में न हो पाए।

16. खंडवार रिपोर्टिंग

बैंक, RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा ICAI द्वारा जारी Accounting Standard 17 के अनुपालन में: बिज़नेस सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड; तथा ज्योग्राफिकल सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्षों में निम्नलिखित शामिल हैं: हाथ में नकद; भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि; अन्य बैंकों के पास शेष राशि; तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर उपलब्ध धनराशि।

18. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

Companies Act, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर किए गए व्यय को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

19. अन्य/विविध

जिन ऋणों की परिपक्वता अवधि 12 माह से कम होती है, उन्हें अल्पकालिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों के अतिरिक्त अन्य सभी ऋणों को दीर्घकालिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

13. TAXES ON INCOME:

Income Tax expense comprises of current tax provision made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion (i.e. the amount of tax for the period determined in accordance with the Income Tax Act, 1961, the rules framed there under and considering the material principles set out in Income Computation and Disclosure Standards) and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Deferred income taxes recognize timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets are recognized in the books of account to the extent of their future reversibility. Deferred Tax Liabilities are recognized fully in the year of accrual. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

18. Corporate Social Responsibility

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013 is recognised in the Profit and Loss Account.

19. OTHERS/MISC.

Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term...

अनुसूची 18: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

1. विनियामक पूंजी

(i) विनियामक पूंजी की संरचना

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	1050.42	825.70
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0	0
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	1050.42	825.70
iv)	टियर 2 पूंजी	60.79	48.15
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	1111.21	873.85
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (RWAs)	5862.25	5212.38
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	17.92%	15.84%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.92%	15.84%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	1.04%	0.92%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीएसआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.96%	16.76%
xi)	लिवरेज अनुपात	10.34%	8.56%
xii)	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	0	0
	ख) राज्य सरकार	0	0
	ग) प्रायोजक बैंक	0	0
	घ) बैंक और वित्तीय संस्थान	98.62%	98.57%
xiii)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	48.28	0
xiv)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि	0	0
xv)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई टियर 2 पूंजी की राशि	0	0

(ii) रिज़र्व से आहरण :

₹40.03 लाख की राशि को AS–10 (स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन) के अनुपालन में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया गया है। यह राशि पुनर्मूल्यांकित स्थिर परिसंपत्तियों के हिस्से पर हुई मूल्यह्रास को दर्शाती है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

(क) 31 मार्च, 2026 को कुछ आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता अवधि का प्रारूप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियां	82.65 (68.73)	283.91 (299.81)	266.15 (272.78)	191.56 (299.67)	329.05 (341.11)	362.22 (434.33)	1154.56 (1004.34)	2267.81 (1717.64)	3651.24 (3786.03)	27.82 (23.22)	6.70 (8.16)	8623.67 (8255.82)
अग्रिम	14.65 (14.95)	88.66 (86.29)	104.33 (101.32)	215.79 (209.00)	141.73 (127.77)	375.10 (131.13)	477.50 (434.40)	249.29 (217.45)	1891.45 (1881.25)	475.15 (494.81)	1194.68 (965.57)	5228.33 (4663.94)
निवेश	89.58 (378.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	147.40 (164.65)	69.94 (56.78)	60.11 (72.18)	192.48 (176.89)	376.80 (308.94)	616.18 (640.33)	52.04 (4.54)	13.76 (54.39)	1618.29 (1856.89)
उधारियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

1. Regulatory Capital

i) Composition of Regulatory Capital

Sr No.	Particulars	CurrentYear (31-03-2026)	PreviousYear (31-03-2025)
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	1050.42	825.70
ii)	Additional Tier 1 capital	0	0
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	1050.42	825.70
iv)	Tier 2 capital	60.79	48.15
v)	Total capital (Tier 1 + Tier 2)	1111.21	873.85
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5862.25	5212.38
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	17.92%	15.84%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	17.92%	15.84%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.04%	0.92%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.96%	16.76%
xi)	Leverage Ratio	10.34%	8.56%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	0	0
	b) State Government	0	0
	c) Sponsor Bank	0	0
	d) Banks and financial institution	98.62%	98.57%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	48.28	0
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	0	0
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	0	0

(ii) Draw down from Reserves:

An amount of ₹ 40.03 lacs have been appropriated from revaluation reserve to revenue reserve in compliance of AS-10 (accounting for fixed asset) the same reflects the depreciation on revalued portion of fixed asset.

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2026

(Amount in ₹ Crore)

	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months & up to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	82.65 (68.73)	283.91 (299.81)	266.15 (272.78)	191.56 (299.67)	329.05 (341.11)	362.22 (434.33)	1154.56 (1004.34)	2267.81 (1717.64)	3651.24 (3786.03)	27.82 (23.22)	6.70 (8.16)	8623.67 (8255.82)
Advances	14.65 (14.95)	88.66 (86.29)	104.33 (101.32)	215.79 (209.00)	141.73 (127.77)	375.10 (131.13)	477.50 (434.40)	249.29 (217.45)	1891.45 (1881.25)	475.15 (494.81)	1194.68 (965.57)	5228.33 (4663.94)
Investments	89.58 (378.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	147.40 (164.65)	69.94 (56.78)	60.11 (72.18)	192.48 (176.89)	376.80 (308.94)	616.18 (640.33)	52.04 (4.54)	13.76 (54.39)	1618.29 (1856.89)
Borrowings	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि के पिछले वर्ष के आंकड़ों (अर्थात् 31 मार्च, 2025) को दर्शाते हैं।

(ख) तरलता कवरेज अनुपात (LCR):

(राशि ₹ करोड़ में)

		Q1 2025-26		Q2 2025-26		Q3 2025-26		Q4 2025-26	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां									
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (HQLA)	**1656.34**	**1656.34**	**1671.00**	**1671.00**	**1616.06**	**1616.06**	**1559.04**	**1559.04**
नकद बहिर्वाह									
2.	खुदरा जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें:	5576.11	415.92	5913.47	441.95	5972.62	447.06	6092.28	457.05
(i)	स्थिर जमाराशियां	2833.73	141.68	2988.01	149.40	3004.13	150.21	3043.52	152.18
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	2742.38	274.24	2925.46	292.55	2968.49	296.85	3048.76	304.88
3.	असुरक्षित थोक निधियन, जिसमें:	1559.00	696.82	1641.33	774.61	1636.75	752.18	1633.15	725.77
(i)	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
(ii)	गैर–परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	1559.00	696.82	1641.33	774.61	1636.75	752.18	1633.15	725.77
(iii)	असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सुरक्षित थोक निधियन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें:	840.36	47.07	955.33	54.37	950.65	55.66	963.49	54.36
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months & up to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Foreign Currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Foreign Currency liabilities	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2025)

(b) Liquidity coverage ratio (LCR):

(Amount in ₹ crore)

		Q1 2025-26		Q2 2025-26		Q3 2025-26		Q4 2025-26	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1.	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	**1656.34**	**1656.34**	**1671.00**	**1671.00**	**1616.06**	**1616.06**	**1559.04**	**1559.04**
Cash Outflows									
2.	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	5576.11	415.92	5913.47	441.95	5972.62	447.06	6092.28	457.05
(i)	Stable deposits	2833.73	141.68	2988.01	149.40	3004.13	150.21	3043.52	152.18
(ii)	Less stable deposits	2742.38	274.24	2925.46	292.55	2968.49	296.85	3048.76	304.88
3.	Unsecured wholesale funding of which	1559.00	696.82	1641.33	774.61	1636.75	752.18	1633.15	725.77
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1559.00	696.82	1641.33	774.61	1636.75	752.18	1633.15	725.77
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Secured wholesale funding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Additional requirements, of which	840.36	47.07	955.33	54.37	950.65	55.66	963.49	54.36
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Q1 2025-26		Q2 2025-26		Q3 2025-26		Q4 2025-26	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	840.36	47.07	955.33	54.37	950.65	55.66	963.49	54.36
6.	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	116.36	116.36	119.42	119.42	150.72	150.72	150.88	150.88
7.	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	70.31	2.11	87.51	2.63	85.06	2.55	82.16	2.46
8.	**कुल नकद बहिर्वाह**	**8162.13**	**1278.28**	**8717.06**	**1392.97**	**8795.80**	**1408.17**	**8921.97**	**1390.52**
नकद अंतर्वाह									
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रिवर्स रेपो)	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	पूर्णतः निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह	274.47	195.93	545.69	398.45	455.65	363.01	484.04	366.66
11.	अन्य नकद अंतर्वाह	151.56	75.78	156.66	78.33	177.15	88.58	183.09	91.55
12.	**कुल नकद अंतर्वाह**	**426.03**	**271.71**	**702.35**	**476.78**	**632.81**	**451.58**	**667.13**	**458.21**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13.	**कुल** HQLA	**1656.34**	**1656.34**	**1671.00**	**1671.00**	**1616.06**	**1616.06**	**1559.04**	**1559.04**
14.	कुल नकद बहिर्वाह में से कुल नकद अंतर्वाह घटाने के बाद	7736.10	1006.57	8014.71	916.19	8163.00	956.58	8254.84	932.31
15.	कुल नकद बहिर्वाह का 25%	2040.53	319.57	2179.26	348.24	2198.95	352.04	2230.49	347.63
16.	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह [14 या 15 में से अधिक]	**7736.10**	**1006.57**	**8014.71**	**916.19**	**8163.00**	**956.58**	**8254.84**	**932.31**
17.	तरलता कवरेज अनुपात (%) (HQLA/कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह)		**164.55%**		**182.39%**		**168.94%**		**167.22%**

		Q1 2025-26		Q2 2025-26		Q3 2025-26		Q4 2025-26	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	840.36	47.07	955.33	54.37	950.65	55.66	963.49	54.36
6.	Other contractual funding obligations	116.36	116.36	119.42	119.42	150.72	150.72	150.88	150.88
7.	Other contingent funding obligations	70.31	2.11	87.51	2.63	85.06	2.55	82.16	2.46
8.	**Total Cash Outflows**	**8162.13**	**1278.28**	**8717.06**	**1392.97**	**8795.80**	**1408.17**	**8921.97**	**1390.52**
Cash Inflows									
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Inflows from fully performing exposures	274.47	195.93	545.69	398.45	455.65	363.01	484.04	366.66
11.	Other cash inflows	151.56	75.78	156.66	78.33	177.15	88.58	183.09	91.55
12.	**Total Cash Inflows**	**426.03**	**271.71**	**702.35**	**476.78**	**632.81**	**451.58**	**667.13**	**458.21**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**		**Total Adjusted Value**		**Total Adjusted Value**
13.	**Total HQLA**	**1656.34**	**1656.34**	**1671.00**	**1671.00**	**1616.06**	**1616.06**	**1559.04**	**1559.04**
14.	Total Cash Outflows less Total Cash Inflows	7736.10	1006.57	8014.71	916.19	8163.00	956.58	8254.84	932.31
15.	25% of Total Cash outflows	2040.53	319.57	2179.26	348.24	2198.95	352.04	2230.49	347.63
16.	**Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]**	**7736.10**	**1006.57**	**8014.71**	**916.19**	**8163.00**	**956.58**	**8254.84**	**932.31**
17.	Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/ Total Net Cash Outflows)		**164.55%**		**182.39%**		**168.94%**		**167.22%**

गुणात्मक विवरण :

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने तरलता कवरेज अनुपात (LCR) का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया था कि किसी बैंक के पास बिना किसी भार/दावे के उच्च गुणवत्ता वाली पर्याप्त तरल आस्तियां (HQLA) उपलब्ध हों, ताकि वह 30 दिनों की अवधि तक बने रहने वाले गंभीर तरलता दबाव से निपट सके। LCR को उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (HQLA) और अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम LCR, 1 जनवरी, 2015 से निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था:

1 जनवरी से प्रभावी	2015	2016	2017	2018	2019 से आगे
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के कारण RBI ने दिनांक 17.04.2020 से स्ब्द संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया। संशोधित विवरण निम्नानुसार है:

परिपत्र की तारीख से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

LCR में दो घटक हैं:

(ए) तनावपूर्ण परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (HQLA) के स्टॉक का मूल्य।

(बी) कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह: ''कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह'' से आशय आगामी 30 कैलेंडर दिनों (तनावपूर्ण अवधि) के लिए निर्दिष्ट तनाव परिदृश्य में ''कुल अपेक्षित नकद बहिर्वाह'' में से ''कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाह'' को घटाने के बाद प्राप्त राशि से है।

एलसीआर = उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक / आगामी 30 कैलेंडर दिनों में कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह ≥ 100%

एलसीआर के प्रमुख निर्धारक:

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (HQLA):

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियां शामिल होती हैं, जिन्हें विभिन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों में आसानी से बेचा जा सकता है अथवा निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये आस्तियां भारमुक्त (Unencumbered) होनी चाहिए, अर्थात् इनके उपयोग पर कोई कानूनी, विनियामक अथवा परिचालन संबंधी बाधा नहीं होनी चाहिए। किसी आस्ति को उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति तब माना जाता है, जब उसे मूल्य में बहुत कम या बिना किसी हानि के आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

बैंक की HQLA संरचना में मुख्यतः न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) की आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के अंतर्गत अनुमत सीमा तथा LCR के लिए तरलता उपलब्धता सुविधा (FALLCR) के अंतर्गत अनुमत प्रतिभूतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें RBI के पास नकद आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद एवं शेषराशियां भी शामिल हैं। लेवल 2 HQLA में मुख्यतः एए- और उससे अधिक रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

अवधि के भीतर तथा समय के साथ परिवर्तन

समेकित आधार पर LCR, जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026 में समाप्त होने वाले महीनों के लिए क्रमशः 150.31%, 162.93% और 174.38% था, जबकि विनियामक आवश्यकता 100% थी।

निधियन स्रोतों का संकेंद्रण:

महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार (Significant Counterparty) से आशय ऐसे एकल प्रतिपक्षकार अथवा संबद्ध/सम्बद्धित प्रतिपक्षकारों के समूह से है, जिनकी कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक हों। 31 मार्च, 2026 को महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार जमाराशि ''उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक'' से थी, जो हमारी कुल देयताओं का 1.61% थी।

बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की जमाराशियां हमारी कुल जमाराशियों का 10-41% हैं।

डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं संभावित संपार्श्विक मांग:

31 मार्च, 2026 को बैंक का डेरिवेटिव में एक्सपोजर शून्य था।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन:

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, LCR मानक को एकल मुद्रा में पूरा किया जाना आवश्यक है। बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये (INR) में LCR बनाए रखता है। 31 मार्च, 2026 को बैंक केवल INR में लेन–देन करता है, अतः कोई मुद्रा असंतुलन नहीं है।

तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की स्थिति एवं समूह की विभिन्न इकाइयों के बीच अंतःक्रिया का विवरण:

बैंक में तरलता प्रबंधन की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल ने अपनी जिम्मेदारियां बोर्ड की एक समिति, जिसे ''बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति'' कहा जाता है, को सौंप दी हैं। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर्संबंध तथा उसके तरलता पर प्रभाव की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

बैंक के पास एक ALM नीति है, जो तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में बैंक के समस्त परिचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करती है। बैंक के परिचालनों से संबंधित तरलता एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की निगरानी जोखिम प्रबंधन विभाग की ALM सेल द्वारा की जाती है।

एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह:

बैंक का नकद बहिर्वाह मुख्यतः खुदरा जमाराशियों, असुरक्षित थोक निधियन

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019 onwards
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

(a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(b) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

Main Drivers of LCR:

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time

LCR on consolidated basis were 150.31%, 162.93% and 174.38% as at the months ended January 2026, February 2026 and March 2026 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of Funding Sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. The significant counterparty Deposit as of 31st March 2026 was from "Uttar Pradesh Gramin Bank" i.e 1.61% of our Total Liabilities.

Top 20 depositors of the Bank constitute 10.41% of our total deposit.

Derivative Exposures and potential collateral calls:

As on 31 March 2026, Bank's exposure to Derivative is NIL.

Currency Mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines, the LCR standard is required to be met on one single currency, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR. As on 31st March 2026, Bank deals only in INR, hence no currency mismatch.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has a ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the bank operates in terms of liquidity and interest rate risk. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the Bank's operations of the bank is being done by the Bank's ALM Cell of Risk Management Department.

Other inflows and outflows in the LCR calculation:

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit,

तथा अन्य विधिक इकाई ग्राहकों से प्राप्त निधियन, अप्रयुक्त प्रतिबद्ध ऋण एवं तरलता सुविधाओं, गारंटी, साख पत्र एवं व्यापार वित्त तथा अन्य संविदात्मक बहिर्वाह से संबंधित होता है।

नकद अंतर्वाह मुख्यतः खुदरा एवं लघु व्यवसाय प्रतिपक्षकारों से प्राप्त राशि, गैर–वित्तीय थोक प्रतिपक्षकारों से प्राप्त होने वाली राशि, वित्तीय संस्थानों एवं RBI से प्राप्त होने वाली राशि तथा अन्य संविदात्मक नकद अंतर्वाह से संबंधित होता है।

शुद्ध नकद बहिर्वाह की गणना विभिन्न प्रकार की देयताओं तथा अप्रयुक्त प्रतिबद्धताओं पर RBI द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को लागू करके की जाती है, जिसे 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से प्राप्त अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया जाता है।

मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए औसत स्ब्ब 167.22% था, जो RBI द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक था। इस तिमाही के दौरान औसत नकद बहिर्वाह ₹1,390.52 करोड़, औसत नकद अंतर्वाह ₹458.21 करोड़ तथा औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां ₹ 1,559.04 करोड़ थीं।

ग) एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

एनएसएफआर संबंधी गुणात्मक प्रकटीकरण

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2021 से समेकित स्तर पर NSFR को लागू किया गया तथा दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से इसका प्रकटीकरण शुरू किया गया। तदनुसार, बैंक समेकित NSFR की गणना कर रहा है। NSFR को उपलब्ध स्थिर निधियन (Available Stable Funding) की राशि और आवश्यक स्थिर निधियन (Required Stable Funding) की राशि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

NSFR = उपलब्ध स्थिर निधियन (ASF) / आवश्यक स्थिर निधियन (RSF)

उपलब्ध स्थिर निधियन (ASF) को निधियन स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता तथा विभिन्न प्रकार के निधियन प्रदाताओं द्वारा अपने निधियन को वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल हैं। आवश्यक स्थिर निधियन (RSF) बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा शेष परिपक्वता पर निर्भर करता है, जिसमें तुलन–पत्र से इतर एक्सपोजर (OBS Exposures) भी शामिल हैं।

समेकित स्तर पर, 31 मार्च, 2026 को बैंक का NSFR 180.39% रहा, जबकि RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित आवश्यकता 100% है।

NSFR से संबंधित प्रकटीकरणों में एकरूपता एवं उपयोगिता को बढ़ावा देने तथा बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए बैंक को RBI द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप (Common Template) के अनुसार अपना NSFR प्रकाशित करना आवश्यक है। अतः बैंक को वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के साथ यह प्रकटीकरण प्रकाशित करना आवश्यक है, जो सामान्यतः त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है, भले ही वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया गया हो अथवा नहीं। NSFR संबंधी जानकारी समेकित आधार पर तैयार की जाती है और भारतीय रुपये में प्रस्तुत की जाती है।

आंकड़े तिमाही के अंत में उपलब्ध स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। NSFR के घटकों के भाररहित एवं भारित, दोनों मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। भारित मूल्यों की गणना ASF (उपलब्ध स्थिर निधियन) अथवा RSF (आवश्यक स्थिर निधियन) कारकों को लागू करने के बाद प्राप्त मूल्यों के आधार पर की जाती है।

RBI ने अपने दिनांक 05.02.2021 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि NSFR संबंधी दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होंगे।

शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (NSFR) (राशि ₹ करोड़ में)						
31.03.2026 को NSFR प्रकटीकरण प्रारूप						
		परिपक्वता अवधि के अनुसार भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
ASF मद						
1	पूंजीः (2+3)	0.00	0.00	0.00	1,111.21	1,111.21
2	विनियामक पूंजी	0.00	0.00	0.00	1,111.21	1,111.21
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**खुदरा जमाराशियां एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियांः (5+6)**	**3,059.72**	**1,953.75**	**1,734.57**	**0.00**	**6,232.60**
5	स्थिर जमाराशियां	1,849.41	710.96	626.83	0.00	3,027.84

Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR for the quarter ended March 2026 was 167.22% comfortably above RBI prescribed minimum requirement i.e.100%. Average cash outflows were Rs 1390.52 Crore, Average cash inflows were Rs 458.21 Crores. Average High Quality Liquid Assets were Rs 1559.04 Crores of the quarter ended March 2026.

c) NSFR Disclosure Standards

NSFR Qualitative Disclosure

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding;

NSFR= (Available Stable Funding (ASF)) / (Required Stable Funding (RSF))

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 180.39% as on 31st March 2026 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

To promote the consistency and usability of disclosures related to the NSFR and to enhance market discipline, bank is required to publish its NSFR according to a common template given by RBI. Bank is therefore required to publish this disclosure along with the publication of financial statements (i.e. typically quarterly or semi-annually), irrespective of whether the financial statements are audited. The NSFR information is calculated on a consolidated basis and presented in Indian Rupee.

Data must be presented as quarter-end observations. Both un-weighted and weighted values of the NSFR components are to be disclosed unless otherwise indicated. Weighted values are calculated as the values after applying ASF (Available stable funding) or RSF (Required stable funding) factors.

RBI in its circular dated 05.02.2021 decided that NSFR guidelines will come into effect from October 1,2021.

Net Stable Funding ratio (NSFR) (₹ in Crore)						
NSFR Disclosure Template-31.03.2026						
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 year	≥ 1 year	
ASF Item						
1	Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	1,111.21	1,111.21
2	Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	1,111.21	1,111.21
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	**3,059.72**	**1,953.75**	**1,734.57**	**0.00**	**6,232.60**
5	Stable deposits	1,849.41	710.96	626.83	0.00	3,027.84

शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (NSFR) (राशि ₹ करोड़ में)						
31.03.2026 को NSFR प्रकटीकरण प्रारूप						
		परिपक्वता अवधि के अनुसार भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
ASF मद						
6	कम स्थिर जमाराशियां	1,210.31	1,242.79	1,107.74	0.00	3,204.76
7	थोक निधियनः (8+9)	155.96	138.39	433.63	0.00	363.99
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	155.96	138.39	433.63	0.00	363.99
10	अन्य देयताएंः (11+12)	0.00	677.53	0.00	699.54	706.06
11	NSFR डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं एवं इक्विटी	0.00	677.53	0.00	699.54	706.06
13	**कुल ASF (1+4+7+10)**					**8,413.86**
RSF मद						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (HQLA)					
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रखी गई जमाराशियां	11.55	0.00	0.00	0.00	5.77
16	**निष्पादित ऋण एवं प्रतिभूतियांः (17+18+19+21+23)**	**0.00**	**5,319.24**	**1,044.70**	**2,057.10**	**3,821.40**
17	लेवल 1 HQLA द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को दिए गए निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर–लेवल 1 HQLA द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को दिए गए निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को दिए गए असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर–वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को दिए गए निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों को दिए गए ऋण तथा संप्रभु, केंद्रीय बैंकों एवं PSEs को दिए गए ऋण, जिनमेंः	0.00	2,706.54	200.17	817.27	1,942.72
20	बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमेंः	0.00	81.00	31.68	1,107.86	778.91
22	बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार वाले	0.00	81.00	31.68	1,107.86	778.91

Net Stable Funding ratio (NSFR)						(₹ in Crore)
NSFR Disclosure Template-31.03.2026						
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 year	≥ 1 year	
ASF Item						
6	Less stable deposits	1,210.31	1,242.79	1,107.74	0.00	3,204.76
7	Wholesale funding: (8+9)	155.96	138.39	433.63	0.00	363.99
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	155.96	138.39	433.63	0.00	363.99
10	Other liabilities: (11+12)	0.00	677.53	0.00	699.54	706.06
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	677.53	0.00	699.54	706.06
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**8,413.86**
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	11.55	0.00	0.00	0.00	5.77
16	**Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)**	**0.00**	**5,319.24**	**1,044.70**	**2,057.10**	**3,821.40**
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2,706.54	200.17	817.27	1,942.72
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	81.00	31.68	1,107.86	778.91
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	81.00	31.68	1,107.86	778.91

शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (NSFR) (राशि ₹ करोड़ में)						
31.03.2026 को NSFR प्रकटीकरण प्रारूप						
		परिपक्वता अवधि के अनुसार भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
RSF मद						
23	ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट में नहीं हैं और HQLA के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं, जिनमें एक्सचेंज पर कारोबार की जाने वाली इक्विटी भी शामिल हैं	0.00	2,531.70	812.85	131.97	1,099.77
24	अन्य आस्तियां: (पंक्ति 25 से 29 का योग)	**0.00**	**1132.32**	**0.00**	**0.00**	**833.68**
25	भौतिक रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुएं, जिसमें सोना भी शामिल है		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में रखी गई आस्तियां एवं CCPs के डिफॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तनशील मार्जिन की कटौती से पहले NSFR डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी आस्तियां	0.00	1,132.32	0.00	0.00	833.68
30	तुलन–पत्र से इतर मदें		80.66	0.00	0.00	2.42
31	**कुल RSF (14+15+16+24+30)**					**4,663.27**
32	**शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (NSFR) (%)**					**180.43%**

3. निवेश

(i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष (31–03–2026)							पूर्ववर्ती वर्ष (31–03–2025)						
	HTM		AFS	FVTPL		सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम		HTM		AFS	FVTPL		सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य		HFT	non-HFT	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		HFT	non-HFT	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	932.53	923.91	604.68	0	0			951.25	962.17	806.35	0	0		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(iii) अंश	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(iv) ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0	0	63.43	0	10.58			0	0	88.34	0	10.95		
(v) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम														
(vi) अन्य निवेश	0	0	0	0	7.07			0	0	0	0	0		
कुल	932.53	923.91	668.11	0	17.65			951.25	962.17	894.69	0	10.95		

Net Stable Funding ratio (NSFR) (₹ in Crore)						
NSFR Disclosure Template-31.03.2026						
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 year	≥ 1 year	
RSF Item						
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	2,531.70	812.85	131.97	1,099.77
24	**Other assets: (sum of rows 25 to 29)**	**0.00**	**1132.32**	**0.00**	**0.00**	**833.68**
25	Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	0.00	1,132.32	0.00	0.00	833.68
30	Off-balance sheet items		80.66	0.00	0.00	2.42
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					**4,663.27**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**180.43%**

3. Investments

(i) Composition of investment portfolio

(all amounts in ₹ crore)

	Current Year (31-03-2026)							Previous Year (31-03-2025)						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
	At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value	At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value
I. Investments in India														
(i) Government securities	932.53	923.91	604.68	0	0			951.25	962.17	806.35	0	0		
(ii) Other approved securities	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(iii) Shares	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(iv) Debentures and Bonds	0	0	63.43	0	10.58			0	0	88.34	0	10.95		
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures														
(vi) Others	0	0	0	0	7.07			0	0	0	0	0		
Total	932.53	923.91	668.11	0	17.65			951.25	962.17	894.69	0	10.95		

	चालू वर्ष (31–03–2026)							पूर्ववर्ती वर्ष (31–03–2025)						
	HTM		AFS	FVTPL		सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम		HTM		AFS	FVTPL		सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य		HFT	non-HFT	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		HFT	non-HFT	लागत पर	उचित मूल्य
घटाएँ: हानि/अवमूल्यन हेतु प्रावधान / NPI														
निवल	932.53	923.91	668.11	0	17.65			951.25	962.17	894.69	0	10.95		
II. भारत से बाहर किए गए निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण ों सहित)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(ii) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम														
(iii) अन्य निवेश	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
घटाएँ: हानि/अवमूल्यन हेतु प्रावधान/NPI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
निवल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
कुल निवेश (I+II)	**932.53**	**923.91**	**668.11**	**0**	**17.65**			**951.25**	**962.17**	**894.69**	**0**	**10.95**		

(ii) तुलन–पत्र में उचित मूल्य पर मापे गए निवेश संविभाग का उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष (31–03–2026)								पूर्ववर्ती वर्ष (31–03–2025)							
	AFS				FVTPL				AFS				FVTPL			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2
I. भारत में निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	604.68	0	0	604.68	0	0	0	0	806.35	0	0	806.35	0	0	0	0
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) अंश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) ऋणपत्र एवं बॉण्ड	63.43	0	0	63.43	0	10.58	0	10.58	88.34	0	0	88.34	0	10.95	0	10.95
(v) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम																
(vi) अन्य	0	0	0	0	7.07	0	0	7.07	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**668.11**	**0**	**0**	**668.11**	**7.07**	**10.58**	**0**	**17.65**	**894.69**	**0**	**0**	**894.69**	**0**	**10.95**	**0**	**10.95**
ii. भारत से बाहर किए गए निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)																
(ii) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम																
(iii) अन्य निवेश																
कुल																
कुल निवेश (I+II)	**668.11**	**0**	**0**	**668.11**	**7.07**	**10.58**	**0**	**17.65**	**894.69**	**0**	**0**	**894.69**	**0**	**10.95**	**0**	**10.95**

	Current Year (31-03-2026)							Previous Year (31-03-2025)						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
	At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value	At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value
Less: Provisions for impairment / NPI														
Net	932.53	923.91	668.11	0	17.65			951.25	962.17	894.69	0	10.95		
II. Investments outside India														
(i) Government securities (including local authorities)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
(i) Subsidiaries, associates and joint ventures														
(iii) Other investments	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Less: Provisions for impairment / NPI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Total investments (I+II)	**932.53**	**923.91**	**668.11**	**0**	**17.65**			**951.25**	**962.17**	**894.69**	**0**	**10.95**		

(ii) Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(In ₹ Crore)

	Current Year (31-03-2026)								Previous Year (31-03-2025)							
	AFS				FVTPL				AFS				FVTPL			
	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2
I. Investments in India																
(i) Government securities	604.68	0	0	604.68	0	0	0	0	806.35	0	0	806.35	0	0	0	0
(ii) Other approved securities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) Shares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) Debentures and Bonds	63.43	0	0	63.43	0	10.58	0	10.58	88.34	0	0	88.34	0	10.95	0	10.95
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures																
(vi)Others	0	0	0	0	7.07	0	0	7.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**668.11**	**0**	**0**	**668.11**	**7.07**	**10.58**	**0**	**17.65**	**894.69**	**0**	**0**	**894.69**	**0**	**10.95**	**0**	**10.95**
II. Investments outside India																
(i) Government securities (including local authorities)																
(i) Subsidiaries, associates and joint ventures																
(iii) Other investments																
Total																
Total investments (I+II)	**668.11**	**0**	**0**	**668.11**	**7.07**	**10.58**	**0**	**17.65**	**894.69**	**0**	**0**	**894.69**	**0**	**10.95**	**0**	**10.95**

(iii) AFS–रिज़र्व एवं लाभ–हानि खाते में मान्यता प्राप्त लेवल 3 वित्तीय लिखतों पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
AFS–रिज़र्व में मान्यता प्राप्त		शून्य	शून्य
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त		शून्य	शून्य

(iv) HTM से की गई बिक्री का विवरण : HTM से की गई प्रतिभूतियों की बिक्री का विवरण वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रकट किया जाना है।

(₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
A	HTM में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	शून्य	शून्य
B	वर्ष के दौरान बेची गई सभी HTM प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	शून्य	शून्य
C	घटाएं: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त परिस्थितियों के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य'	शून्य	शून्य
D	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (D = B–C)	शून्य	शून्य
E	भ्ज्ड में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां (E = D÷A)	शून्य	शून्य
F	लाभ पर बेची गई HTM प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिज़र्व में हस्तांतरित राशि	शून्य	शून्य

(v) निवेशों की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण : शून्य

(vi) गैर–निष्पादित निवेशों (NPI) के लिए प्रावधानों एवं निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
i)	गैर–निष्पादित निवेशों (NPI) के लिए रखे गए प्रावधानों में परिवर्तन		
	ए) प्रारंभिक शेष	0.00	3.68
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
	सी) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए / अतिरिक्त प्रावधानों की वापसी	0.00	3.68
	डी) अंतिम शेष	0.00	0.00
ii)	निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व में परिवर्तन		
	क) प्रारंभिक शेष	21.25	21.25
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
	सी) घटाएं: आहरण	0.00	0.00
	डी) अंतिम शेष	21.25	21.25
iii)	AFS एवं FVTPL (HFT सहित) श्रेणी में निवेशों के अंतिम शेष की तुलना में IFR के अंतिम शेष का प्रतिशत	3.10% 685.76	2.35% 905.63

(iii) Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(Amount in ₹ Crore)

		Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Recognised in AFS-Reserve		Nil	Nil
Recognised in Profit and Loss Account		Nil	Nil

(iv) Details of sales made out of HTM: Details of sales made out of HTM shall be disclosed in the notes to accounts of the financial statements as per the format given below.

(Amount in ₹ Cr)

		Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
A	Opening carrying value of securities in HTM	**Nil**	**Nil**
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	Nil	Nil
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit*	Nil	Nil
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	Nil	Nil
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	Nil	Nil
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	Nil	Nil

(v) Reclassification between categories of investments: Nil

(vi) Movement of provisions for non-performing investments (NPIs) and investment fluctuation reserve

(Amount in ₹ Cr)

	Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
i)	Movement of provisions held towards NPIs		
	a) Opening balance	0.00	3.68
	b) Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	0.00	3.68
	d) Closing balance	0.00	0.00
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	21.25	21.25
	b) Add: Amount transferred during the year	0.00	0.00
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	21.25	21.25
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category.	3.10% 685.76	2.35% 905.63

	AFS रिज़र्व 31–03–2026	(₹ करोड़ में)
1	01–04–2025 को प्रारंभिक शेष	**3.61**
2	अवधि के दौरान AFSR में कमी	14.15
3	अवधि के दौरान वृद्धि	3.10
4	31–03–2026 को अंतिम शेष	(7.44)

	FVTPL के माध्यम से लाभ/(हानि) 31–03–2026	(₹ करोड़ में)
1	01–04–2025 को प्रारंभिक शेष	**0.00**
2	अवधि के दौरान **FVTPL** में वृद्धि	0.08
3	अवधि के दौरान कमी	0.45
4	31–03–2026 को अंतिम शेष	(0.37)

(vii) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(क) गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
a)	प्रारंभिक शेष	**0**	**0**
b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	0	0
c)	उपर्युक्त अवधि के दौरान की गई कमी	0	0
d)	अंतिम शेष	0	0
e)	कुल धारित प्रावधान	0	0

टिप्पणी: IL&FS Transportation Networks Limited के NCLT प्रस्ताव के अंतर्गत (NPA खाते में) बैंक को प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100.00 वाले 4,00,000 InvIT यूनिट्स प्राप्त हुए, जिनका कुल अंकित मूल्य ₹4.00 करोड़ है। बैंक ने इन सभी 4,00,000 InvIT यूनिट्स को बैंक के NPI निवेश के रूप में केवल ₹1.00 के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया है।

(ख) गैर–एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्ता–वार वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	निर्गमकर्ता	राशि		निजी नियोजन का परिमाण		निवेश ग्रेड से निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों का परिमाण		अनरेटेड प्रतिभूतियों का परिमाण		असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का परिमाण	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
a)	PSUs	14.73	39.45	14.73	39.45	0	0	0	0	0	0
b)	FIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	बैंक	49.43	49.94	49.43	49.94	0	0	0	0	0	0
d)	निजी निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	अन्य	16.92	9.9	16.92	9.9	0	0	7.07	0	0	0
g)	गैर–निष्पादित निवेश के लिए धारित प्रावधान										
	कुल	**81.08**	**99.29**	**81.08**	**99.29**	0	0	**7.07**	**0**	**0**	**0**

	AFS Reserve (31-03-2026)	(Amount in ₹ Cr)
1	Opening Balance on 01-04-2025	**3.61**
2	Decrease in AFSR during the period	14.15
3	Increase during the period	3.10
4	Closing Balance as on 31-03-2026	(7.44)

	Profit/(Loss) through FVTPL (31-03-2026)	(Amount in ₹ Cr)
1	Opening Balance on 01-04-2025	**0.00**
2	Increase in FVTPL during the period	0.08
3	Decrease during the period	0.45
4	Closing Balance as on 31-03-2026	(0.37)

(vii) Non-SLR investment portfolio

(a) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ Cr)

Sr. No.	Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
a)	Opening balance	**0**	**0**
b)	Additions during the year since 1st April	0	0
c)	Reductions during the above period	0	0
d)	Closing balance	0	0
e)	Total provisions held	0	0

Note: Under the NCLT proposal for IL&FS Transportation Networks Limited (NPA account) the bank received 400000 InvIT units, each with a face value of INR 100.00, totaling Rs. 4.00 crore. The Bank have recorded the same as NPI Investment of the bank at the nominal value of Rs.1.00 only for all the 400,000.00 InvIT units.

(b) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ Cr)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
a)	PSUs	14.73	39.45	14.73	39.45	0	0	0	0	0	0
b)	FIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Banks	49.43	49.94	49.43	49.94	0	0	0	0	0	0
d)	Private Corporates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	Subsidiaries / Joint Ventures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Others	16.92	9.9	16.92	9.9	0	0	7.07	0	0	0
g)	Provision held towards NPI										
	Total	**81.08**	**99.29**	**81.08**	**99.29**	0	0	**7.07**	**0**	**0**	**0**

(viii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के आधार पर): बैंक ने चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कोई भी रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन नहीं किया है।

(ix) सरकारी प्रतिभूति उधार (GSL) लेनदेन (बाजार मूल्य के आधार पर):

31.03.2026 को (चालू वर्ष की बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार) (₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च को बकाया
GSL के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियों के लेनदेन	0	0	0	0	0
GSL के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियों के लेनदेन	0	0	0	0	0
GSL लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0
GSL लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0

31.03.2025 को (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार) (₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च को बकाया
GSL के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियों के लेनदेन	0	0	0	0	0
GSL के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियों के लेनदेन	0	0	0	0	0
GSL लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0
GSL लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0

(X) प्रतिभूति रसीदों (SRs) में निवेश

फंड का विवरण	स्तर	अंकित मूल्य	उचित मूल्य	यूनिट्स की संख्या	प्रति SR अंकित मूल्य	एनएवी
NARCL TRUST - 0031	L1	70673000	70673000	70673	1000	100

टिप्पणी: M/s Kurukshetra Expressways Private Limited की अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत NARCL Trust द्वारा जारी ₹7,06,73,000 की प्रतिभूति रसीदों (SRs) को प्रारंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य के बराबर होने के कारण अंकित मूल्य पर निवेश के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता कंसोर्टियम द्वारा अनुमोदित समाधान तथा लागू लेखांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसके पश्चात मूल्यांकन NARCL द्वारा निर्धारित NAV के आधार पर किया जाएगा।

	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी SRs	5 वर्ष से अधिक, लेकिन 8 वर्षों के भीतर जारी SRs	8 वर्ष से अधिक पहले जारी SRs
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित NPA के रूप में बेचे गए NPA द्वारा समर्थित SRs का बुक मूल्य	7.07	0	0
	उपर्युक्त (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0	0
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए NPA द्वारा समर्थित SRs का बुक मूल्य	0	0	0
	उपर्युक्त (ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0	0	0
कुल (i) + (ii)		**7.07**	**0**	**0**

प्रतिभूति रसीदों में परिवर्तन

1	01–04–2025 को प्रारंभिक शेष	**0.00**
2	अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	7.07
3	अवधि के दौरान कमी	0.00
4	31–03–2026 को अंतिम शेष	7.07

(viii) Repo transactions (in face value and market value terms): The Bank had not entered into any Repo or reverse repo transactions during the current year and last year

(ix) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31.03.2026 (current year balance sheet date) **(Amount in ₹ Cr)**

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31
Securities lent through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities transactions borrowed through GSL	0	0	0	0	0
Securities placed as collateral under GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities received as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0

As at 31.03.2025 (previous year balance sheet date) **(Amount in ₹ Cr)**

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31
Securities lent through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities borrowed through GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities placed as collateral under GSL transactions	0	0	0	0	0
Securities received as collateral under GSL Transactions	0	0	0	0	0

(x) Investment in SRs (Security Receipts):

Detail of Fund	Level	Face Value	Fair Value	No. of Units	Face Value/SR	NAV
NARCL TRUST - 0031	L1	70673000	70673000	70673	1000	100

The Security Receipts (SRs) of Rs. 7,06,73,000 issued by NARCL Trust under the approved resolution plan of M/s Kurukshetra Expressways Private Limited have been recognised as investments at face value, being fair value on initial recognition, in line with the consortium-approved resolution and applicable accounting guidelines; subsequent valuation shall be carried out based on NAV as prescribed by NARCL.

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	7.07	0	0
	Provision held against (i)	0.00	0	0
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0	0	0
	Provision held against (ii)	0	0	0
Total (i) + (ii)		**7.07**	**0**	**0**

Movement of Security Receipts

1	Opening Balance on 01-04-2025	**0.00**
2	Added during the period	7.07
3	Decrease during during the period	0.00
4	Closing Balance as on 31-03-2026	7.07

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता

(i) 31 मार्च, 2026 को अग्रिमों का वर्गीकरण एवं धारित प्रावधानः

(₹ करोड़ में)

	मानक	गैर–निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध हानि	कुल	गैर–निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम एवं NPA						
प्रारंभिक शेष	4575.17	55.84	250.87	79.49	386.20!	4961.37
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई वृद्धि					83.13	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमी					197.73	
अंतिम शेष	**5214.17**	**45.99**	**155.92**	**69.69**	**271.60 @**	**5485.77**
सकल गैर–निष्पादित अग्रिमों में निम्नलिखित कारणों से कमी:						
i) उन्नयन					37.35	-
ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)					36.95	-
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					115.99	-
iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले बट्टे खाते में डालने के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डाले गए खाते					7.44	-
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)					**-**	**-**
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	28.47	8.67	207.52	78.86	295.05	323.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					44.64	-
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान की वापसी / ऋणों को बट्टे खाते में डालना					147.22	-
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	40.66	9.61	114.16	68.70	192.47	233.13
शुद्ध गैर–निष्पादित अग्रिम						
प्रारंभिक शेष					25.92	
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई नई वृद्धि					4.27	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमी					16.04	
अंतिम शेष					**14.15**	**-**

फ्लोटिंग प्रावधान	
प्रारंभिक शेष	62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि (आहरण का औचित्य तालिका के नीचे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है)	0.00
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष	62.85
तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते एवं उनसे की गई वसूली	
तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	179.68
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खाते	115.98
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली	13.47*
अंतिम शेष	**282.19**

! ब्याज निलंबन (Interest suspense) ₹ 8.49 करोड़ को छोड़कर।

@ब्याज निलंबन (interest suspense) ₹ 8.57 करोड़ को छोड़कर।

*PWO खातों में वसूली — IL–FS तथा Kurukshetra Expressway Private Limited से क्रमशः ₹4.69 करोड़ एवं ₹8.31 करोड़।

31 मार्च 2026 की स्थिति में CBS में सीधे किए गए एकीकृत परिसंपत्ति वर्गीकरण (Integrated Asset Classification) के समानांतर परीक्षण (Parallel Test Run) के दौरान, बैंक ने एहतियाती उपाय के रूप में ₹4.50 करोड़ का तदर्थ प्रावधान (Ad-hoc Provision) सृजित किया है।

4. Asset quality

(i) Classification of advances and provision s held as on 31st March, 2026:

(Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	4575.17	55.84	250.87	79.49	386.20!	4961.37
Add: Additions during the year					83.13	
Less: Reductions during the year					197.73	
Closing balance	**5214.17**	**45.99**	**155.92**	**69.69**	**271.60 @**	**5485.77**
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					37.35	-
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					36.95	-
iii) Technical/ Prudential Write-offs					115.99	-
iv) Write-offs other than those under (iii) above					7.44	-
Provisions (excluding Floating Provisions)					**-**	**-**
Opening balance of provisions held	28.47	8.67	207.52	78.86	295.05	323.52
Add: Fresh provisions made during the year					44.64	-
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					147.22	-
Closing balance of provisions held	40.66	9.61	114.16	68.70	192.47	233.13
Net NPAs						
Opening Balance					25.92	
Add: Fresh additions during the year					4.27	
Less: Reductions during the year					16.04	
Closing Balance					**14.15**	**-**

Floating Provisions	
Opening Balance	62.85
Add: Additional provisions made during the year	0.00
Less: Amount drawn down during the year (Rationale for draw-down may be explained by way of a note below the table)	0.00
Closing balance of floating provisions	62.85
Technical write-offs and the recoveries made thereon	
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	179.68
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	115.98
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year	13.47*
Closing balance	**282.19**

! Excluding Interest suspense of Rs. 8.49 crore.
@Excluding interest suspense of Rs. 8.57 crore
*Recovery in PWO accounts IL &FS and Kurukshetra Expressway Private Limited of Rs.4.69 Cr and Rs.8.31 Cr respectively.
During a parallel test run of integrated asset classification carried out directly in CBS as of 31 March 2026, the Bank has created an ad-hoc provision of ₹4.50 crore as a prudent measure.

31 मार्च, 2025 को अग्रिमों का वर्गीकरण एवं धारित प्रावधानः

(₹ करोड़ में)

	मानक	गैर–निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध हानि	कुल	कुल गैर–निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम एवं गैर–निष्पादित अग्रिम						
प्रारंभिक शेष	4413.12	62.99	312.30	23.38	398.67@	4811.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई वृद्धि					65.01	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमी					77.48	
अंतिम शेष	4575.17	55.84	250.87	79.49	386.20!	4961.37
सकल गैर–निष्पादित अग्रिमों में निम्नलिखित कारणों से कमी						
i) उन्नयन					42.78	
ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)					31.17	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					0.00	
iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले बट्टे खाते में डालने के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डाले गए खाते					3.53	
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	24.76	9.58	259.93	23.35	292.86	317.62
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					38.33	
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान की वापसी / ऋणों को बट्टे खाते में डालना					36.14	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	28.47	8.67	207.52	78.86	295.05	323.52
शुद्ध गैर–निष्पादित अग्रिम #						
प्रारंभिक शेष					41.88	
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई नई वृद्धि					0.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमी					15.96	
अंतिम शेष					25.92	

@ब्याज निलंबन (interest suspense) ₹ 7.33 करोड़ को छोड़कर। !ब्याज निलंबन (interest suspense) ₹ 8.49 करोड़ को छोड़कर।

(₹ करोड़ में)

	मानक	गैर–निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध हानि	कुल	कुल गैर–निष्पादित अग्रिम	
फ्लोटिंग प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष						62.85
तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते एवं उनसे की गई वसूली						
तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						181.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खाते						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली						1.81
अंतिम शेष						**179.68**

Classification of advances and provisions held as on March 31st 2025:

(Amount in ₹crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	4413.12	62.99	312.30	23.38	398.67@	4811.79
Add: Additions during the year					65.01	
Less: Reductions during the year*					77.48	
Closing balance	4575.17	55.84	250.87	79.49	386.20!	4961.37
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					42.78	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					31.17	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					0.00	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					3.53	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	24.76	9.58	259.93	23.35	292.86	317.62
Add: Fresh provisions made during the year					38.33	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					36.14	
Closing balance of provisions held	28.47	8.67	207.52	78.86	295.05	323.52
Net NPAs #						
Opening Balance					41.88	
Add: Fresh additions during the year					0.00	
Less: Reductions during the year					15.96	
Closing Balance					25.92	

@Excludes interest suspense of Rs.7.33 Crore !Excludes interest suspense of Rs.8.49 Crore

(Amount in ₹crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Floating Provisions						
Opening Balance						62.85
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						62.85
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						181.49
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						0.00
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1.81
Closing balance						**179.68**

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष (31–03–2026)	पूर्ववर्ती वर्ष (31–03–2025)
सकल अग्रिमों के प्रति सकल गैर–निष्पादित अग्रिम	4.95%	7.78%
शुद्ध अग्रिमों के प्रति	0.27%	0.56%
प्रावधान कवरेज अनुपात	94.01%	92.67%

(ii) क्षेत्रवार अग्रिम एवं सकल गैर–निष्पादित अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष (31–03–2026)			पूर्ववर्ती वर्ष (31–03–2025)		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल गैर–निष्पादित अग्रिम#	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में सकल गैर–निष्पादित अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम!	सकल गैर–निष्पादित अग्रिम##	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में सकल गैर–निष्पादित अग्रिमों का प्रतिशत
i)	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	777.49	114.88	14.78	824.52	125.06	15.17
b)	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत पात्र उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिम	251.30	24.04	9.57	339.93	119.81	35.25
c)	सेवाएँ	667.01	59.06	8.85	607.32	57.39	9.45
d)	व्यक्तिगत ऋण	574.17	15.56	2.71	434.57	11.29	2.60
	उप–योग (i)	**2269.97**	**213.54**	**9.41**	**2206.34**	**313.55**	**14.21**
ii)	**गैर–प्राथमिकता क्षेत्र**						
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	6.18	6.18	100.00	8.52	6.31	74.06
b)	उद्योग	401.97	1.73	0.43	215.71	13.31	6.17
c)	सेवाएँ	130.96	5.16	3.94	165.64	9.61	5.80
d)	व्यक्तिगत ऋण	2676.69	44.99	1.68	2365.16	43.42	1.84
	उप–योग (ii)	**3215.80**	**58.06**	1.81	**2755.03**	**72.65**	**2.64**
	कुल (i + ii)	**5485.77**	**271.60**	**4.95**	**4961.37**	**386.20**	**7.78**

#ब्याज निलंबन (interest suspense) ₹ 8.55 करोड़ को छोड़कर।

##ब्याज निलंबन (interest suspense) ₹ 8.49 करोड़ को छोड़कर।

(iii) विदेश स्थित आस्तियां, NPA एवं राजस्व : शून्य

(iv) समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण

ए) दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018–19 के माध्यम से लागू की गई समाधान योजना का विवरण–शून्य

बी) पुनर्गठन के अधीन किए गए खातों का विवरण

		कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ		कॉरपोरेट्स (MSME को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)		रिटेल (कृषि एवं MSME को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
मानक	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल राशि (करोड़ रुपए में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धारित प्रावधान (करोड़ रुपए में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ratios (in %)	Current year (31-03-2026)	Previous year (31-03-2025)
Gross NPA to Gross Advances	4.95%	7.78%
to Net Advances	0.27%	0.56%
Provision coverage ratio	94.01%	92.67%

(ii) Sector-wise advances and Gross NPAs

(Amount in ₹crore)

Sr. No.	Sector	31st March 2026			31st March 2025		
		Outstanding Total Advances#	Gross NPAs#	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances!	Gross NPAs##	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	777.49	114.88	14.78	824.52	125.06	15.17
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	251.30	24.04	9.57	339.93	119.81	35.25
c)	Services	667.01	59.06	8.85	607.32	57.39	9.45
d)	Personal Loan	574.17	15.56	2.71	434.57	11.29	2.60
	Subtotal (i)	**2269.97**	**213.54**	**9.41**	**2206.34**	**313.55**	**14.21**
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	6.18	6.18	100.00	8.52	6.31	74.06
b)	Industry	401.97	1.73	0.43	215.71	13.31	6.17
c)	Services	130.96	5.16	3.94	165.64	9.61	5.80
d)	Personal Loan	2676.69	44.99	1.68	2365.16	43.42	1.84
	Sub-total (ii)	**3215.80**	**58.06**	1.81	**2755.03**	**72.65**	**2.64**
	Total (I + ii)	**5485.77**	**271.60**	**4.95**	**4961.37**	**386.20**	**7.78**

#Excludes Interest suspense of ₹ 8.57 Crore

##Excludes Interest suspense of ₹ 8.49 Crore

(iii) Overseas assets, NPAs and revenue : Nil

(iv) Particulars of resolution plan and restructuring

a) Particulars of resolution plan implemented vide circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 - NIL

b) Details of accounts subjected to restructuring

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

		कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ		कॉरपोरेट्स (MSME को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)		रिटेल (कृषि एवं MSME को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
अवमानक	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल राशि (करोड़ रुपए में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धारित प्रावधान (करोड़ रुपए में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संदिग्ध	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल राशि (करोड़ रुपए में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धारित प्रावधान (करोड़ रुपए में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	ऋणकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल राशि (करोड़ रुपए में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धारित प्रावधान (करोड़ रुपए में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018–19 दिनांक 01.01.2019, RBI परिपत्र संख्या DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019–20 दिनांक 11.02.2020 तथा RBI परिपत्र संख्या DOR.No.BP BC/4/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार ''अग्रिमों का पुनर्गठन – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र'' (एकमुश्त पुनर्गठन):

खातों की संख्या	31 मार्च 2026 को राशि	धारित प्रावधान
-	-	-

(डी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021–22 दिनांक 05.05.2021 तथा RBI परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021–22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार ''Resolution Framework 2.0 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) से संबंधित कोविड–19 तनाव का समाधान'' के अंतर्गत पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2026 को बकाया निधि–आधारित राशि	धारित प्रावधान
32	3.79	0.43

(ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021–22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ''Resolution Framework – 2.0: व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों से संबंधित कोविड–19 तनाव का समाधान'' के अंतर्गत, जिन उधारकर्ता खातों में संशोधन स्वीकृत एवं लागू किए गए हैं, उनकी संख्या तथा ऐसे उधारकर्ताओं के कुल एक्सपोज़र का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2026 को कुल एक्सपोज़र	धारित प्रावधान
32	3.79	0.43

(₹ करोड़ में)

No of Borrowers	Aggregate exposure as on 31.03.2025	Provision Held
85	9.70	1.04

1. व्यक्ति (Individual) में केवल Personal Loan Segment शामिल है, जैसा कि RBI के परिपत्र संख्या DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार है तथा जिसे अब RBI के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021–22 दिनांक 05 मई, 2021 के पैरा 5(a) में शामिल किया गया है।

2. छोटे व्यवसाय (Small Business), जिसमें खुदरा व्यापार एवं थोक व्यापार शामिल हैं, जो ऐसे व्यक्तियों को दिए गए थे और RBI के परिपत्र संख्या DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार MSME के अंतर्गत आते थे, तथा जिन्हें अब RBI के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021–22 दिनांक 05 मई, 2021 के पैरा 5(इ) में शामिल किया गया है।

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Sub-standard	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Doubtful	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(c) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring):

No of Accounts	Amount as on 31st March 2026	Provision Held
-	-	-

(d) In accordance with RBI circular No DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹crore)

No of Accounts	Funded O/s as on 31.03.2026	Provision Held
32	3.79	0.43

(e) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals1 and Small Business2", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under: -

(Amount in ₹crore)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2026	Provision Held
32	3.79	0.43

(Amount in ₹crore)

No of Borrowers	Aggregate exposure as on 31.03.2025	Provision Held
85	9.70	1.04

1. Individual covers only Personal Loan segment as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(a) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.

2. Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.

(एफ) RBI परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021–22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ''Resolution Framework – 2.0: व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों से संबंधित कोविड–19 तनाव का समाधान'' के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	व्यक्तिगत उधारकर्ता		छोटे व्यवसाय	कुल
		पर्सनल लोन	बिजनेस लोन		
(A)	भाग A के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या	53	2	2	57
(B)	इस विंडो के अंतर्गत जिन खातों में समाधान योजना लागू की गई, उनकी संख्या	53	2	2	57
(C)	(B) में उल्लिखित खातों का योजना लागू किए जाने से पहले का एक्सपोज़र (रुपए करोड़ में)	5.98	0.37	0.02	6.37
(D)	(C) में से अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किए गए ऋण की कुल राशि	-	-	-	
(E)	अतिरिक्त निधियन, यदि कोई हो, जिसमें योजना के आह्वान से लेकर उसके कार्यान्वयन तक स्वीकृत निधियन भी शामिल है	-	-	-	
(F)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि (रुपए करोड़ में)	0.68	0.04	0.002	0.72

(जी) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पुनर्गठन के अधीन किए गए ऋण आस्तियों का विवरण–31.03.2026 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

खाते का नाम	पुनर्गठित राशि	पुनर्गठन की तिथि	प्रावधान
	-		

(v) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में विचलन (Divergence in Asset Classification and Provisioning): समीक्षा अवधि के दौरान RBI द्वारा कोई विचलन नहीं बताया गया, अतः **RBI** के परिपत्र संख्या RBI/2022–23/130 **DOR.ACC.REC.No**.74/21.04.018/2022–23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

(vi) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण : बैंक ने कोई ऋण एक्सपोज़र हस्तांतरित नहीं किया है।

(vii) सह–ऋण व्यवस्था (Co-Lending Arrangements & CLA) संबंधी प्रकटीकरण: शून्य

(viii) गैर–निधि आधारित (NFB) ऋण सुविधाएं: बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार गैर–निधि आधारित (**NFB**) ऋण सुविधाओं का विवरण प्रकट करना है।

	विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
		असुरक्षित भाग	सुरक्षित भाग*	असुरक्षित भाग	सुरक्षित भाग*
I	बकाया गारंटियां (रुपए करोड़)	80.66	-	72.85	-
	i) भारत में	80.66	-	72.85	-
	ii) भारत के बाहर	-	-	-	-
II	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व (रुपए करोड़)	-	-	-	-
III	अन्य गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाएं (रुपए करोड़)	-	-	-	-

* सुरक्षित भाग की परिभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक –ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 के अनुसार है।

(f) Disclosure as per the RBI Cir. No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals and Small Business", is as under: -

S. No	Description	Individual Borrowers		Small businesses	Total
		Personal Loans	Business Loans		
(A)	Number of requests received for invoking resolution process under Part A	53	2	2	57
(B)	Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	53	2	2	57
(C)	Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan (Rs. In Crore)	5.98	0.37	0.02	6.37
(D)	Of (C), aggregate amount of debt that was converted into other securities	-	-	-	
(E)	Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	-	-	-	
(F)	Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (Rs. In Crores)	0.68	0.04	0.002	0.72

(g) Details of Loan Assets subjected to restructuring during financial year 2020-21, Status as on 31.03.2026:

(Amount in ₹crore)

Borrower	Restructured Amount	Date of Restructure	Provision
	-		

(v) Divergence in asset classification and provisioning: No divergence pointed out by the RBI during the review period, therefore nothing to be reported in terms of circular no. RBI/2022-23/130 DOR.ACC.REC.No.74/21.04.018/2022-23 dated, October 11, 2022

(vi) Disclosure of transfer of loan exposure: The Bank has not transferred any loan exposure.

(vii) Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA): Nil

(viii) Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities: A bank shall disclose the details of NFB credit facilities in the format given below.

Secured* Portion		Current year (31-03-2026)	Current year (31-03-2026)	Previous year (31-03-2025)	Previous year (31-03-2025)
		Unsecured Portion	Secured* Portion	Unsecured Portion	Secured* Portion
I	Outstanding Guarantees (₹ crore)	80.66	-	72.85	-
	i) In India	80.66	-	72.85	-
	ii) Outside India	-	-	-	-
II	Acceptances, Endorsements and other Obligations (₹ crore)	-	-	-	-
III	Other NFB Credit facilities (₹ crore)	-	-	-	-

* Secured portion is as defined under Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025.

(ix) धोखाधड़ी वाले खाते (Fraud Accounts) : बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार धोखाधड़ी की संख्या एवं राशि तथा उन पर किए गए प्रावधान का विवरण प्रकट करना है।

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	12	10
धोखाधड़ी में शामिल राशि (रुपए करोड़)	92.51	23.52
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (रुपए करोड़)	3.89*	22.14
वर्ष के अंत में 'अन्य रिज़र्व' से डेबिट किया गया अमोर्टाइज न किया गया प्रावधान (रुपए करोड़)	0	0

* चालू वित्त वर्ष 2025–26 में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी वाले खातों में रुपए 88.62 करोड़ का प्रावधान पूर्ववर्ती वर्षों में ही किया जा चुका था।

(x) परियोजना वित्त (Project Finance) से संबंधित प्रकटीकरण : बैंक द्वारा परियोजना वित्त के संबंध में निम्नानुसार उचित प्रकटीकरण किया जाना है:

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (रुपए करोड़ में)
1	तिमाही के प्रारंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते	शून्य	शून्य
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते	शून्य	शून्य
3	तिमाही के दौरान जिन कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों में DCCO प्राप्त किया गया	शून्य	शून्य
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते (1+2–3)	शून्य	शून्य
5	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित DCCO में, जैसा भी लागू हो, विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है	शून्य	शून्य
5.1	'5' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना लागू की जा चुकी है	शून्य	शून्य
5.2	'5' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	शून्य	शून्य
5.3	'5' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना विफल हो गई है	शून्य	शून्य
6	'5' में से वे खाते जिनमें परियोजना के दायरे एवं आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित DCCO में, जैसा भी लागू हो, विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है	शून्य	शून्य
7	'5' में से वे खाते जिनमें मूल/विस्तारित DCCO में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्तपोषित किया गया है	शून्य	शून्य
7.1	'7' में से वे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान SBCF स्वीकृत किया गया तथा लगातार नवीनीकृत किया गया	शून्य	शून्य
7.2	'7' में से वे खाते जिनमें SBCF को पूर्व–स्वीकृत नहीं किया गया था अथवा लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
8	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित DCCO में विस्तार को शामिल किए बिना समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है	शून्य	शून्य

(ix) Fraud accounts: A bank shall disclose details on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon as per template given below.

Particulars	Current year (31-03-2026)	Previous year (31-03-2025)
Number of frauds reported	12	10
Amount involved in fraud (₹ crore)	92.51	23.52
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	3.89*	22.14
Amount of unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	0	0

* The provision of Rs 88.62 Crores in the fraud accounts reported in the current year FY 2025-26 had already been made in the previous years.

(x) Disclosure related to project finance: A bank shall make appropriate disclosures related to project finance as below:

Sl. No	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	Nil	Nil
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	Nil	Nil
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	Nil	Nil
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	Nil	Nil
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	Nil	Nil
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	Nil	Nil
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	Nil	Nil
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	Nil	Nil
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	Nil	Nil
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	Nil	Nil
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	Nil	Nil
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre- sanctioned or renewed continuously	Nil	Nil
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	Nil	Nil

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (रुपए करोड़ में)
8.1	'8' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना लागू की जा चुकी है	शून्य	शून्य
8.2	'8' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	शून्य	शून्य
8.3	'8' में से वे खाते जिनमें समाधान योजना विफल हो गई है	शून्य	शून्य

(xi) कोविड–19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	पिछली छमाही के अंत में समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोज़र (ए)	(ए) में से छमाही के दौरान NPA में परिवर्तित हुआ कुल ऋण	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	इस छमाही के अंत में समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोज़र
व्यक्तिगत ऋण					
कॉरपोरेट व्यक्ति*					
जिसमें से एमएसएमई			शून्य		
अन्य					
कुल					

5. एक्सपोज़र

(i) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	चालू वर्ष (31.03.2026)	पिछला वर्ष (31.03.2025)
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
ए) आवासीय बंधक (Residential Mortgages)		
आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित ऋण, जो उधारकर्ता द्वारा अधिभोगित है अथवा किराए पर दिया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाएगा। एक्सपोज़र में गैर–निधि आधारित (NFB) सीमाएं भी शामिल होंगी।	1758.03 (546.16)	1300.17 (395.35)
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट (Commercial Real Estate)		
वाणिज्यिक अचल संपत्ति जैसे कार्यालय भवन, खुदरा परिसर, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयरहाउस परिसर, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। एक्सपोज़र में गैर–निधि आधारित (NFB) सीमाएं भी शामिल होंगी।	77.89	156.13

Sl. No	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	Nil	Nil
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	Nil	Nil
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	Nil	Nil

(xi) Disclosure under resolution framework for COVID-19-related Stress

(Amount in ₹crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half- year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans					
Corporate persons*					
Of which, MSMEs			NIL		
Others					
Total					

5. Exposures

(i) Exposure to real estate sector

(₹ In Crore)

Category	Current year (31.03.2026)	Previous year (31.03.2025)
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	1758.03 (546.16)	1300.17 (395.35)
b) Commercial Real Estate		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development, and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	77.89	156.13

श्रेणी	चालू वर्ष (31.03.2026)	पिछला वर्ष (31.03.2025)
(iii) बंधक–समर्थित प्रतिभूतियों (MBS) एवं अन्य प्रतिभूतिर्ति एक्सपोज़र में निवेश–	0.00	0.00
i. आवासीय		
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट		
अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित एक्सपोज़र।		
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**1835.92**	**1456.30**
****वाणिज्यिक रियल एस्टेट में एक्सपोज़र में शामिल हैं:**		
निधि आधारित एक्सपोज़र	77.89	156.13
गैर–निधि आधारित एक्सपोज़र	0	0
कुल एक्सपोज़र	**77.89**	**156.13**
*इसमें स्टाफ आवास ऋण (Staff Housing Loans) भी शामिल हैं।		

(ii) पूंजी बाजार में एक्सपोज़र (Exposure to Capital Market): शून्य

(iii) जोखिम श्रेणी के अनुसार देश–वार एक्सपोज़र (Risk Category-wise Country Exposure): लागू नहीं

(iv) असुरक्षित अग्रिम (Unsecured Advances) : बैंक को उन कुल अग्रिमों की राशि का प्रकटीकरण करना है, जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां (Intangible Securities) जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार (Charge) लिया गया है, साथ ही ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों के अनुमानित मूल्य का विवरण निम्न प्रारूप में देना है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31.03.2026)	पिछला वर्ष (31.03.2025)
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	92.51	90.27
उपरोक्त में से ऐसे अग्रिम, जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं	-	-
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	-	-

(V) फैक्टरिंग एक्सपोज़र (Factoring Exposures): शून्य

(VI) अंतर–समूह एक्सपोज़र (Intra-Group Exposures): शून्य

(VII) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (Unhedged Foreign Currency Exposure): शून्य

(VIII) सोने एवं चांदी के जमानत के विरुद्ध ऋण (Loans Against Gold and Silver Collateral)

Category	Current year (31.03.2026)	Previous year (31.03.2025)
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0.00	0.00
i. Residential		
ii. Commercial Real Estate.		
Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.		
Total Exposure to Real Estate Sector	**1835.92**	**1456.30**
****Exposure to Commercial Real Estate includes**		
Funded Exposure	77.89	156.13
Non Funded Exposure	0	0
Total Exposure	**77.89**	**156.13**
***include staff housing loans.**		

(ii) Exposure to capital market: Nil

(iii) Risk category-wise country exposure : Not Applicable

(iv) Unsecured advances: A bank shall disclose the total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral as per the following format.

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current year (31.03.2026)	Previous year (31.03.2025)
Total unsecured advances of the bank	92.51	90.27
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
Estimated value of such intangible securities	-	-

(V) Factoring exposures: Nil

(VI) Intra-group exposures: Nil

(VII) Unhedged foreign currency exposure: Nil

(VIII) Loans against gold and silver collateral

(ए) सोने एवं चांदी की जमानत के विरुद्ध दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	ऋण बकाया		औसत टिकट आकार (रुपए करोड़)	औसत स्प्ट अनुपात	सकल NPA (%)
	(रुपए करोड़)	कुल ऋणों के प्रतिशत के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि [(a)+(b)]	99.44				
(ए) उपभोग ऋण	58.19	58.52%	0.02	70%	1.06
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(बी) आय सृजन करने वाले ऋण	41.25	41.48%	0.027	70%	0.53
2. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित नए ऋण [(c)+(d)]	142.25				NA
(सी) उपभोग ऋण	68.38	48.03%	0.028	70%	NA
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					NA
(डी) आय सृजन करने वाले ऋण	73.87	51.97%	0.0036	70%	NA
3. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित नवीनीकरण ऋण	-	-	-	-	NA
4. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित टॉप–अप ऋण	-	-	-	-	NA
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(e)+(f)]	95.45			NA	NA
(ई) उपभोग ऋण	55.47	58.11%	0.02	NA	NA
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				NA	NA
(एफ) आय सृजन करने वाले ऋण	39.98	41.89%	0.027	NA	NA
6. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए गैर–निष्पादित ऋण [(g)+(h)]	0.66			NA	NA
(जी) उपभोग ऋण	0.47	71.21%		NA	NA
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				NA	NA
(एच) आय सृजन करने वाले ऋण	0.19	28.79%		NA	NA
7. वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण [(i)+(j)]	0.00			NA	NA
(i) उपभोग ऋण				NA	NA
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				NA	NA
(j) आय सृजन करने वाले ऋण				NA	NA
8. वित्तीय वर्ष के अंत में समापन शेष [(k)+(l)]	145.43				
(के) उपभोग ऋण	70.62	48.56%	0.028	70%	0.84
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(एल) आय सृजन करने वाले ऋण	74.81	51.44%	0.035	70%	0.06

(बी) सोने एवं चांदी की जमानत तथा नीलामी का विवरण

क्र. सं.	विवरण	
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में दावा न किए गए सोने या चांदी की जमानत (ग्राम में)	0.00

(a) Details of loans extended against eligible gold and silver collateral

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. **Opening balance of the FY [(a)+(b)]**	99.44				
(a) Consumption loans	58.19	58.52%	0.02	70%	1.06
of which bullet repayment loans					
(b) Income generating loans	41.25	41.48%	0.027	70%	0.53
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c)+(d)]	142.25				NA
(c) Consumption loans	68.38	48.03%	0.028	70%	NA
of which bullet repayment loans					NA
(d) Income generating loans	73.87	51.97%	0.0036	70%	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	-	-	-	-	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	-	-	-	-	NA
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	95.45			NA	NA
(e) Consumption loans	55.47	58.11%	0.02	NA	NA
of which bullet repayment loans				NA	NA
(f) Income generating loans	39.98	41.89%	0.027	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	0.66			NA	NA
(g) Consumption loans	0.47	71.21%		NA	NA
of which bullet repayment loans				NA	NA
(h) Income generating loans	0.19	28.79%		NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	0.00			NA	NA
(i) Consumption loans				NA	NA
of which bullet repayment loans				NA	NA
(j) Income generating loans				NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	145.43				
(k) Consumption loans	70.62	48.56%	0.028	70%	0.84
of which bullet repayment loans					
(l) Income generating loans	74.81	51.44%	0.035	70%	0.06

b) Details of gold and silver collateral and auctions

Sr. No.	Particulars	
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	0.00

क्र. सं.	विवरण	
(बी)	ऐसे ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी की गई	2
(सी)	में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि (रुपए करोड़ में)	0.04
(डी)	ऋणों में चूक के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित सोने या चांदी की जमानत (ग्रामों में)	634.65
(ई)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए सोने या चांदी की जमानत (ग्राम में)	91.81
(एफ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (रुपए करोड़ में)	0.06
(जी)	वसूली प्रतिशतः	
(एच)	सोने या चांदी की जमानत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में	101.32
(आई)	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	150.00

(IX) संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
	ए. संबंधित पक्षों को ऋण		
1.	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य	0.00	0.00
2	31 मार्च 2026 को संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का कुल मूल्य	0.37	0.38
3.	31 मार्च को कुल क्रेडिट एक्सपोज़र के अनुपात में संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का कुल मूल्य (%)	0.01%	0.01%
4.	संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जो निम्नानुसार वर्गीकृत हैं:		
	(i) 31 मार्च 2026 को विशेष उल्लेख खाते	0.00	0.00
	(ii) 31 मार्च 2026 को गैर–निष्पादित आस्तियां	0.00	0.00
5.	31 मार्च को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में रखे गए प्रावधान की राशि	0.00	0.00
	बी. संबंधित पक्षों से संबंधित अनुबंध एवं व्यवस्थाएं		
6.	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	0.00	0.00
7.	31 मार्च 2026 को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	0.00	0.00

Sr. No.	Particulars	
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	2
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b)	0.04
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	634.65
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	91.81
(f)	Recovery made through auctions during the FY (in ₹ crore)	0.06
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold or silver collateral	101.32
(i)	as % of outstanding loan	150.00

(IX) Exposures to Related Parties:

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Previous Year	Current Year
	A. Loans to Related Parties		
1.	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	0.00	0.00
2	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31st March 2026	0.37	0.38
3.	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31st March (in %)	0.01%	0.01%
4.	Aggregate value of outstanding loans to related parties which are categorized as:		
	(i) Special Mention Accounts as on 31st March, 2026	0.00	0.00
	(ii) Non-Performing Assets as on 31st March, 2026	0.00	0.00
5.	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31st March	0.00	0.00
	B. Contracts and Arrangements involving Related Parties		
6.	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	0.00	0.00
7.	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31st March, 2026	0.00	0.00

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं NPA की सांद्रता

(i) जमाराशियों की सांद्रता

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	897.70	890.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत	10.41%	10.78%

(ii) अग्रिमों की सांद्रता

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए कुल अग्रिम	433.56	327.39
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	7.89%	6.53%

(iii) एक्सपोज़र की सांद्रता

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोज़र	492.95	397.55
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	8.05%	7.06%

(iv) एनपीए की सांद्रता

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
शीर्ष बीस NPA खातों पर कुल एक्सपोज़र	53.40	156.48
कुल सकल NPA में बीस सबसे बड़े NPA एक्सपोज़र का प्रतिशत	19.66%	40.52%

(v) मानक अग्रिमों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान	39.36	26.86
कोविड राहत खातों के लिए प्रावधान	-	-
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	1.30	1.61
मानक खातों के लिए कुल प्रावधान	40.66	28.47

7. डेरिवेटिव्स – बैंक ने चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष के दौरान कोई डेरिवेटिव लेन–देन नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण – बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है।

9. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित–शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
i)	DEA Fund में हस्तांतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	41.70	35.33
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान DEA Fund में हस्तांतरित राशि	7.99	7.19
iii)	घटाएं: दावों के विरुद्ध DEA Fund द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	1.29	0.82
iv)	DEA Fund में हस्तांतरित राशियों का अंतिम शेष	48.40	41.70

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(i) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Total deposits of the twenty largest depositors	897.70	890.00
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	10.41%	10.78%

(ii) Concentration of advances

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Total advances to the twenty largest borrowers	433.56	327.39
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	7.89%	6.53%

(iii) Concentration of exposures

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Total exposure to the twenty largest borrowers / customers	492.95	397.55
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the bank on borrowers / customers	8.05%	7.06%

(iv) Concentration of NPAs

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	53.40	156.48
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	19.66%	40.52%

(v) Provision on standard advances

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Provisions towards Standard Assets	39.36	26.86
Provision for Covid Relief Accounts	-	-
Provision for Restructured Accounts	1.30	1.61
Total Provision for Standard Accounts	40.66	28.47

7. Derivatives – The Bank did not enter into the derivative transactions during the current year and previous year.

8. Disclosures relating to securitization – We don't have any exposure.

9. Off Balance Sheet SPV sponsored -NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	41.70	35.33
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	7.99	7.19
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	1.29	0.82
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	48.40	41.70

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

(i) बैंक द्वारा ग्राहकों तथा लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सारांश जानकारी (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय)

क्र. सं.		विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
	बैंक के ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	34	21
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2004*	2004
3.		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	2011	1991
	3.1	इनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	83	58
4.		**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या**	**27**	**34**
	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त ग्राह्य (Maintainable) शिकायतें			
5.		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त ग्राह्य शिकायतों की संख्या	37^	42
	5.1	उपरोक्त (5) में से लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या	19	32
	5.2	उपरोक्त (5) में से लोकपाल कार्यालय द्वारा सुलह / मध्यस्थता / जारी की गई सलाह के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या	18	10
	5.3	उपरोक्त (5) में से लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध पुरस्कार (Award) पारित किए जाने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या	0	0
6.		निर्धारित समय–सीमा के भीतर लागू न किए गए पुरस्कारों (अपील किए गए मामलों को छोड़कर) की संख्या	0	0

नोट: ग्राह्य (Maintainable) शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (Integrated Ombudsman Scheme, 2021) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों से संबंधित हैं और योजना के दायरे में आती **हैं।**

* इसमें 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आंतरिक CMS पोर्टल शिकायतें, CPGRAM/PG पोर्टल शिकायतें, सभी RBI BO शिकायतें तथा Ecom/ATM/UPI/POS आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

^ उपरोक्त 37 शिकायतें 01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान प्राप्त भारतीय रिज़र्व बैंक– बैंकिंग लोकपाल (RBI BO) की ग्राह्य शिकायतें हैं, जो वित्त वर्ष 2025–26 की Q1, Q2, Q3 और Q4 अवधि से संबंधित हैं। 31.12.2025 को लंबित 10 RBI BO शिकायतों में से 9 शिकायतों की अंतिम स्थिति ग्राह्य (Maintainable) रही और उन्हें उपरोक्त 37 शिकायतों में शामिल किया गया है।

-4. 31.03.2026 तक 4 RBI BO शिकायतें लंबित हैं। अतः वर्तमान में 37 ग्राह्य शिकायतों में ये 4 लंबित RBI BO शिकायतें शामिल नहीं हैं। इन 4 लंबित RBI BO शिकायतों की स्थिति (ग्राह्य/अग्राह्य) आगामी तिमाहियों में निर्धारित की जाएगी।

ATM लेन–देन संबंधी विवाद

विवरण	चालू वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	6	1
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	238	268*
घटाएँ: वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	244	263
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	6

* -268 ATM लेन–देन संबंधी विवादों में BO (Banking Ombudsman) के माध्यम से प्राप्त ATM लेन–देन संबंधी विवाद शामिल नहीं हैं।

11. Disclosure of complaints

(i) Summary information on complaints received by a bank from customers and from the Offices of Ombudsman (previously office of banking ombudsman)

Sr. No		Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
	Complaints received by the bank from its customers			
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	34	21
2.		Number of complaints received during the year	2004*	2004
3.		Number of complaints disposed during the year	2011	1991
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	83	58
4.		**Number of complaints pending at the end of the year**	**27**	**34**
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	37^	42
	5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	19	32
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	18	10
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

*includes all internal CMS portal complaints, CPGRAM/PG Portal, all RBI BO complaints and including Ecom/ATM/UPI/POS etc. received during the year i.e. 01.04.2025 to 31.03.2026)

^ Above -37- complaints are Reserve Bank of India - Banking Ombudsman (RBI BO) Maintainable complaints which were received during 01.04.2025 to 31.03.2026. (Q1, Q2, Q3 and Q4 FY 25-26). -9- out of -10- open RBI BO complaints (which were open as on 31.12.2025) final status was Maintainable and included in the -37- complaints.

-4- RBI BO complaints are open as on 31.03.2026. Consequently, the -37- Maintainable complaints at present (as on 31.03.2026) does not include the still open -4- RBI BO complaints. The status (Maintainable/Non Maintainable) of these -4- open RBI BO complaints shall be updated in subsequent quarter(s).

ATM transaction disputes:

Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
No. of complaints pending at the beginning of the year	6	1
Add: No. of complaints received during the year	238	268*
Less: No. of complaints redressed during the year	244	263
No. of complaints pending at the end of the year	0	6

* -268- ATM transaction disputes are exclusive of BO received ATM transaction disputes.

(ii) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिनसे संबंधित हैं)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (31–03–2026)					
ATM/डेबिट कार्ड	6	238	-12.82%	0	0
ऋण एवं अग्रिम	2	98	-3.92%	3	2
ऋण एवं अग्रिम	3	84	-14.29%	3	1
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	12	1053	-0.75%	18	1
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	0	24	-31.43%	0	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएँ/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का पालन आदि	0	0	0%	0	0
अन्य	13	605	12.66%	6	0
कुल	**34**	**2004**	**0%**	**27**	**2**
पिछला वर्ष (31–03–2025)					
ATM/डेबिट कार्ड	2	273*	-85.51%	6	1
ऋण एवं अग्रिम	2	98	-3.92%	3	2
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	1	1061	124.31%	12	3
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	1	35	-45.31%	0	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएँ/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का पालन आदि	0	0	0	0	0
अन्य	15	537	42.82%	13	1
कुल	**21**	**2004**	**-30.87%**	**34**	**7**

* इसमें ऊपर उल्लिखित–268 ATM शिकायतों के अतिरिक्त Q1 और Q2 में प्रत्येक से संबंधित 2–2 RBI BO ATM शिकायतें तथा Q3 में 1 RBI BO ATM शिकायत शामिल है।

12. RBI द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(ए) RBI / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	उल्लंघन की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि		31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
RBI द्वारा लगाए गए दंड	नियामकीय एवं परिचालन	1*	0.00012	2**	0.63
विदेशी क्षेत्रों के संबंधित नियामकों द्वारा लगाए गए दंड		0	0	0	0

(ii) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (31-03-2026)					
ATM/Debit Cards	6	238	-12.82%	0	0
Loans and advances	2	98	-3.92%	3	2
Loans and advances	3	84	-14.29%	3	1
Internet/Mobile/Electronic Banking	12	1053	-0.75%	18	1
Account opening/difficulty in operation of accounts	0	24	-31.43%	0	0
Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	0	0%	0	0
Others	13	605	12.66%	6	0
Total	**34**	**2004**	**0%**	**27**	**2**
Previous Year (31-03-2025)					
ATM/Debit Cards	2	273*	-85.51%	6	1
Loans and advances	2	98	-3.92%	3	2
Internet/Mobile/Electronic Banking	1	1061	124.31%	12	3
Account opening/difficulty in operation of accounts	1	35	-45.31%	0	0
Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	0	0	0	0
Others	15	537	42.82%	13	1
Total	**21**	**2004**	**-30.87%**	**34**	**7**

* includes -2- RBI BO ATM related complaints from Q1 & Q2 each and -1- RBI BO ATM Complaint from Q3 in addition to above-mentioned -268 ATM complaints.

12. Disclosure of penalties imposed by the RBI

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Nature of Breach	For the period ended March 31, 2026		For the period ended March 31, 2025	
		No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Penalties Imposed by RBI	Regulatory & Operational	1*	0.00012	2**	0.63
Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		0	0	0	0

* वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण:

प्राधिकरण	राशि (रुपए लाख में)	कारण
RBI, कानपुर	0.012	RBI निरीक्षण के दौरान खराब/क्षतिग्रस्त (Mutilated) नोटों को गंदे (Soiled) नोटों की श्रेणी में रखा हुआ पाया गया।

** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण:

प्राधिकरण	राशि (रुपए लाख में)	कारण
RBI, कानपुर	1.02	RBI करेंसी चेस्ट, कानपुर को भेजी गई राशि में कमी पाई गई तथा क्षतिग्रस्त और गंदे करेंसी नोट पाए गए।
आईबीआई	61.40	बैंक MSME अग्रिम खातों को External Benchmark से लिंक करने में विफल रहा तथा न्यूनतम शेष राशि में कमी के अनुपात में न्यूनतम शेष राशि शुल्क लगाया।

(बी) अन्य नियामकों/प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राधिकरण	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि		31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बैंकिंग लोकपाल	1*	0.005	1**	0.0025
उपभोक्ता न्यायालय	0	0	1**	0.006

*वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण:

प्राधिकरण	राशि (रुपए लाख में)	कारण
बैंकिंग लोकपाल	0.50	PMEGP योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति हेतु सब्सिडी के दावे को प्रस्तुत करने में विलंब।

** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण:

प्राधिकरण	राशि (रुपए लाख में)	कारण
बैंकिंग लोकपाल	0.25	बंधक रखे गए सुरक्षा दस्तावेजों को जारी करने में विलंब।
उपभोक्ता न्यायालय	0.60	बैंक के ग्राहक M/s Saviour Biotech द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता न्यायालय में की गई अपील के आधार पर।

(सी) SGL फॉर्म के बाउंस होने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वर्ष समाप्ति	SGL फॉर्म के बाउंस होने की तारीख	राशि	टिप्पणी
31 मार्च 2026	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च 2025	शून्य	शून्य	शून्य

(डी) Reverse Repo लेन–देन में त्रुप्द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी पर लागू) : शून्य

(ई) RBI द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए अन्य किसी दंड का विवरण:

1. बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 –शून्य
2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007–शून्य
3. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006– शून्य

*** Details of penalty during 2025-26**

Authority	Amount (in Lakh)	Reason
RBI, Kanpur	0.012	Mutilated notes were detected being kept under Soiled category during the RBI Inspection.

**** Details of penalty during 2024-25**

Authority	Amount (in Lakh)	Reason
RBI, Kanpur	1.02	Shortage detected, mutilated and soiled currency notes found in remittance to RBI Chest, Kanpur.
RBI	61.40	Bank failed to link MSME advance accounts to External benchmark and charged minimum balance charges in proportion to the shortfall in minimum balance.

b) Disclosure of penalties imposed by other Regulators/authorities.

(Amounts in ₹ crore)

Authority	For the period ended March 31, 2026		For the period ended March 31, 2025	
	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Banking Ombudsman	1*	0.005	1**	0.0025
Consumer Court	0	0	1**	0.006

*** Details of penalty during 2025-26**

Authority	Amount (in Lakh)	Reason
Banking Ombudsman	0.50	Delay in submission of claim for subsidy for loan granting under PMEGP Scheme.

**** Details of penalty during 2024-25**

Authority	Amount (in Lakh)	Reason
Banking Ombudsman	0.25	Delay in release of mortgaged Security Documents.
Consumer Court	0.60	Based on appeal by bank's customer M/s Saviour Biotech at Consumer Court alleging unfair trade practice.

c) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
Mar 31, 2026	NIL	NIL	NIL
Mar 31, 2025	NIL	NIL	NIL

d) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant). Nil

e) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :

1) Banking Regulation Act, 1949, - NIL
2) Payment and Settlement Act, 2007,- NIL
3) Government Securities Act, 2006. – NIL

13. पारिश्रमिक (Remuneration) संबंधी प्रकटीकरण

बैंक को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में कम–से–कम वार्षिक आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों (Whole Time Directors) / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (Chief Executive Officers) / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (Material Risk Takers) के पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।

बैंक को प्रकटीकरण तालिका या चार्ट के रूप में करना होगा तथा इसमें वर्तमान एवं पिछले रिपोर्टिंग वर्ष, दोनों की जानकारी शामिल करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक (जहाँ लागू हो) निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे:

प्रकटीकरण का प्रकार		सूचना	
गुणात्मक	ए.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं दायित्व से संबंधित जानकारी	वर्तमान NRC समिति के सदस्यों की संरचना: 1. मानव रंजन बिसवाल–अध्यक्ष 2. गोपाल सिंह गुसांई –सदस्य 3. बिनिता सिंह–सदस्य 4. नीलम दामोदरन–सदस्य
	बी.	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के डिजाइन एवं संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताओं एवं उद्देश्यों से संबंधित जानकारी	बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के संबंधित प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियमों तथा इस संबंध में RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairperson) एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों (Non-Executive Directors) के लिए पारिश्रमिक नीति (Remuneration Policy) तैयार एवं अपनाई है।
	सी.	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान एवं भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीके का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति एवं प्रकार भी शामिल हैं।	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee) उद्योग मानकों तथा बैंक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करती है।
	डी.	प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तर से जोड़ने के बैंक के तरीकों का विवरण	नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) प्रत्येक निदेशक की कौशल क्षमता, ज्ञान, क्षेत्रीय एवं उद्योग अनुभव, कार्य–प्रदर्शन का रिकॉर्ड, विशेषज्ञता तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी और Fit and Proper मानदंडों के अनुपालन पर विचार करती है। इसके बाद बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। इसका उद्देश्य ऐसे सदस्यों के साथ बोर्ड का गठन करना है जिनके पास विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव तथा आवश्यक कौशल हों, जिससे बैंक के व्यावसायिक हितों की पूर्ति तथा बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हो। Board of Directors की Policy के अनुसार, NRHR बैंक के निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर विचार करने से पहले उसके 'Fit and Proper' होने की स्थिति का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इसका वार्षिक मूल्यांकन करती है।

13. Disclosures on remuneration

A bank is required to make disclosure on remuneration of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Material Risk Takers on an annual basis at the minimum, in its Annual Financial Statements.

The bank shall make the disclosures in table or chart format and make disclosures for previous as well as the current reporting year.

Further, a private sector bank and foreign bank (to the extent applicable), shall disclose the following information:

Type of disclosure		Information	
Qualitative	(a)	Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee.	Present composition of NRC Committee Members- 1. Manas Ranjan Biswal - Chairperson 2. Gopal Singh Gusain-Member 3. Binita Shah - Member 4. Neelam Damodharan -Member
	(b)	Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.	The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non- Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.
	(c)	Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It should include the nature and type of the key measures used to take account of these risks.	Nomination and remuneration committee undertakes risk evaluation based on industry standards and risk profile of the Bank.
	(d)	Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration.	The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/re- appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year

प्रकटीकरण का प्रकार		सूचना	
	ई.	परिवर्तनीय पारिश्रमिक (Variable Remuneration) के स्थगन (Deferral) एवं निहित होने (Vesting) संबंधी बैंक की नीति तथा निहित होने से पहले एवं बाद में स्थगित पारिश्रमिक में समायोजन के लिए बैंक की नीति एवं मानदंडों का विवरण	बैंक के पास एक Compensation Policy है, जिसमें ऐसे सभी प्रावधानों/शर्तों (covenants) को उचित रूप से शामिल किया गया है।
	एफ.	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न स्वरूपों (जैसे नकद एवं शेयर–लिंक्ड साधन) तथा इन विभिन्न स्वरूपों के उपयोग के कारण का विवरण	बैंक के पास एक Compensation Policy है, जिसमें ऐसे सभी प्रावधानों/शर्तों (covenants) को उचित रूप से शामिल किया गया है।

विवरण			वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
मात्रात्मक प्रकटीकरण (मात्रात्मक प्रकटीकरण केवल पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों के संबंध में होना चाहिए)	जी.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा उसके सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक।	4	7
	एच.	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए साइन–ऑन / ज्वाइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि।संचित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो सेवा समाप्ति पर दिए गए भुगतान का विवरण।	छ।	छ।
	आई.	बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, जिसे नकद, शेयर और शेयर से संबद्ध लिखतों तथा अन्य रूपों में विभाजित किया गया हो। वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।	छ।	छ।
	जे.	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का विवरण, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय, आस्थगित और गैर–आस्थगित पारिश्रमिक को दर्शाया गया हो।	छ।	छ।
	के.	बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि, जो पूर्व–पश्चात स्पष्ट और/या निहित समायोजनों के अधीन हो। पूर्व–पश्चात स्पष्ट समायोजनों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि। (iii) पूर्व–पश्चात निहित समायोजनों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि।	छ।	छ।
	एल.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (MRTs) की संख्या।	छ।	छ।
	एम.	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मालस (Malus) का प्रयोग किया गया। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें क्लॉबैक (Clawback) का प्रयोग किया गया। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मालस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया।	छ।	छ।
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	एन	बैंक के समग्र कर्मचारियों (सब–स्टाफ को छोड़कर) का औसत पारिश्रमिक तथा उसके प्रत्येक पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के पारिश्रमिक का औसत पारिश्रमिक से विचलन।	छ।	छ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष को रुपए 10,17,166.00, एमडी एवं सीईओ को रुपए 57,94,841.00 तथा कार्यकारी निदेशक (ED) को रुपए 40,12,919.00 का पारिश्रमिक भुगतान किया गया है। निदेशकों को बैठक शुल्क (Sitting Fees) के रूप में रुपए 60,80,000.00 का भुगतान किया गया है। निदेशकों को भुगतान किए गए कुल पारिश्रमिक एवं बैठक शुल्क की राशि ? 1,69,04,926.00 है।

Type of disclosure		Information	
	(e)	A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.	Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants.
	(f)	Description of the different forms of variable remuneration (i.e., cash and types of share-linked instruments) that the bank utilises and the rationale for using these different forms.	Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants.

Particular			Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Quantitative disclosures (The quantitative disclosures should only cover Whole Time Directors / Chief Executive Officer / Material Risk Takers)	(g)	Number of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its members.	4	7
	(h)	Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. Number and total amount of sign-on / joining bonus made during the financial year. Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	NA	NA
	(i)	Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	NA	NA
	(j)	Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	NA	NA
	(k)	Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments. Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments. (iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	NA	NA
	(l)	Number of MRTs identified.	NA	NA
	(m)	Number of cases where malus has been exercised. Number of cases where clawback has been exercised. Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	NA	NA
General Quantitative Disclosure	(n)	The mean pay for the bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay.	NA	NA

The remuneration paid to non-executive director/chairman during current financial year is Rs. 10,17,166.00, to the MD & CEO is Rs. 57,94,841.00 and to the ED is Rs. 40,12,919.00 Remuneration paid to directors in form of sitting fees is Rs. 60,80,000.00 Total remuneration and siting fees paid to directors are Rs. 1,69,04,926.00

14. अन्य प्रकटीकरण

(i) व्यावसायिक अनुपात

विवरण	वर्तमान वर्ष (31.03.2026)	पिछला वर्ष (31.03.2025)
ए) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.51%	7.55%
बी) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.51%	0.44%
सी) जमाराशियों की लागत	4.92%	5.04%
डी) शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.64%	3.30%
ई) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.20%	0.95%
एफ) आस्तियों पर प्रतिफल	0.72%	0.61%
जी) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां एवं अग्रिम) (रुपए करोड़ में)	11.47	10.81
एच) प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए करोड़ में)	0.06	0.04
आई) अग्रिमों पर प्रतिफल	8.84%	8.94%

(ii) बैंक एश्योरेंस व्यवसायः

31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में बैंक की कुल आय **रुपए 1.669 करोड़** थी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	राशि	
		वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
1.	HDFC Life Insurance Company Ltd.	0.238	0.189
2.	India First Life Insurance Co. Ltd	0.463	0.507
3.	IndusInd Nippon Life Insurance Ltd	0.520	0.678
4.	Generali Central Insurance Co. Ltd.	0.174	0.234
5.	National Insurance Company Ltd	0.026	0.023
6.	Care Health Insurance Ltd.	0.157	0.153
7.	Niva Bupa Health Insurance Ltd.	0.091	0.006
	Total	**1.669**	**1.790**

31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय **रुपए 0.095 करोड़** थी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	राशि	
		वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
1.	पीएफआरडीए	0.073	0.046
2.	म्यूचुअल फंड	0.004	0.002
3.	एलआईसी (पीएमजेजेबीवाई	0.013	0.006
4.	डीमैट	0.004	-
5	एनपीएस	0.001	-
	कुल	**0.095**	**0.054**

(iii) विपणन और वितरणः शून्य

(iv) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (PSLCs) के संबंध में प्रकटीकरणः शून्य

(v) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधान	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
NPA के लिए प्रावधान	21.94	5.73
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	21.55	12.69
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
– मानक अग्रिम	12.19	3.71
– विविध प्रावधान	1.06	(0.67)
– धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	0.00	15.48
– आस्थगित कर के लिए प्रावधान	(3.65)	1.47
कुल योग	**53.09**	**38.41**

(vi) IFRS अभिसरण भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) का कार्यान्वयन

भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने वर्ष 2015 में कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक (IND AS)) नियम, 2015 अधिसूचित किए थे, जिनमें लेखांकन अवधि 2016–17 से चरणबद्ध तरीके से IND AS को अपनाने और लागू करने का प्रावधान किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार, बैंकों को

14. Other Disclosures

(i) Business ratios

Item	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
a) Interest Income as a percentage to Working funds	7.51%	7.55%
b) Non-interest income as a percentage to Working funds	0.51%	0.44%
c) Cost of Deposits	4.92%	5.04%
d) Net Interest Margin	3.64%	3.30%
e) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.20%	0.95%
f) Return on Assets	0.72%	0.61%
g) Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	11.47	10.81
h) Profit per employee (in ₹ crore)	0.06	0.04
i) Yield on advance	8.84%	8.94%

(ii) Bank assurance business:

The total income of the bank in respect of bank assurance business was **Rs. 1.669 Crore** during the period ended **31st Mar 2026** with details as under

(₹ in crore)

Sr. No.	Insurance Company	Amount	
		Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
1.	HDFC Life Insurance Company Ltd.	0.238	0.189
2.	India First Life Insurance Co. Ltd	0.463	0.507
3.	IndusInd Nippon Life Insurance Ltd	0.520	0.678
4.	Generali Central Insurance Co. Ltd.	0.174	0.234
5.	National Insurance Company Ltd	0.026	0.023
6.	Care Health Insurance Ltd.	0.157	0.153
7.	Niva Bupa Health Insurance Ltd.	0.091	0.006
	Total	**1.669**	**1.790**

The total income of the bank in respect of other products **Rs 0.095 Crore** during the period ended **31st Mar 2026,** with details as under.

(₹ in lakh)

Sr. No.	Product	Amount	
		Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
1.	PFRDA	0.073	0.046
2.	Mutual Fund	0.004	0.002
3.	LIC (PMJJBY)	0.013	0.006
4.	Demat	0.004	-
5	NPS	0.001	-
	Total	**0.095**	**0.054**

(iii) Marketing and distribution: Nil

(iv) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs): Nil

(v) Provisions and contingencies

(Amount in ₹ Crores)

Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03 2025)
Provision towards NPA	21.94	5.73
Provision made towards Income tax	21.55	12.69
Other Provisions and Contingencies		
- Standard Advance	12.19	3.71
- Miscellaneous Provisions	1.06	(0.67)
- Provision for fraud	0.00	15.48
- Provision for Deferred Tax	(3.65)	1.47
Grand Total	**53.09**	**38.41**

(vi) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), in 2015, had notified the Companies (Indian Accounting Standards (IND AS) Rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in a phased manner beginning from the Accounting period 2016-17, as per said notification banks were required to comply

01 अप्रैल 2018 से इन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक था, अर्थात् IND–AS के कार्यान्वयन के चरण–III के दौरान। तथापि, RBI ने दिनांक 22 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या ''DBR.BP. BC.No.29/21.07.001/2018–19'' के माध्यम से इन मानकों की प्रयोज्यता को अगले निर्देश तक स्थगित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, RBI द्वारा समय–समय पर बैंकों को भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने तथा 30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही से प्रोफार्मा Ind AS वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। ये प्रोफार्मा विवरण विनियामक विश्लेषण के उद्देश्य से हैं तथा आवश्यक रूप से पूर्णतः IND AS के अनुरूप नहीं हो सकते हैं और न ही ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले ट्रायल प्रारूप के संकेतक हैं।

हमारा बैंक निर्धारित समय–सीमा के भीतर RBI को नियमित रूप से अर्धवार्षिक प्रोफार्मा IND AS प्रस्तुत कर रहा है।

(vii) DICGC बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
i)	DICGC बीमा प्रीमियम का भुगतान	10.90	10.83
ii)	DICGC प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0	0

(viii) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने 11 नवंबर 2020 के IBA संयुक्त नोट/द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आच्छादित कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था, जो रुपए 8.39 करोड़ थी और जिसका भुगतान पिछले वर्षों में किया गया था।

RBI ने अपने दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के परिपत्र संख्या ''RBI/2021–22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021–22'' के माध्यम से बैंकों को उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन 5 (पाँच) वर्ष से अधिक की अवधि में न करने की अनुमति दी थी, जिसकी शुरुआत 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से होनी थी, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम से कम 1/5वाँ भाग व्यय के रूप में लिया जाए। बैंक ने उक्त विकल्प का लाभ नहीं उठाया और 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में पूरी राशि को लाभ एवं हानि खाते में चार्ज कर दिया।

क) परिभाषित लाभ योजनाएँ (वित्तपोषित दायित्व – पेंशन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी)

क) परिभाषित लाभ के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	453.76	431.58	31.78	26.34	31.97	29.16
प्रारंभिक समायोजित						
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन						
जोड़ें: ब्याज लागत	32.40	30.86	2.27	1.88	2.28	2.08
जोड़ें: पिछली सेवा लागत						

with these standards from 01st April 2018 onwards i.e. during Phase-III of IND-AS implementation, however, RBI vide notification no. **"DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19"** dated March 22nd, 2019, has deferred the applicability of these standards till further notice.

Further RBI from time to time have been instructing Banks to be in preparedness for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS), and submit Proforma Ind AS Financial Statements from the half year ended September 30th, 2016 onwards. These Proforma Statements are for the regulatory analysis purpose and may not be necessarily be completely IND AS compliant or indicative of the trial format to be specified in the third schedule to the Banking Regulation Act 1949.

Our Bank is regularly submitting half yearly proforma IND AS to RBI within stipulated time.

(vii) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crores)

Sr. No.	Particulars	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	10.90	10.83
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0	0

(viii) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The Bank had estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees covered as per IBA Joint Note/Bipartite settlement dated November 11, 2020, amounting to Rs. 8.39 Crores which was paid in the last years.

RBI vide their Circular no. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22" dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank did not opt the said option and charged the entire amount to the Profit & Loss account in the last FY ended 31st March 2024

a) Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
Opening Defined Benefit Obligation	453.76	431.58	31.78	26.34	31.97	29.16
Opening Adjusted						
Add: Acquisition Adjustment						
Add: Interest Cost	32.40	30.86	2.27	1.88	2.28	2.08
Add : Past Service Cost						

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	4.43	4.60	3.37	3.28	2.65	2.61
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(1.43)	(3.09)	(1.07)	(2.50)	(2.15)	(4.55)
जोड़ें: दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(15.18)**	**(10.19)**	**(2.02)**	**2.78**	**(1.64)**	**2.67**
समापन परिभाषित लाभ दायित्व	**473.98**	**453.76**	**34.33**	**31.78**	**33.11**	**31.97**

बी) योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक योजना आस्तियों का उचित मूल्य	128.53	122.45	35.19	23.47	32.42	29.42
प्रारंभिक समायोजित						
जोड़ें–योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल						
जोड़ें–योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.35	7.96	2.28	1.53	2.11	1.91
जोड़ें–अंशदान	5.20	17.15		5.75	1.97	4.35
घटाएँ–भुगतान किए गए लाभ	(19.64)	(27.99)	(1.07)	(2.5)	(2.16)	(4.55)
जोड़ें–बीमांकिक लाभ/(हानि)						
समापन योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**122.44**	**119.57**	**36.40**	**28.25**	**34.34**	**31.13**

सी) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
क) समापन परिभाषित लाभ दायित्व	473.98	453.76	34.33	31.78	33.11	31.97
बी) समापन योजना आस्तियों का उचित मूल्य	122.44	119.57	36.40	28.25	34.34	31.13
सी) अंतर	351.54	334.19	(2.07)	3.53	(1.23)	0.84

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
Add: Current Service Cost	4.43	4.60	3.37	3.28	2.65	2.61
Less: Benefits Paid	(1.43)	(3.09)	(1.07)	(2.50)	(2.15)	(4.55)
Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	**(15.18)**	**(10.19)**	**(2.02)**	**2.78**	**(1.64)**	**2.67**
Closing Defined Benefit Obligation	**473.98**	**453.76**	**34.33**	**31.78**	**33.11**	**31.97**

b) Change in Fair value of Plan Assets

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
Opening Fair Value of plan assets	128.53	122.45	35.19	23.47	32.42	29.42
Opening Adjusted						
Add- Expected Return on Plan Assets						
Add- Expected Return on Plan Assets	8.35	7.96	2.28	1.53	2.11	1.91
Add- Contributions	5.20	17.15		5.75	1.97	4.35
Less- Benefits Paid	(19.64)	(27.99)	(1.07)	(2.5)	(2.16)	(4.55)
Add- Actuarial gain/(-)loss						
Closing Fair Value of Plan Assets	**122.44**	**119.57**	**36.40**	**28.25**	**34.34**	**31.13**

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
a) Closing Defined Benefit Obligation	473.98	453.76	34.33	31.78	33.11	31.97
b) Closing Fair Value of Plan Assets	122.44	119.57	36.40	28.25	34.34	31.13
c) Difference	351.54	334.19	(2.07)	3.53	(1.23)	0.84

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
डी) अमान्यीकृत संक्रमणकालीन देयता						
ई) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	351.54	334.19	(2.07)	3.53	(1.23)	0.84

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
क) वर्तमान सेवा लागत	4.43	4.60	3.37	3.28	2.65	2.61
बी) पिछली सेवा लागत						
सी) ब्याज लागत	32.40	30.86	2.27	1.88	2.28	2.08
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(8.35)	(7.96)	(2.28)	(1.53)	(2.11)	(1.91)
ई) शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (–)	(15.18)	(10.19)	(2.03)	2.78	(1.64)	2.67
एफ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	13.30	17.31	1.33	6.42	1.18	5.45

ई) प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
छूट दर	7.46%	7.14%	7.46%	7.14%	7.46%	7.14%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
d) Unrecognized transitional liability						
e) Liability Recognized in the BS	351.54	334.19	(2.07)	3.53	(1.23)	0.84

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
a) Current Service Cost	4.43	4.60	3.37	3.28	2.65	2.61
b) Past Service Cost						
c) Interest Cost	32.40	30.86	2.27	1.88	2.28	2.08
d) Expected Return on Plan Assets	(8.35)	(7.96)	(2.28)	(1.53)	(2.11)	(1.91)
e) Net Actuarial Loss/gain(-)	(15.18)	(10.19)	(2.03)	2.78	(1.64)	2.67
f) Expenses Recognized in P&L	13.30	17.31	1.33	6.42	1.18	5.45

e) Principal Actuarial Assumptions

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Pension		Leave Encashment		Gratuity	
	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025	As on 31st Mar 2026	As on 31st Mar 2025
Discount rate	7.46%	7.14%	7.46%	7.14%	7.46%	7.14%
Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

(i) बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्र (LoCs) का प्रकटीकरणः शून्य

(ii) हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों के उपयोग संबंधी पोर्टफोलियो–स्तरीय जानकारीः शून्य

(iii) संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक 18):

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंधः

(i)	**मूल कंपनी**	**:**	**बैंक ऑफ बड़ौदा (98.62% इक्विटी हिस्सेदारी वाला प्रमुख शेयरधारक)**
(ii)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	(I)	श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) (5 अप्रैल, 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा में पुनः पदस्थापित)
		(II)	श्री सुशील कुमार लाल (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) (5 अप्रैल, 2025 को पदभार ग्रहण किया)
		(III)	श्री कुलदीप सिंह (कार्यकारी निदेशक)
(iii)	**मूल कंपनी की सहायक कंपनी**		**घरेलू सहायक कंपनियाँ**
		(I)	BOB Capital Markets Limited.
		(II)	BOB Cards Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
		(III)	India First Life Insurance Company Limited
		(IV)	Baroda Global Shared Services Limited
		(V)	Baroda Sun Technologies Ltd.
		(VI)	Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)
		(VII)	Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
			विदेशी सहायक कंपनियाँ
		(I)	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
		(II)	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
		(III)	Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Baroda Capital Market (Uganda) Limited
		(IV)	Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
		(V)	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
		(VI)	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
		(VII)	Bank of Baroda (UK) Ltd.
iv)	मूल कंपनी की सहयोगी संस्थाएँ	(I)	Uttar Pradesh Gramin Bank (formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)
		(II)	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Now known as Rajasthan Gramin Bank) (upto 30th April,2025)
		(III)	Baroda Gujrat Gramin Bank
		(IV)	Indo Zambia Bank Limited
v)	मूल कंपनी के संयुक्त उद्यम	(I)	India Infradebt Limited
		(II)	India International Bank (Malaysia) Berhad

(ix) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks: Nil

(x) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits: Nil

(xi) Related party disclosure (Accounting Standard 18):

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

(i)	Parent	:	Bank of Baroda (Major Shareholder with 98.62% equity)
(ii)	Key Management Personnel	(I)	Shri Nikhil Mohan (Managing Director & CEO) (Repatriated to BOB on 5th April,2025)
		(II)	Sushil Kumar Lal (Managing Director & CEO) (assumed office on 5th April,2025)
		(III)	Shri Kuldeep Singh (Executive Director)
(iii)	Parent's Subsidiary		**Domestic Subsidiaries**
		(I)	BOB Capital Markets Limited.
		(II)	BOB Cards Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
		(III)	India First Life Insurance Company Limited
		(IV)	Baroda Global Shared Services Limited
		(V)	Baroda Sun Technologies Ltd.
		(VI)	Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)
		(VII)	Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
			Overseas Subsidiaries
		(I)	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
		(II)	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
		(III)	Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Baroda Capital Market (Uganda) Limited
		(IV)	Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
		(V)	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
		(VI)	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
		(VII)	Bank of Baroda (UK) Ltd.
iv)	Parents' Associates	(I)	Uttar Pradesh Gramin Bank (formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)
		(II)	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Now known as Rajasthan Gramin Bank) (upto 30th April,2025)
		(III)	Baroda Gujrat Gramin Bank
		(IV)	lndo Zambia Bank Limited
v)	Parents' Joint Ventures	(I)	India Infradebt Limited
		(II)	India International Bank (Malaysia) Berhad

(राशि ₹ करोड़ में)

लेन–देन की प्रकृति	मूल कंपनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	मूल कंपनी की सहायक कंपनियाँ	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
ब्याज अर्जित	0.21					0.21
कमीशन आय		0.42				0.42
ब्याज भुगतान	0.02		9.34			9.36
बैंक शुल्क का भुगतान	0.04					0.04
पारिश्रमिक	2.34					2.34
सेवाओं का प्रावधान						
जमाराशियाँ (CASA) – प्लेसमेंट – प्राप्त जमारशियाँ (सावधि)	8.08	3.62	213.67			8.08 3.62 213.67
गैर–निधीय प्रतिबद्धताएँ वर्ष के अंत में	0.25					0.25

31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक के संबंधित पक्षों से देय/प्राप्य अधिकतम शेष निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

मद/संबंधित पक्ष	मूल कंपनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	मूल कंपनी की सहायक कंपनियाँ	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उपक्रम	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार						
प्राप्त जमाराशियाँ		3.62	213.67			217.29
जमाराशियों का प्लेसमेंट	8.08					8.08
अग्रिम*						
निवेश						
गैर–निधीय प्रतिबद्धताएँ						
कॉल लेंडिंग						
स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध						
बैंक की हाइब्रिड पूंजी/बॉन्ड में संबंधित पक्ष का निवेश						
प्रबंधन अनुबंधों के अंतर्गत देय						
अन्य प्राप्त (शुद्ध)		0.02				0.02
अन्य देय (शुद्ध)						
गैर–निधीय (BG)	0.25					0.25

(Amounts in ₹ crore)

Nature of Transaction	Parent (as per ownership or control)	Parent's Subsidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Interest Earned	0.21					0.21
Commission Income		0.42				0.42
Interest Paid	0.02		9.34			9.36
Bank Charges Paid	0.04					0.04
Remuneration	2.34					2.34
Rendering of services						
Deposits (CASA) - Placements - Received Deposits (Term)	8.08	3.62	213.67			8.08 3.62 213.67
Non-funded commitments At the Year end	0.25					0.25

The maximum balances payable to/receivable from the related parties of the Bank during the period ended 31st Mar, 2026 are given below:

(Amounts in ₹ crore)

Nature of Transaction	Parent (as per ownership or control)	Parent's Subsidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowing						
Deposit Received		3.62	213.67			217.29
Placement of deposits	8.08					8.08
Advances *						
Investments						
Non-Funded commitments						
Call Lending						
Swap/Forwards Contract						
Investment of related party in Hybrid Capital/ Bonds of the Bank						
Payable under management contracts						
Other receivables (net)		0.02				0.02
Other payables (net)						
Non-Funded (BG)	0.25					0.25

(xii) खंडवार रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक 17):

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यावसायिक खंड	ट्रेजरी	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग	अन्य बैंकिग परिचालन	कुल
विवरण	**31 मार्च 2026**	**31 मार्च 2026**	**31 मार्च 2026**	**31 मार्च 2026**	**31 मार्च 2026**
राजस्व	264.63 (272.90)	47.52 (45.33)	460.03 (430.44)	3.08 (3.18)	775.26 (751.85)
परिणाम	78.40 (67.89)	7.04 (4.84)	109.62 (85.41)	3.08 (3.18)	198.14 (161.32)
अविनियोजित व्यय					113.34 (98.01)
कर–पूर्व कुल लाभ					84.80 (63.30)
आयकर					21.55 (12.69)
असाधारण लाभ/हानि					0.00 (0.00)
शुद्ध लाभ					63.25 (50.61)
खंडीय आस्तियाँ	3807.55 (3797.60)	1245.63 (1277.25)	4770.19 (4211.07)	0.00 (0.00)	9823.37 (9285.92)
अविनियोजित आस्तियाँ					66.85 (74.56)
कुल आस्तियाँ					9890.22 (9360.48)
खंडीय देयताएँ	3430.21 (3455.44)	1133.72 (1175.59)	4337.65 (3872.66)	0.00 (0.00)	8808.81 (8503.69)
अविनियोजित देयताएँ					988.64 (856.79)
कुल देयताएँ					9890.22 (9360.48)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष (31 मार्च 2025) के आंकड़े हैं।

(xiii) आकस्मिक देयताओं एवं प्रावधानों का विवरण (लेखांकन मानक 29)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	Provision As per AS – 29							
	बैंक की आकस्मिक देयता की राशि	वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि का प्रत्यावर्तन	वर्ष के अंत में प्रावधान	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख मान्यता	टिप्पणियाँ
ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे '	1.71 (2.14)	1.37 (1.33)	- (0.41)	- -	- -	1.37 (1.74)		
घटकों की ओर से जारी गारंटियाँ	21.42 (45.50)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य

(xii) Segment Reporting (Accounting Standard 17):

(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury	Corporate/ Wholesale Banking	Retail Banking	Other Banking Operation	Total
Particulars	**31st Mar 2026**	**31st Mar 2026**	**31st Mar 2026**	**31st Mar 2026**	**31st Mar 2026**
Revenue	264.63 (272.90)	47.52 (45.33)	460.03 (430.44)	3.08 (3.18)	775.26 (751.85)
Result	78.40 (67.89)	7.04 (4.84)	109.62 (85.41)	3.08 (3.18)	198.14 (161.32)
Unallocated expenses					113.34 (98.01)
Total profit before tax					84.80 (63.30)
Income taxes					21.55 (12.69)
Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
Net profit					63.25 (50.61)
Segment assets	3807.55 (3797.60)	1245.63 (1277.25)	4770.19 (4211.07)	0.00 (0.00)	9823.37 (9285.92)
Unallocated assets					66.85 (74.56)
Total assets					9890.22 (9360.48)
Segment liabilities	3430.21 (3455.44)	1133.72 (1175.59)	4337.65 (3872.66)	0.00 (0.00)	8808.81 (8503.69)
Unallocated liabilities					988.64 (856.79)
Total liabilities					9890.22 (9360.48)

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2025)

(xiii) Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29):

(Amount in ₹ crore)

Item	Provision As per AS – 29							
	Amt. for which the Bank is contingently Liable	Provision as at the beginning of the Year	Addition during the year	Amount used during the year	Unused amount reversed during the year	Provision as at the close of the year	Major assumption regarding future events	Remarks
Claims against the Bank not acknowledged as debt*	1.71 (2.14)	1.37 (1.33)	- (0.41)	- -	- -	1.37 (1.74)		
Guarantees issued on behalf of constituents	21.42 (45.50)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA

मद	Provision As per AS – 29							
	बैंक की आकस्मिक देयता की राशि	वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि का प्रत्यावर्तन	वर्ष के अंत में प्रावधान	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख मान्यता	टिप्पणियाँ
स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	0.0 (0.00)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	61.01 (53.75)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2025 को बकाया राशि को दर्शाते हैं।

(xiv) प्रति शेयर आय

विवरण		31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
ए	प्रति शेयर आय	3.82	4.31
	मूल	3.82	4.31
	तनुकृत	3.82	4.31
बी.	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि (कर पश्चात लाभ) (रुपए करोड़ में)	63.25	50.61
सी	शेयरों का अंकित मूल्य	रुपए 10.00/– प्रति शेयर	रुपए 10.00/– प्रति शेयर
डी	हरित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या, जिसे हर (Denominator) के रूप में प्रयुक्त किया गया	165729905 संख्या	117446250 संख्या

(xv) आय पर करों का लेखांकन (लेखांकन मानक–22)

चालू कर

आयकर अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') में 20 सितंबर 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से नई धारा 115BAA लागू किए जाने के मद्देनजर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019–20, अर्थात् आकलन वर्ष 2020–21 से नई कर व्यवस्था को अपनाया था और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार, प्रभावी कर दर 25.168% है।

बैंक ने आयकर के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया है:

(राशि रुपए करोड़ में)

मद	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
आयकर के लिए प्रावधान	21.55	12.69

आस्थगित कर

31 मार्च 2026 के अंत में आस्थगित कर देयता (Deferred Tax Liability) रुपए 2.25 करोड़ थी। पिछले वर्ष की इसी अवधि में आस्थगित कर देयता रुपए 5.91 करोड़ थी। 31 मार्च 2026 को आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए करोड़ में)

घटक	समापन शेष (रुपए करोड़ में)	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%
AFS रिज़र्व	7.44	1.87	
पूर्व–ग्रेच्युटी (Ex–Gratia) के लिए प्रावधान	0.01	0.003	
स्थ के लिए प्रावधान	1.74	0.44	
बैगेज के लिए प्रावधान	0.09	0.03	

Item	Provision As per AS – 29							
	Amt. for which the Bank is contingently Liable	Provision as at the beginning of the Year	Addition during the year	Amount used during the year	Unused amount reversed during the year	Provision as at the close of the year	Major assumption regarding future events	Remarks
Acceptance Endorsements and other obligations	0.0 (0.00)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
Other items, for which the Bank is contingently liable	61.01 (53.75)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA

Figures in bracket represents the amount outstanding as at 31st March 2025

(xiv) Earnings per share:

Particulars		31st Mar 2026	31st Mar 2025
a)	Earnings per share	3.82	4.31
	Basic	3.82	4.31
	Diluted	3.82	4.31
b)	Amount used as numerator (Profit after tax) (Rs. In Crore)	63.25	50.61
c)	Nominal value of shares	Rs 10.00/-per share	Rs 10.00/-per share
d)	Weighted average number of equity shares used as the denominator	165729905 No's	117446250 No's

(xv) Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22):

Current Tax

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank had opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.

The bank has made a provision for income tax as tabulated below:

(Amount in ₹ crore)

Item	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03-2025)
Provision for Income Tax	21.55	12.69

Deferred Tax

As at the end of 31st Mar, 2026, the deferred tax Liability stood at Rs 2.25 Crore, (during corresponding period in previous year, deferred tax liability was Rs. 5.91 Crore). Major components of Deferred Tax Liabilities as on 31st Mar, 2026 are as under:

(Amount in ₹ crore)

Components	Closing balance (Amount in Crores)	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%
AFS Reserve	7.44	1.87	
Provision For Ex-Gratia	0.01	0.003	
Provision For LFC	1.74	0.44	
Provision For baggage	0.09	0.03	

घटक	समापन शेष (रुपए करोड़ में)	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार सृजित रिज़र्व	31.38		7.90
आयकर अधिनियम एवं पुस्तकों के अनुसार WDV में अंतर	13.15	3.31	
कुल DTA/DTL (वर्तमान वर्ष)	**53.94**	**5.65**	**7.90**
31 मार्च 2026 को शुद्ध DTL (A)			2.25
31 मार्च 2025 को क्ज़-का प्रारंभिक शेष (B)			5.91
मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान लाभ एवं हानि खाते में जमा राशि (B-A)			**3.66**

(xvi) लेखांकन मानक–19 ''लीज'' (Lease)

परिचालन लीज पर लिए गए परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर शामिल हैं, जिन्हें बैंक के विकल्प पर नवीनीकृत किया जा सकता है। गैर–रद्द करने योग्य परिचालन लीज पर लिए गए परिसरों के संबंध में भविष्य के किराया भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रुपए करोड़ में)

लीज किराया दायित्व का विवरण	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
एक वर्ष से अधिक नहीं	14.09	11.25
एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से अधिक नहीं	46.10	34.92
पाँच वर्ष से अधिक	11.45	17.20
कुल	**71.64**	**63.37**

(xvii) तकनीकी उन्नयन

बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) FINCRAFT को उद्योग–विशिष्ट और अधिक सुदृढ़ CBS एप्लीकेशन ''**FINACLE10.X**'' से उन्नत किया है तथा 11 फरवरी 2022 से नए CBS पर माइग्रेट किया है। परियोजना पर किए गए खर्च तथा उस पर दावा की गई मूल्यह्रास राशि का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	AS–10 एवं अन्य लागू विनियमों के अनुसार पूंजीकृत राशि	मार्च 2026 तक मूल्यह्रास	मार्च 2026 को बुक मूल्य
1	मूर्त मदें, अर्थात् उच्च क्षमता वाले सर्वर एवं नेटवर्क	40.64	24.32	16.32
2.	नए CBS/ट्रेजरी एवं अन्य सहायक मॉड्यूल के लाइसेंस, कार्यान्वयन एवं अनुकूलन	32.73	17.56	15.17

(xviii) रिज़र्व एवं अधिशेष

वैधानिक रिज़र्व–बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 तथा RBI के दिनांक 23 सितंबर 2000 के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, 31 मार्च 2026 को वैधानिक रिज़र्व खाते में शेष राशि रुपए 226.24 करोड़ है।

पूंजी रिज़र्व–पूंजी रिज़र्व में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न वृद्धि शामिल है।

निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व–RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को वैधानिक विनियोग के बाद उपलब्ध लाभ के अधीन, वर्ष 2019 से शुरू होकर तीन वर्षों की अवधि में अपने HFT और AFS निवेश पोर्टफोलियो के 2% के बराबर निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व (IFR) सृजित करना आवश्यक है। 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि में उक्त रिज़र्व में शेष राशि रुपए 21.25 करोड़ है।

Components	Closing balance (Amount in Crores)	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%
Reserves created as per section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	31.38		7.90
Difference in WDV's as per Income Tax Act & Books	13.15	3.31	
Total DTA/ DTL (CURRENT YEAR)	**53.94**	**5.65**	**7.90**
Net DTL as on 31st Mar 2026 **(A)**			2.25
Opening Balance of DTL as on 31St Mar. 2025 **(B)**			5.91
Amount credited to PL a/c during the quarter ended Mar 2026 **(B-A)**			**3.66**

(xvi) Accounting Standard -19 - "Lease" Premises taken on operating lease are given below:

The operating leases primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the Bank. The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(Amount in Crores)

Particulars -Lease Rent Obligations	Current Year (31-03-2026)	Previous Year (31-03-2025)
Not later than one year	14.09	11.25
Later than one year and not later than five years	46.10	34.92
Later than five years	11.45	17.20
Total	**71.64**	**63.37**

(xvii) Technological advancements:

The Bank has upgraded its Core Banking System (CBS) FINCRAFT with industry specific and more robust CBS application **"FINACLE10.X"** and has migrated to new CBS with effect from 11th February 2022. The detailed breakup of cost incurred and depreciation claimed on the project is tabulated below:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount capitalised as per AS-10 and other applicable regulations	Depreciation till March 2026	Book Value as on March 2026
1	Tangible items viz high end servers & networks.	40.64	24.32	16.32
2.	Licences, implementation, customisation of new CBS/treasury and other ancillary modules.	32.73	17.56	15.17

(xviii) Reserve and surplus:

Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000, the Balance in statutory reserve account as on 31st Mar, 2026 is Rs. 226.24 Crore.

Capital Reserve - Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties,

Investment Fluctuation Reserve - In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. The balance as at the period ended, 31st Marc 2026 is Rs. 21.25 Crores to the said reserve.

(xix) अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (AS–5)

(i) **पूर्व अवधि की मदें**: वर्ष के दौरान पूर्व अवधि की आय/व्यय की कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थी।

(ii) **लेखांकन नीति** : वर्ष के दौरान बैंक ने राजस्व मान्यता से संबंधित लेखांकन नीति को परिष्कृत किया है। इसके अनुसार, शुल्क से होने वाली आय, सभी कमीशन (तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री, बैंक एश्योरेंस एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) ट्रेडिंग पर कमीशन को छोड़कर), बैंक गारंटी/साख पत्र पर कमीशन, लॉकर किराया तथा कार्ड पर वार्षिक शुल्क को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है। तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री, बैंक एश्योरेंस एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) ट्रेडिंग पर कमीशन को उपार्जन (Accrual) आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xx) तुलन पत्र एवं लाभ–हानि खाते में ''अन्य'' की उन मदों का विवरण, जो क्रमशः कुल आस्तियों/देयताओं तथा कुल आय के 1% से अधिक हैं

(राशि रुपए करोड़ में)

अनुसूची 11 –अन्य आस्तियों के अंतर्गत ''अन्य'' का विवरण

खाता शीर्ष	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) जमाराशियाँ (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कमी के बदले जमा)	590.08	443.57
कुल योग	**590.08**	**443.57**

अनुसूची 13 –अर्जित ब्याज (INTEREST EARNED) के अंतर्गत ''अन्य'' का विवरण, जो कुल आय के 1% से अधिक है

खाता शीर्ष	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
RIDF जमाराशियों पर ब्याज	21.51	17.31
IBPC से ब्याज	24.69	37.08
कुल योग	**46.20**	**54.39**

अनुसूची 14 – अन्य आय (OTHER INCOME) के अंतर्गत ''अन्य'' का विवरण

खाता शीर्ष	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
आकस्मिक शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क	11.97	12.08
PWO खाते में वसूली	13.48	1.81
कुल योग	**25.45**	**13.89**

अनुसूची 16–अन्य व्यय (OTHER EXPENDITURE) के अंतर्गत ''अन्य'' का विवरण

खाता शीर्ष	वर्तमान वर्ष (31–03–2026)	पिछला वर्ष (31–03–2025)
CBS शुल्क	21.85	15.44
वॉच एवं वार्ड सुरक्षा	8.17	5.39
कुल योग	**30.02**	**20.83**

अतिरिक्त प्रकटीकरण

पुनर्समूहीकरण एवं पुनर्वर्गीकरण

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहीकृत किया गया है।
- विभिन्न खातों के शीर्षों में बकाया कुछ डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियाँ, जो अंतर–शाखा समायोजन/क्लियरिंग समायोजन आदि में शामिल हैं, मिलान (Reconciliation) के अधीन हैं।

(xix) Net profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS -5):

(i) **Prior Period Items:** During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) **Accounting policy:** During the year the Bank has refined the accounting policy relating to revenue recognition where Income by way of Fees, all Commission (other than commission on sale of third party product, banc assurance & Priority Sector Lending Certificate trading), commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, annual fee on cards are accounted on receipt basis. Commission on sale of third party product, bank assurance & Priority Sector Lending Certificate trading are accounted on accrual basis.

(xx) Breakup of others in Balance Sheet and Profit and Loss Account which is in excess of 1% of total assets/liabilities and total income respectively:

(Amount in ₹ crore)

Breakup of "Others" under SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

Account Head	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03-2025)
Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits (deposits in lieu of shortfall in priority sector lending)	590.08	443.57
Grand Total	**590.08**	**443.57**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 13- INTEREST EARNED, exceeding one per cent of total income

Account Head	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03-2025)
Interest on RIDF deposits	21.51	17.31
Interest From IBPC	24.69	37.08
Grand Total	**46.20**	**54.39**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 14- OTHER INCOME

Account Head	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03-2025)
Incidental charges and Processing charges	11.97	12.08
Recovery in PWO A/c	13.48	1.81
Grand Total	**25.45**	**13.89**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 16- OTHER EXPENDITURE

Account Head	Current Year (31-03-26)	Previous Year (31-03-2025)
CBS charges	21.85	15.44
Watch & Ward security	8.17	5.39
Grand Total	**30.02**	**20.83**

Additional Disclosures

Re-grouping & Re-classification:

- Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.
- Some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. are subject to reconciliation.

बेसल–III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2026)

तालिका डीएफ– 1: आवेदन का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समेकन के लिए विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	क्या इकाई समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	क्या इकाई समेकन के विनियामक दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	समेकन की विधि में अंतर के कारणों की व्याख्या करें	यदि समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित किया गया है तो इसके कारण बताएं
शून्य						

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिस पर समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत विचार किया जा सके।

ख. समूह संस्थाओं की सूची जिन्हें लेखांकन और समेकन के विनियामक दायरे के तहत समेकन के लिए नहीं माना गया

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	इकाई के पूंजीगत साधनों में बैंक के निवेश का विनियामक द्वारा किया गया उपयोग	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
शून्य					

समूह में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे लेखांकन और विनियामक समेकन दायरे दोनों के अंतर्गत समेकन के लिए विचार किया गया हो।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन के लिए विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम / निगमन का देश (जैसा कि ऊपर (i)क. में दर्शाया गया है)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
शून्य			

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन के लिए विचार में लिया जाए।

घ. सभी सहायक कंपनियों में कुल पूंजी की कमी जो समेकन के नियामक दायरे में शामिल नहीं हैं अर्थात जिन्हें घटाया गया है

सहायक कंपनियों का नाम / निगमन का देश	इकाई की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत अनुपात	पूंजी की कमी
शून्य				

बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए किसी भी सहायक कंपनी में पूंजी की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है।

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2026)

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/ (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Nil						

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity/(Country of Incorporation)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Nil					

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Nil			

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Nil				

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

ड. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (जैसे वर्तमान बुक मूल्य), जो जोखिम–भारित हैं

बीमा संस्थाओं का नाम / निगमन का देश	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % / वोटिंग पावर का अनुपात	जोखिम भार विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
शून्य				

बैंक का बीमा इकाई में कोई हित नहीं है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएँ

कोई प्रतिबंध नहीं है।

तालिका डीएफ–2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने पूंजी अनुकूलन और लाभ अधिकतमीकरण पर उचित ध्यान देने के साथ एक मजबूत जोखिम प्रबंधन वास्तुकला स्थापित की है, अर्थात उपलब्ध पूंजी से अधिकतम व्यवसाय करना जो बदले में लाभ या इक्विटी पर रिटर्न को अधिकतम करता है। बैंक बेसल III ढांचे के अनुरूप वैश्विक रूप से स्वीकृत ध्वनि जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर बेंचमार्किंग कर रहा है, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण आवंटन संभव हो सके।

पूंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लक्षित और टिकाऊ पूंजी।

पूंजी की जरूरतों की निगरानी शीर्ष अधिकारियों वाली आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय–समय पर की जाती है। अग्रिम, निवेश, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी की आवश्यकता का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है।

बैंक जोखिम, कारोबार आदि के मूल्य में नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए पूंजी रखता है ताकि जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों को नुकसान से बचाया जा सके। बैंक के पास सभी जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने सीआरएआर की गणना के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

पूंजी की आवश्यकता आर्थिक माहौल, विनियामक आवश्यकता और बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजी नियोजन का उद्देश्य बदलती आर्थिक स्थितियों, यहाँ तक कि आर्थिक मंदी के समय में भी पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। पूंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा किया जाता है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता।
- व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लक्षित और टिकाऊ पूंजी।
- भविष्य की पूंजी नियोजन तीन साल के दृष्टिकोण पर किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2026
(ख)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं**	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	600.72
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	----
(ग)	**बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताएं**	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	----
	• ब्याज दर जोखिम	----
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	----
	• इक्विटी जोखिम	----
(घ)	**परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ**	
	• बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	73.44
(ङ)	**सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात:**	
	• समूह सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	----
	• टियर 1 अनुपात	----
	• टियर 2 अनुपात	----
	• सीआरएआर	----

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Nil				

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.

TABLE DF-2: Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

ii) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crore) 31.03.2026
(b)	**Capital requirements for Credit Risk**	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	600.72
	• Securitization Exposures	----
(c)	**Capital requirements for Market Risk**	
	• Standardized Duration Approach	----
	• Interest Rate Risk	----
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	----
	• Equity Risk	----
(d)	**Capital requirements for Operational Risk**	
	• Basic Indicator Approach	73.44
(e)	**Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:**	
	• Group CRAR	
	• CET 1 Ratio	----
	• Tier 1 Ratio	----
	• Tier 2 Ratio	----
	• CRAR	----

क्र सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2026
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	17.92%
	• टियर 1 अनुपात	17.92%
	• टियर 2 अनुपात	1.04%
	• सीआरएआर	18.96%

तालिका डीएफ–3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने की बैंक की नीति निम्नानुसार है:

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए): गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है, जहाँ;

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है,
- ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है,
- खरीदे गए और डिस्काउंट किए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है,
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।

ओडी/सीसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है, यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से लगातार अधिक रहती है। ऐसे मामलों में जहां मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैलेंस शीट की तिथि पर 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है या उसी अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं, इन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है।

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय राशि 'अतिदेय' है यदि बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्तियाँ वह होती हैं, जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी रहती हैं। अवमानक आस्तियों में भी सभी वसूली उपाय प्रासंगिक हैं। यदि नकद वसूली के माध्यम से संपूर्ण बकाया राशि वसूल की जाती है, तो खाते को तुरंत मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो तकनीकी कारणों के समाधान के बाद खाते को अपग्रेड किया जाएगा।

संदेहास्पद आस्तियाँ

वे आस्तियाँ जो 12 महीने तक अवमानक श्रेणी में रहती हैं, तो उन्हें संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अवमानक और संदिग्ध खाते, जो पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण के अधीन हैं, उन्हें ब्याज या मूलधन का पहला भुगतान, जो भी पहले हो, देय तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद ही मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो।

हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह होती है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई हो। हानि आस्तियों में, उपलब्ध सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य बकाया/देय राशि के 10% से अधिक नहीं होता है। चूँकि सुरक्षा बैक अप उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए यदि आवश्यक हो तो पुनर्गठन/पुनर्वास पर अत्यधिक सावधानी से विचार किया जाता है।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

बैंक के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति और निवेश नीति है जो ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके समूह और उद्योग के लिए जोखिम की अधिकतम सीमाएँ
- ऋण वितरण में निष्पक्ष व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तरों के लिए विवेकाधीन ऋण देने की शक्तियाँ।
- ऋण वितरण में शामिल प्रक्रियाएँ – स्वीकृति से पहले निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, निगरानी और वसूली।
- कीमत का निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, वास्तुकला और प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं:

ऋण जोखिम दर्शन:

- क्रेडिट और प्रतिलाभ को अनुकूलित करने के लिए परिकल्पना की गई है ताकि शेयरधारकों के लिए आर्थिक मूल्यवर्धन अधिकतम हो और

S. No.	Items	Amount (₹ in Crore) 31.03.2026
	• Standalone CRAR	
	• CET 1 Ratio	17.92%
	• Tier 1 Ratio	17.92%
	• Tier 2 Ratio	1.04%
	• CRAR	18.96%

TABLE DF-3: Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as under:

Substandard Assets

A substandard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the substandard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

Strategies and Processes:

The bank has a well-defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimize the Credit and return envisaged in order

बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कॉर्पोरेट विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ–साथ सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

- बैंक के वित्तीय संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से विनियमित और सुव्यवस्थित करना, ताकि विभिन्न चैनल बैंक के सामान्य लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में नियोजित विकास को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थागत वित्त की तैनाती के मामले में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का अनुपालन करना।
- उद्यम–व्यापी ऋण संस्कृति की भावना पैदा करना और परिचालन कर्मचारियों की सहायता करना।
- विभिन्न उधारकर्ता वर्गों को आवश्यकता–आधारित और समय पर ऋण उपलब्ध कराना।
- ऋण प्रबंधन कौशल को मजबूत करना, जैसे कि मंजूरी से पहले, मंजूरी के बाद निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती उपाय, ताकि मजबूत ऋण संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और बैंक में गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखा जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन, गति और मौजूदा दिशा–निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के साथ ऋण प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना, विशेष रूप से एक्सपोजर मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंड, आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, आरबीआई/अन्य प्राधिकरणों के ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश आदि।

बैंक की वास्तुकला और प्रणालियाँ:

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यों की विशेष रूप से देखरेख और समन्वय करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उप–समिति गठित की गई है।
- ऋण नीति समिति की स्थापना ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम रणनीति तैयार करने और लागू करने तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करने के लिए की गई है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम को मापने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्य करने के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय अनुबंधों, रेटिंग मानकों और बेंचमार्क के लिए मानकों पर नीतियों का निर्माण।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित विधियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड/विनियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों और विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन,
- जोखिम मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करना, एमआईएस विकसित करना, तथा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करना, समस्याओं की पहचान करना, कमियों को सुधारना।
- निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापन प्रणाली का दायरा और प्रकृति:

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए एक मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली स्थापित की है। ऋण जोखिमों को कम करने का एक प्रभावी तरीका किसी विशेष परिसंपत्ति में संभावित जोखिमों की पहचान करना, एक मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखना और साथ ही बैंक की समग्र रणनीति और ऋण नीति के अनुसार आवश्यक जोखिम–वापसी मापदंडों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में लचीलापन प्रदान करना है। हालाँकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है जहाँ परिभाषित विधियों के आधार पर तिमाही अंतराल पर पोर्टफोलियो ऋण जोखिम का विश्लेषण किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2026
निधि आधारित एक्सपोजर	6078.26
गैर– निधि आधारित एक्सपोजर	47.40
कुल सकल क्रेडिट एक्सपोजर	**6125.66**

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण:

एक्सपोजर	राशि (₹ करोड़ में)	
	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया
घरेलू परिचालन	6078.26	47.40
विदेशी परिचालन	----	----
कुल	**6078.26**	**47.40**

that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.

- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post- sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure:

Particulars	Amount (₹ in Crore) 31.03.2026
Fund Based Exposure	6078.26
Non-Fund Based Exposure	47.40
Total Gross Credit Exposure	**6125.66**

c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Crore)	
	Fund Based Outstanding	Non-Fund Based Outstanding
Domestic operations	6078.26	47.40
Overseas operations	----	----
Total	**6078.26**	**47.40**

(घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण

राशि (₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	कुल वित्तपोषित ऋण जोखिम	कुल गैर–वित्तपोषित ऋण जोखिम	कुल ऋण जोखिम (जोखिम पोषित और गैर–वित्त पोषित)
क. खनन और उत्खनन	**100.56**	**0.84**	**104.40**
क.1 कोयला	0.00	0.00	0.00
क.2 अन्य	100.56	0.84	104.40
ख. खाद्य प्रसंस्करण	**15.93**	**0.00**	**15.93**
ख.1 चीनी	0.00	0.00	0.00
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	2.05	0.00	2.05
ख.3 चाय	0.00	0.00	0.00
ख.4 कॉफी	0.00	0.00	0.00
ख.5 अन्य	13.88	0.00	13.88
ग. पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	**0.24**	**0.00**	**0.24**
ग.1 तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	0.00	0.00	0.00
ग.2 अन्य	0.24	0.00	0.24
घ. टेक्सटाइल	**9.35**	**0.00**	**9.35**
घ.1 सूती	1.18	0.00	1.18
घ.2 जूट	0.00	0.00	0.00
घ.3 हाथ से बने हुए	0.00	0.00	0.00
घ.4 अन्य	8.17	0.00	8.17
घ (यानी कुल वस्त्र) में से कताई मिलों को	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ङ. चमड़ा और चमड़ा का उत्पाद	**1.43**	**0.00**	**1.43**
च. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	**4.36**	**0.00**	**4.36**
छ. कागज और कागज उत्पाद	**4.43**	**0.00**	**4.43**
ज. पेट्रोलियम (गैर–इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर–खनन) और परमाणु ईंधन	**0.34**	**0.00**	**0.34**
झ. रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि)	**9.24**	**0.00**	**9.24**
झ.1 उर्वरक	0.00	0.00	0.00
झ.2 ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	5.81	0.00	5.81
झ.3 पेट्रो–रसायन (बुनियादी ढांचे के अंतर्गत छोड़कर)	0.00	0.00	0.00
झ.4 अन्य	3.43	0.00	3.43
ञ. रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**7.44**	**0.00**	**7.44**
ट. कांच, कांच के बने पदार्थ और अन्य गैर–धात्विक खनिज उत्पाद (सीमेंट और सीमेंट उत्पादों को छोड़कर)	**1.14**	**0.00**	**1.14**
ठ. सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	**3.23**	**0.00**	**3.23**
ड. मूल धातु और धातु उत्पाद	**13.71**	**0.00**	**13.71**
ड.1 लोहा और इस्पात	8.60	0.00	8.60
ड.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	5.11	0.00	5.11
ढ. सभी इंजीनियरिंग	**15.54**	**0.04**	**15.58**
ढ.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	0.18	0.00	0.18
ढ.2 अन्य	15.36	0.04	15.36
ण. वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	**3.10**	**0.00**	**3.10**
त. रत्न और आभूषण	**0.18**	**0.00**	**0.18**
थ. निर्माण	**4.11**	**0.07**	**4.18**
द. बुनियादी ढांचा (केवल उद्योग क्षेत्र से संबंधित)	**34.94**	**0.00**	**34.94**
द.1 परिवहन	**2.65**	**0.00**	**2.65**
द.1.1 रेलवे	0.00	0.00	0.00
द.1.2 सड़क मार्ग	2.65	0.00	2.65
द.1.3 विमानन	0.00	0.00	0.00
द.1.4 जलमार्ग	0.00	0.00	0.00
द.1.5 अन्य परिवहन	0.00	0.00	0.00
द.2 ऊर्जा	**10.09**	**0.00**	**10.09**
द. 2.1 गैर–नवीकरणीय ऊर्जा	10.09	0.00	10.09
द.2.2 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)	0.00	0.00	0.00
द.2.3 तेल और गैस (भंडारण और पाइपलाइन)	0.00	0.00	0.00
द.3 अन्य	**22.20**	**0.00**	**22.20**
द.3.1 दूरसंचार	9.00	0.00	9.00
द.3.2 जल स्वच्छता	0.00	0.00	0.00
द.3.3 सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	13.20	0.00	13.20
द.3.4 अन्य अवसंरचना	0.00	0.00	0.00
ध. अन्य उद्योग, कृपया निर्दिष्ट करें	**485.75**	**2.72**	**488.47**
अन्य	485.75	2.72	488.47
सभी उद्योग (ए से एस)	**715.02**	**3.67**	**718.69**
शेष अन्य अग्रिम	**5363.24**	**43.73**	**5406.97**
कुल ऋण और अग्रिम	**6078.26**	**47.40**	**6125.66**

d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ in Crore)

Industry Name	Total Funded Credit Exposure	Total Non-Funded Credit Exposure	Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
A. Minning and Quarrying	**100.56**	**0.84**	**104.40**
A.1 Coal	0.00	0.00	0.00
A.2 Others	100.56	0.84	104.40
B. Food Processing	**15.93**	**0.00**	**15.93**
B.1 Sugar	0.00	0.00	0.00
B.2 Edible Oils and Vanaspati	2.05	0.00	2.05
B.3 Tea	0.00	0.00	0.00
B.4 Coffee	0.00	0.00	0.00
B.5 Others	13.88	0.00	13.88
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	**0.24**	**0.00**	**0.24**
C.1 Tobacco and tobacco products	0.00	0.00	0.00
C.2 Others	0.24	0.00	0.24
D. Textiles	**9.35**	**0.00**	**9.35**
D.1 Cotton	1.18	0.00	1.18
D.2 Jute	0.00	0.00	0.00
D.3 Man-made	0.00	0.00	0.00
D.4 Others	8.17	0.00	8.17
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Leather and Leather products	**1.43**	**0.00**	**1.43**
F. Wood and Wood Products	**4.36**	**0.00**	**4.36**
G. Paper and Paper Products	**4.43**	**0.00**	**4.43**
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**0.34**	**0.00**	**0.34**
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	**9.24**	**0.00**	**9.24**
I.1 Fertilizers	0.00	0.00	0.00
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	5.81	0.00	5.81
I.3 Petro-chemicals (exclud ing under Infrastructure)	0.00	0.00	0.00
I.4 Others	3.43	0.00	3.43
J. Rubber, Plastic and their Products	**7.44**	**0.00**	**7.44**
K. Glass, Glassware and other non-metallic mineral products (Except Cement and Cement products)	**1.14**	**0.00**	**1.14**
L. Cement and Cement Products	**3.23**	**0.00**	**3.23**
M. Basic Metal and Metal Products	**13.71**	**0.00**	**13.71**
M.1 Iron and Steel	8.60	0.00	8.60
M.2 Other Metal and Metal Products	5.11	0.00	5.11
N. All Engineering	**15.54**	**0.04**	**15.58**
N.1 Electronics	0.18	0.00	0.18
N.2 Others	15.36	0.04	15.36
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	**3.10**	**0.00**	**3.10**
P. Gems and Jewellery	**0.18**	**0.00**	**0.18**
Q. Construction	**4.11**	**0.07**	**4.18**
R. Infrastructure (Pertaining to Industries Sector Only)	**34.94**	**0.00**	**34.94**
R.1 Transport	**2.65**	**0.00**	**2.65**
R.1.1 Railways	0.00	0.00	0.00
R.1.2 Roadways	2.65	0.00	2.65
R.1.3 Aviation	0.00	0.00	0.00
R.1.4 Waterways	0.00	0.00	0.00
R.1.5 Others Transport	0.00	0.00	0.00
R.2 Energy	**10.09**	**0.00**	**10.09**
R.2.1 Non-Renewable Energy	10.09	0.00	10.09
R.2.2 Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	0.00	0.00	0.00
R.2.3 Oil & Gas (Storage & Pipeline)	0.00	0.00	0.00
R.3 Others	**22.20**	**0.00**	**22.20**
R.3.1 Telecommunication	9.00	0.00	9.00
R.3.2 Water Sanitation	0.00	0.00	0.00
R.3.3 Social and Commercial Infrastructure	13.20	0.00	13.20
R.3.4 Other Infrastructure	0.00	0.00	0.00
S. Other Industries, pl. specify	**485.75**	**2.72**	**488.47**
Other	485.75	2.72	488.47
All Industries (A to S)	**715.02**	**3.67**	**718.69**
Residuary Other Advances	**5363.24**	**43.73**	**5406.97**
Total Loans & Advances	**6078.26**	**47.40**	**6125.66**

उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया ऋण बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम का 5% से अधिक है जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उद्योग	कुल एक्सपोजर/(ओ/एस बैलेंस) (₹ करोड़ में)	कुल सकल ऋण जोखिम का %
1.	शून्य	शून्य	शून्य

ड.) परिसम्पतियों का अवशिष्ट परिपक्वता विवरण (₹ करोड़ में)

	आरबीआई के पास नकदी एवं शेष	अन्य बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन	निवेश	अग्रिम	अचल संपत्तियां	अन्य परिसंपत्तियां
1 दिन	58.41	14.60	89.58	14.65	0.00	9.06
2–7 दिन	0.00	277.00	0.00	88.66	0.00	98.85
8–14 दिन	0.00	5.00	0.00	104.33	0.00	9.83
15–30 दिन	28.00	0.00	147.40	215.79	0.00	11.55
31 दिन –2 महीने तक	10.44	75.00	69.94	141.73	0.00	5.89
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	11.42	40.00	60.11	375.10	0.00	5.89
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	36.56	576.51	192.47	477.50	0.00	14.19
6 महीने से अधिक 12 महीने तक	71.58	812.85	376.80	249.28	0.00	12.32
1 साल से अधिक 3 साल तक	81.43	65.07	616.18	1891.45	0.00	280.97
3 से अधिक 5 वर्ष तक	0.96	0.00	52.05	475.15	0.00	126.87
5 वर्ष से अधिक	0.88	0.00	13.76	1194.68	66.85	129.36
कुल	**299.68**	**1866.03**	**1618.29**	**5228.32**	**66.85**	**704.78**

राशि (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परिसंपत्ति श्रेणी	राशि
क)	**एनपीए (सकल):**	271.60!
	अवमानक	45.99
	संदिग्ध 1	34.25
	संदिग्ध 2	46.94
	संदिग्ध 3	74.73
	हानिकर	69.69
ख)	**शुद्ध एनपीए**	14.15
ग)	**एनपीए अनुपात**	
	सकल एनपीए से सकल अग्रिम (%)	4.95%
	शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम (%)	0.27%
घ)	**एनपीए (सकल) में उतार–चढ़ाव**	
	प्रारंभिक शेष	386.20@
	वृद्धि	83.13
	कमी	197.73
	विनिमय अंतर के कारण कोई अन्य समायोजन	0.00
	अंतिम शेष	271.60!
ड.)	**विशिष्ट प्रावधान**	
	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव	
	प्रारंभिक शेष	295.05
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	44.64
	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	147.22
	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
	अंतिम शेष	192.47
	सामान्य प्रावधान	

क्र.सं.	परिसंपत्ति श्रेणी		राशि
च)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव**		
	प्रारंभिक शेष		62.85
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान		0.00
	बट्टे खाते		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना		0.00
	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन		0.00
	अंतिम शेष		62.85
	राइट–ऑफ जो सीधे आय विवरण में दर्ज किए गए हैं		0.00
	वसूली जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई है		13.48
छ)	**गैर–निष्पादित निवेश की राशि**		0.00
ज)	**गैर–निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि**		0.00
झ)	**निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का संचलन**		
	प्रारंभिक शेष		0.00
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान		0.00
	राइट–ऑफ		
	अतिरिक्त प्रावधानों का राइट बैक		0.00
	अंतिम शेष		**0.00**
ञ)	प्रमुख उद्योग या काउंटर प्रकार के अनुसार		
		एनपीए की राशि	**प्रावधान**
	शीर्ष 5 उद्योग	6.81	5.17
ट)	**भौगोलिक– क्षेत्रवार विश्लेषण**	**सकल एनपीए**	**प्रावधान**
	घरेलू	271.60	192.47

@8.49 करोड़ रुपये के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

! 8.57 करोड़ रुपये के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

S. No.	Industry	Total Exposure/(O/s bal.) (₹ in Crore)	% of Total Gross Credit Exposure
1.	NIL	NIL	NIL

(e) Residual maturity breakdown of assets **(₹ in Crore)**

	Cash & Balances with RBI	Balances with other Banks & Money at call & short notice	Investments	Advances	Fixed Assets	Other Assets
1 Day	58.41	14.60	89.58	14.65	0.00	9.06
2-7 Days	0.00	277.00	0.00	88.66	0.00	98.85
8-14 Days	0.00	5.00	0.00	104.33	0.00	9.83
15-30 Days	28.00	0.00	147.40	215.79	0.00	11.55
31 days – upto 2 Months	10.44	75.00	69.94	141.73	0.00	5.89
Over 2 Months upto 3 Months	11.42	40.00	60.11	375.10	0.00	5.89
Over 3 upto 6 Months	36.56	576.51	192.47	477.50	0.00	14.19
Over 6 upto 12 Months	71.58	812.85	376.80	249.28	0.00	12.32
Over 1 year upto 3 Years	81.43	65.07	616.18	1891.45	0.00	280.97
Over 3 upto 5 Years	0.96	0.00	52.05	475.15	0.00	126.87
Over 5 Year	0.88	0.00	13.76	1194.68	66.85	129.36
TOTAL	**299.68**	**1866.03**	**1618.29**	**5228.32**	**66.85**	**704.78**

(₹ in Crore)

S.No.	Asset Category	Amount
a)	**NPAs (Gross):**	271.60!
	Substandard	45.99
	Doubtful 1	34.25
	Doubtful 2	46.94
	Doubtful 3	74.73
	Loss	69.69
b)	**Net NPAs**	14.15
c)	**NPA Ratios**	
	Gross NPAs to gross advances (%)	4.95%
	Net NPAs to net advances (%)	0.27%
d)	**Movement of NPA(Gross)**	
	Opening balance	386.20@
	Additions	83.13
	Reductions	197.73
	Any other adjustments due to Exchange Diff	0.00
	Closing balance	271.60!
e)	**SPECIFIC PROVISION**	
	Movement of provisions for NPAs	
	Opening balance	295.05
	Provisions made during the period	44.64
	Write offs/ Write back of excess provisions	147.22
	Any other adjustments, including transfers between provisions	0.00
	Closing balance	192.47
	GENERAL PROVISION	

S.No.	Asset Category	Amount
f)	**Movement of provisions for NPAs**	
	Opening balance	62.85
	Provisions made during the period	0.00
	Write offs	0.00
	Write back of excess provisions	0.00
	Any other adjustments, including transfers between provisions	0.00
	Closing balance	62.85
	Write-offs that have been booked directly to the income statement	0.00
	Recoveries that have been booked directly to the income statement	13.48
g)	**Amount of Non-Performing Investments**	0.00
h)	**Amount of provisions held for non-performing investment**	0.00
i)	**Movement of provisions for depreciation on investments**	
	Opening balance	0.00
	Provisions made during the period	0.00
	Write-off	
	Write back of excess provisions	0.00
	Closing balance	**0.00**
j)	**By major industry or counter type**	
		Amount of NPAs / **Provision**
	Top 5 Industries	6.81 / 5.17
k)	Geographic-wise breakup	**Gross NPA** / **Provision**
	Domestic	271.60 / 192.47

@Excludes Interest suspense of Rs.8.49 Cr

! Excluding interest suspense of Rs.8.57 Cr.

तालिका डीएफ–4: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए क्रेडिट जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम की रेटिंग और जोखिम भार निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मान्यता दी है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई),
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड,
- इंडिया रेटिंग्स (पूर्व में फिच इंडिया)
- ब्रिक वर्क
- एसएमईआरए

जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार के जोखिमों की रेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

बैंकिंग पुस्तकों में तुलनीय परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण:

- बैंक ने अनुमोदित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली परिसंपत्तियों के लिए अल्पकालिक रेटिंग और एक वर्ष के बाद परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया है।
- बैंक ने एक जोखिम के लिए एक सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) की एक रेटिंग और उसी प्रतिपक्ष पर एक अन्य जोखिम के लिए एक अन्य सीआरए की रेटिंग का उपयोग नहीं किया है, जब तक कि दिए गए जोखिम के लिए केवल एक रेटिंग उपलब्ध न हो।
- बैंक 30.00 करोड़ रुपये से अधिक की कुल स्वीकृत सीमा वाले नए क्रेडिट जोखिमों के मामले में आरबीआई द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने के संबंध में बेसल मानदंडों का अनुपालन करेगा। हालांकि, 7.50 करोड़ रुपये और उससे अधिक तथा 30.00 करोड़ रुपये तक की कुल स्वीकृत ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं से ऐसी रेटिंग प्राप्त करने/जमा करने के लिए एक वचनबद्धता प्राप्त की जानी है, जब भी नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी आवश्यकता हो।
- बैंक ने मान्यता प्राप्त सीआरए से केवल मांगी गई रेटिंग का ही उपयोग किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(ख) बैंक के जोखिम की राशि– सकल प्रमुख जोखिम बकेट में अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) – मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, जोखिम शमन (यानी संपार्श्विक) को ध्यान में रखने के बाद:

निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम बकेट में मानकीकृत दृष्टिकोण (रेटेड और अनरेटेड) के अधीन जोखिम शमन के बाद गैर–निधि आधारित सहित जोखिम की राशि निम्नानुसार है:

बकाया राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2026	गैर–निधि आधारित 31.03.2026
1	100% जोखिम भार से कम	2838.92	
2	100% जोखिम भार	2016.14	21.43
3	100% जोखिम भार से अधिक	72.17	
4	सीआरएम कटौती	558.54	5.86
	कुल	**5485.77**	**27.29**

तालिका डी.एफ.–5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ: बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, स्वीकृत प्रकार के संपार्श्विक और प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा निर्धारित करती है। कोलैटरल और गारंटी को उचित रूप से लिया और प्रबंधित किया जाता है जो निम्न कार्य करेगा:

- अपेक्षित नकदी प्रवाह में अपर्याप्तता या नहीं होने के कारण ऋण सुविधा पर उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान का द्वितीयक स्रोत प्रदान करके जोखिम को कम करना;
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियंत्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की बिगड़ती पुनर्भुगतान क्षमता की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना; और
- जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुकूलन करना और अवशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करना।

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करता है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और अभ्यास संपार्श्विक मूल्य की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटी की वैधता और मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सहित संपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं।

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardized Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- The Bank will comply with the Basel norms in respect of obtaining rating from RBI approved external agencies in case of fresh credit exposures having aggregate sanctioned limit above Rs.30.00 Crore. However, an undertaking from the borrowers having sanctioned aggregate credit facilities of Rs.7.50 Crores and above and up to Rs.30.00 Crores to be obtained for obtaining/ submitting of such ratings as & when the same is required as per regulator's guidelines.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2026	Non–Fund Based 31.03.2026
1	Below 100 % risk weight	2838.92	
2	100 % risk weight	2016.14	21.43
3	More than 100 % risk weight	72.17	
4	CRM Deducted	558.54	5.86
	Total Exposure	**5485.77**	**27.29**

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन बैंक द्वारा सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता, बैंकों की नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है। बैंक समय–समय पर मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण:

बैंक द्वारा जोखिम कम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संपार्श्विक में शामिल हैं:

1. स्टॉक, चल मशीनरी आदि जैसी चल संपत्तियां।
2. भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी जैसी अचल संपत्तियां।
3. बैंक की अपनी जमाराशियाँ
4. एनएससी, आईवीपी, केवीपी, सरकारी बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, एलआईसी पॉलिसी, आदि।
5. गैर–निधि आधारित सुविधाओं के विरुद्ध नकद मार्जिन
6. सोने के आभूषण
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर

बैंक के पास बैंक को दी गई प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की एक स्पष्ट नीति है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों को क्रेडिट जोखिम शमन के रूप में लागू किया है।

गारंटर प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार और उनकी साख योग्यता:

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटर के मुख्य प्रकार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटी)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक ज्यादातर बैंक की अपनी जमा राशि पर ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों/शेयरों पर ऋण में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ गैर–निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटी और साख पत्र में भी ली जाती हैं।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा क्रेडिट जोखिम शमन को मान्यता दी गई है।

बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से नकदी, बैंक की अपनी जमाराशियां, सोना और सोने के आभूषण, घोषित समर्पण मूल्य वाली एलआईसी पॉलिसियां, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को क्रेडिट जोखिम शमन के रूप में मान्यता दी है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026
(ख)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग–अलग प्रकटित क्रेडिट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए हेयरकट के आवेदन के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है।	564.40
(ग)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग–अलग प्रकटित पोर्टफोलियो के लिए गारंटी/क्रेडिट डेरिवेटिव (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाती है) द्वारा कवर किया जाता है।	----

तालिका डीएफ–6: प्रतिभूतिकरण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति दिशानिर्देश किसी भी प्रतिभूतिकरण जोखिम को शामिल नहीं करते हैं।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बुक

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2026
शून्य		

ट्रेडिंग बुक:

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2026
शून्य		

दिनांक 31.03.2026 तक बैंक के पास अपनी परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।

तालिका डीएफ–7: ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बाजार जोखिम को संभावित नुकसान के रूप में परिभाषित करता है जो बैंक को बाजार मूल्यों में प्रतिकूल विकास के कारण उठाना पड़ सकता है।

बैंक ने आरबीआए के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर बाजार

Valuation:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of Collateral taken by the Bank:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non-fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery, LIC Policies with a declared surrender value, securities issued by Central and State Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crore)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2026
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	564.40
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	----

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2026
NIL		

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2026
NIL		

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2026.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating

जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की है, अर्थात, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार गणना की गई पूंजी प्रभार को जोखिम भारित परिसंपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है। सीआरएआर पर पहुंचने के लिए क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए एकत्रित जोखिम भारित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन: बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है:

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- एल्को समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2026
क)	ब्याज दर जोखिम	----
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	-----
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	----

तालिका डीएफ–8: परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और ठोस परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, योग्यताएं, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल होती है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना इस प्रकार है:

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आईआरएमसी (आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति)
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

जोखिम रिपोर्टिंग में, शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और बाहरी घटनाओं से जुड़ी परिचालन जोखिम हानि की घटनाएं शामिल होती हैं।

जोखिम को कम करने और/या कम करने की नीतियाँ और हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ लागू की हैं। नीति ढाँचे में परिचालन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे कि परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी एवं न्यूनकरण।

गतिविधियों के आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों से निपटने के लिए, बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ लागू की हैं।

परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

31.03.2026 को परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार रुपए 73.44 करोड़ था तथा 31.03.2026 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ रुपए 638.58 करोड़ थीं।

तालिका डीएफ–9: बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट–बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध संपति (दीर्घावधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार–चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखा:

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/ जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तरदायी है।

capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2026
a)	Interest Rate Risk	----
b)	Equity Position Risk	-----
c)	Foreign Exchange Risk	----

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes :

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- IRMC (Internal Risk Management Committee)
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2026 was Rs.73.44 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2026 was Rs.638.58 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance- sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:–

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग–अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिए प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को लागू कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

1. **अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग–अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

 एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरुप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

2. **जोखिम में आय:** जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समू. हों पर आकलन किया जाता है।

3. **इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई):** बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट–शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिए जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तगर्त निम्नानुसार किया जाता है।

- **यील्ड कर्व जोखिम:** आस्ति और देयताओं के लिये 02 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(₹ करोड़ में)

आय पर जोखिम	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	-29.35	29.35

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य परिसंपत्तियों की संशोधित अवधि और देनदारियों की गणना करके इक्विटी की संशोधित अवधि पर पहुंचने के लिए किया जाता है। अवधि अंतराल विधि के माध्यम से घरेलू परिचालन के लिए मासिक अंतराल पर 200 बीपीएस दर के झटके के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	(-)2.83%	2.83%

तालिका डीएफ–10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि–जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off- balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re- pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. **Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

 A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- **Yield curve risk:** A parallel shift of 2% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crore)

Earning at Risk	-200 bps	200 bps
	-29.35	29.35

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	(-)2.83%	2.83%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं–अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2026	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2026
1	फॉरवर्ड फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स	----	----
2	करेंसी फ्यूचर	----	----
3	करेंसी ऑप्शन	----	----
4	ब्याज दर फ्यूचर	----	----
5	क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	----	----
6	ऋसगल करेंसी ब्याज दर स्वैप	----	----
	कुल	**----**	**----**

तालिका डीएफ–11: 31.03.2026 को पूंजी की संरचना

(रू. मिलियन में)

क्र.सं	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		संदर्भ सं
सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	4238.58	a = a1 + a2
2	प्रतिधारित आय		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	6417.33	
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	**10655.91**	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	151.69	
10	आस्थगित कर संपत्ति		
11	नकदी–प्रवाह हेज रिजर्व		
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि		
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिग		
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिनमें से: मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार		
25	जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+ 26बी+ 26सी+ 26डी)		
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश		
26बी	जिजिसमें से: असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश		
26सी	जिसमें से: बैंक के साथ गैर–समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी		
26डी	जिसमें से: अपरिषोधित पेंशन निधि व्यय		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन		
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	151.69	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**10504.22**	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)		
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुपमें वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत		

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹in Crore)

S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2026	Current Exposure 31.03.2026
1	Forward forex Contracts	----	----
2	Currency Future	----	----
3	Currency Options	----	----
4	Interest rate future	----	----
5	Cross Currency Interest Rate Swap	----	----
6	Single Currency Interest Rate Swap	----	----
	Total	**----**	**----**

Table DF-11: Composition of Capital

(₹ in Million)

S. No.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017		Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	4238.58	a = a1 + a2
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	6417.33	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**10655.91**	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	151.69	
10	Deferred tax assets		
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	151.69	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**10504.22**	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		

क्र.सं	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		संदर्भ सं
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)		
35	जिसमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत		
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**		
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स		
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक स्वामित्व नहीं है।		
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)		
41ए	जिनमें से: गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	बबहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी–11)**		
45	**टियर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+एटी1)) (29+44)**	**10504.22**	
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष		
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)		
49	जिनमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत		
50	**प्रावधान**	607.92	
51	**विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी**	**607.92**	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			

क्र.सं	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		संदर्भ सं
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स		
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन(56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन		
58	**टियर 2 पूंजी (टी2))**	**607.92**	
59	**कुल पूंजी (टीसी= टी1 + टी2) (45 + 58)**	**11112.14**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**58622.48**	
60ए	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	51967.90	
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	268.77	
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	6385.81	
पूंजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	17.92%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	17.92%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	18.96%	
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	8.00%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	2.50%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं		
67	जिसमें से: जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं		
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	9.92%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल–III से भिन्न हो तो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	8.00%	सीसीबी सहित

S. No.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017		Ref No
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**		
Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41a	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)**	**10504.22**	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	Provisions	607.92	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**607.92**	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			

S. No.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017		Ref No
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**607.92**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**11112.14**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**58622.48**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	51967.90	
60b	of which: total market risk weighted assets	268.77	
60c	of which: total operational risk weighted assets	6385.81	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	17.92%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	17.92%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	18.96%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	9.92%	
National minima (if different from Basel–III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	Including CCB

क्र.सं	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		संदर्भ सं
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	9.50%	सीसीबी सहित
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	11.50%	सीसीबी सहित
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)		
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)		
टियर 2 में प्रावधानों के शमिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	607.92	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा		
फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप		
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)		
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप		
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)		
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप		
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)		

टेम्प्लेट के लिए नोट

टेम्प्लेट की पंक्ति सं.	विवरण	(रु. मिलियन में)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	----
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां	----
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल	----
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	----
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	----
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	----
26बी	यदि गैर–समेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	----
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	----
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	----
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	607.92
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	----
	पंक्ति 50 का कुल	**607.92**

सारणी डीएफ–12: पूंजी की संरचना–मिलान संबंधी अपेक्षाएं

चरण 1 (राशि रु. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार
ए	**पूंजी तथा देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	1657.30	1657.30
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	9326.33	9326.33
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज		
	कुल पूंजी	**10983.63**	**10983.63**
ii	**जमाराशियां**	**86236.68**	**86236.68**
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां	2990.29	3990.29
	जिनमें से: ग्राहकों की जमाराशियां	82246.40	82246.40
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	----	----
iii	**उधार**	0.00	0.00
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	----	----
	जिनमें से: बैंकों से	0.00	0.00
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	----	----

S. No.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017		Ref No
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%	Including CCB
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	Including CCB
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	607.92	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

Notes to the Templates

Row No. of the template	Particular	(₹ in Million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	----
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	----
	Total as indicated in row 10	----
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	----
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	----
	of which: Increase in Tier 2 capital	----
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	----
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	(ii) Increase in risk weighted assets	----
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	607.92
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	----
	Total of row 50	**607.92**

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

Step 1 **(₹ in Million)**

		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	1657.30	1657.30
	Reserves & Surplus	9326.33	9326.33
	Minority Interest		
	Total Capital	**10983.63**	**10983.63**
ii	**Deposits**	**86236.68**	**86236.68**
	of which: Deposits from banks	2990.29	3990.29
	of which: Customer deposits	82246.40	82246.40
	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----
iii	Borrowings	0.00	0.00
	of which: From RBI	----	----
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	----	----

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार
	जिनमें से: अन्य(कृपया स्पष्ट करें)	----	----
	जिनमें से: पूंजी लिखत	----	----
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**1681.93**	**1681.93**
	कुल	**98902.24**	**98902.24**
बी	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष**	**2996.84**	**2996.84**
ii	**बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	**18660.37**	**18660.37**
iii	**निवेश:**	**16182.95**	**16182.95**
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	15372.15	15372.15
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	----	----
	जिनमें से: शेयर	----	----
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	810.80	810.80
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	----	----

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्य पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	----	----
	घटा मूल्यह्रास	----	----
iv	**ऋण तथा अग्रिम**	**52283.26**	**52283.26**
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	54943.48	54943.48
	समायोजन मदें	2660.22	2660.22
v	**अचल आस्तियां**	**668.47**	**668.47**
vi	अन्य आस्तियां	8110.35	8110.35
	जिनमें से: साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां		
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	----	----
vii	समेकन पर गुडविल	----	----
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	-----	-----
	कुल आस्तियां	**98902.24**	**98902.24**

चरण 2

(राशि ₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	संदर्भ संख्या
ए	**पूंजी तथा देयताएं**			
i	प्रदत्त पूंजी	1657.30	1657.30	ए1
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	1657.30	1657.30	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	----	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**9326.33**	**9326.33**	
	जिसमें से:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	**2262.37**	**2262.37**	
	– शेयर प्रीमियम	**2581.29**	**2581.29**	ए2
	– केपिटल रिजर्व	**209.52**	**209.52**	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	209.52	209.52	
	• अन्य आरक्षितियां	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	**4273.15**	**4273.15**	
	• आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति–आस्थगित कर	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति	3821.27	3821.27	

		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
	of which: Others (pl. specify)	----	----
	of which: Capital instruments	----	----
iv	Other liabilities & provisions	**1681.93**	**1681.93**
	Total	**98902.24**	**98902.24**
B	**Assets**		
i	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**2996.84**	**2996.84**
ii	**Balance with banks and money at call and short notice**	**18660.37**	**18660.37**
iii	**Investments:**	**16182.95**	**16182.95**
	of which: Government securities	15372.15	15372.15
	of which: Other approved securities	----	----
	of which: Shares	----	----
	of which: Debentures & Bonds	810.80	810.80
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)	----	----
	Less Depreciation	----	----
iv	**Loans and advances**	**52283.26**	**52283.26**
	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	of which: Loans and advances to customers	54943.48	54943.48
	Netting items	2660.22	2660.22
v	**Fixed assets**	**668.47**	**668.47**
vi	Other assets	8110.35	8110.35
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	----	----
vii	Goodwill on consolidation	----	----
viii	Debit balance in Profit & Loss account	-----	-----
	Total Assets	**98902.24**	**98902.24**

Step 2

(₹ in Million)

		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	Ref No.
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	1657.30	1657.30	a1
	of which: Amount eligible for CET1	1657.30	1657.30	
	of which: Amount eligible for AT1	----	----	
	Reserves & Surplus	**9326.33**	**9326.33**	
	of which:			
	-Statutory Reserve	**2262.37**	**2262.37**	
	-Share Premium	**2581.29**	**2581.29**	a2
	-Capital Reserve	**209.52**	**209.52**	
	• Revaluation of Fixed Assets	209.52	209.52	
	• Other Reserve	0.00	0.00	
	-Revenue and Other Reserve	**4273.15**	**4273.15**	
	• Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	• Other Reserve	3821.27	3821.27	

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	संदर्भ संख्या
	• निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	212.47	212.47	
	• एएफएस रिज़र्व	-74.42	-74.42	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	-----	-----	
	• धारा 36 के अन्तर्गत	313.83	313.83	
	–खाते में शेष लाभ/(हानि)	-----	-----	
	– वर्तमान समय हानि	**---**	**---**	
	कुल पूंजी	**10983.63**	**10983.63**	
ii	**जमाराशियां**	**86236.68**	**86236.68**	
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां	3990.29	3990.29	
	जिनमें से: ग्राहक जमाराशियां	82246.40	82246.40	
	जिनमें से:अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	----	----	
iii	उधार	0.00	0.00	
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	----	----	
	जिनमें से: बैंकों से	0.00	0.00	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से		0.00	
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	----	----	
	जिनमें से: पूंजी लिखत	----	----	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**1681.93**	**1681.93**	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	----	----	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	----	----	
	कुल	**98902.24**	**98902.24**	
बी	**आस्तियां**			
i	**भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवंशेष**	**2996.84**	**2996.84**	
ii	**बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	**18660.37**	**18660.37**	
iii	**निवेश**	**16182.95**	**16182.95**	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	15372.15	15372.15	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	----	----	
	जिनमें से: शेयर		----	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	810.80	810.80	
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं		----	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्य पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	----	----	
	घटा मूल्यह्रास	-----	-----	
iv	**ऋण तथा अग्रिम**	**52283.26**	**52283.26**	
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	52283.26	52283.26	
	समायोजन मदें	2660.22	2660.22	
v	**अचल आस्तियां**	**668.47**	**668.47**	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	151.69	151.69	
vi	**अन्य आस्तियां**	**8110.35**	**8110.35**	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	----	----	

		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	Ref No.
	• Investment Fluctuation Reserve	212.47	212.47	
	• Afs Reserve	-74.42	-74.42	
	• Investment Reserve Account	-----	-----	
	• Special reserve u/s36	313.83	313.83	
	– Balance in Profit & Loss Account	-----	-----	
	– Current period Loss	**---**	**---**	
	Total Capital	**10983.63**	**10983.63**	
ii	**Deposits**	**86236.68**	**86236.68**	
	of which: Deposits from banks	3990.29	3990.29	
	of which: Customer deposits	82246.40	82246.40	
	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----	
iii	Borrowings	0.00	0.00	
	of which: From RBI	----	----	
	of which: From banks	0.00	0.00	
	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	of which: Others (pl. specify)	----	----	
	of which: Capital instruments	----	----	
iv	**Other liabilities & provisions**	**1681.93**	**1681.93**	
	of which: DTLs related to goodwill	----	----	
	of which: DTLs related to intangible assets	----	----	
	Total	**98902.24**	**98902.24**	
B	**Assets**			
i	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**2996.84**	**2996.84**	
ii	**Balance with banks and money at call and short notice**	**18660.37**	**18660.37**	
iii	**Investments:**	**16182.95**	**16182.95**	
	of which: Government securities	15372.15	15372.15	
	of which: Other approved securities	----	----	
	of which: Shares	----	----	
	of which: Debentures & Bonds	810.80	810.80	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)	----	----	
	Less Depreciation	-----	-----	
iv	**Loans and advances**	**52283.26**	**52283.26**	
	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	of which: Loans and advances to customers	52283.26	52283.26	
	Netting items	2660.22	2660.22	
v	**Fixed assets**	**668.47**	**668.47**	
	of which: Goodwill and intangible assets	151.69	151.69	
vi	**Other assets**	**8110.35**	**8110.35**	
	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिर्पोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	संदर्भ संख्या
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	----	----	
vii	समेकन पर गुडविल	----	----	
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	----	----	
	कुल आस्तियां	**98902.24**	**98902.24**	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ–11 (भाग I/II जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षित निधियां

(राशि ₹ मिलियन में)

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/ पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त–गैर–स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	4238.58	ए1 एवं ए2
2	प्रतिधारित आय	----	
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	6265.64	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (समूह असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	----	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (केवल सीसीईटी1 में अनुमत राशि)	----	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	**10504.22**	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	----	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	----	

		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	Ref No.
	of which: Deferred tax assets	----	----	
vii	Goodwill on consolidation	----	----	
viii	Debit balance in Profit & Loss account	----	----	
	Total Assets	**98902.24**	**98902.24**	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(₹ in Million)

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	4238.58	a1 & a2
2	Retained earnings	----	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	6265.64	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	----	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	----	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	10504.22	
7	Prudential valuation adjustments	----	
8	Goodwill (net of related tax liability)	----	

तालिका डीएफ–13: नियामक पूंजी साधनों की मुख्य विशेषताएँ

बैंक ने किसी भी प्रकार के नियामक साधन जारी नहीं किए हैं।

नियामक पूंजी उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

1	जारीकर्ता
2	युनीक आइडेंटिफ़ायर (उदाहरण, निजी प्लेसमेंट के लिए CUSIP, ISIN या Bloomberg आइडेंटिफ़ायर
3	साधन के शासी कानून (ओं)
नियामक उपचार	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम
5	संक्रमणकालीन बेसल III नियम
6	एकल / समूह / समूह – एकल में पात्र
7	उपकरण प्रकार
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (सबसे हालिया रिर्पोटिंग तिथि के अनुसार, मिलियन रुपये में)
9	साधन का बराबर मूल्य
10	लेखांकन वर्गीकरण
11	जारी करने की मूल तिथि
12	शाश्वत या दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि
14	जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन
15	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और मोचन राशि
16	बाद की कॉल तिथियां, यदि लागू हो
कूपन/लाभांश	
17	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक
19	लाभांश डाट का अस्ति
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व
22	गैर–संचयी या संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर–परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण ट्रिगर
25	यदि परिवर्तनीय है, तो पूरी तरह या आंशिक रूप से
26	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण दर
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें जो इसमें परिवर्तनीय है
29	यदि परिवर्तनीय है, तो उस उपकरण के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जिसमें वह परिवर्तित होता है
30	राइट–डाउन सुविधा
31	यदि लिखें, तो लिखें–डाउन ट्रिगर
32	यदि लिखें, पूर्ण या आंशिक
33	यदि लिखें, स्थायी या अस्थायी
34	यदि अस्थायी राइट–डाउन है, तो राइट–अप तंत्र का विवरण
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (साधन के लिए तुरंत वरिष्ठ उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें)
36	गैर–अनुपालन संक्रमणित सुविधाएँ
37	यदि हाँ, तो गैर–अनुपालन सुविधाएँ निर्दिष्ट करें

सारणी डी.एफ. 16: 31.03.2026 को इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण–

गुणात्मक प्रकटीकरण:

1	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण, जिसमें शामिल हैं:	
	ऐसे निवेशों के बीच अंतर, जिन पर पूँजीगत लाभ की अपेक्षा की जाती है, और ऐसे निवेश जो अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत, जैसे संबंध या रणनीतिक कारणों से, लिए जाते हैं	बैंक के पास बैंकिंग बुक के अंतर्गत कोई इक्विटी नहीं है।
	बैंकिंग बुक में इक्विटी निवेश के मूल्यांकन और लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन पद्धतियाँ, प्रमुख मान्यताएँ और मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाएँ, साथ ही इन प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं	बैंक के पास बैंकिंग बुक के अंतर्गत कोई इक्विटी नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

		(रुपए मिलियन में)	
		पुस्तकीय मूल्य	उचित मूल्य
1	निवेशों का बैलेंस शीट में प्रकटीकृत मूल्य तथा उन निवेशों का उचित मूल्य; सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए, जहाँ उचित मूल्य से शेयर मूल्य में भिन्नता महत्वपूर्ण हो, वहाँ सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना।	----	----
	जिनमें सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य, जहाँ शेयर मूल्य और उचित मूल्य में महत्वपूर्ण भिन्नता हो।	----	----
2	निवेशों के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्न के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है:	----	----
	सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली	----	----
	निजी स्वामित्व वाली	----	----
3	रिर्पोटिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी वास्तविक लाभ (हानि)	----	----
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि)[1]	----	----
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)[2]	----	----

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer
2	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)
3	Governing law(s) of the instrument
Regulatory treatment	
4	Transitional Basel- III rules
5	Post-transitional Basel -III rules
6	Eligible at solo/group/ group & solo
7	Instrument type
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)
9	Par value of instrument
10	Accounting classification
11	Original date of issuance
12	Perpetual or dated
13	Original maturity date
14	Issuer call subject to prior supervisory approval
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount
16	Subsequent call dates, if applicable
Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon
18	Coupon rate and any related index
19	Existence of a dividend stopper
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem
22	Noncumulative or cumulative
23	Convertible or non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)
25	If convertible, fully or partially
26	If convertible, conversion rate
27	If convertible, mandatory or optional conversion
28	If convertible, specify instrument type convertible into
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into
30	Write-down feature
31	If write-down, write-down trigger(s)
32	If write-down, full or partial
33	If write-down, permanent or temporary
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)
36	Non-compliant transitioned features
37	If yes, specify non-compliant features

DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions as on 31.03.2026

Qualitative Disclosures:

1	The general qualitative disclosure with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons	Bank does not have any equities under banking book
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book- This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices	Bank does not have any equities under banking book

Quantitative Disclosures:

		(₹ in Million)	
		BOOK VALUE	FAIR VALUE
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	----	----
	Of which Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	----	----
2	The types and nature of investments including the amount that can be classified as	----	----
	Publicly traded	----	----
	Privately held	----	----
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	----	----
4	Total unrealised gains (losses)[1]	----	----
5	Total latent revaluation gains (losses)[2]	----	----

		(रुपए मिलियन में)	
		पुस्तकीय मूल्य	उचित मूल्य
6	उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टियर 1 और/या टियर 2 पूँजी में शामिल हो	----	----
7	उपयुक्त इक्विटी समूहों के अनुसार पूँजी आवश्यकताएँ, जो बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप हों, साथ ही नियामक पूँजी आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अंतर्गत आने वाले इक्विटी निवेशों की कुल राशि और प्रकार	----	----

[1] अप्राप्त लाभ (हानि) जो बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है, परंतु लाभ–हानि खाते में नहीं।

[2] अप्राप्त लाभ (हानि) जो न तो बैलेंस शीट में और न ही लाभ–हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

बेसल ppp लीवरेज अनुपात को पूँजी माप (जोखिम–आधारित पूँजी ढाँचे की टियर–1 पूँजी) को एक्सपोज़र माप से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है, और इस अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बैंक को न्यूनतम 3.50% का लीवरेज अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, **31 मार्च 2026** को बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

सारणी डीएफ 17– लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

क्र. सं.	मद	(रुपए मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	98902.24
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	----
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	----
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	----
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	----
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रुपांतरण)	8314.08
7	अन्य समायोजन	-5604.86
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**101611.47**

सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(रुपए मिलियन में)

क्र. सं.	मद	लीवरेज अनुपात संरचना
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डैरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	98902.24
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	0.00
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	98902.24
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	0.00
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	0.00
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियोंसे घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	0.00
7	(डेरिवेटिव लेन–देनों में दर्शाए गए नकदी घट–बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक–समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0.00
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	0.00
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	0.00
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं.4 से 10 का जोड़)**	**0.00**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नोटिंग लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	0.00
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं.12 से 15 का जोड़)**	----
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	8314.08
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	-5604.86
19	**तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं.17 और 18 का जोड़)**	**2709.22**
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20	**टियर 1 पूंजी**	**10504.22**
21	**कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. 3,11,16 और 19 का जोड़)**	**101611.46**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**10.34%**

		(₹ in Million)	
		BOOK VALUE	FAIR VALUE
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	----	----
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	----	----

[1] Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.
[2] Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.

Leverage Ratio Disclosures

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of **March 31st, 2026** is as follows:

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

S.No.	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	98902.24
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	----
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	----
4	Adjustments for derivative financial instruments	----
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	----
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	8314.08
7	Other adjustments	-5604.86
8	**Leverage ratio exposure**	**101611.47**

Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(₹ in Million)

S. No.	Item	Leverage ratio framework
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	98902.24
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1capital)	0.00
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	98902.24
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	0.00
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	0.00
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**0.00**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	----
	Other off-balance sheet exposure	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	8314.08
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5604.86
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**2709.22**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**10504.22**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**101611.46**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**10.34%**

दिल्ली		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
1.	पी. के. रोड	महानगरीय
2.	लाजपत नगर	महानगरीय
3.	शालीमार बाग	महानगरीय
4.	तिलक नगर	महानगरीय
5.	पटपड़गंज	महानगरीय
6.	पीतमपुरा	महानगरीय
7.	आई.पी. एक्सटेंशन	महानगरीय
8.	पप्पनकला	महानगरीय
9.	विकास मार्ग	महानगरीय
10.	न्यू अशोक नगर	महानगरीय
11.	रोहिणी	महानगरीय
12.	रोहतक रोड	महानगरीय
13.	सुरहेड़ा	ग्रामीण
14.	द्वारका	महानगरीय
15.	दिलशाद गार्डन	महानगरीय

हरियाणा		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
1.	गुड़गांव	शहरी
2.	पानीपत	शहरी
3.	फरीदाबाद	महानगरीय
4.	अंबाला	शहरी
5.	करनाल	शहरी
6.	बल्लभगढ़–फरीदाबाद	महानगरीय
7.	सोहना रोड–गुरुग्राम	शहरी
8.	सेक्टर–14 रोहतक	शहरी
9.	पलवल, हरियाणा	शहरी

राजस्थान		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
1.	जयपुर – बनी पार्क	महानगरीय
2.	कोटपुतली जयपुर	अर्ध–शहरी
3.	राजा पार्क जयपुर	महानगरीय

उत्तराखंड		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
1.	मॉल रोड नैनीताल	अर्ध–शहरी
2.	अल्मोड़ा	अर्ध–शहरी
3.	हल्द्वानी	शहरी
4.	रानीखेत	अर्ध–शहरी
5.	रामनगर	अर्ध–शहरी
6.	काशीपुर	शहरी
7.	पिथौरागढ़	अर्ध–शहरी
8.	किच्छा	अर्ध–शहरी
9.	बाजपुर	अर्ध–शहरी
10.	भीमताल	ग्रामीण
11.	रामगढ़	ग्रामीण
12.	बागेश्वर	ग्रामीण
13.	लोहाघाट	ग्रामीण
14.	किलाखेड़ा	अर्ध–शहरी
15.	चंपावत	ग्रामीण
16.	लालकुआं	ग्रामीण
17.	बैलपड़ाव	ग्रामीण
18.	नगला	अर्ध–शहरी
19.	पहाड़पानी	ग्रामीण
20.	बारा	ग्रामीण
21.	देवीधुरा	ग्रामीण
22.	रानीबाग	ग्रामीण
23.	बानलेख	ग्रामीण
24.	तल्लीताल नैनीताल	अर्ध–शहरी
25.	चौमेल	ग्रामीण
26.	भिगरारा	ग्रामीण
27.	श्रीपुरबिचवा	ग्रामीण
28.	रुद्रपुर	शहरी
29.	जसपुर	अर्ध–शहरी
30.	के. डी. रोड हल्द्वानी	शहरी
31.	गदरपुर	ग्रामीण
32.	कोटद्वार	अर्ध–शहरी
33.	एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी	शहरी

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

DELHI		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
1.	P K ROAD	METRO
2.	LAJPAT NAGAR	METRO
3.	SHALIMAR BAGH	METRO
4.	TILAK NAGAR	METRO
5.	PATPARGANJ	METRO
6.	PITAMPURA	METRO
7.	IP EXTENTION	METRO
8.	PAPPANKALA	METRO
9.	VIKAS MARG	METRO
10.	NEW ASHOK NAGAR	METRO
11.	ROHINI	METRO
12.	ROHTAK ROAD	METRO
13.	SURHERA	RURAL
14.	DWARKA	METRO
15.	DILSHAD GARDEN	METRO

HARYANA		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
1.	GURGAON	URBAN
2.	PANIPAT	URBAN
3.	FARIDABAD	METRO
4.	AMBALA	URBAN
5.	KARNAL	URBAN
6.	BALLABHGARH-FARIDABAD	METRO
7.	SOHNA ROAD-GURUGRAM	URBAN
8.	SECTOR-14 ROHTAK	URBAN
9.	PALWAL, HARYANA	URBAN

RAJASTHAN		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
1.	JAIPUR - BANI PARK	METRO
2.	KOTPUTLI JAIPUR	SEMI-URBAN
3.	RAJA PARK JAIPUR	METRO

UTTARAKHAND		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
1.	MALL ROAD NAINITAL	SEMI-URBAN
2.	ALMORA	SEMI-URBAN
3.	HALDWANI	URBAN
4.	RANIKHET	SEMI-URBAN
5.	RAMNAGAR	SEMI-URBAN
6.	KASHIPUR	URBAN
7.	PITHORAGARH	SEMI-URBAN
8.	KICHHA	SEMI-URBAN
9.	BAZPUR	SEMI-URBAN
10.	BHIMTAL	RURAL
11.	RAMGARH	RURAL
12.	BAGESHWAR	RURAL
13.	LOHAGHAT	RURAL
14.	KILAKHERA	SEMI-URBAN
15.	CHAMPAWAT	RURAL
16.	LALKUAN	RURAL
17.	BAILPARAO	RURAL
18.	NAGLA	SEMI-URBAN
19.	PAHARPANI	RURAL
20.	BARA	RURAL
21.	DEVIDHURA	RURAL
22.	RANIBAGH	RURAL
23.	BANLEKH	RURAL
24.	TALLITAL NAINITAL	SEMI-URBAN
25.	CHAUMEL	RURAL
26.	BHINGRARA	RURAL
27.	SRIPURBICHWA	RURAL
28.	RUDRAPUR	URBAN
29.	JASPUR	SEMI-URBAN
30.	K D ROAD HALDWANI	URBAN
31.	GADARPUR	RURAL
32.	KOTDWAR	SEMI-URBAN
33.	MB PG COLLEGE HALDWANI	URBAN

उत्तराखंड		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
34.	देहरादून	शहरी
35.	हरिद्वार	शहरी
36.	रामपुर रोड हल्द्वानी	शहरी
37.	रुड़की	शहरी
38.	विकासनगर देहरादून	अर्ध–शहरी
39.	लोअर मॉल रोड अल्मोड़ा	अर्ध–शहरी
40.	श्रीनगर	अर्ध–शहरी
41.	भूर मोह खटीमा	अर्ध–शहरी
42.	धारचूला	ग्रामीण
43.	जोशीमठ	अर्ध–शहरी
44.	कर्णप्रयाग	ग्रामीण
45.	नई टिहरी	अर्ध–शहरी
46.	कपकोट	ग्रामीण
47.	भवाली	ग्रामीण
48.	सिडकुल पंतनगर	शहरी
49.	डोईवाला	ग्रामीण
50.	रुद्रप्रयाग	ग्रामीण
51.	सितारगंज	अर्ध–शहरी
52.	टनकपुर	अर्ध–शहरी
53.	द्वाराहाट	ग्रामीण
54.	ज्वालापुर हरिद्वार	शहरी
55.	पौड़ी गढ़वाल	अर्ध–शहरी
56.	ऋषिकेश	अर्ध–शहरी
57.	हरिद्वार रोड देहरादून	शहरी
58.	सहारनपुर रोड देहरादून	शहरी
59.	मसूरी	अर्ध–शहरी
60.	अर्जुनपुर हल्द्वानी	ग्रामीण
61.	महेशपुरा बाजपुर	ग्रामीण
62.	लोहारीयासाल हल्द्वानी	ग्रामीण
63.	कमलुआगंजा	ग्रामीण
64.	वसंत विहार देहरादून	शहरी
65.	बरहानी बाजपुर	ग्रामीण
66.	चकराता रोड देहरादून	शहरी

उत्तराखंड		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
67.	जगतपुर गौलापार	ग्रामीण
68.	तपोवन ऋषिकेश	ग्रामीण
69.	दामुआढूंगा हल्द्वानी	शहरी
70.	बनबसा चंपावत	ग्रामीण
71.	पुरोला उत्तरकाशी	ग्रामीण
72.	मुरादाबाद रोड काशीपुर	शहरी
73.	भूरारानी रुद्रपुर	ग्रामीण
74.	विक्रमपुर बाजपुर	ग्रामीण
75.	शिमला पिस्टोर रुद्रपुर	ग्रामीण
76.	दिनेशपुर रुद्रपुर	अर्ध–शहरी
77.	नानकमत्ता रुद्रपुर	ग्रामीण
78.	कैनाल रोड देहरादून	शहरी
79.	पेरुमदारा रामनगर	ग्रामीण
80.	उदयलालपुर हल्द्वानी	ग्रामीण
81.	सहस्त्रधारा रोड देहरादून	शहरी
82.	जेल रोड हल्द्वानी	शहरी
83.	दानपुर रुद्रपुर	ग्रामीण
84.	भनियावाला, देहरादून	ग्रामीण
85.	भाऊवाला देहरादून	ग्रामीण
86.	चिड़ियावाला देहरादून	ग्रामीण
87.	नथुवावाला, देहरादून	ग्रामीण
88.	झाझरा, सुद्धोवाला, देहरादून	शहरी
89.	राजेश्वरीपुरम जोगीवाला देहरादून	शहरी
90.	तल्ली बमौरी हल्द्वानी	ग्रामीण
91.	भरतपुर कुंडा जसपुर	ग्रामीण
92.	प्रतापपुर काशीपुर	ग्रामीण
93.	श्यामपुर कांगड़ी हरिद्वार	ग्रामीण
94.	बेरिया दौलत बाजपुर	ग्रामीण
95.	राजपुर जसपुर	ग्रामीण
96.	सकेनिया गदरपुर	ग्रामीण
97.	गंगापुर रोड रुद्रपुर	ग्रामीण
98.	भगवानपुर रुड़की	ग्रामीण
99.	छरायल, गैस गोदाम रोड	ग्रामीण
100.	लामाचौड़, हल्द्वानी	ग्रामीण

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

UTTARAKHAND		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
34.	DEHRADUN	URBAN
35.	HARIDWAR	URBAN
36.	RAMPUR ROAD HALDWANI	URBAN
37.	ROORKEE	URBAN
38.	VIKASNAGAR DEHRADUN	SEMI-URBAN
39.	LOWER MALL ROAD ALMORA	SEMI-URBAN
40.	SRI NAGAR	SEMI-URBAN
41.	BHOOR MOH KHATIMA	SEMI-URBAN
42.	DHARCHULA	RURAL
43.	JOSHIMATH	SEMI-URBAN
44.	KARNAPRAYAG	RURAL
45.	NEW TEHRI	SEMI-URBAN
46.	KAPKOT	RURAL
47.	BHOWALI	RURAL
48.	SIDCUL PANTNAGAR	URBAN
49.	DOIWALA	RURAL
50.	RUDRAPRAYAG	RURAL
51.	SITARGANJ	SEMI-URBAN
52.	TANAKPUR	SEMI-URBAN
53.	DWARAHAT	RURAL
54.	JWALAPUR HARIDWAR	URBAN
55.	PAURI GARHWAL	SEMI-URBAN
56.	RISHIKESH	SEMI-URBAN
57.	HARIDWAR RD DEHRADUN	URBAN
58.	SAHARANPUR ROAD DDN	URBAN
59.	MUSSORIE	SEMI-URBAN
60.	ARJUNPUR HALDWANI	RURAL
61.	MAHESHPURA BAZPUR	RURAL
62.	LOHARIYASAL HALDWANI	RURAL
63.	KAMALUAGANJA	RURAL
64.	VASANT VIHAR DDN	URBAN
65.	BARHANI BAZPUR	RURAL
66.	CHAKRATA RD DEHRADUN	URBAN

UTTARAKHAND		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
67.	JAGATPUR GAULAPAR	RURAL
68.	TAPOVAN RISHIKESH	RURAL
69.	DAMUADHUNGA HALDWANI	URBAN
70.	BANBASA CHAMPAWAT	RURAL
71.	PUROLA UTTARKASHI	RURAL
72.	MORADABAD ROAD KASHIPUR	URBAN
73.	BHURARANI RUDRAPUR	RURAL
74.	VIKRAMPURBAZPUR	RURAL
75.	SHIMLA PISTORE RUDRAPUR	RURAL
76.	DINESHPUR RUDRAPUR	SEMI-URBAN
77.	NANAKMATTA RUDRAPUR	RURAL
78.	CANAL ROAD DEHRADUN	URBAN
79.	PERUMADARA RAMNAGAR	RURAL
80.	UDAYLALPUR HALDWANI	RURAL
81.	SAHASTRADHARA ROAD DEHRADUN	URBAN
82.	JAIL ROAD HALDWANI	URBAN
83.	DANPUR RUDRAPUR	RURAL
84.	BHANIYAWALA, DEHRADUN	RURAL
85.	BHAUWALA DEHRADUN	RURAL
86.	CHIDDERWALA DEHRADUN	RURAL
87.	NATHUAWALA, DEHRADUN	RURAL
88.	JHAJRA, SUDDHOWALA, DEHRADUN	URBAN
89.	RAJESHWARIPURAM JOGIWALA DDN	URBAN
90.	TALLI BAMORI HALDWANI	RURAL
91.	BHARATPUR KUNDA JASPUR	RURAL
92.	PRATAPPUR KASHIPUR	RURAL
93.	SHYAMPUR KANGRI HARIDWAR	RURAL
94.	BERIA DAULAT BAZPUR	RURAL
95.	RAJPUR JASPUR	RURAL
96.	SAKENIYA GADARPUR	RURAL
97.	GANGAPUR ROAD RUDRAPUR	RURAL
98.	BHAGWANPUR ROORKEE	RURAL
99.	CHHARAYAL, GAS GODAM ROAD	RURAL
100.	LAMACHAUR, HALDWANI	RURAL

उत्तर प्रदेश		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
1.	टी एन रोड लखनऊ	महानगरीय
2.	बहेड़ी	अर्ध–शहरी
3.	शाहजहाँपुर	शहरी
4.	पीलीभीत	शहरी
5.	बरेली	शहरी
6.	कानपुर	महानगरीय
7.	सीतापुर	शहरी
8.	गाजियाबाद	महानगरीय
9.	मेरठ	महानगरीय
10.	मुरादाबाद	शहरी
11.	मुजफ्फरनगर	शहरी
12.	रामपुर	शहरी
13.	महानगर लखनऊ	महानगरीय
14.	बुलंदशहर	शहरी
15.	वैशाली गाजियाबाद	महानगरीय
16.	आशियाना लखनऊ	महानगरीय
17.	सहारनपुर	शहरी
18.	नजीबाबाद	अर्ध–शहरी
19.	सेक्टर नोएडा	शहरी
20.	नादान महल लखनऊ	महानगरीय
21.	नोएडा सेक्टर	शहरी
22.	आगरा	महानगरीय
23.	प्रभात नगर बरेली	शहरी
24.	गोमती नगर लखनऊ	महानगरीय

उत्तर प्रदेश		
क्र. सं.	शाखा का नाम	क्षेत्र
25.	बिलासपुर रामपुर	अर्ध–शहरी
26.	फरीदपुर बरेली	अर्ध–शहरी
27.	बारा कानपुर	महानगरीय
28.	आई आई एम रोड लखनऊ	महानगरीय
29.	बिजनौर	अर्ध–शहरी
30.	ग्रेटर नोएडा	शहरी
31.	धामपुर बिजनौर	अर्ध–शहरी
32.	संजय नगर गाजियाबाद	महानगरीय
33.	कंकरखेड़ा मेरठ	महानगरीय
34.	कांठ रोड मुरादाबाद	शहरी
35.	नगीना, बिजनौर	अर्ध–शहरी
36.	सतवां बुजुर्ग शाहजहाँपुर	ग्रामीण
37.	पवन विहार बरेली	शहरी
38.	गोविदपुरम, गाजियाबाद	शहरी
39.	ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	अर्ध–शहरी
40.	अफजलगढ़ शाखा, बिजनौर	अर्ध–शहरी
41.	रानीपुर शाखा, नजीबाबाद	ग्रामीण
42.	डालीगंज शाखा, लखनऊ	महानगरीय
43.	विकासनगर शाखा, लखनऊ	महानगरीय
44.	लोनी गाजियाबाद	शहरी
45.	डोहरा रोड शाखा	शहरी
46.	मथुरा, उत्तर प्रदेश	शहरी
47.	हरदोई, उत्तर प्रदेश	शहरी
48.	देवरी रोड, आगरा	महानगरीय

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर				
1. महानगरीय	2. शहरी	3. अर्द्धशहरी	4. ग्रामीण	
35	49	34	57	
क्षेत्रीय कार्यालय				
1. दिल्ली	2. हल्द्वानी	3. देहरादून		
नैनीलोन प्वाइंट				
1. दिल्ली	2. हल्द्वानी	3. देहरादून	4. बरेली	5. लखनऊ

सांविधिक लेखा परीक्षक : ए. आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

कंपनी सचिव : विवेक साह

यदि कोई विवाद हो तो इस वार्षिक रिपोर्ट का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

UTTAR PRADESH		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
1.	T N ROAD LUCKNOW	METRO
2.	BAHERI	SEMI-URBAN
3.	SHAHJAHANPUR	URBAN
4.	PILIBHIT	URBAN
5.	BAREILLY	URBAN
6.	KANPUR	METRO
7.	SITAPUR	URBAN
8.	GHAZIABAD	METRO
9.	MEERUT	METRO
10.	MORADABAD	URBAN
11.	MUZAFFAR NAGAR	URBAN
12.	RAMPUR	URBAN
13.	MAHANAGAR LUCKNOW	METRO
14.	BULANDSHAHAR	URBAN
15.	VAISHALI GHAZIABAD	METRO
16.	ASHIANA LUCKNOW	METRO
17.	SAHARANPUR	URBAN
18.	NAJIBABAD	SEMI-URBAN
19.	SECTOR NOIDA	URBAN
20.	NADAN MAHAL LUCKNOW	METRO
21.	NOIDA SECTOR	URBAN
22.	AGRA	METRO
23.	PRABHAT NAGAR BAREILLY	URBAN
24.	GOMTI NAGAR LUCKNOW	METRO

UTTAR PRADESH		
Sr.	BRANCH NAME	AREA
25.	BILASPUR RAMPUR	SEMI-URBAN
26.	FARIDPUR BAREILLY	SEMI-URBAN
27.	BARRA KANPUR	METRO
28.	I I M ROAD LUCKNOW	METRO
29.	BIJNOR	SEMI-URBAN
30.	GREATER NOIDA	URBAN
31.	DHAMPUR BIJNOR	SEMI-URBAN
32.	SANJAY NAGAR GHAZIABAD	METRO
33.	KANKAR KHERA MEERUT	METRO
34.	KANTH ROAD MORADABAD	URBAN
35.	NAGINA, BIJNOR	SEMI-URBAN
36.	SATWAN BUJURG SHAHJAHANPUR	RURAL
37.	PAWAN VIHAR BAREILLY	URBAN
38.	GOVINDPURAM, GHAZIABAD	URBAN
39.	THAKURDWARA, MORADABAD	SEMI-URBAN
40.	AFZALGARH BRANCH, BIJNOR	SEMI-URBAN
41.	RANIPUR BRANCH, NAJIBABAD	RURAL
42.	DALIGANJ BRANCH, LUCKNOW	METRO
43.	VIKASNAGAR BRANCH, LUCKNOW	METRO
44.	LONI GHAZIABAD	URBAN
45.	DOHRA ROAD BRANCH	URBAN
46.	MATHURA, UTTAR PRADESH	URBAN
47.	HARDOI, UTTAR PRADESH	URBAN
48.	DEORI ROAD, AGRA	METRO

No. of Branches at various Centers				
1. Metro	2. Urban	3. Semi Urban	4. Rural	
35	49	34	57	
Regional Offices				
1. Delhi	2. Haldwani	3. Dehradun		
NainiLoan Point				
1. Delhi	2. Haldwani	3. Dehradun	4. Bareilly	5. Lucknow

STATUTORY AUDITORS : A.R. & Co., Chartered Accountants

COMPANY SECRETARY : Mr. Vivek Sah

In case of dispute, English version of this Annual Report shall be treated as final.



Encouraging Young Talent to Dream, Achieve and Excel.



Promoting green energy and sustainable living through the distribution of solar lights on the occasion of World Earth Day.



Promoting Girls' Education, Empowering Futures. Under the Nainital Bank Cheli Bhuli Scholarship Initiative.



Nainital Bank: Promoting Inclusion, Empowerment & Equal Opprtunities for Persons with Disabilities.



Empowering Healthcare, Serving Society in Rural Area by Donating Ambulance under the CSR Initiative.



Nainital Bank: Serving Communities Through Compassion.



Promoting Sports, Inspiring Young Talent through Bank's CSR Contribution.



Nainital Bank: Recognised by PFRDA for Outstanding Performance in Atal Pension Yojna.


Nainital Bank
amulya rishto ka atoot bandhan
FROM DREAM TO DOORSTEP
WE FINANCE YOUR HOME
Rate of Interest
7.15 %
Instant Home Loan Approval with Hassle-Free Process
Low Interest Rates | Minimal Documentation | Quick Disbursal
Flexible EMIs Designed for Your Comfort
Zero Processing and Documentation Charges
Apply Online & Get Instant Eligibility Check
Start Your Home Loan Journey Today
*T&C Apply
Follow Us
Nainital Bank
nainital_bank
@LtdNainital
Nainital Bank
www.nainitalbank.bank.in
marketing@nainitalbank.co.in

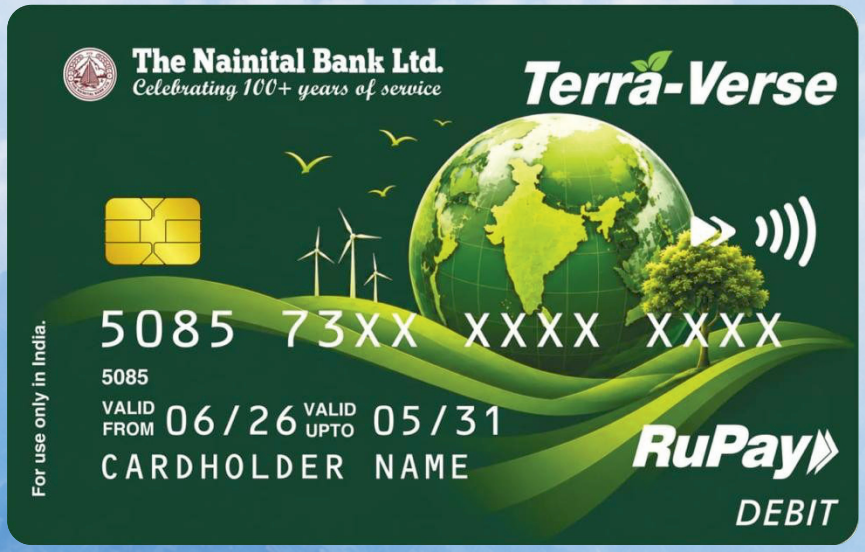

Nainital Bank
amulya rishto ka atoot bandhan
CAR LOAN APPROVED FASTER THAN YOUR TEST DRIVE
RATE OF INTEREST
7.65%
INSTANT CAR LOAN APPROVAL WITH MINIMAL DOCUMENTATION
LOW INTEREST RATES | FLEXIBLE EMIS QUICK DISBURSAL
FINANCE YOUR CAR WITH ZERO HASSLES
TRANSPARENT PROCESS BACKED BY TRUSTED LENDING
Apply now
*T&C Apply
Follow Us
Nainital Bank
nainital_bank
@LtdNainital
Nainital Bank
www.nainitalbank.bank.in
marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
Presenting the
Bio-Degradable Debit Card

Nainital Bank Bio-Degradable Debit Card

Small Card. Big Step Towards a

Greener Tomorrow



Made from Plant-Based Material (PLA)

Powered by Rupay

Same Security & Convenience
- ✓EVM Chip
- ✓Contactless Payments
- ✓Accepted at ATMs, POS & Online

Supports Sustainability & Reduce Plastic Waste

Registered Office : G.B. Pant Road,
Nainital - 263001 (Uttarakhand)
Head Office : Naini Bank House, 7 Oaks,
Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand)
Phone: 05942 - 233 739
CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234